राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दो सौ सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 30

शुक्रवार,

23 सितम्बर 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

जमाबंदी में प्रजापत के स्थान पर कुमावत परिवर्तित करने के आदेश

527. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापति, प्रजापत शब्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के सम्बन्ध में समाज द्वारा विगत तीन वर्षों में सरकार को ज्ञापन भी दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस के द्वारा और उक्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जमाबंदी में कुमावत शब्द पुन: परिवर्तित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापति/प्रजापत शब्द करने के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। टोंक, सीकर एवं जयपुर जिले में ऐसे कुछ प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिनमें जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापत/प्रजापति/कुम्हार दर्ज कर दिया

(राजस्व मंत्री)

है। इन प्रकरणों में शीघ्र ही पुन: जाति कुमावत दर्ज करवा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक दिनांक 21.09.2022 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में समस्त जिला कलेक्टर्स से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार किसी भी जिले में समाज की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति नाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात् राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति सम्बन्धित त्रुटियों को दुरुस्त किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007, 28.12.2017 एवं 23.12.2020 जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो डिपार्टमेंट की अंदरूनी कमी हुई है, क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट की जो मैनुअल जमाबंदी थी, उसको डिजीटल करते समय यह कमी आयी? यह प्रश्न लगने के बाद कल आपने आदेश किया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु अब जब आदेश आपने कर दिया तो यह प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? क्या उनको वहां पर दावा करना पड़ेगा या खुद स्वत: ही वे सुओमोटो करेंगे? काश्तकार वहां पर चक्कर नहीं काटे, उनको राहत कैसे मिलेगी क्योंकि बैंकों से ऋण लेने में बड़ी प्रोब्लम हो रही है तो यह दोनों बातें मुझे बतायें, जवाब दें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेग्रीगेशन का जो आर्डर हुआ था 21.09.2015 को, उस समय यह त्रुटि रह गयी थी। डिपार्टमेंट में कम्प्यूटर आपरेटर ने जो कालम बढ़ाये उसमें कुमावत, प्रजापति और कुम्हार को एक ही कालम में रख दिया गया है। यह तीनों जिलों में समस्या आयी, जिनमें से हमने काफी प्रकरणों को सुधार कर दिया था, कैम्पों में आये जो भी और उसके अलावा भी। ज्ञापन किसी जिले से प्राप्त नहीं हुआ लेकिन हमने क्वेश्चन लगने के बाद आर्डर भी जारी कर दिया और

(श्री रामलाल जाट)

इसके अलावा भी उससे पहले भी जैसे सीकर के कुछ प्रकरण थे, जयपुर जिले के कुछ प्रकरण थे, टोंक जिले के कुछ प्रकरण थे तो इन सबकी जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाने के बाद, जैसे- आमेर के 133 है तो 133 का निस्तारण कर दिया गया; सांगानेर में 19 आये थे, 19 का निस्तारण कर दिया; माधोराजपुरा में 39 आये, 39 का निस्तारण कर दिया; जयपुर में 62 आये, 56 अभी पेंडिंग हैं; कालवाड़ में 131 आये, 119 पेंडिंग हैं; लेकिन यह हमने सुओमोटो ही करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब यह जो त्रुटि हुई इसको हम सुधार कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह पक्का, डिपार्टमेंट इसकी त्रुटि को सुधार कर काश्तकारों को रिलीफ देगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना-सा ही निवेदन था कि डिजीटल होने से पहले जिन-जिन जमाबंदी में जो रिकार्ड था, हजारों जमाबंदियां हैं, अब वे कब तक, कितनी समय सीमा में इनका वापस पुन: नाम ठीक कर देंगे? समय सीमा आप मुझे बता दें, इतना-सा ही है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कोई प्रकरण सामने आया, 136 में वह खुद भी पेश कर सकता है, लेकिन कोई आयेगा नहीं तो हम उसको नोटिस देकर, जैसे ज्यों-ज्यों प्रकरण आये हैं जिन जिलों में उतने तो हमने कर दिये हैं। ज्ञापन एक भी प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा, सारे प्रकरणों को, उनको कलेक्टर ने यह आश्वस्त कर दिया और उन्होंने यह आर्डर भी कर दिया कि आप सुओमोटो उनको, चाहे कैम्प लगाने पड़ें, अभी मार्च, 2023 तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आर्डर कर रखे हैं कैम्पों के, तो वह कैम्प के माध्यम से भी कर सकते हैं और जहां-जहां पर हैं, वहां हम पटवारी को जिन कालम के अन्दर यह त्रुटि हुई, उनको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। यह बहुत जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना-सा ही है कि एक अभियान चलाकर डिपार्टमेंट इसको करे। डिपार्टमेंट की गलती है तो खुद ही इसको ठीक करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न के उत्तर से समझा हूं, जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापति/प्रजापत शब्द करने के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। अगर यह निर्देश ही जारी नहीं किये तो फिर लिख कैसे गया?

श्री अध्यक्ष: कालम में। माननीय मंत्रीजी, I will supplement it. आपकी वहां उसमें कालम की स्पेस लिमिटेड है। हिंदुस्तान में जातियां ज्यादा हैं तो जमाबंदी तो जाति के आधार पर है या तो आप जो बन रहा है, उसमें आप इतनी जगह रखें कि हर कास्ट की जगह उसमें एंट्री कर सके। आपने जो क्लब करने का निर्णय किया है, यह क्लब करने का निर्णय ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: इसलिए एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप दुबारा जो तहसील में जितनी जातियां हैं, उन का पहले रिकार्ड लें और फिर उस आधार पर उसमें कालम बनाएंगे, तब तो यह चीज होगी, बाकी आपने उसको टैक्निकल आदमी के ऊपर छोड़ दिया तो वह तो अपनी कन्वीनेंस के आधार पर कालम बनाकर उसको क्लब कर देगा। यह प्रोब्लम मैं यह समझता हूं कि यहां से नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है इसलिए एक बार पुन: आप एक किसी तहसील पर जो अलग-अलग जाति के लोग, जिनके जमाबंदी है, उन जाति के आधार पर उसमें कालम बने हुए हैं या नहीं, उसको आप चेक कर लें और उसके बाद बड़े लेवल पर राजस्थान में परिवर्तन करेंगे तब तो लाभ मिलेगा, बाकी यह प्रोब्लम बराबर आती रहेगी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका आदेश है, करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामप्रसाद।

अनुसूचित क्षेत्र में खनन भूमि का हस्तान्तरण

528. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में खनन कार्यों हेतु सरकार द्वारा कितनी लीजें जारी की गई हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में अनुसूचित क्षेत्र में खनन

(श्री रामप्रसाद)

भूमि का अनियमित रूप से हस्तानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा गैर आदिवासी या शासकीय उद्यम या निजी फर्म के नाम से कितनी खनन भूमि का निबंधन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु 121 खनन पट्टे जारी किये गये हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**वर्ष**	**जारी खनन पट्टों की संख्या**
1	2019-20	17
2	2020-21	49
3	2021-22	49
4	2022-23 (अगस्त 2022 तक)	6
	योग	121

(2) जी नहीं। उक्त अवधि में अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा अनियमित रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया है।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में विगत तीन साल से 121 पट्टे जारी हुए तो इनमें से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों के कितने हैं? यह बताने की कृपा करें।

दूसरा, यह खनन अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है तो अनुसूचित क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके लिए क्या प्रावधान है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो 121 खनन पट्टे जारी किये गये हैं, उनमें 27 खनन पट्टे आदिवासियों के नाम के आबंटित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, उसमें मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि राज्य में स्थानीय आदिवासियों के लिए अप्रधान खनिज नियम, 2017 के नियम 16 उप नियम 7 में दो प्रावधान किये गये हैं। पहला प्रावधान masonry stone के लिए,

(श्री प्रमोद भाया)

उसमें एक तिहाई नीलामी पट्टों का आरक्षण स्थानीय आदिवासियों के लिए है। दूसरा बजरी के पट्टों के लिए है, उसमें अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए पंजीकृत सोसाइटी के लिए प्राथमिकता का प्रावधान है। दोनों प्रावधानों में यदि आवेदन पट्टों में एक से ज्यादा अगर आता है तो फिर खुली नीलामी के जरिए उसका निस्तारण किया जाता है और प्रधान खनिज में इसमें पूरा ही नीलामी के जरिए किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: मैं पूछता हूं, आप बैठें। पेसा एक्ट जो है, माननीय सदस्य, पेसा एक्ट जो लगा हुआ है शिड्यूल्ड एरिया में उस पेसा एक्ट के अंतर्गत ऐसी जो पंचायत है, उसका नो-ड्यूज लेना जरूरी है, यह पेसा एक्ट कहता है, ट्राइबल सब एरिया के अंतर्गत। जो प्रैक्टिस हो रही है, उसमें अनुसूचित जनजाति के नाम पर तो पट्टा लिया जा रहा है और फिर कम्पनी बनाकर उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि जो माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे नियम बनायेगी, जिन नियम के अंतर्गत जिस शिड्यूल्ड ट्राइब के नाम पर पट्टा मिल रहा है, वह पट्टा उसी के नाम पर बना रह सके, उसके सम्बन्ध में कोई नियम विभाग बना रहा है या नहीं बना रहा है, उस पर ध्यान दें, बाकी तो ठीक है।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रोविजन है कि आदिवासी के नाम पट्टा बनने के बाद में एक साल तक वह ट्रांसफर नहीं करने की उसमें बाध्यता है। अब आपने जो मार्गदर्शन दिया उस पर भी हम एक्सरसाइज करवा लेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पंचायती राज मंत्री रहा हूं भारत सरकार का। आप पेसा एक्ट को समझें। पेसा एक्ट के अंतर्गत यह डोमेन पूरा दिया है, शिड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत उनको। अनफोर्च्युनेटली न तो पंचायत को आमदनी हो रही है और न ही आदिवासी को इसका लाभ मिल रहा है तो पेसा एक्ट के कोरेस्पोंडिंग, आप यदि इस रूल को नहीं बदलेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा और पेसा एक्ट के सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि विभाग को ज्यादा असेसमेंट करके कि पास्ट में ऐसा हो रहा है या नहीं उनको चेक कर लें और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आदिवासी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, उसके सम्बन्ध में विभाग को निर्णय करना चाहिए।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नयी पालिसी प्रक्रियाधीन है। आपने जो निर्देश दिये हैं, हम उसमें समावेश करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: रामप्रसादजी, आपको कुछ और पूछना है? पूछें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र में जारी होने वाले पट्टे जारी करने हेतु स्थानीय आदिवासियों का आरक्षण 50 परसेंट करने का विचार रखती है? जिस जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, उसकी आम जनता शिकायत करना चाहे तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तो 33 परसेंट का ही है और बजरी में प्राथमिकता है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा आदिवासियों के लिए पोजिटिव सोच रखा है। उनके उत्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे नियम लाने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य का 50 परसेंट करने का सुझाव है, उसका एनैलिसिस करवाकर करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

पर्यटन विकास हेतु कोष का गठन

529. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितना बजट कब-कब आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त आबंटित बजट में से किस-किस मद में कब-कब व किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। विगत तीन वर्षों में पर्यटन विकास कोष में उपलब्ध राशि में से जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विकास कोष के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि में से स्वीकृत एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि घोषणा के बाद सरकार को चार साल हो गये और आर टी डी सी ने इसके पेटे एक हजार करोड़ रुपये का लोन एप्लाई किया। चार साल में इनके पास उपलब्ध राशि के बारे में इन्होंने जवाब में बताया है, वह बताया है 268 करोड़ रुपये, जो उपलब्ध थे। उसमें खर्च होना मात्र 4 करोड़ 24 लाख रुपये बताया है। इसमें कुछ मद हैं, जिन पर खर्चा बता रहे हैं। तीर्थस्थल पर खर्चा जीरो, चित्तौड़गढ़ में जीरो, जोबनेर में जीरो, बीकानेर में जीरो, नेछवा में जीरो, बस्सी, जयपुर में जीरो, शाहपुरा में जीरो, परबतसर, नागौर में जीरो। नागौर में साली में और दौसा में जीरो खर्चा हुआ है। इनमें एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मंत्री महोदय, आपने कुल खर्च बताया है, वह मात्र डेढ़ परसेंट हुआ है चार साल में। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 268 करोड़ सहित पूरा 01 हजार करोड़ रुपया कितने समय में खर्च हो जायेगा? इसका आपने क्या रोड मैप बनाया है?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपकी जिला पर्यटन विकास समिति है, उसमें जन प्रतिनिधियों को भी बुलाकर इसके प्रस्ताव लेंगे या अपनी मनमर्जी से यहीं से करेंगे?

तीसरा, इसमें से कितना बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रखा है और कितना बजट एडवर्टाइजमेंट और मीडिया फिल्म बनाने पर रखा है? यह आप सदन को बतायें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020-21 में पर्यटन विकास कोष के गठन हेतु 100 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया और अब 2022-23 में इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। पर्यटन विकास कोष से 600 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों के सर्किट हाउस के आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के लिए खर्च किया जायेगा तथा 400 करोड़ रुपये प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने जिसमें मीडिया प्लान, इन्वेस्टमेंट आदि पर खर्च किया जायेगा। इस कोष का संधारण राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से 200 करोड़ का ऋण प्राप्त हो रहा है। माह अप्रैल, 2022 में 100 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं। उक्त पर्यटन विकास कोष में से राशि 600 करोड़ से आधारभूत

(श्री मुरारी लाल)

पर्यटन विकास के कार्य करवाये जायेंगे। राज्य बजट घोषणाएं एवं अन्य आधारभूत पर्यटन विकास कार्य इस कोष से करवाये जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये क्या उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जैसा प्रश्न पूछा है, वैसा उत्तर है। प्रश्न कितना लम्बा पूछा है।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, खर्चा नहीं होने के पीछे कारण यह रहा कि कोरोना की वजह से टूरिज्म प्रभावित हुआ था। इस कारण 2020-21 में जीरो खर्चा रहा। 2021-22 में फिर कोरोना आ गया। उस समय हमने 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की थी। आप सही कर रहे हैं कि उसमें से खर्च 3.44 करोड़ हुआ। उसके बाद हमने 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। स्वीकृति जरूर हमने 268 करोड़ की टोटल जारी कर दी है। अब धीरे-धीरे काम ने गति पकड़ी है और आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे आयेंगे। आप जानते हो टाइम तो लगता ही है।

पर्यटन विकास के कार्यों की क्रियान्विति हेतु प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने, कार्यकारी एजेंसी को राशि हस्तान्तरित करने, निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने, फर्म को कार्यादेश देने, इन सब कामों में टाइम लगता है इसलिए आने वाले समय में इसको तेजी से करेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, केवल डेढ़ प्रतिशत पैसा खर्च किया है, चार साल पूरे होने आये हैं। 268 करोड़ का डेढ़ परसेंट। पूरे एक हजार करोड़ में से कब खर्च करेंगे? यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: ये एडमिट कर रहे हैं इसके लिए तो धन्यवाद दो। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा जिस बात को दोहराता हूं कि सदन में हम घोषणाएं करते हैं लेकिन जमीन पर नहीं लाते हैं, आज इसका पूरा प्रमाण इसमें आ गया। आपने 268 करोड़ रुपया दिया लगभग 26 हजार प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसमें से आपने केवल 4 करोड़ 24 लाख रुपया खर्च किया है। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल ताली बजाने के लिए ही हम करते हैं क्या?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं। आप स्वयं देखें, इन्होंने लिखा है कि हम इसमें व्यय भी दिखाते हैं। इन्होंने बड़ी होशियारी से लास्ट पेज जोड़ा है परिशिष्ट-ब, इसमें स्वीकृत प्रोजेक्ट तो दस हजार दे रखे हैं 2022-23 में, व्यय हेतु उपलब्ध राशि भी दे रखी है पर बहुत होशियारी से, व्यय कितना किया है, इसमें यह नहीं बताया है। मतलब इसको छिपाने का प्रयास किया है। यह इनकी गनीमत है कि इन्होंने लास्ट पेज पर इसको समाहित करके दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास पैसा उपलब्ध है, अभी आपने तो एक हजार करोड़ का बता दिया पर्यटन विकास निगम के पास। अभी हम एक हजार करोड़ का नहीं पूछ रहे हैं। 268 करोड़ रुपये का यह प्रश्न लगा है। उसमें से केवल आप 4 करोड़ 24 लाख रुपये ही खर्च कर पाये हो। तेजाजी वाले प्रोजेक्ट में आपने पैसा दे रखा है लेकिन आपने उसकी एबीसीडी भी शुरू नहीं की। इस तरह से यह विभाग चल रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से इस सरकार की वर्किंग को दिखा दिया कि इतना बजट होते हुए भी, पैसा उपलब्ध होते हुए भी खर्चा 3 परसेंट और 4 परसेंट से आगे नहीं बढ़ा चार सालों में। यह है आपका नक्शा।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा टूरिज्म प्रभावित हुआ था। और भी कई ऐसे कारण थे। नई घोषणा की गई थी। इन सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगा। आने वाले समय में तेजी से खर्चा कर देंगे।

प्रश्न संख्या 530

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

531. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जो काश्तकार वर्षों से भूमि पर क़ाबिज़ हैं व कृषि कार्य कर रहे हैं उनकी पटवारियों द्वारा एक सूची बनाकर उस कृषि भूमि को विशेष आबंटन सूची में डाल दिया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में ऐसे कितने काश्तकार हैं, जो उक्त सूची में शामिल हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(2) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को विशेष सूची से बाहर निकालकर वर्षों पुराने क़ब्ज़े के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की वर्षों से गोचर व वन भूमि में बसी आबादी को आबादी क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में अधिसूचना दिनांक 14.10.1988 में तहसील रावतसर के 45 राजस्व ग्राम/चकों के 169 ख.नं./प.नं. का रकबा विशेष आबंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। तहसील क्षेत्र पीलीबंगा के 97 राजस्व ग्राम/चकों के 530 ख.नं./प.नं. का रकबा विशेष आबंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। विशेष आबंटन के संबंध में नोटिफिकेशन मुरब्बा/ख.नं./चक अनुसार जारी किया जाता है। काश्तकारों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(2) जी हां। विशेष आबंटन गजट में प्रकाशित रकबा/भूमि को किसी प्रभावित काश्तकार/आवेदक द्वारा अन्य प्रकार से आबंटन/अधिकार/खातेदारी/टीसी से पुख्ता आदि का आवेदन/वाद दायर किया जाता है तो उसकी पात्रता की जांच कर, जिला कार्यालय द्वारा अनुशंषा सहित डी-नोटिफिकेशन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर विशेष आबंटन से मुक्त करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रही है/की जाती है।

(3) वर्तमान में उपनिवेशन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्रीजी ने सही नहीं दिया है। रावतसर में पत्थर नम्बर्स की सूची मांगी थी। ऐसे कितने काश्तकार हैं, जो उस पर काबिज हैं और पात्र हैं और उनको किस कारण से डी-नोटिफाइड किया गया? पहला प्रश्न तो मेरा यही है। आपकी सूची पूरी नहीं है। पत्थर नम्बर है तो सूची नहीं है और सूची है तो पत्थर नम्बर नहीं है। या तो आप 169 सूची मान लो या 530 मान लो या फिर खसरा नम्बर, पत्थर नम्बर है? मंत्रीजी इसमें आपका सही जवाब नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने यह लिखा है कि काश्तकारों का जो रिकार्ड है, उसका संधारित नहीं किया जाता। 1988 में जब यह विशेष रकबा किया गया था, तो उसके जो खसरा नंबर होते हैं और पत्थर नंबर तथा शिलालेख होता है, वह लगाया जाता है। उसके अनुसार ही यह रकबा सामान्य या विशेष में होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वह यह कह रहे हैं कि लोग भूमि पर काबिज हैं, उस काबिज के रकबे की सूची उन्होंने मांगी है। उनका जो प्रश्न है वह यह है कि ऐसे कितने काश्तकार हैं जो उस भूमि पर काबिज हैं? उस काबिज को आपने डाल दिया डी-नोटिफाइड करने में, उसकी सूची वह चाहते हैं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची उन्हीं की होती है, जिनको वास्तव में जमीन का अलाटमेंट होता है। सूची उन्हीं की होती है, जिनको वास्तव में आबंटन हो गया है।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं कि सूची उन्हीं की होती है। जो अन-अथोराइज आदमी बैठे हैं तो उनकी सूची किसके पास होगी? मान लो, आपने रकबा डिक्लेयर कर रखा है, अन-अथोराइज आदमी बैठे हैं, उसकी सूची किसके पास होगी? (व्यवधान) आप जवाब दे दो, फिर मैं बैठ जाऊं। आप राजस्व मंत्री रहे हो तो मैं बैठ जाऊं नीचे।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): कुल मिलाकर इसमें जिनका अलाटमेंट होता है उनकी सूची होती है। इस प्रकार के जो हमारे पास प्रकरण थे, वे 27 ऐसे प्रकरण थे। 27 में से 15 प्रकरण में तो निर्णय हो गया, 5 प्रकरणों में आंशिक रूप से निर्णय हो चुका है और बाकी जो प्रकरण बचे हैं उन पर निर्णय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: इसमें सूची दे देते न। आपने इसमें सूची क्यों नहीं दी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): हमारे पास आबंटन की सूची नहीं है। जो उन्होंने वाद दायर किये हैं, जो प्रकरण हमने निपटाये हैं, जो विशेष आबंटन से रकबा मुक्त किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है कि वह सूची चाहता है, वह सूची उनको मिलनी चाहिये। विभाग की यह ड्यूटी बनती है कि जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सदस्य को मिले। प्रश्न में सूची मांगी है और सूची के संबंध में कोई सूचना माननीय सदस्य के पास नहीं है, यह इश्यू है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इस प्रश्न को स्थगित कर दो।

श्री अध्यक्ष: स्थगित तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं स्थगित करने के बाद कब लगाऊंगा। आपकी मान लेता हूं स्थगित कर दूं लेकिन मैं चाहता हूं यहीं कुछ रास्ता निकल जाये तो ज्यादा बैटर है। (व्यवधान) ऐसा नहीं माननीय सदस्य, बोलने का अधिकार है। यह आपका अधिकार नहीं है। धर्मेन्द्र जी, आपको कुछ और पूछना है?

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, पूछना है साहब।

श्री अध्यक्ष: धर्मेन्द्र जी, एक बार इनकी बात सुन लो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आबंटन की सूची नहीं मांगी। इन्होंने अतिक्रमण की तो मांगी नहीं कि कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तब तो हम इनको सूची देते। या कोई मामला कोर्ट में दायर किया हुआ है या किसी आबंटन का हो, यह जानकारी मांगते तो हम अलग से देते। अभी तक वहां तो रकबा राज ही था। रकबा राज को ही हमने विशेष किया है, न कि किसी आबंटी का किया है। ये यदि सूची मांगते कि अतिक्रमण कितने लोगों ने कर रखा है, तो हम उसकी सूची दे देते, या किसी ने अपील भी दायर की है तो वह सूची देते। अलग से इन्होंने यह सूची नहीं मांगी। इन्होंने कहा उस रकबे में, तो उसमें सरकारी अलाटमेंट तो है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी, एक मिनट इनको बोलने दें, फिर आपको बुलाऊंगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो भूमि है बरसों से हमारे पुरखों के पास है। एक समय ऐसा आया और पटवारियों ने आदेश निकाला, वह आज भी काबिज हैं और उसकी सूची बनाकर दे दी। अब रही बात, यह सूची जो विशेष आबंटन की रखी है, अब इसका अधिकार राज्य सरकार को दे दिया, जबकि कलेक्टर वहां रिपोर्ट भेजते हैं और वह दर्शाते हैं कि यह काश्तकार काबिज है और इसको विशेष आबंटन सूची से निकालकर इसको खातेदारी का अधिकार दिया जाये, पर वह काश्तकार बार-बार जयपुर आकर चक्कर लगाता है। ऐसे हजारों काश्तकार बैठे हैं जो उस भूमि पर काफी दिनों से काबिज भी हैं और उसका अधिकार भी उसके पास है, फिर भी सरकार इसको घुमा-फिरा रही है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस कारण से कर रहे हैं। इसलिए मुझे सूची दो तो यह पता चल सके कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने काश्तकार हैं। अपने अधिकारों के लिये वे आज तक भी तरस रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नरपत सिंहजी, आपको पूछना है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चकबन्दी हो गयी, उसके बाद खसरे के कोई सुपर इम्पोज किये हुए नक्शे आज भी उपनिवेशन विभाग के पास नहीं हैं। यह बहुत पुरानी चकबन्दी हो गयी थी और उस पर जो बैठे थे। पहले टी.सी. आबंटन होता था, टी.सी. भी जिसको नहीं हुआ, वे बैठे हैं और वे लगातार वहां बैठे हैं तो उनका राइट वैसे तो नहीं मिलेगा जब तक कि उसको विशेष आबंटन से बाहर नहीं निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इस समस्या के संबंध में अभी जो नरपत सिंहजी ने कहा है टी.सी. का, मतलब टेम्परेरी आपका होता होगा, फिर उसके बाद वह बैठा हुआ है तो उसको इम्पोज किया, उसमें वह रिकार्ड नहीं है। उस आदमी को कलेक्टर से जो रिलीफ मिली थी, वह रिलीफ जाकर आपने रेवेन्यू बोर्ड को दे दी, तो वह घूम रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये माननीय सदस्य के साथ बैठकर, विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इसका रास्ता निकालने का काम करें।

प्रश्न संख्या 532

अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

533. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कौन-कौनसे गांव अब तक सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं? क्या सरकार उक्त गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गणेश घोघरा)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुल 4 राजस्व गांव डामर सडक से वंचित हैं। इन 4 राजस्व गांवों को डामर सडक से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में 30 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी लम्बाई 73.98 किमी है, इन सड़कों में से 4 सड़कें बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राशि रु. 10.00 करोड़ के नॉन पैचेबल/मिसिंग लिंक योजना एवं 6 सड़कें आरआईडीएफ-28 के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। शेष 20 क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह सूची दी है तो क्या केवल 4 राजस्व गांव ही सड़क से बचे हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं? क्या यह सूची सही है? मैं ऐसे कई गांव बता सकता हूं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। ऐसे गांवों के नाम बता सकता हूं। क्षेत्र की समस्या भी आयी है। 250 से 500 आबादी के गांव हैं, वे आज तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। वहां टी.एस.पी. एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां पर आज स्कूलों तक भी सड़क नहीं है तो क्या यह सूची सही है? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नोर्म्स के अनुसार 2011 की जनगणना है उसमें 250 से 500 तक की आबादी के चार गांव ही हमारे रिकार्ड में हैं। यदि आपको कोई और भी शिकायत है तो मुझे बता देना, उसका निरीक्षण करवाकर आपका काम हम लोग करवा देंगे।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाली 30 क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची दी है। ऐसी कई क्षतिग्रस्त

(श्री गणेश घोघरा)

सड़कों को इस सूची में दर्शाया नहीं है। कोटाणा से रोहनवाड़ा तक, सनराइज होटल से पांढर फला बिछीवाड़ा तक, पादड़ी हतोड से बुवनेश्वर तक, खजूरी से मोदर तक मोदर से पीठापुर बलीचा सीमा तक, मेटाली से डचकी तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं, आप कहो ये सड़कें नहीं जुड़ी हुई हैं।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सूची में जो 30 सड़कें थीं, वे पूरी नहीं दी हैं।

श्री अध्यक्ष: बरसात खतम हो जाएगी, उसके बाद असेस करेंगे।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): कई सड़कें ऐसी बची हुई हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, उनका नवीनीकरण कराने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो परिशिष्ट-1 दे रखा है, उसमें आपने स्वयं ने माना है कि बिछीवाड़ा में नान का नाला है, इसकी आबादी 312 आप स्वयं लिख रहे हो। दूसरा जो डूंगरपुर का है सटोरा, इसकी भी आबादी 270 लिख रहे हो। केन्द्र सरकार के डायरेक्शन के आधार पर ट्राइबल एरिया है और अगर रेवेन्यू विलेज घोषित है, तो वह सारा सड़कों से कवर होना चाहिये, फिर यह दो गांव क्यों रहे? ये इस नोर्म्स में भी आ रहे हैं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह ट्राइबल एरिया के अंदर फोरेस्ट की दिक्कत हो जाती है। फोरेस्ट हमें क्लियरेंस नहीं दे पाता है, उस वजह से कई गांवों में इस तरह की परेशानी आती है कि हम लोग कई बार सड़कों का निर्माण नहीं करा पाते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, हो गया। आपके अधिकार से सड़क की रिपेयरिंग नहीं होगी। आप बैठो। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हो जाएगी। प्लीज बैठें। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न।

जालौर की मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण

534. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कालीबाई भील के नाम से संचालित योजनान्तर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जालौर में उक्त योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में अब तक कुल कितनी छात्राएं स्कूटी पाने के योग्य पायी गईं? योग्य छात्राओं में से कितनी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध करवाई गई व शेष छात्राओं को अब कब तक स्कूटी उपलब्ध करवा दी जायेगी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर में संचालित फूड पार्क

535. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में किन-किन स्थानों पर फूड पार्क संचालित हैं तथा कितने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त जिले में कोई भी फूड पार्क संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में उक्त पार्कों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) अलवर जिले में रीको द्वारा वर्ष 2006-07 से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क संचालित है।

बजट वर्ष 2021-22 में कृषि जिन्सों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है।

(2) जी नहीं। अलवर जिले में रीको द्वारा वर्ष 2006-07 से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क संचालित है।

बजट वर्ष 2021-22 में कृषि जिन्सों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

अलवर जिले में मिनी फूड पार्क का संचालन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि अलवर जिले में सबसे अधिक सरसों होती है, पूरे राजस्थान में आंवला बहुत होता है, प्याज बहुत होती है तो वहां इतनी अधिक आवश्यकता है मिनी फूड पार्क की, ताकि प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां लगें और वहां डिमांड भी रहती है तो मंत्री महोदय, क्या इस वित्तीय वर्ष में मिनी फूड पार्क रामगढ़ में खोलने की मंशा रखते हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको के द्वारा सबसे पहले फूड पार्क का शुभारम्भ अलवर में किया गया था और हमारे विभाग के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक करीबन 21 जिलों में इसकी घोषणा हो गयी है और आने वाले टाइम में अलवर में भी हमारे विभाग की तरफ से एक फूड पार्क बनाना शेष है। हम उसका सर्वे करवा लेंगे रामगढ़ में, यह कोई जरूरी नहीं कि हैडक्वार्टर पर बने। यदि उसमें उचित हुआ और सम्भव हुआ, जमीन वगैरह उपलब्ध हुई तो आपके क्षेत्र में सर्वे करवाकर दिखवा लेंगे।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां जमीन उपलब्ध है। आप बोल दीजिये।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सम्भव होगा तो जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

फलौदी में आयुष चिकित्सालय भवन का निर्माण

536. **श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी में आयुष चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए बजट व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी फलौदी को मिलने वाला बजट सेवर (भरतपुर) को आबंटित करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि फलौदी के साथ-साथ माण्डल-भीलवाड़ा, डीडवाना, अजमेर, गोविन्दगढ़ (जयपुर) के आयुर्वेदिक चिकित्सालय का बजट

(श्री पब्बाराम)

एक ही जिले भरतपुर को आबंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार फलौदी में आयुष चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु पुन: बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। औषधालय फलौदी के भवन निर्माण हेतु भूमि अनुपलब्ध होने के कारण औषधालय फलौदी को मिलने वाला बजट सेवर (भरतपुर) को आबंटित किया गया है।

(2) जी हां। फलौदी के साथ-साथ माण्डल-भीलवाड़ा, डीडवाना, अजमेर, गोविन्दगढ़ (जयपुर) में भूमि अनुपलब्ध होने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से इन स्थानों हेतु आबंटित बजट भरतपुर जिले को आबंटित किया गया।

(3) जी हां। वर्तमान में जुलाई 2022 में स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमि का आबंटन किया जा चुका है। उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु बजट की वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तर्गत जारी कर दी गयी है। (परिशिष्ट-अ)

(विवरण प्रस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 4 जगहों का बजट एक साथ अपने सेवर जेल में डाल दिया, जेल में नहीं सर, आयुष हास्पिटल में लगा दिया तो क्या उन चारों का ही वापस दे दिया अथवा मेरा ही क्यों? मेरे से तो आपका विशेष प्रेम है क्योंकि आप मेरे यहां के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए दे दिया होगा। क्या 15 लाख रुपये देने से हास्पिटल बन पायेगा? क्या इस बजट में वृद्धि करके आप देना चाहते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि कुल 19 जगह ऐसी थीं, जहां कुछ तकनीकी कारणों से या लैंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से बजट यूज नहीं हो पा रहा था और उन 19 में से 10 को हमने, भरतपुर ही नहीं है, और भी कई जगह जहां से रिक्विजिशन आयी, हमने चेंज किया है। जहां तक दूसरा सवाल आपने बजट का कहा है यह सेप के अंतर्गत आता है, इसका बजट निर्धारित है, उसमें हम कोई वृद्धि नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो खण्ड-2 है, क्या यह भी सही है कि फलौदी के साथ-साथ माण्डल-भीलवाड़ा, डीडवाना, अजमेर, गोविन्दगढ़ (जयपुर) आयुर्वेद चिकित्सालय का बजट एक ही जिले भरतपुर, यह कैसे छांटा आपने कि जहां-जहां जमीन उपलब्ध नहीं हुई इन सबका पैसा भरतपुर ट्रांसफर कर दिया जाये? यह किस तरीके से कहां लिखा हुआ था जो यही करें और कोई जिला नहीं था क्या?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया है कि 19 जगह ऐसी थीं, जहां का पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर के तीन, अजमेर, फिर जयपुर के तीन, जयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, अजमेर। इसमें केवल भरतपुर को ही नहीं, मैंने बताया है कि कुछ हमने अजमेर का अजमेर में किया है, जयपुर का जयपुर चेंज किया है। जयपुर का जोधपुर, फलौदी में भी दिया है और जयपुर का लोहढी में दिया है, अजमेर का हाथीराम का नोहरा, जोधपुर में दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो खण्ड-2 का जवाब दे दो।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): वहां से रिक्विजिशन आई है। मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो विधायक..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सुनिये। पहले मेरी बात सुन लीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): खण्ड-2 का जवाब चाहिए यहां विधान सभा में।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। जो विधायक आते हैं वो अपनी रिक्विजिशन देते हैं कि मेरे यहां पैसा नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर दो तो जो-जो रिक्विजिशन आयी हैं, उस हिसाब से हम कर देते हैं। भरतपुर के नाते, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, मैं मंत्री हूं, मुझसे ज्यादा लोग भरतपुर के एप्रोच करते हैं, जिन विधायकों ने किया उस हिसाब से दे दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वो कागज टेबल कर दो जिन लोगों ने मांगा है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बिलकुल रख दिया जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर राजस्थान के बाकी जगह किया तो उनका भी टेबल करो और आप भरतपुर का भी टेबल करो कि किसकी मांग के आधार पर किया।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): यह लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। यह 19 की है, जहां 10 जगह हमने दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप कटारियाजी की भावना समझो। आपने 19 जगह पर जमीन नहीं उपलब्ध होने पर जब पैसा उपलब्ध था तो 4 की जगह आप प्राथमिकता के आधार पर जहां पर जमीन उपलब्ध थी उनको भी दे देते। यह हरेक आदमी का, जन प्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होता है, यह होना स्वाभाविक है, लेकिन यह किया, भरतपुर की जगह और दो -तीन जगह दे देते और यदि पैसा बाकी बचता है तो जिनके जमीन उपलब्ध हो गयी है उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उनके भी औषधालय बनाने का काम करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय मंत्री महोदय। अगला प्रश्न। श्रीमती मनीषा पंवार। श्री सुमित गोदारा। (व्यवधान) प्लीज, एक मिनट रुक जायें। सॉरी रफीक, पुष्पेन्द्र सिंह सॉरी। I am saying, Pushpendra Singh. I am sorry. Shri Pushpendra Singh.

सादड़ी व नाडौल में उप तहसील का गठन

537. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के उपखण्ड बाली व देसूरी में कुल कितने राजस्व ग्राम हैं? क्या उक्त उपखण्डों में नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव लम्बित हैं? यदि हां, तो सरकार लम्बित प्रस्तावों का निस्तारण कब तक कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त दोनों उपखण्डों में कुल कितनी उप तहसील हैं? क्या

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सरकार सादड़ी व नाडौल में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) विधान सभा क्षेत्र बाली के उपखण्ड बाली में 114 एवं देसूरी में 81 राजस्व ग्राम हैं।

जी नहीं। उपखण्ड बाली एवं देसूरी में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) उपखण्ड बाली में कुल 02 उप तहसील हैं तथा उपखण्ड देसूरी में कोई भी उप तहसील शामिल नहीं है।

जी नहीं। वर्तमान में सादड़ी व नाडौल में उप तहसील कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामान्यतः माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के सृजन हेतु बजट घोषणा/अन्य घोषणा किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात आपने बिलकुल सही बतायी कि अभी तक आपका उप खण्ड स्तर पर और तहसील कार्यालय है, वहां पर ग्रामीण लोगों ने राजस्व ग्राम के प्रस्ताव दिये थे, वो अभी तक आपके पास, सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो-ढाई साल हो गये, लोगों ने पणेतरा राजस्व ग्राम खोलने के लिए बेडामेसे, शक्तिनगर, सहवाड़ी ग्राम से, रेला मीणा से, मीणों की ढाणी, बीसलपुर और टाकिया ढाणी, बीजापुर पंचायत से राजस्व ग्राम घोषित करवाने के प्रस्ताव मैंने स्वयं ने जाकर वहां तहसीलदार और एस डी एम को दिये हैं। इस बात को दो साल हो गये और दो साल से अभी तक राजस्व ग्राम के प्रस्ताव सरकार तक नहीं आये हैं। यही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके निचले स्तर पर लोग प्रस्ताव को कागजों की टोकरी में डालकर आमजन की भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि सादड़ी और नाडौल में आपने पूरा इस बात को देखा हो कि पूरे देसूरी उप खण्ड में एक तहसील है और 81 राजस्व ग्राम हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपके ध्यान में रहे कि सादड़ी और नाडौल से आपको बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, आज की तारीख में पूरे जिले में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सादड़ी ओर नाडौल में जमीन की जो रेट है उसके अनुसार उसमें आपको अच्छी राजस्व की प्राप्ति होगी। अगर आप यहां दो उप तहसील खोल देंगे तो सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हैं या राय दे रहे हैं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं चाहता हूं कि सरकार सादड़ी और नाडौल में नई राजस्व उप तहसील खोलने की मंशा रखती है या नहीं रखती है? ये नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव आप तहसील से कब तक मंगवायेंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्व ग्राम खोलने या बनाने की बात है, परिपत्र में 250 की आबादी और एक किलोमीटर की दूरी में होने का हमने आदेश जारी कर रखा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी हमने प्रस्ताव मांगे थे, अभी आज भी हमने बोर्ड में जिला कलेक्टर से रिपोर्ट ली है, वहां कोई पेंडिंग नहीं है। अगर माननीय सदस्य की बात है तो मुझे दे दे, निश्चित रूप से इनके गांवों को बनाने के लिए अगर इस परिपत्र के आधार पर होता है तो हंडरेड परसेंट हो जायेगा।

दूसरा प्रश्न है, तहसील खोलने की बात है, बाली के देसूरी में नहीं है और ये खोलना चाहते हैं, मांग की है। 2007 के परिपत्र जो रेवेन्यू बोर्ड का है उसके आधार पर जो नियम दे रखे हैं, 30 पटवार मंडल पर तहसील और 15 पटवार मंडल पर उप तहसील, यदि इस दायरे में है और आप हमें देंगे तो निश्चित रूप से आपके तहसील खुलेगी। इसमें शिथिलता देने का अधिकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय को है और बजट या अन्य जब भी आप प्रोग्राम रखते हो, वहां पर यदि वे कोई घोषणा करते हैं तो हम खोलते हैं। 2007 के सर्कुलर के आधार पर अभी तक इनके दायरे में नहीं आ रही है, फिर भी आप मुझे लिखकर दें, निश्चित रूप से जितना सम्भव होगा, आप मुख्य मंत्रीजी को भी लिखकर दें, जितना सम्भव होगा, जितनी शिथिलता लानी होगी, उतना हम प्रयास करेंगे। नियमों में होगी तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि पूरी आपकी तहसील खोलने का काम करेंगे।

जहां तक रेवेन्यू सर्किल पुनर्गठन का मामला है, अभी जिला बनने की, उप तहसील, एस डी एम आफिस, तहसील बनना, पटवार मंडल बनना, ये सारे प्रक्रियाधीन हैं, आप लिखकर दें, निश्चित रूप से जो भी स्थिति होगी, हम पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रफीक खान।

रॉयल्टी से प्राप्त आय

538. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में सरकार को रॉयल्टी से कितनी आय प्राप्त हुई तथा उक्त अवधि में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से रॉयल्टी से कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि करोड़ों रुपये के रॉयल्टी मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं? यदि हां, तो लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में सबसे ज्यादा रॉयल्टी का भुगतान कौनसी कम्पनी करती है? उक्त कम्पनी से प्राप्त आय प्रदेश को रॉयल्टी से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? विगत पांच वर्षों में प्रधान खनिज एवं अप्रधान खनिज से कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है? क्या प्रधान खनिज से अप्रधान खनिजों की तुलना में अधिक आय होती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में रॉयल्टी से सरकार को रुपये 27546.73 करोड़ की आय प्राप्त हुई जिसमें प्रधान व अप्रधान खनिजों की रॉयल्टी रुपये 15851.76 करोड़ तथा क्रूड आयल व प्राकृतिक गैस की रॉयल्टी रुपये 11694.97 करोड़ है। उक्त अवधि में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से रुपये 7826.49 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।

(2) जी हां। रॉयल्टी से संबंधित कई मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। इन मामलों के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के विवरण सहित सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में सबसे ज्यादा रॉयल्टी का भुगतान आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो प्रदेश को रॉयल्टी से होने वाली आय का लगभग 42.25 प्रतिशत है। विगत 5 वर्षों (2017-18 से 2021-22 व 2022-23 (अगस्त, 2022 तक)) में प्रधान खनिज से रुपये 16424.99 करोड़, अप्रधान खनिज से रुपये 7822.50 करोड़ तथा क्रूड आयल व प्राकृतिक गैस से रुपये 18157.27 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। उक्तानुसार खनिजों से प्राप्त आय में प्रधान खनिजों की आय अप्रधान खनिजों से अधिक है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने जो बकाया की सूची प्रोवाइड करायी है, वह करीब साढ़े 1,550 करोड़ रुपये है। उसमें काफी में स्टे है और बहुत सारों में स्टे नहीं है। स्टे वेकेट हो चुका। उनकी वसूली के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे 19 प्रकरण हैं, जिनमें स्थगन नहीं है। लगभग 32 करोड़ की राशि इसमें अपेक्षित है। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली की जाती है। उसमें जो बकायादार हैं, उनके अधिकतर मामलों में किसी नाम पर तो सम्पत्ति नहीं है, यदि सम्पत्ति है तो पारिवारिक बंटवारे में है। ऐसी कई बाधाओं के कारण से वह पेंडिंग है। विभाग बराबर उसके लिये प्रयासरत है। नीलामी में भी कई बार आक्शन करने वाले नहीं आते हैं। वह भी एक कारण होता है। सरकार एमनेस्टी योजना बार-बार ला रही है ताकि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो। पिछली एमनेस्टी योजना में भी इसका काफी लाभ मिला। नयी योजना जो लाये हैं, उसमें भी ऐसे कई प्रकरणों का निस्तारण होगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हिन्दुस्तान जिंक पर कितनी बकाया है? उसकी वसूली में क्या प्रोब्लम है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक पर सात प्रकरण हैं, जिनमें से पांच का न्यायालय में स्थगन है और उनका 1,426 करोड़ रुपया शेष है। शेष दो प्रकरण हैं, जो भारत सरकार के ट्रिब्यूनल के अधीन विचाराधीन हैं। उसके लगभग 4.16 करोड़ रुपये हैं, जिनकी वसूली के लिये सरकार प्रयास कर रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सदन का आधार लेकर, यानी छोटी-मोटी रकम नहीं है, 1,558 करोड़ रुपये आपके इन केसेज में वसूली के बाकी हैं। लोग स्टे लेकर बैठ गये। जिनका स्टे नहीं है, उनकी वसूली में क्या कार्रवाई की? मैं आपको केस नम्बर 9 बताता हूं। इसका 2008 से केस पेंडिंग है अपर जिला न्यायाधीश (संख्या 3) अलवर में, वाद संख्या 42/08, आप इसमें जवाब क्या दे रहे हैं, ''प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं जवाब न्यायालय में पेश किया जा चुका है।'' 14 साल तक इस रकम को लेकर आप बैठे रहते हैं। कोर्ट में आप जाएंगे, तो खर्चा आप इतना कर देंगे, जितने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वसूली भी नहीं होगी। जिन पर स्टे नहीं है, उन पर वसूली की आपने क्या-क्या कार्रवाई की, नमूने तो बताएं कि जिन पर आपने कार्रवाई की और उनमें आपको असफलता मिली।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, वसूली भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की जाती है। जो न्यायालय में नहीं हैं, उनमें जो दिक्कत है, उनके नाम से सम्पत्ति दर्ज नहीं है। कई पारिवारिक में अलग-अलग नाम होते हैं तो वे कोर्ट में चले जाते हैं। विभाग बिलकुल प्रयासरत है और मैं इसकी पूरी डिटेल माननीय नेता प्रतिपक्ष को भिजवा दूंगा।

प्रश्न संख्या 539

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मनीषा पंवार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर में विधायक निधि से स्वीकृत कार्य

540. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक स्थानीय विधायक निधि से पंचायत समिति लूणकरणसर को कौन-कौन-से विकास कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी बनाकर अनुशंसा की गयी है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों की विधायक द्वारा जारी अनुशंसा की दिनांक, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति व कार्य पूर्ण अथवा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि माहवार संख्यात्मक विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान विकास अधिकारी की उदासीनता के कारण स्थानीय विधायक निधि के स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से 31 जनवरी, 2022 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 25 कार्यों की अनुशंसा की गयी है, जिनकी कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति लूणकरणसर है। उक्त अनुशंसित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत उक्त 25 कार्यों की अनुशंसा दिनांक, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति व कार्य पूर्ण अथवा कार्य प्रारम्भ की तिथि का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा माहवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) माननीय विधायक लूणकरणसर द्वारा अनुशंसित उक्त 25 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण, 12 कार्य प्रगतिरत, 1 कार्य निरस्त तथा 4 कार्यों की टेंडर प्रक्रियाधीन है। कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रगतिरत/ अप्रारम्भ कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में एम एल ए लैड से हम ओपन जिम और झूले देते हैं तो उसकी आपके ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बी एस आर रेट ही निर्धारित नहीं है। जिस तरह शहरों में यह विकास होता है, ओपन जिम और बच्चों के लिये झूले, वैसे ग्रामीण अंचल में हम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपके विभाग द्वारा बी एस आर ही निर्धारित नहीं है। क्या यह सही है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निर्धारित करवा लेंगे, उसमें क्या प्रोब्लम है। सबकी अलग-अलग दरें हैं झूलों की।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): यह तो मैंने जिला परिषद् में भी कहा, आपको भी फोन किया था।

श्री अध्यक्ष: आगे बोलें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मॉडल खेल मैदान का प्रारूप तैयार है, जिसे हम गांवों में लागू कर सकें? हमें आज तक वह नहीं मिला आपके विभाग द्वारा, ताकि हम वहां एक मॉडल खेल मैदान बना सकें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मॉडल खेल मैदान बना सकते हैं। क्या परेशानी है? क्वेश्चन जो पूछा है, उससे यह

(श्री रमेश चन्द मीना)

एकदम अलग चीज है। जिस पर चर्चा होनी चाहिये, उस पर माननीय विधायक चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने शिकायत की है कि वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति में देरी हुई। उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें पंचायत समिति एजेंसी इन्होंने खुद ने स्वयं के स्तर पर बनवायी, ग्राम पंचायत एजेंसी से काम क्यों नहीं करवाये गये? उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरे जिन प्रश्नों का जवाब आप पूछ रहे हैं, मेरे पास आ जाइयेगा, मैं आपको बता दूंगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय मंत्री जी, यह सात महीने पहले का प्रश्न है। यह काम हम करा चुके हैं। यह हमें ही पता है, हमने किस तरह कराया है। आपके विभाग द्वारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न जो पूछा गया है, उसकी सप्लीमेंट्री होती है। आप अन्यथा न पूछें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, थोड़ा-सा आप पढ़ लिया करें। जवाब देने के पहले जब आप इसमें करेक्शन करते हैं, उसे देखें। इससे सरकार के बारे में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। नौवीं सूची में है, ''सामुदायिक भवन में हॉल मय बरामदा निर्माण कार्य चक 295 आरडी आबादी लूणकरणसर'', इसमें इन्होंने अनुशंसा की है 28.09.2021 को, प्रशासनिक स्वीकृति दी है 10.05.2022 को और वित्तीय स्वीकृति दी है 20.07.2022 को। टेंडर प्रक्रियाधीन है। नौवां और दसवां, दोनों ही पांच-पांच करोड़ के काम हैं। टेंडर तो प्रक्रियाधीन है और समाप्ति की तारीख लिख रहे हैं आप कि जनवरी, 2023 में पूरा हो जायेगा। अभी जब टेंडर ही पूरा नहीं हुआ तो समाप्ति की तारीख आप हमें कैसे दे सकते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? विभाग के लोग ऐसा उत्तर देकर सदन से क्या कहना चाहते हैं? जब आपका टेंडर ही प्रोसेस में है तो इसके समापन की तारीख आप कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? थोड़ा बताएं तो सही, समझाएं तो सही, यह कला कहां से आयी?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती गयी। उसकी हम जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह प्रश्न विधायक महोदय को पूछना था, ये नहीं पूछ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समय पर काम क्यों नहीं हुआ, 45 दिनों के समय में विधायक कोष की स्वीकृति

(श्री रमेश चन्द मीना)

जारी हो जानी चाहिये थी, उसमें विलम्ब क्यों हुआ, लेकिन विधायक महोदय नहीं पूछ रहे हैं। पंचायत समिति एजेंसी क्यों बनायी? उसकी भी हम जांच करवाएंगे कि पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत एजेंसी को कार्य क्यों नहीं दिया। वह भी जांच का विषय है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलबीर सिंह लूथरा।

श्रीविजयनगर (रायसिंहनगर) में दोहरा आबंटन

541. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर तहसील के चक 29 जी.बी.(ए) व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में विभाग द्वारा दोहरा रकबा आबंटन किया गया है? यदि हां तो क्यों? क्या तहसीलदार, उप-खण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा दोहरे आबंटन की दुरुस्ती की कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के पास प्रस्ताव भिजवाया गया है? यदि हां तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील श्रीविजयनगर के चक 29 जी.बी.(ए) व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में कुल कितना ऐसा रकबा है, जिसका दोहरा आबंटन किया गया है? रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील के चक 29 जी.बी(ए) व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में रकबे के दोहरे आबंटन की दुरुस्तीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत श्रीविजयनगर के चक 29 जी.बी.(ए) व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) में दोहरा रकबा आबंटन किया गया है। तहसीलदार, श्रीविजयनगर के पत्र क्रमांक 1086-87 दिनांक 18.04.2015 व 176 दिनांक 14.01.2022 द्वारा दोहरे आबंटन की दुरुस्ती की कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को प्रस्ताव भिजवाया है एवं उक्त प्रस्ताव जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 8172 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) राजस्व तहसील श्रीविजयनगर के चक 29 जी.बी.ए. व व चक 1 एस.वी.एस.एम.बी में कुल 133.153 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में दोहरा अंकन/आबंटन चला आ रहा है।

(3) प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दोनों गांवों के दोहरे रकबा आबंटन में से गांव 29 जी.बी. (ए) व 1 एस.वी.एस.एम. में से सरकार किसको सही मानती है? क्या पीड़ित किसानों को प्रथम चरण में कहीं अन्यत्र रकबा आबंटन करने का सरकार विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चक 29 जी.बी. (ए) की जो 128 हैक्टेयर भूमि है वह सीलिंग सरप्लस होकर आयी है। उसके बाद 1 एस.वी.एस.एम. (बी) में इसको दोहरा आबंटन हुआ है। इसमें जिला कलेक्टर द्वारा अभी हाल ही में 20.09.2022 को यह प्रस्ताव भेजा गया है उसका हम परीक्षण करा रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे। जल्दी ही उस पर निर्णय लेकर करेंगे क्योंकि दोहरा आबंटन है तो उनमें से कौनसा चक रखना है और किसमें लोगों का आबंटन है। यह प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही कार्यवाही करेंगे।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव 1 एस.वी.एस.एम. में 1977 का उपनिवेशन का आबंटन है। इन गरीब किसानों को रकबे की खातेदारी कब तक दे दी जायेगी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने मूल प्रश्न में ही जवाब दिया है कि सरप्लस के बाद में और लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, 2015 से 2022 हो गया है। 2015 से यह केस चल रहा है और कलेक्टर ने 20.09.2022 को पत्र लिखा है तो 2015 से जो काश्तकार घूम रहा है उस काश्तकार के साथ न्याय क्या हो रहा है? विभाग में कौन सुपरविजन कर रहा है कि 5-10 साल तक कुछ नहीं हो?

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): यह प्रश्न लगने के बाद हुआ है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। यह जमीन सीलिंग सरप्लस हुई थी और उसके बाद कुछ लोग कोर्टों में चले गये जिनमें 4-5 केस तो ऐसे हैं जो रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं। एक केस ए.सी.एम. कार्यालय में चल रहा है। उसके बाद में तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को लिखा गया था और कलेक्टर ने सही रूप से प्रस्ताव अभी भेजा है, जिसका हम परीक्षण करा रहे हैं और जल्दी ही इसका निर्णय करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह। श्री राजेन्द्र राठौड़।

बालिकाओं व स्कूली बालिकाओं को सेनिटरी नैपकिन का वितरण

542. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा महिलाओं व स्कूली बालिकाओं को नि:शुल्क सेनिटरी नैपकिन वितरण के लिए संचालित उड़ान योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? प्रदेश में विगत एक वर्ष में कितने जिलों के स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत एक वर्ष में महिलाओं व स्कूली बालिकाओं को नि:शुल्क सेनिटरी नैपकिन वितरण हेतु कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने सेनिटरी पैड की साइज छोटी कर दी है? यदि हां, तो किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पैड की साइज छोटी करने का निर्णय लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) आई एम शक्ति उड़ान योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में 33 जिलों के कुल 60 हजार 3 सौ 61 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 1 करोड़ 15 लाख 26 हजार 50 लाभार्थियों एवं 34 हजार 104 राजकीय विद्यालयों पर 26 लाख 48 हजार 3 सौ 26 लाभार्थियों के लिए निःशुल्क सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के आपूर्ति आदेश जारी किये जाकर विगत एक वर्ष में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा कुल 31 जिलों के 26 हजार 2 सौ 20 स्कूलों एवं 23 जिलों के कुल 31 हजार 2 सौ

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

55 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये गये हैं। सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) महिलाओं व स्कूली बालिकाओं को निःशुल्क सेनिटरी नैपकिन वितरण हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा विगत एक वर्ष में 104 करोड़ 78 लाख 79 हजार 3 सौ 68 रुपये का व्यय किया गया है। व्यय राशि की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने खण्ड-1 के उत्तर में 60 हजार 361 आंगनबाड़ी, 1 करोड़ 15 लाख 26 हजार 50 लाभार्थी और 34 हजार 104 राजकीय विद्यालय, 26 लाख 48 हजार 326 लाभार्थी कहा। आपने इसी उत्तर में यह कह दिया कि 31 जिलों में 26 हजार 220 स्कूल और 23 जिलों में 31 हजार 255 आंगनबाड़ी। यानी आपका उत्तर यह कह रहा है कि आपने इस वर्ष में 29 हजार आंगनबाड़ियां और लगभग 9 हजार राजकीय विद्यालयों में जो बालिकाएं पढ़ती हैं उनको सेनिटरी नैपकिन नहीं बांटा, यह आपका उत्तर कह रहा है। क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कोशिश करेंगे कि एक साल में बजट उपलब्ध होते हुए भी आपने इतनी बच्चियों को, जिनकी संख्या लाखों-लाखों में हैं, महरूम किया और जिन्हें सेनिटरी नैपकिन्स नहीं दिये तो इनको कब तक सेनिटरी नैपकिन दे देंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह योजना शुरू की गयी, उस दौरान पहले इस योजना से स्कूल की बालिकाओं को सेनिटरी पैड फ्री दिये जा रहे थे। हम लोगों ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए यह योजना शुरू की और हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान पहला राज्य है जो इतनी बड़ी स्केल पर योजना लेकर आया है। इसको हम लोगों ने फेजवाइज शुरू किया। फेजवाइज में प्रथम चरण के अन्दर हमारी स्कूली बालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी थीं, ब्लाक के नजदीक 5-5 सेंटर्स को इसके अन्दर जोड़ा गया। जो यह योजना शुरू की गयी, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यह फेजवाइज शुरू किया जाएगा क्योंकि आर.एम.एस.सी.एल., चिकित्सा निगम के द्वारा जो टेंडर किये जा रहे थे उनमें पूर्व के जो वेंडर्स थे उनके

(श्रीमती ममता भूपेश)

पास उपलब्धता नहीं थी तो नये टेंडर्स की प्रक्रिया शुरू हो, वह प्रक्रिया धरातल पर आये, सेनिटरी पैड फील्ड में पहुंचे तो इन सब चीजों के अन्दर समय लगने की वजह से और हमारी जो योजना थी उसमें कहा भी यही था कि हम चरणबद्ध तरीके से इसको शुरू कर रहे हैं। चाहे मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा, चाहे मैंने कई स्थानों पर कहा तो हमेशा इसको चरणबद्ध तरीके से करने का कहा है और कभी हमने यह नहीं कहा कि प्रथम चरण में ही सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर लागू कर दिया जायेगा। हम इसको फेजवाइज ही कर रहे हैं और अभी भी हमारे ये फेज चालू हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जो महिलाएं, बच्चियां वंचित रह गईं इनको कब तक सेनिटरी पैड वितरित करेंगे?

मंत्री महोदय, मैंने खण्ड-3 में सेनिटरी पैड की साइज छोटी करने के बारे में सवाल किया और आपने कहा- जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी जो टेंडर हुआ है, जो नोटिस मेरे पास है यह राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन ने 27.7.2022 को 34 करोड़ 80 लाख का किया है और इसमें जो साइज लिखा है वह 330(+-5) लिखा है। क्या यह सही है कि यह जो साइज थी, जो आपने कहा कि इसको कम नहीं किया जाना चाहिए और आपने खुद इसके लिए एक नोट भी भेजा है, तो क्या आप पुरानी बढ़ी हुई साइज को कम कर रहे हैं या पुरानी थी उसी को ले रहे हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब ये सेनिटरी पैड दिये जा रहे थे तब स्कूल की बालिकाओं को दिये जा रहे थे और उस समय महिलाओं की संख्या इसमें नहीं थी और न उनको जोड़ा गया था तो उस समय साइज का मसला आया ही नहीं था। अब जब हमने इस योजना को विस्तृत रूप से सम्पूर्ण राजस्थान में 1 करोड़ 35-40 लाख महिलाओं को, बच्चियों को (10 वर्ष से 49 वर्ष तक) देने का निर्णय किया तो इसमें साइज की बात आयी। अभी आज की तारीख में हमारा 280 एमएम का साइज ही गांवों के अन्दर जा रहा है। आर.एम.एस.सी.एल. कई बार अपने विषय विशेषज्ञों से चर्चा करके इसके साइज के बारे में कमेटी बिठाकर चर्चा करता है तो मैंने भी उसमें अपना जो व्यू था, वह दिया था माननीय सदस्य महोदय, आज की तारीख में हम 280 एम.एम. का ही दे रहे हैं। अब यह टेंडर लगा है, इसके अन्दर मैंने अपना

(श्रीमती ममता भूपेश)

सुझाव दिया है। अभी इसके अन्दर कोई निर्णय नहीं हुआ और हमारा यह जो आई एम शक्ति योजना का प्रोग्राम बना है उसके अन्दर भी हमने यह लिखा है कि इस प्रोग्राम में जब फील्ड में सेनिटरी नैपकिन जायेंगे और बच्चियों, महिलाओं की फिजिकल हैल्थ को देखते हुए साइजेज के ऊपर अगर सुझाव आयेंगे तो हमारा विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों इस पर चर्चा करके एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें डाक्टर्स भी रहेंगे और फील्ड के सुझावों के आधार पर इनकी साइज को बड़ा और छोटा हम लोग कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं यह टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आपको एप्रिशियेट करना चाहिए कि इतना अच्छा रिप्लाई दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिप्लाई अच्छा दिया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई-हलैना स्टेट हाईवे के निर्माण में अनियमितता

543. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में मैसर्स सिंघल बिल्डर्स द्वारा नदबई-हलैना स्टेट हाईवे व नदबई-नगर स्टेट हाईवे सहित नगरपालिका नदबई क्षेत्र की 17 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में संवेदक व अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं व उक्त कार्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त संवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को कोर कटिंग करवाकर जांच की गई थी? यदि हां, तो उक्त कोर कटिंग की जांच रिपोर्ट का क्या नतीजा प्राप्त हुआ? क्या उक्त कार्य पूर्व में बनी सड़क के ऊपर ही कर दिया गया है? यदि हां, तो संवेदक तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई में मै. सिंघल बिल्डर्स द्वारा नदबई-हलैना सड़क (स्टेट हाईवे-45) के 13 किमी में से 10 किमी लम्बाई में एवं नदबई-नगर सड़क (एसएच-45) के 26 किमी में से 7 किमी लम्बाई में नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल 17 किमी लम्बाई में कार्य सम्पादित किया गया है, जो दिनांक 20.05.2021 को पूर्ण किया गया है।

(2) उक्त संवेदक को किये गये कार्य के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त कार्य की विभागीय स्तर से जांच करवायी गयी है, जिसमें पायी गई कमियों पर नियमानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) 23 दिसम्बर, 2021 को माननीय विधायक नदबई द्वारा मौके पर उपस्थित होकर अपने स्तर पर कोर कटवाये गये थे, जिसका विभाग के पास कोई विवरण नहीं है।

उक्त स्टेट हाईवे सड़क क्षतिग्रस्त एवं नॉन-पेचेबल स्थिति में थी, जिस पर तकनीकी स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य संवेदक से करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें, डेढ़ मिनट ही बचे हैं। सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो जवाब मुझे पी डब्ल्यू डी के अधिकारियों ने दिया है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, चर्चा नहीं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में मैसर्स सिंघल बिल्डर्स द्वारा नदबई-हलैना स्टेट हाईवे व नदबई-नगर स्टेट हाईवे सहित नगरपालिका क्षेत्र नदबई की 17 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसका तो उत्तर आ गया। इसका तो उत्तर लिखा हुआ आ गया। सप्लीमेंट्री कुछ पूछना है तो पूछो।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उस उत्तर में विभाग के अधिकारियों ने यह माना है कि जो हलैना-नदबई मार्ग है उसकी कोर-कटिंग स्वयं विधायक जी के माध्यम से हुई। मैं

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)
यह पूरे सदन के लिए कहना चाहूंगा जिस तरह से अधिकारियों ने यहां गलत सूचना दी है निदेश संख्या 5 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत सूचना पर आपको पूरा अधिकार है, लिखकर दें। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आप सचिवालय को लिखकर दें। थैंक यू।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा विधायक की शिकायत पर, जबकि वास्तव में चीफ इंजीनियर ने जिनको नोटिस दिये, उन सारे नोटिस की कापी मौजूद है और जिन लोगों ने काम किया, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए पूरी सूची है। वह विधायक के कारण से नहीं हुई है, मैं सोचता हूं यह जो कार्यवाही है आपने विषय को घुमाया और विधायक के कारण से नहीं, जो जांच कमेटी गई, उन्होंने जो जांच की है, दोनों के रिकार्ड उपलब्ध हैं। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा प्रमाण विधायक जो कुछ भी बोले हैं, वह सही है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको पूरा अधिकार है। कटारिया जी ने कहा है, आप फैक्ट लिखकर भेजें। उसके सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय तथ्यों पर कार्यवाही करेगा। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में रोजगार के अभाव में ग्रामीणों के पलायन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा के गांव लक्ष्मीपुरा, जाल का बाडिया एवं अर्जुनपुरा गांव में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजस्व गांव बारलावास में श्मशान के लिए भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री प्रताप सिंह एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान स्टेट कापरेटिव कंजूमर द्वारा निविदा में कथित भ्रष्टाचार से हुए राजस्व के नुकसान के सम्बन्ध में।
5. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।
6. श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से नगरपालिका आबू रोड में लगभग सभी संवर्गों के अधिकांश पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा संस्थाओं के भर्ती नियमों में व्याप्त विसंगतियों से व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8. श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका पीलीबंगा में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
9. श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में डी एम एफ टी कोष का उपयोग अन्यत्र जिलों में खर्च करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
10. श्री अमृत लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।
11. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
12. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से भीमगढ़ बाईपास तथा हरनाथपुरा बाईपास सड़क का निर्माण शीघ्र करवाये जाने के सम्बन्ध में।
13. श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते अपराधों से पर्यटन एवं अन्य व्यवसायों पर पड़ रहे प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
14. श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
15. श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं आपराधिक गतिविधियां बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

16. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

17. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कुम्हारों के लिए बर्तन बनाने की मिट्टी की व्यवस्था करने एवं श्मशान घाट हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

18. श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

19. श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण नहीं होने से शिक्षक वर्ग में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

20. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

21. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में जवाबदेही कानून लागू करने की घोषणा पर क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

22. श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में अंबुजा सीमेंट प्लांट के लिए कोयला व क्लिंकर लोडिंग-अनलोडिंग से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

23. श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग के चरागाह भूमि पर हो रहे अवैध खनन एवं रूणजी चौराहे से पीपलिया रोड पर हुए अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर, श्री खुशवीरसिंह, श्री नारायण बेनीवाल, श्री रामलाल शर्मा, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्रीमती इन्दिरा देवी एवं श्री कालूराम को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से पाली जिले में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
2. श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
3. श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से राज्य में फसल बीमा योजना में कथित अनियमितताओं को रोकने के लिए कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
4. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कृषि कनेक्शन दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से रावतसर शहर में अतिवृष्टि से आमजन को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
9. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू रोड के भाकर क्षेत्र में सोलर बैट्री के विस्फोट से हुए नुकसान का मुआवजा आपदा राहत कोष से दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत कतिपय बांधों को भरने के लिए बनायी गई फीडर को पक्का कराने और किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
11. श्री कैलाश चन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के आदेश को निरस्त कर, प्रस्तावित टोल नाके को अन्यत्र स्थान पर निर्मित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

12. श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायक, जी एन एम व ए एन एम के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में गम्भीर पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में।

15. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से फलौदी को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

16. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अंग्रेजी बबूल उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में।

17. श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण करवाने एवं स्वीकृत अन्य कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

18. श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

19. श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों की पालना किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज हमने 295 में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। श्री मदन दिलावर।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने भी..

श्री अध्यक्ष: I am on leg. विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको कोई बात करनी है तो चैम्बर में आकर बात करें। श्री मदन दिलावर। श्री खुशवीरसिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक...

श्री अध्यक्ष: मदन दिलावर जी, आपको कागज निकालने में टाइम लगेगा। तब तक खुशवीरसिंह जी बोल लें, फिर आपको बुला लेंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सरकार ने...

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। माननीय खुशवीरसिंह जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मारवाड़ जंक्शन में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर गांव में विद्यालय को ताला लगाने की हर रोज एक खबर आ रही है। मेरा कार्यकर्ताओं से बार-बार दूरभाष पर सम्पर्क हो रहा है और बड़े दु:ख के साथ मंत्री महोदय, मुझे कहना पड़ रहा है कि विद्यार्थियों के अनुपात में सब्जेक्ट टीचर की बहुत ज्यादा कमी है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना और विद्या सम्बल योजना के तहत डाइरेक्टर से फाइल आपके पास आई हुई है, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): साहब, इन मंत्रियों को कहें कि चैम्बर में जाकर बात करें।

श्री अध्यक्ष: वे मंत्री हैं और आज आखिरी दिन है। इसलिए यहीं बैठकर बात करना चाहते हैं। खुशवीरसिंह जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, साथ ही में मेरा यह भी निवेदन है कि जो विद्यार्थी मित्र हैं, वे बेरोजगार बैठे हैं तो आप उनको क्यों नहीं लगाते। आज ही हाउस में घोषणा करें। जो रिक्त पद हैं, उनको मुख्य मंत्री युवा सम्बल और विद्या सम्बल योजना के तहत जल्दी से जल्दी भरा जाये क्योंकि कल ही राड झालरा विद्यालय मेरे वहां है और सरपंच की सूचना पर हमने तीन अध्यापक दूसरी जगह से लगवाये, लेकिन तीनों जगह तालाबन्दी हो गई। फिर, तीसरी जगह से लिया तो वहां पर भी तालाबन्दी हो

(श्री खुशवीरसिंह)

गई तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वैस्ट है मंत्री महोदय, कि आप मुख्यमंत्री युवा सम्बल और विद्या सम्बल योजना के तहत जल्दी करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: यह बात आ गयी है। Please, don't repeat it. श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में कुम्हारों के लिए बर्तन बनाने की मिट्टी की व्यवस्था एवं श्मशान घाट हेतु भूमि का आरक्षण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में मृतक पशुओं को डालने के लिये नियत स्थान नहीं है इसके कारण से कई बार झगड़े होते हैं और एक-दो घटनाएं तो ऐसी हो गईं जिनमें हत्याएं भी हो गई हैं मृत पशु डालने वाले की।

दूसरा है कि जो कुम्भकार होते हैं, यानी कुम्हार जो खिलौना बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिये भी यहां से माननीय मंत्री महोदय ने आदेश जारी किया था कि उनके लिये जमीन आरक्षित की जाये ताकि वे वहां से मिट्टी उठा सकें, पर आरक्षित नहीं करने के कारण से यह हुआ कि वे जहां से मिट्टी खोदते हैं तो वे अवैध खननकर्ता कहलाते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही होती है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल के मैदानों के लिये, श्मशान घाटों के लिये और समाधियों के लिये जमीन का आबंटन या आरक्षित नहीं होने के कारण से कई बार झगड़े होते हैं और कई बार तो स्थितियां ऐसी आती हैं कि वह अन्तिम संस्कार के लिये शव को लेकर के खड़े रहते हैं और झगड़े चलते रहते हैं। मैंने पहले भी इस विधान सभा में यह बात कही थी और माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने आदेश जारी किये थे, लेकिन कष्ट का विषय यह है और आप सब लोगों के लिये भी दु:ख का विषय है कि नीचे आदेश की पालना नहीं हो रही है जिसके कारण से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। मेरा आग्रह है कि जो आदेश जारी किये हैं उनकी अक्षरशः पालना हो ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चैम्बर में आकर के बात करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरे से क्या नाराजगी है?

श्री अध्यक्ष: आपसे नाराजगी नहीं है, खुशी है आपसे। बैठो आप। श्री नारायण बेनीवाल।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण नहीं होने से शिक्षक वर्ग में असंतोष

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

प्रदेश के अन्दर जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उन लोगों की भर्ती के ऊपर सरकार ने डार्क जोन के और प्रतिबन्धित जिलों के नाम से जो रोक लगा रखी है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लम्बे समय से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर्स पर रोक है। आपने इस बार सैकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, व्याख्याता, प्रिंसिपल के हजारों तबादले प्रदेश में किये हैं तो जो व्यक्ति जो छोटे परिवार से आता है, नौकरी लग जाता है, उसके बाद समाज और उसके परिवार की भी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और वह दूसरे जिलों में लगातार चार-चार, पांच-पांच साल से सेवायें दे रहे हैं और यह हमारे बड़े लोग भी यही कहते हैं कि यदि आप किसी कर्मचारी से अच्छा आउटपुट लेना चाहते हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब सिक्योरिटी दोनों चीजें उसके ऊपर लागू होनी चाहिये तो जॉब के अन्दर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। सामाजिक कार्यों से वो विमुख होते जा रहे हैं। अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कोई नीति जरूर प्रदेश में लायें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो 85 हजार पदों के लिये उन्होंने आपके शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेटिंग भी कर रखी है, उनके लिये कोई अच्छी नीति लाकर और उन व्यक्तियों का इच्छित स्थान पर आप तबादला जरूर करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में पेयजल आपूर्ति की समस्या

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 50 में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। आज से पांच-सात साल पहले दो समय सुबह और शाम एक-एक घंटे की वाटर सप्लाई होती थी, लेकिन धीरे-धीरे वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से और पानी की आपूर्ति कम होने की वजह से पहले पानी की

(श्री रामलाल शर्मा)

सप्लाई एक समय की गयी। धीरे-धीरे उस सप्लाई को भी एक दिन छोड़कर एक दिन किया गया। आज से दो साल पहले एक घंटे की सप्लाई दी जाती थी पर आज वर्तमान में 15 से 20 मिनट ही वाटर की सप्लाई दी जाती है। यह पाइप लाइन से सप्लाई सिर्फ 60 प्रतिशत हिस्से के अन्दर ही है, 40 प्रतिशत हिस्सा तो ऐसा है जहां पाइप लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये सबसे पहले तो मेरी मांग है कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाये। सदन के नेता भी कई बार चौमूं जाकर घोषणा करके आये हैं। जनता को आस भी थी कि इस घोषणा की पूर्ति होगी, लेकिन अभी तक भी उस मांग की पूर्ति नहीं की गयी और दूसरी समस्या ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर है।

अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी जो हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना थी, उस योजना का भी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने इस तरीके से भट्ठा बैठाने का काम किया है, बंद कमरे में बैठकर एस्टिमेट बनाने का काम किया है और उस योजना के द्वारा भी आज स्कीम्स रिवाइज करनी पड़ रही है। बंद कमरे में सोर्स ऐसी जगह ले लिये जहां पानी नहीं है, टंकियां ऐसी जगह ले ली जहां जमीन उपलब्ध नहीं है और आज उन सारी स्कीम्स को रिवाइज करना पड़ रहा है। इसलिये बड़े-बड़े कस्बे, मेरे गोविन्दगढ़ में है, कालाडेरा में है, मोरीजा में है, सामोद में है, किशनमानपुरा, आस्टी, हस्तेड़ा ये कस्बे ऐसे हैं जिनके अन्दर अभी तक जल जीवन मिशन योजना का काम भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार इस जल जीवन मिशन योजना को भी तत्काल परिवर्तित करके और धरातल के ऊपर इसका काम शुरू कराकर चौमूं क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान कराये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

जवाबदेही कानून लागू करने की घोषणा का क्रियान्वयन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जवाबदेही कानून को लागू करने को लेकर सौ से ज्यादा सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों ने 20 जनवरी, 2021 से लेकर 6 जनवरी, 2022 तक 2400 किलोमीटर की यात्रा की। जवाबदेही कानून को लागू करने के लिये सरकार ने अपने अधिकृत दस्तावेज जन-घोषणा पत्र के पृष्ठ 35 में वादा किया। फिर सरकार ने अपने पहले बजट 2019-20 के पैरा 180 में वादा किया और यह कहा कि राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गारन्टीड सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेकर हम आयेंगे और फिर इसी प्रकार का वादा बजट 2022-23 में पैरा 118 में किया। यानी सरकार ने तीन-तीन बार वादा किया और अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा इस जवाबदेही कानून को लेकर कल जब सम्पादकीय मैंने पढ़ा राजस्थान पत्रिका का, दम्भी नौकरशाह, यानी सरकार के अधिकृत दस्तावेज में सदन में किया गया वादा आज नौकरशाह के कारण पूरा नहीं हो। रामलुभाया कमेटी बनी 2019 में। फरवरी, 2020 में रामलुभाया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के पैरा संख्या 180 में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन और जीरो हरेशमेंट की नीति के आधार काम करेगी। लोक सेवकों की जवाबदेही के लिये सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जायेगा और समस्त विभागों, प्राधिकरणों और निगमों में यह लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2022-23 के बजट पैरा 118 में कहा, 'प्रदेशवासियों को जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ समय-समय पर सेवा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से हमने दस्तावेजी भौतिक सत्यापन को खतम करते हुए डिजिटल वैरिफिकेशन आधारित आटो अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल प्रणाली विकसित की है। मैं राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस अधिनियम से राइट-टू-हियरिंग एक्ट गारंटीड डिलीवरी पब्लिक सर्विस एक्ट को समाहित किया जायेगा।' मतलब मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जवाबदेही कानून जो सत्तारूढ़ दल के जन-घोषणा-पत्र, मेनिफेस्टो के अन्दर इन्होंने वादा किया, दो बार इसी सदन में दोहराया। आज राजस्थान के अन्दर बुद्धिजीवियों ने कल अध्यक्ष महोदय, स्टैच्यू सर्किल पर धरना दिया और प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने सारी बात को खोल दिया। इसलिये मैं मांग करता हूं कि अपने वादे पर सरकार आये और जवाबदेही कानून लागू करे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्दिरा देवी।

मेड़ता में अम्बुजा सीमेन्ट प्लांट के लिये कोयला व क्लिंकर लोडिंग-अनलोडिंग से आमजन को कारित परेशानी

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अम्बुजा सीमेन्ट की फैक्ट्री मेड़ता विधान सभा क्षेत्र से अस्सी

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

किलोमीटर दूर है तो भी जोलाई गांव और सोगास के गांव के अन्दर जो रेलवे फाटक है उनसे ट्रेन भर कर आती है और किसान की फसलें खराब हो रही हैं। आज भी किसान धरने पर बैठे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वह हमारे विधान सभा क्षेत्र से हटाकर आप कहीं भी खाली करवा सकते हो, क्योंकि उससे जो पाउडर उड़ता है तो किसान की फसल भी खराब होती है और सांस में भी तकलीफ होती है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में खाली नहीं करवायें। मंत्री जी मैं पूछना चाहती हूं कि आज भी लोग धरने पर बैठे हैं, लोग इंतजार में बैठे हैं कि एम एल ए साहब आप भी आओ आप भी धरने पर बैठो और साथ में सरपंच भी है, सब लोग, गांव वाले परेशान भी हैं और किसान भी दुःखी हैं। इसलिये भी दुःखी हैं कि फसल भी खराब हो रही है और अलग से लोगों के दिक्कत भी हो रही है तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग उनसे हटा कर उनकी जो अस्सी किलोमीटर दूरी पर उनकी फैक्ट्री है उनसे भरवायें और उनसे ही खाली करवायें। आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

डग की चरागाह भूमि पर अवैध खनन एवं रुणजी चौराहे से पीपलिया रोड पर अतिक्रमण

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन इस प्रकार का हो रहा है कि चरागाह की भूमि पर भी पट्टे दिये गये हैं। हमने जानकारी की कि चरागाह में लीज दी जाती है तो मंत्री महोदय, क्या चरागाह में लीज देते हैं क्या? अभी वर्तमान में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिकायत हुई थी तो कलेक्टर ने जांच की। कलेक्टर ने उसमें पाया कि अवैध खनन है, बाकी उसके बाद भी आपके माइनिंग के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की और अरोलिया नेरावद में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। अभी इसी महीने एक डम्पर के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसमें गोताखोरों को बुलाया गया और उस व्यक्ति को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल अवैध खनन हो रहा था और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों जे सी बी और डम्पर लगा रहे थे किराये से, उन लोगों पर करीब दो करोड़ रुपये की आपने पैनल्टी लगायी और अवैध खनन मालिक पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं चाहता हूं कि जो अवैध

(श्री कालूराम)

खननकर्ता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें और यह अवैध खनन बन्द हो। हमारे स्टेट हाईवे से 20 फीट दूरी पर खनन हो रहा है। उस पर एक नाला बनाया गया है और उस नाले में करीब 200 पेड़ लगे हुए हैं, वे पेड़ गिर गये हैं। हमने कई बार कलेक्टर को भी कहा और जिला परिषद् की मीटिंगों में भी कहा, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आपके सब अधिकारी मिले हुए हैं। वहां अवैध क्रेशर लग रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तुरंत कार्यवाही करें और अवैध क्रेशर से अवैध गिट्टी जा रही है जिससे वहां के रोड टूट जाते हैं और बिना रायल्टी के वह गिट्टी जाती है, अवैध खनन होता है, रास्ते बन्द हो रहे हैं, तालाब में मिट्टी डाल रखी है, नहर बन्द कर रखी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो और यह अवैध खनन बन्द हो और जो अवैध खननकर्ता है, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: 295, श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष: आप कितनी बार बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे? बैठें आप। रिकार्ड नहीं होगा। आप मन में आये जब खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, don’t intervene. प्लीज बैठें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: बात सुन रहे हैं आप? नहीं समझ में आया क्या? आप बहुत अच्छे हैं, वह बोल रहे हैं, आप सीनियर मेम्बर हैं, वह बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो गये। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। माननीय जोराराम जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: मैं आपके अधिकार का हनन करूंगा बाहर निकाल कर।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) बाहर निकालकर अधिकार का हनन करूंगा। माननीय राजेन्द्र जी (व्यवधान) I will not allow it.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। I will not allow it. माननीय राठौड़ साहब, I will not tolerate it. I say, I will not allow it. माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बीच में खड़े हो गये।

पाली में पेयजल समस्या

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पाली जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति थी। जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत व पूरे जिले की जीवन रेखा जवाई बांध पूरी तरह से सूख गया। डेड स्टोरेज का पानी निकालने के बाद जवाई से पेयजल सप्लाई बंद हो गई। 2 महीने तक विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों व जिले में स्थानीय स्रोत कुओं, बावड़ियों, ट्यूबवैलों, हैंडपम्पों से पेयजल आपूर्ति की गई। ग्रामवासियों को फ्लोराइडयुक्त पानी कई महीनों तक पीना पड़ा। जवाई बांध से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र सहित बाली, पाली, रोहट, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, जैतारण व सिरोही के 72 गांवों सहित 1100 गांवों को पेयजल योजना जवाई क्लस्टर (1), (2), (3), (4) के जरिये जोड़ा गया। जवाई बांध वर्षा आधारित बांध हैं। जवाई बांध निर्माण के बाद चार बार ओवरफ्लो हुआ, बाकी समय में आधा अधूरा भरा, कई बार पूरा खाली रहा है। जवाई से जिले के 1100 गांवों को पेयजल आपूर्ति के साथ कमांड क्षेत्र के किसानों के खेतों की सिंचाई भी होती है। जवाई में जब पानी कम आता है तब किसानों व पेयजल अधिकारियों के बीच पानी बंटवारे को लेकर संघर्ष होता है। इस वर्ष जवाई बांध में पानी कम आया, तब नौ महीने पहले सरकार को व प्रशासन को मालूम था कि यह पानी पूरे जिले को मई, जून तक पानी नहीं दे पायेगा। ऐसे में जोधपुर से रोहट व पाली तक नई पाइप लाइन डालकर पानी लाया जा सकता था, लेकिन सरकार की उदासीनता व इच्छाशक्ति की कमी की वजह से नई पाइप लाइन डालने की योजना नहीं बनाई व 20 वर्ष पूर्व डाली पुरानी सड़ी व जर्जर पाइप लाइन पर 01 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, फिर भी रोहट में पानी नहीं आया। जिले में पानी के लिए किसानों और जनता को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा हैं। 10 सितम्बर से 14 सितम्बर तक किसानों व आमजन को क्षेत्र में पेयजल हेतु पानी लाने को लेकर भयंकर गर्मी में भी सुमेरपुर से पाली तक पैदल मार्च

(श्री जोराराम कुमावत)

करना पड़ा। जवाई व सेई बांध में पानी लाये बिना सिरोही जिले के 72 गांवों के लिए बनाई योजना स्थगित की जाए व रोहट, पाली, सोजत, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन के लिये जोधपुर इन्दिरा गांधी नहर से पानी लाने की व्यवस्था की जाये तथा जवाई पुनर्भरण योजना शीघ्र लागू करावें जिससे पूरे जिले की पानी की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

(समय: 12.22 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में पेयजल समस्या

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल की गम्भीर समस्या है और इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है। पेयजल सप्लाई हेतु बनायी गई टंकियों में आज तक पानी नहीं भरा गया है जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अलवर शहर के जलदाय विभाग में फंड का अभाव बना हुआ है जिसके कारण संबंधित कार्यकारी फर्मों द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया है। एन सी आर के नियमों के तहत अलवर शहर में रोजाना 550 लाख लीटर पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा केवल 330 लाख लीटर ही पानी की सप्लाई की जा रही है। इस कारण अलवर शहर के हालात बहुत ही विकट हो गये हैं। वहीं दूसरी ओर पेयजल वितरण की मॉनिटरिंग करने वाले सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंताओं की कमी होने के कारण पेयजल आपूर्ति की समय पर मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर की पेयजल समस्या का शीघ्र निस्तारण करने हेतु शहर के नजदीक स्थित सिलीसेढ़ बांध से पानी लाने की योजना तैयार करवाकर अलवर शहर की पेयजल समस्या को दूर करने की कृपा करें। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना (अनुपस्थित)। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अतिवृष्टि के परिणामस्वरूप कृषकों एवं आम जनमानस को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा है। कृषकों की फसलें पूर्णतया खराब हो चुकी हैं। साथ ही अतिवृष्टि के कारण अनेकों कच्चे/पक्के मकान भर-भरा कर ढह गये थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उक्त अतिवृष्टि के कारण जहाजपुर उपखण्ड की ग्राम पंचायत बांकरा के दर्जनों ग्रामों में कृषकों के खेतों में वर्तमान में भी बारिश का पानी भरा हुआ है।

अतः मेरा आग्रह है कि जनहित में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र सहित भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे का आकलन करवाने हेतु सर्वे किये जाने के दिशा-निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान करते हुए पीड़ित कृषकों एवं अन्य पीड़ितों (अतिवृष्टि के कारण गिर गये कच्चे-पक्के मकानों के मालिक) को उचित मुआवजा प्रदान किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

जैतारण की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन उपखण्ड, जैतारण व उपखण्ड, बर में अधिकांश डामरीकृत सड़कें बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त सड़कें घटिया क्वालिटी की निर्माण करवाने के कारण गारंटी पीरियड में होने के बावजूद क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ सड़कें लगभग 10 वर्षों से अधिक का समय पूर्ण होने व नियमों में आने के बावजूद नहीं बनाने के कारण क्षतिग्रस्त हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जैतारण मैदानी व पहाड़ी इलाका होने के कारण व बड़े सीमेन्ट उद्योग, स्टोन क्रेशर, चाईना-क्ले, बजरी व्यवसाय के कारण सैकड़ों ट्रक, डम्पर, ट्रैलर व ट्रेक्टर का आवागमन उक्त सड़कों पर

(श्री अविनाश)

प्रतिदिन होता आया है जिसके कारण भी उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बार-बार विभाग को लिखित रूप से अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की बड़ी पोल से पाटन वाया रातड़िया, धोली मगरी चौराहा से रायरा वाया कालाकोट, धोली मगरी चौराहा से सबलपुरा वाया चावण्डिया, पीपलियां से गुड़िया, कालब खुर्द से पंचानपुरा, बुटिवास से रास वाया अणेरी कुण्डाल, केमोड़ की बेरी से बगड़ी सिरोला तक, मोहरा खुर्द से छोटी कालब (पचानपुरा), झाला की चौकी से कोट किराणा वाया बगड़ी कलालिया, आनन्दपुर कालू से डिगरना वाया पीपाड़ा फालका, कुड़की से बिजाथल अजमेर जिला सीमा तक, जैतारण से राबड़ियावास वाया पिपलियां-बलाड़ा, पातुस से लितरिया वाया मालपुरिया, बलुन्दा से खराड़ी, कालू से लिलरियां, पृथ्वीपुरा से लौटोती वाया किशननगर, समौखी से दागला वाया मोहराई, रामावास से बिकरलाई, धनेरिया से कुड़की, बाबरा से सुमेल वाया आम्बा सहित प्रमुख नॉन पेचेबल सड़कों को तुरन्त प्रभाव से रिपेयर करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें एवं गारंटी पीरियड में होने के बावजूद घटिया क्वालिटी की क्षतिग्रस्त सड़कें जो निर्माण करवाई गई हैं ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना का अपूर्ण कार्य

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना का विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर का कार्य निम्न प्रकार से स्वीकृत हुआ था-

1. बाड़मेर लिफ्ट परियोजना का पार्ट-अ का कार्य आदेश 02/09/2012 फर्म का नाम- मैसर्स JWIL, स्वीकृत राशि 202.36 करोड़ रु., परन्तु अब तक खर्च 112.67 करोड़, इस कार्य को शुरू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी तक यह पूर्ण नहीं हुआ है।

2. बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-ब कार्य आदेश 26/05/2013 फर्म का नाम- मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज, स्वीकृत राशि 188 करोड़, खर्च 92.19 करोड़ रु., इस कार्य को भी 09 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(श्री मेवाराम जैन)

3. मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-स कार्य आदेश 26.05.2017, फर्म का नाम-मैसर्स VPRPL-WABG, स्वीकृत राशि 700 करोड़, अब तक खर्च 496 करोड़, उक्त कार्य को शुरू हुए 05 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु अभी कहीं भी पानी नहीं पहुंचा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त परियोजनाओं का कार्य करीबन 10 वर्ष से चल रहा है, जो बेहद धीमी गति से चल रहा है और अभी तक इस कार्य को पूर्ण करने के लिये 05 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाने के टेंडर्स किये हैं, जबकि इन परियोजनाओं का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन परियोजनाओं का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करावें, ताकि जनता को पानी उपलब्ध हो सके।

श्री सभापति: श्री पदमाराम मेघवाल।

चौहटन में कृषि कनेक्शन

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में विद्युत विभाग द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा करवाने के उपरान्त भी अभी तक कृषि कनेक्शन नहीं किये गये हैं। गरीब किसानों ने बैंको से ऋण लेकर डिमांड भरी एवं कृषि कनेक्शन संबंधी सामान खरीदा गया, परन्तु 1.5 वर्ष होने के उपरान्त भी अभी तक उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं जबकि एक महीने के अन्दर रबी की फसल दुबारा चालू हो जायेगी। इसलिए उक्त स्थिति के कारण किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

अत: आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द कृषि कनेक्शन से संबंधित सामान उपलब्ध करवाकर कृषि कनेक्शन चालू करावें, जिससे रबी की फसल में किसानों को कृषि कार्य करने में लाभदायक हो। जो रेगुलर कृषि कनेक्शन हैं, उनके ट्रांसफार्मर जलने के उपरान्त 24 घंटे में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना होता है, परन्तु पिछले 3-4 महीनों से लोगों के एक-एक माह के इन्तजार के बाद भी ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं जिससे किसानों के अन्दर भारी रोष है और साथ ही किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। अतएव सभापति महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि किसानों का ध्यान रखते हुए कृषि कनेक्शन करवाने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

रावतसर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियम 295 के तहत निवेदन है कि रावतसर शहर में 174 एम.एम. वर्षा हुई, जिसके कारण शहर में पानी भराव अधिक हुआ व 7 दिन तक शहर में पानी पड़ा रहा। शहर के सारे रास्ते बंद हो गये, दुकानों व घरों में पानी भर गया, जिसके कारण शहर का आवागमन बंद हो गया। अधिक वर्षा होने से शहर के आस-पास जो नजदीक खेत थे, उनमें अधिक वर्षा होने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ, परन्तु कोई नुकसान का सर्वे नहीं हुआ। इसी के साथ, रावतसर शहर में घरों व दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण परचून की दुकानें, मनिहारी, कपड़े की दुकान, अन्य रोजमर्रा का कार्य करने वालों को काफी नुकसान हुआ। इसी तरह वर्षा अधिक होने के कारण काफी घरों में पानी भरने के कारण दरार आ गई व गिर गये। लोग बेघर हो गये, परन्तु इतना नुकसान होने के बाद भी सरकार, राहत विभाग व नगरपालिका द्वारा आमजन को किसी प्रकार से सहायता नहीं की गई, न ही किसी प्रकार का सर्वे किया गया। बाजार में जल का अधिक भराव होने के कारण बाजार सात दिन तक बंद रहा। पानी की निकासी नगरपालिका से हो नहीं सकी, जिसके कारण बाजार के लोग, दुकानदार एस डी एम आफिस के आगे धरने पर बैठ गये। 3 दिन बाद जब एस डी एम व पालिका से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि पानी निकासी के स्थायी समाधान व अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ, उसका सर्वे कर राहत विभाग से, सरकार से सहायता करवायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। एक युवा रमन खारीवाल टंकी पर चढ़ गया तब प्रशासन से वार्ता हुई, लिखित में समझौता हुआ। शहर के पानी निकासी व जिनकी दुकान, मकान व अन्य क्षति हुई है, उसका सर्वे कर नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे, परन्तु नगरपालिका द्वारा आज तक शहर के पानी निकासी व अन्य किसी भी मुद्दे पर किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं हुई। एक कार्य प्रशासन ने जरूर किया है कि रमन खारीवाल से टंकी पर चढ़ने का हर्जाना वसूलने के लिए पुलिस द्वारा एक लाख रुपये से ऊपर नोटिस का दिया है। एक अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को न्याय की जगह हर्जाना भरने का नोटिस मिला। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रावतसर की स्थायी पानी निकासी की योजना बने। जिन व्यक्तियों की फसल, दुकान, मकान, घरों में पानी भराव

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

से नुकसान हुआ, उसका आकलन कर राहत व बाढ़ विभाग से राहत प्रदान करवायें व रमन खारीवाल पर की गई कार्यवाही दफ्तर दाखिल करें।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

भाकर में सोलर बैट्री के विस्फोट से हुए नुकसान का आपदा राहत कोष से मुआवजा

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आबू रोड के भाकर क्षेत्र के 24 ग्राम आते हैं। वहां कई ढाणियां विद्युत सप्लाई से वंचित होने से जनजाति बिखरी आबादी में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाये गये हैं। आदिवासी गरीब समाज के पक्के मकान नहीं होने से लगभग 1 वर्ष में 55 सोलर बैट्री विस्फोट हुए हैं और गरीब लोगों के पहनने के कपड़े, अनाज, नकदी, जेवरात व घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन सरकार द्वारा आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार कच्चे मकान व पशुओं का चरागाह जलकर खाक होता है उसे आपदा राहत कोष में लागू करें और 55 घरों का आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलवाने का कष्ट करे।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

कपासन के बांधों की फीडर को पक्का कराना और किसानों को मुआवजा

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत भूपालसागर बांध, कपासन बांध, धमाना बांध, डिण्डोली बांध आते हैं। उक्त सभी बांधों को वर्षा के पानी से भरने के लिए कैचमेंट एरिया तय किया गया था, लेकिन वर्षा के कम होने से बांध कई बार खाली रह जाते हैं।

उक्त बांधों को पानी से भरने के लिए करीब 50-55 वर्षों पूर्व रेलमगरा तहसील क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी से फीडर निकालकर उक्त

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सभी बांधों में पानी भरने के लिए एक फीडर बनायी गयी। कुछ वर्षों पूर्व रेलमगरा तहसील क्षेत्र के गांव जीतावास के लोगों द्वारा एवं फीडर के पास के खेत मालिकों ने फीडर को मिट्टी से भर दिया, जिससे उक्त सभी बांधों में पानी आना बंद हो गया है।

चित्तौड़गढ़ सिंचाई विभाग के द्वारा उक्त फीडर से मिट्टी निकालने की कार्यवाही की जाती रही है, लेकिन फीडर के पास वाले किसानों की मांग रही है कि फीडर हमारे खेतों से निकाली गयी है पर हमको मुआवजा नहीं दिया गया है तथा हमारे खेतों में जाने के रास्ते में पुलियाओं का निर्माण नहीं किया है, जिससे हमको खेतों में जाने के लिए परेशानी आती है।

अत: सरकार से आग्रह है कि उक्त बांधों को पानी से भरने के लिए बनायी गयी फीडर को पक्की बनाई जाये तथा किसानों को मुआवजा दिलवाया जाये। फीडर पर पक्की पुलियाओं का निर्माण करवाया जावे। डिण्डोली बांध को भरने के लिए दामोदरपुरा गांव के पास मिट्टी से भरी गई फीडर को भी खाली करवाने की कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): साहब, पाइंट आफ इंफोर्मेशन है।

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिए। आप विराजिए। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पाइंट आफ इंफोर्मेशन है।

श्री सभापति: आप विराजिए। मैंने नाम पुकार लिया है। आप विराजिए।

गढ़ी में टोल नाके का स्थान परिवर्तन

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार की बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में स्वीकृत 2 लेन सड़क जो कि पालोदा से गढ़ी अरथूना आनन्दपुरी गुजरात सीमा तक एवं गढ़ी से बागीदौरा कुशलगढ़ एम.पी. सीमा तक (एसएच 54ए) गढ़ी से गुजरात सीमा सड़क नं. 22, जो कि गढ़ी के मुख्य

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

बाजार से होकर कार्य करने की सर्वे कर भूमि अवाप्ति के आदेश जारी हुए हैं जिसमें करीब 100 परिवार के मकान सदियों से बने होकर पट्टेधारी हैं। ये गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं एवं उन सभी के मकान अवाप्त होने से उनके पुनर्वास के लिए कहीं भी भूमि नहीं होने से इनका आशियाना उजड़ जायेगा। इस समस्या का समाधान गढ़ी गांव के बाहर एनएच 927 - चापल से अरथूना परसोलिया मुख्य सड़क तक डेढ़ कि.मी. होती है। मौके पर सड़क बनी हुई है, उसको बाईपास के रूप में बनाया जावे। वर्तमान मुख्य बाजार से निकलने वाली सड़क की लम्बाई लगभग 3 कि.मी. होती है, भूमि अवाप्ति व मुआवजे का खर्चा करोड़ों में होगा। बाईपास डेढ़ किमी आधे खर्चे में एवं भूमि अवाप्ति ज्यादा नहीं है, जिससे मुआवजे की राशि सरकार को ज्यादा नहीं देनी होगी। इसके अलावा गढ़ी से बागीदौरा एम.पी. सीमा तक स्वीकृत सड़क का टोल नाका टामरिया राठौड़ में प्रस्तावित है। वहां पर जनजाति के गरीब लोग निवासरत हैं।

श्री सभापति: आप विराजिए। मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इंफोर्मेशन है।

श्री सभापति: आप विराजिए। आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते हैं। मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): उनके पास जीवन यापन का यही सहारा है एवं विभाग को मुआवजे का अधिक खर्चा आएगा। डडुका एवं रेयाना के मध्य में सड़क के दोनों ओर भी सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहां का सर्वे करवाकर टामरिया राठौड़ के प्रस्तावित टोल नाके का स्थान परिवर्तन कर गरीबों को राहत प्रदान करें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त सड़क निर्माण गढ़ी बाजार से नहीं निकालकर बाईपास का सर्वे करवाकर प्रस्तावित टोल नाके का स्थान परिवर्तन कर गरीबों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए। श्री ललित कुमार ओस्तवाल। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री ललित कुमार।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार रखा है, आप विराजिए। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, सहयोग कीजिए। प्लीज, आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आपको बोलना है तो आप बोलिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय,...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया, उसको आसन ने निरस्त कर दिया। उस पर अलाउ आपको नहीं किया है। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कोई अंकित नहीं होगा इस पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल, बोलना है आपको तो आप बोलिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आपको नहीं बोलना है? श्री गिरधारीलाल।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह का सदन कूप में प्रवेश)

बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): बोल रहा हूं साहब। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बात नहीं बोलनी है आपको।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): बोल रहा हूं साहब। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी उप खण्ड पर सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड का न्यायालय स्थित है ...(व्यवधान) तथा सन् 2004 से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का पाक्षिक शिविर 3-3 दिन के लिए लगाया जाता रहा है स्थायी कोर्ट निम्बाहेड़ा में है जो यहां से एवं उपखण्ड डूंगला से 35 से 40 किमी दूर हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): बड़ी सादड़ी एवं डूंगला न्याय क्षेत्र संबंधित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर पर सुनवाई हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या एक हजार तीन सौ के लगभग है, जिसमें मूल सिविल वाद, सिविल अपील, सेशन प्रकरण, अपील फौजदारी, निगरानी फौजदारी, अपील दीवानी, पारिवारिक न्यायालय के प्रकरण, अजा, अजजा (अत्याचार निवारण प्रकरण) हैं, जिनकी पैरवी हेतु डूंगला एवं बड़ी सादड़ी के अधिवक्ताओं और पक्षकारों को प्रतिदिन निम्बाहेड़ा जाना पड़ता हैं, जिस कारण पक्षकारान को अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है। बड़ी सादड़ी में सात पंचायतें टी एस पी क्षेत्र की हैं।

बड़ी सादड़ी एवं डूंगला क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई स्थापना किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसके लिए क्षेत्र की जनता एवं अधिवक्तागण विगत कई वर्षो से प्रयासरत हैं। अभी बड़ी सादड़ी एवं

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

डूंगला क्षेत्र के समस्त अधिवक्तागण दिनांक 06.09.2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं तथा सन् 2020 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है, जो राज्य सरकार में लम्बित है।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थायी स्थापना कराई जावे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

कोविड स्वास्थ्य सहायक, जी एन एम व ए एन एम के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। प्रदेश में कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को स्थायी करने के स्थान पर सरकार द्वारा हटा देने से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो गई है तथा कोविड सहायक भी लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं, किन्तु सरकार कोविड सहायकों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

इसी प्रकार वर्ष 2013 में जी एन एम के 15773 पदों व ए एन एम के 12278 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, मगर जी एन एम के कुल विज्ञापित पदों में से केवल 11259 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई और 4514 पदों की कटौती कर ली गई। वहीं, ए एन एम के विज्ञापित 12278 पदों में से केवल 5,559 पद ही भरे गए और 6719 पदों की कटौती कर दी गई।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में कोविड सहायकों को तुरंत स्थायी किया जाए। इसके अलावा जी एन एम-ए एन एम, भर्ती 2013 में कटौती किए गए हजारों पदों पर जी एन एम व ए एन एम को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

विधान सभा क्षेत्र पिलानी के क़स्बों तथा ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। इस गम्भीर समस्या का निदान करने हेतु जब से मैं इस क्षेत्र से विधायक बना हूं तब से गम्भीरता से प्रयास कर रहा हूं। उल्लेखनीय है कि इस विधान सभा क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड वाटर का स्तर बहुत नीचे चला गया है और 1000 फीट से भी ज्यादा खुदाई करने पर भी यहां आमतौर पर पानी पीने लायक नहीं मिल पा रहा है। पिलानी विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई नदी है और न ही कोई प्राकृतिक स्रोत है जिससे पेयजल प्राप्त हो जावे। लगभग सारे ट्यूबवैल्स जो समय-समय पर स्थापित किये गये थे, उनसे भी पानी मिलना लगभग बन्द हो चला है।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी तथा जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन कर चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पेयजल की व्यवस्था, इस विधान सभा क्षेत्र के सभी क़स्बों, गांवों तथा आबाद ढाणियों के लिये योजना बनवाई और जो पूर्व में डी.पी.आर. बनी हुई थी उसे संशोधित करवाकर उसमें पिलानी विधान सभा क्षेत्र को भी चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान करवाया। इस व्यवस्था के लिए मैं वर्तमान राज्य सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा जल संसाधन मंत्री महोदय का आभारी हूं, परन्तु अभी तक पेयजल पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पहुंचा नहीं है। लोगों की प्यास बुझाना और पेयजल उपलब्ध कराना एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। मुझे सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया है कि चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से शीघ्रातिशीघ्र पिलानी विधान सभा क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध होगा, इसके लिए ठोस योजना तैयार हो चुकी है और टेण्डर प्रक्रिया तक प्रगति हुई है।

साथ ही यह भी विनम्र निवेदन है कि जब तब उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत पानी पिलानी विधान सभा क्षेत्र में नहीं मिले तब तक वैकल्पिक व्यवस्था कर इस क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें तथा किसानों को उनके खेतों में स्थित निवास पर पेयजल संरक्षण हेतु पेयजल कुण्ड निर्माण हेतु विशेष स्वीकृतियां तत्परता से जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

फलौदी को जिला बनाने की घोषणा

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि फलौदी को जिला बनाने को लेकर पिछले करीब 5 दशक से फलौदी में जन आंदोलन चल रहा है, इसका आगाज पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालकिशन जी थानवी लालजी द्वारा किया गया था। इस दौरान कई बार रेल रोको आंदोलन व आमरण अनशन किये। जिसमें राज्य के पूर्व व वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। मैं यहां से लगातार दो बार विधायक हूं। मैंने विपक्ष व पक्ष दोनों सरकारों में कई बार विधान सभा में फलौदी को जिला बनाने की मांग रखी है और यहां के अनेकों जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला बनाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलन किये जा चुके हैं। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आमजन की मांग को सुनते हुए फलौदी जिला बनाना उचित है।

फलौदी क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला बनने की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिला मुख्यालय जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एवं नागौर से फलौदी की दूरी लगभग 200 कि.मी. है। फलौदी विधान सभा क्षेत्र के बहुत से गांव जोधपुर जिला मुख्यालय से 200-250 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जिसके चलते ग्रामीणों को प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है।

फलौदी में ए डी एम, ए एस पी, जिला परिवहन विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, एस डी एम, डिप्टी एस पी, वाणिज्यिक कर विभाग, रीको औद्योगिक क्षेत्र, रोडवेज़ डिपो, कृषि मंडी, पी.जी. महाविद्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं।

एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयरबेस फलौदी में स्थापित है तथा बाप उपखंड क्षेत्र विश्व विख्यात सोलर हब बन चुका है।

फलौदी क्षेत्र रेल सेवा के माध्यम से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बीकानेर से सीधा जुड़ा हुआ है तथा हवाई पट्टी भी सुचारु स्थिति में है। कृषि के क्षेत्र में भी फलौदी क्षेत्र का अपना विशिष्ट स्थान है।

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में फलौदी, बाप एवं घंटियाली तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय हैं तथा शेखासर उप तहसील मुख्यालय है। लोहावट विधान सभा क्षेत्र में लोहावट, आऊ, बापिणी तथा देचू तहसील एवं पंचायत

(श्री पब्बाराम)

समिति मुख्यालय है। अतः आपसे अनुरोध है कि फलौदी एवं लोहावट विधान सभा क्षेत्र तथा जैसलमेर के नोख क्षेत्र को शामिल करते हुए फलौदी को नया सीमांत जिला घोषित करने की कृपा करावें। फलौदी की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार से आग्रह है कि जिला भीलवाड़ा में मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव, नव निर्माण में पिछले पौने 4 वर्ष के दौरान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। विधान सभा क्षेत्र की अहम एवं लाइफ लाइन का काम करने वाली सड़कें जिनका विवरण नीचे मौजूद है, बार-बार सरकार को अवगत कराने के बावजूद पिछले पौने 4 वर्षो से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। कुछ सड़कों की स्वीकृति जारी होने के बावजूद कार्य ही प्रारम्भ नहीं किये गये तो कुछ सड़कों का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उक्त अवधि में पैचवर्क से लेकर जो भी नये पुराने सड़क कार्य किये गये हैं, उनमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ सड़कों की घोषणा बजट में भी की गई थी, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है।

अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि कोटड़ी से ककरोलिया घाटी, राजगढ़ से काछोला सड़क, महुवा से जलिन्द्री सड़क, विगोद, नन्दराई से कोटडी सड़क, बिजौलिया से सकरगढ़ सड़क व सम्पर्क सड़क महुवा से श्रीनगर होते हुए झंझोला मांगठला सड़क, त्रिवेणी से सिंगोली सड़क जिसका पुलिया ही बह चुका है। इन सड़कों के डामरीकरण, पुनर्निर्माण, नव निर्माण कार्य तथा स्वीकृतशुदा कार्यों को अविलम्ब प्रारंभ कराया जावे।

अत: लोक महत्व में उक्त कार्य करवाकर मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़क मार्गों पर सुचारु आवागमन के लिये सड़कों का विकास करवाने में प्राथमिकता से स्वीकृतियां, कार्य पूर्ण करवाने तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने का श्रम करावें। जय हिन्द, जय-जय राजस्थान। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुमित गोदारा।

लूणकरणसर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में जो हज़ारों की संख्या में स्थानान्तरण किये हैं, उसके कारण रेगिस्तानी क्षेत्र लूणकरणसर में अधिकतर विद्यालयों से अध्यापकों का स्थानान्तरण बीकानेर शहर व अन्यत्र करने से लूणकरणसर क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली होने से ग्रामीण छात्र-छात्राएं शिक्षा में पिछड़ रहे हैं व क्षेत्र में भयंकर रोष है, जिसका ज्वलंत उदाहरण रा.उ.मा.वि., सोढ़वाली के 150 छात्र छात्राओं ने मंगलवार सुबह बीकानेर के लिए पैदल कूच किया। करीब 50 कि.मी. पैदल पहुंचने पर खाली पदों पर शिक्षकों के पदस्थापन आदेश किये। माननीय शिक्षा मंत्री बीकानेर ज़िले से आते हैं, पर विडम्बना है कि लूणकरणसर व ग्रामीण विद्यालयों के अधिकतर पद खाली हो गये हैं।

आपसे निवेदन है कि विद्यालयों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरें जिससे सोढ़वाली गांव के छात्र-छात्राओं ने जिस तरह रोष प्रकट किया, उसकी पुनरावृत्ति न हो व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी रिक्त पद भरे जाएं। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का अनुसरण करते हुए विद्यालय क्रमोन्नत तो किये, पर भाजपा सरकार की तरह कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु कोई विशेष बजट आबंटित न करने से अधिकतर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारा उद्देश्य शिक्षित लूणकरणसर, विकसित लूणकरणसर को साकार करने के लिए निवेदन है कि उपरोक्त शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

प्रयोगशाला सहायकों के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों की पालना

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 2600 प्रयोगशाला सहायकों

(श्री राकेश पारीक)

(तृतीय श्रेणी) को 1997 में अधिशेष घोषित करके समान वेतन वाले अध्यापक पदों पर समायोजित किया गया। इन कार्मिकों को अध्यापकों के 9-18-27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. दिये गये थे।

(समय: 13.00 बजे)

लेकिन कुछ प्रकरणों में लेखा परीक्षण के दौरान आक्षेप लगाकर वसूली करने के आदेश जारी किये गये थे। आक्षेप के विरुद्ध विभाग में कार्यरत शिक्षकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश से वसूली रोक दी गयी तथा न्यायालय के आदेश में राशि मय ब्याज लौटाने के आदेश दिये गये तथा विभाग द्वारा नो अपील के निर्णय के पश्चात् जो कार्मिक न्यायालय में गये उन पर तो विभाग द्वारा कार्यवाही कर दी गयी, लेकिन जिन कार्मिकों द्वारा न्यायालय की शरण नहीं ली गयी, उन्हें वंचित कर दिया गया तथा जो-जो कार्मिक न्यायालय में जा रहे हैं उन पर विभागीय कार्यवाही कर दी। विभाग को ऐसे सभी कार्मिकों पर समान रूप से न्यायालय का निर्णय लागू करना चाहिए था।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी कार्मिकों को लाभान्वित कर न्याय प्रदान करें तथा शेष कार्मिकों को भी न्यायालय के आदेश की पालना में लाभान्वित किया जा सके ताकि अनावश्यक रूप से कार्मिकों को न्यायालय की बार-बार शरण न लेनी पड़े। धन्यवाद।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

अजमेर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे

(वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अंतर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण के चार वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2017-18 से 2020-21) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: विधायी कार्य। श्री परसादी लाल मीणा।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन साक्षी बन रहा है राजस्थान की सात करोड़ अवाम को राइट-टू-हैल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार देने का।

माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय जीवन में यह पहला अवसर आया है कि कल चलते हुए सदन के अन्दर राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, 2022 को सर्कुलेट किया गया। रात्रि के अन्दर सदन स्थगित हुआ। आसन ने बड़ी उदारता से संशोधन का आज दस बजे तक का समय दिया और आज हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पन्द्रह दिन पहले राजस्थान में कैबिनेट की बैठक हुई। महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक के अंदर सरकार लेकर आती है, विशेष तौर पर विधेयक के रूप में कानून बनाने से पहले। मुझे अफसोस है कि शायद कैबिनेट की बैठक की कार्यवाही मैं पढ़ता हूं, सर्कुलेशन से पास किया हो तो मुझे यह मालूम नहीं। माननीय सभापति महोदय, आनन-फानन के अन्दर इस कानून को लाया गया है। हम सदन के अन्दर सारे सदस्य, कोई भी सदस्य इस बात से इत्तफाक नहीं रखता होगा कि यह कानून गलत कानून है। हम सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान की अवाम को राइट-टू-हैल्थ मिले पर अगर दंतहीन और नखहीन हम कानून बनाएंगे, बिना तैयारी के कानून लेकर आएंगे तो मैं यह समझता हूं कि हम राजस्थान के लोगों को एक बड़ा सब्जबाग दिखाकर, हम बड़ा सपना दिखाकर सपनों को तोड़ने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ढाई लाख के लगभग स्टेकहोल्डर हैं। चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्दर ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सेवाएं दे रहे हैं। इस राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के अन्दर अगर सबसे बड़े स्टेकहोल्डर हैं तो नर में नारायण को देखते हुए सेवा करने वाला डाक्टर है। मैं यह समझता हूं कि जिस समय मैं अपनी बात को कह रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस सदन के बाहर सदन का दरवाजा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खटखटाकर यह कह रही है कि हमसे जुड़े हुए विधेयक पर सदन चर्चा कर रहा है, राजस्थान के लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार दे रहा है। अधिकार के किरदार हम हैं, केन्द्र बिंदु में हम हैं, हमसे बात करो। जो भी कमेटियां बनाई गयीं, चाहे प्रदेश स्तर की हैं या जिला स्तर की हैं, वह चिकित्सक यह कह रहा है कि यह विषय है लोगों की सेवा का, चिकित्सकीय सेवा का, इन सेवाओं में इन कमेटियों में हमें नहीं पूछा, हमें अलग कर दिया। वह चिकित्सक यह कह रहा है कि राजस्थान में इस कानून के माध्यम से जिस प्रकार के लोग कहते हैं कि राजस्थान और राजस्थान का जयपुर हिन्दुस्तान के नक्शे पर उच्च और उच्चस्तरीय चिकित्सा के लिए मेडिकल हब बन रहा है, हम उन सारे रास्तों को रोकने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज आ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हर जिले के अन्दर मेडिकल कालेज की परिकल्पना जो देश के प्रधान मंत्रीजी ने सोची उसको राजस्थान की सरकार मूर्त रूप दे रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, पर मैं यह समझता हूं कि इस राइट-टू-हैल्थ के बिल की व्यापकता को देखते हुए निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिए।

मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं तो, माननीय सभापति महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में इतनी बड़ी बात लिख दी। हमारा यह फंडामेंटल अधिकार है आर्टिकल 21 में राइट-टू-लाइफ, उन्होंने यह लिखा कि राइट-टू-लाइफ के संवर्धन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध खाद्य, शुद्ध पानी और हर स्तर पर हम इस राइट-टू-हैल्थ के अधिकार के साथ लोगों की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना चाहते हैं। यह बिल आज पारित हो जायेगा। मंत्री महोदय, शुद्ध पानी का अधिकार, शुद्ध खाद्य पदार्थ का अधिकार कल से मुझे मिल जायेगा? आप राजपत्र में यह प्रकाशित कर दोगे। आज हालत क्या है? राजस्थान की राजधानी में लोग शुद्ध पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आगे बढूंगा तो मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा। आज खाद्य पदार्थ के मिश्रण में राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों का मिश्रण हो रहा है, आप 'शुद्ध के लिए युद्ध' चलाने के लिए मजबूर होते हो। मिलावटखोर पकड़ा जाता है और फिर बचाने की बात चलती है। नकली दवाओं का जखीरा यहां पर है और मैं तो मंत्री महोदय, जिस जिले से आता हूं, चूरू से आता हूं, उस जिले में इंदिरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, 16 जिलों में आता है। माननीय सभापति महोदय, हमने कई बार इस विधान सभा में इस बात का जिक्र किया। जालंधर के पास, लुधियाना के पास इंदिरा गांधी नहर को पंक्चर करके ड्रेनेज और सीवरेज का पानी डाला जाता है। 16 जिलों में हम यह पानी पीते हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, उस पानी में क्रोमियम है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, जिंक है। यह हमारी मजबूरियां हैं, पर उस पानी के पीने के कारण से हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ इलाके से आज जो ट्रेन आती है बीकानेर में, उसको कैंसर ट्रेन कहने लग गये। मतलब, हम किस प्रकार झुनझुना पकड़ा रहे हैं? मैं यह चाहता हूं कि यह सपना सच होना चाहिए शुद्ध पानी मिले, यह हमारे अधिकार में आना चाहिए, पर इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए।

मंत्री महोदय, आप जहां से आते हो, इस दौसा के पीछे की जो बेल्ट है, जयपुर से लगती हुई वहां पर सब्जियां पैदा होती हैं तो कौनसे पानी से वे सब्जियां पैदा हो रही हैं? सीवरेज के पानी से सब्जियां पैदा हो रही हैं और एक साइंटिफिक स्टडी यह कह रही है, माननीय सभापति महोदय, यह सब्जियां जो हम खाते हैं, इन सब्जियों से आंत्रशोध की बीमारी होती है, गैस्ट्रोएन्टेराइटिस होती है, हाइपरटेंशन होता है तो फिर कल से मैं यह कहूंगा कि मुझे यह सब्जी, मेरे घर में यह कैसे आयी? यह राइट-टू-हैल्थ आपने दे दिया। सवाल यह भी खड़ा होता है।

मैंने आपके सारे नियमों को, कानूनों को, शायद यह 19 धाराएं हैं, उनको पढ़ने की कोशिश की। मैंने मेरे खुद के साथ भी न्याय नहीं किया। प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे कल कहा कि आपको इस पर बोलना है इसलिए मैं खड़ा हो गया, पर मैं यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं, मैं खुद भी इस विभाग में रहा हूं। आज राजस्थान के अन्दर हम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लागू नहीं कर पाये। आप शिकंजा किस पर कसना चाहते हो? मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर सहमत हो सकता हूं और सब लोगों को एक नजर से देखना भी ठीक नहीं है। कोरोना की उस वैश्विक महामारी के समय में जो वातावरण बना, वह दर्द आपके मन में है, यह मैं मानता हूं। धरती के भगवान को हमने कई रूप में देखा है। आक्सीजन नहीं, आक्सीजन बैड,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आई.सी.यू. बैड के लिए दाम अचानक ऊपर चले गये। आपने चुनाव घोषणा पत्र में रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही थी, बना पाये आप रेगुलेटरी बॉडी?

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह आनन्नफानन में अचानक सर्कुलेट होकर आया है। माननीय मंत्री महोदय, इतिहास इन बातों से नहीं बनता। सदन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें, हम उन्हें बधाई देंगे, लेकिन इतिहास में नाम अंकित करवाने के लिए एक खोटा कानून पास करवाने के लिए आपको उन्होंने कह दिया। मैं चाहता हूं प्रवर समिति में बैठ कर चर्चा करें। यह जादूगर की जादूगरी मेरी समझ के बाहर है। आपके पास राजस्थान के अन्दर शुद्ध पानी देने के लिए क्या रोड मैप है? शुद्ध पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए क्या रोड मैप है? सफाई के लिए क्या रोड मैप है? मंत्री महोदय, मैं सही कह रहा हूं कि आप राजस्थान के किसी भी चिकित्सालय, मेडिकल कालेज के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में या कहीं भी चले जाओ, हालात खराब हैं। आप इनके टायलेट में जाकर देखो, मैं आपको मान जाऊंगा। आप किस प्रकार की बातें कह रहे हैं।

सभापति महोदय, उद्देश्य, कारण और कथन में राइट-टू-लिव की बात मैंने कही। राइट-टू-लिव की परिधि को आगे बढ़ा कर आपने कहा कि ह्यूमन राइट है, शिक्षा का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, समान रूप से हम स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। आपने और क्या कहा, पब्लिक हैल्थ राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए, मतलब आपका मॉडल, आज आप बड़े संतुष्ट हैं कि आपने राजस्थान मॉडल दे दिया, बस इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है?

आपने और क्या कह दिया, सुनो, प्रदेश के मेडिकल कालेज से लेकर जिला अस्पताल, सी.एच.सी., पी.एच.सी., सब सेन्टर में आबंटित नियमित बजट आपने दिया, एक्स्ट्रा नहीं दिया। मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना और आर.जी.एच.एस. का सर्वोत्तम प्रयोग करके हम राइट-टू-हैल्थ ला रहे हैं। एक्स्ट्रा बजट नहीं है, एक्स्ट्रा मानव संसाधन नहीं है, एक्स्ट्रा आधारभूत संरचना नहीं है और हम बिल पारित कर रहे हैं। कानून के रूप में राजस्थान के अवाम को अधिकार दे रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं लेकिन बात किस प्रकार की कर रहे हैं।

मंत्री महोदय, आपने जन घोषणा पत्र में बात कही थी। जन घोषणा पत्र के पैरा 12 में आपने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तायुक्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार, राइट-टू-हैल्थ कानून लाया जायेगा। फिर बजट 2021-22 में आपने कहा कि राजस्थान मॉडल और पब्लिक हैल्थ को लागू करने की घोषणा करते हुए सरकार का पूरा ध्यान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष केन्द्रित रहेगा। बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है। राजस्थान के अन्दर रोज समाचार पत्रों में पढ़ लो, पन्ने पलट लो, एक ही बात मिलेगी कि मुफ्त दवा के अन्दर दवाइयां गायब हैं। आपने ताश के पत्तों की तरह ट्रांसफर्स में जरूर डाक्टर्स को फांट दिया। मैं समझता हूं कि जादूगरजी की जादूगरी के अन्दर इस मोह में फंसो, इन्द्रजाल में फंस जाओगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एन.एच.ए. सर्वे 2018-19 की ओर दिलाना चाहता हूं। एक ऑथेंटिक डाकूमेंट है। वह कहता है कि प्रति व्यक्ति गवर्नमेंट हैल्थ एक्सपेंडिचर में राजस्थान में कुल 1,369 रुपये हैं जो राष्ट्रीय एक्सपेंडिचर से 1,753 रुपये से काफी कम है। आप देखिए, यह हमारी हालत है। पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर राजस्थान के गवर्नमेंट सैक्टर में हम हिन्दुस्तान के औसत से पीछे हैं।

सभापति महोदय, अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आयी, उसमें सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली से जो सर्वे हुआ, आप देखिए, आप कहां खड़े हैं। हम हैल्थ इंडिकेटर में देश के अन्दर 16वें स्थान पर हैं। इस प्रकार की भयावह हालत में आप कानून लेकर आ रहे हो। आई.एम.आर. राजस्थान में 35 और आल इण्डिया का 17.69 है। राजस्थान की एम.एम.आर. 28 और आल इण्डिया की 26 है। राजस्थान में अंडर 5 एज मृत्युदर 45 है प्रति हजार और हिन्दुस्तान की 35, और राजस्थान की मातृ मृत्यु दर 141 प्रति लाख और 103 इण्डिया की है।

अभी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे जो हुआ, उसके आंकड़े देख रहा था। यह मेरा खुद का आंकड़ा नहीं है, मुझे ऐसी निगाहों से मत देखो, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कभी तो प्रेम की निगाह से देखा करो। मैं इसलिए कह रहा था कि जो पांचवां नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे है, उसमें लिखा है कि राजस्थान में जितनी मौतें होती हैं, उनमें से 3 परसेंट मौतें नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं। मंत्री महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हो, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक है, डायबिटीज है, स्ट्रोक्स है। आप मुझे यह बताओ कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

11.3 परसेंट डैथ इंजरी के कारण होती है। आपका पूरा बिल मैंने देखा। मैं सोच रहा था कि जब एन.सी.डी. से मौतें इतनी होती हैं तो उसके लिए कोई रोड मैप होगा, उसके लिए कोई बजट आबंटन होगा, परन्तु नहीं है। आज राजस्थान की हालत है। हम उस राज्य में राइट-टू-हैल्थ देने की बात करते हैं जिसमें 51.8 परसेंट बच्चे कुपोषित हैं। यह हमारे ऊपर कलंक है। हम ऐसे राज्य में राइट-टू-हैल्थ देने की बात कर रहे हैं जहां 12 महीने से 23 महीने बच्चे को यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज में 100 परसेंट टीकाकरण होना चाहिए, हमारा एवरेज 88.4 है। हम ऐसे राज्य में राइट-टू-हैल्थ देने की बात कर रहे हैं जहां 15 से 49 वर्ष की आयु की 59.4 परसेंट महिलाएं एनिमिक हैं। चिरंजीवी योजना, आर.जी.एच.एस. और पब्लिक हैल्थ में राजस्थान का मॉडल, ये तीन आधार हैं, जिन पर आप इस कानून को लाये हैं। आपने एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया।

मंत्री महोदय, इंटरनेशनल रिसर्च जनरल आफ माडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एण्ड साइंस टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट है, दिनांक 07.06.2021 की। इसमें चिरंजीवी योजना के बारे में प्रकाशित शोध में लिखा है। इसमें लिखा है कि राजस्थान भर में 37.7 परसेंट लोगों की इस योजना की उपयोगिता के बारे में असहमति है। यह मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई आरोप भी नहीं है। मई, 2022 से अब तक के आंकड़ों के अनुसार चिरंजीवी योजना के तहत 01 करोड़ 30 लाख लोग पंजीकृत किये गये और केवल 20 हजार लोगों को कैशलैस उपचार मिला। कुल पंजीकृत लाभार्थियों का 1.5 प्रतिशत है। आप क्या कर रहे हैं? तैयारी नहीं है तो आप खड़े होकर कह दो, आप सलेक्ट कमेटी में आ जाओ, हम आपको सुझाव दे देंगे। विज्ञापनों से कोई योजना कामयाब नहीं होती है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने आपकी फोटो नहीं देखी, आपने अलग-अलग भाव-भंगिमा में, मुख्य मंत्रीजी की फोटो देखी मैंने, आपने 16 करोड़ रुपये लगा दिये। उससे योजना नहीं चलती। आज निजी चिकित्सालय आर.जी.एच.एस. से भागे या नहीं भागे? मंत्री महोदय, मेरे साथ चलना आप। नेता, प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और आर जी एच एस का अलग से बोर्ड लगा रखा है, उसमें लाइन लगानी पड़ती है। दोयम दर्जे के मरीजों की तरह लोग देखते हैं क्योंकि पैकेज आपने ऐसे दे रखे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सेक्शन 3 में राइट-टू-हैल्थ की बात कही। सेक्शन 4 के तहत राइट-टू-हैल्थ लाने का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आफ गवर्नमेंट है। आपने सेक्शन 4 में कहा कि सरकार का कर्तव्य पूरा होगा जब राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत संरचनाएं, पर्याप्त मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक उपकरण व जांच की लैब की व्यवस्था करेंगे। आपने पैसे की व्यवस्था की? मानव संसाधन में देख लो आप। सी.एच.सी. में जूनियर स्पेशलिस्ट चाहिए पर उपलब्ध नहीं हैं। सभापति महोदय, आप सीकर से आते हैं। मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, आजकल एन एम सी हो गया है उसका नाम, उसका इंस्पेक्शन जब होता है, उसकी टीम जब आती है तो अहमदिया की टोपी मेहमदिया पर, मेहमदिया की टोपी अहमदिया पर करते हैं। फैकल्टी हमारे पास है नहीं और मान्यता हमारी समाप्त हो जाती है। आज इस तरह की हालत में यह कानून आप लेकर आ रहे हैं।

मंत्री महोदय, भारत में राष्ट्रीय नीति, 2017 में कहा गया है, भारत की जो हैल्थ पालिसी है, उसका कहा गया है कि जी.एस.डी.पी. का ढाई परसेंट से लेकर 3 परसेंट तक अब स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिए और 2022 -23 के अन्दर भारत सरकार ने जी.एस.डी.पी. का 3.1 परसेंट के लगभग स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करने की व्यवस्था की है। आप क्या कर रहे हो, जरा देखो तो सही। 2019-20 में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 12 हजार 885 करोड़ और जी.डी.पी. थी आपकी 9 लाख 98 हजार 990, और खर्च 1.28 परसेंट किया। 2020-21 स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट है 13,300, GSDP है 9,57,912, 1.38 प्रतिशत। 2021-22 स्वास्थ्य बजट है राजस्थान का 14,468, हमारी GSDP है 11,98,348 यानी 1.24 प्रतिशत। मैं समझता हूं कि पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपन इसके अंदर बजट में प्रोविजन कर रहे हैं, GSDP का नेशनल हैल्थ पालिसी के अनुसार भी नहीं किया, किस प्रकार लाओगे?

मैं इस सदन में चाहता हूं, इस सदन में कह रहा हूं कि यह स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान के अवाम को मिले, पर स्वास्थ्य के अधिकार के नाम पर मंत्री महोदय, चुनाव में वोट की फसल काटने जाओगे तो आपको जहरीला फल मिलेगा। आप देख रहे हो कि पहली बार वह चिकित्सक, जिसको दिखाने के लिये हमें तीन-तीन, पांच-पांच दिन का अपाइंटमेंट मिलता है, आज राजस्थान विधान सभा के सदन के बाहर खड़ा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किया क्या है? आपने एक्ट बना डाला। यह पब्लिक हैल्थ और हैल्थ केयर सिस्टम दोनों को मर्ज कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी तो मैंने चालू ही किया है।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले वक्ता हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि कितनी बड़ी गलती की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान का स्वास्थ्य सचिव भी डाक्टर है। इसके बावजूद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक हैल्थ और हैल्थ केयर सिस्टम दोनों को जोड़ दिया। पब्लिक हैल्थ लॉज का उद्देश्य है बीमारी, महामारी को रोकना, जन स्वास्थ्य आपदा का प्रबन्धन करना और हैल्थ केयर लॉज का मतलब है नागरिकों को चिकित्सा उपचार देना। मेरी मान्यता है इस बिल के अंदर दो भागों के अंदर अलग-अलग बात होनी है, दो अलग-अलग बिल आने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आज जब जन स्वास्थ्य के अधिकार की बात करेंगे, स्वच्छ पानी, स्वच्छता की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार हम इस बात को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब आपने मुझे कहा तो मैं मेरी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। 19 धाराओं में, मैंने इस एक्ट को रात को पूरा पढ़ा है, आपको तो विश्वास नहीं होगा, मैंने पढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इसके अंदर जब मैं वित्तीय ज्ञापन देख रहा था, जो पृष्ठ 22 पर है, उसमें लिखा है कि 7 करोड़ का प्रशासनिक व्यय, 14 करोड़ 55 लाख रुपये 7 करोड़ लोगों के लिये प्रशासनिक व्यय, बस यह लिया है। 5 लाख रुपये सेक्शन 7 के अंदर जो स्टेट हैल्थ आथेरिटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आथोरिटी बनी है, उसमें लिये हैं। क्या जादूगरी है? मैं समझता हूं सदन के अंदर जब कभी भी सवाल खड़े होते हैं, आपके बजट की धज्जियां उड़ती हैं, उसी तरह आप यह काम कर रहे हो। मैं निवेदन करूं कि अब इस विधेयक की धारा-3 में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। 3(B) में आप अधिकार दे रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो कि सरकारी चिकित्सालय में OPD, IPD, कंसल्टेशन, आपात सेवा मुफ्त। यह तो पहले से ही लागू है। आप इसमें नया क्या दे रहे हो? 3(c) के अंदर आपने जो कहा यह गलती नहीं, गलता कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आपात परिस्थिति में किसी भी निजी चिकित्सालय में बिना पैसे, बिना शुल्क तत्काल चिकित्सा उपचार राज्य के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा। ICU में, इमरजेंसी में, आपात प्रसूति में, मेडिको लीगल केस में भी पुलिस की अनुमति या रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या खोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, आपात स्थिति कहीं परिभाषित नहीं है। मेरे से मिलने एक मित्र आये थे। अचानक बोले, मुझे सांस गहरा-गहरा आ रहा है। पड़ोस में डा. जी. देवपुरा जी रहते हैं, मुझे उनके पास ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति है, जहां ECG हो रही है, आप वहां लेकर जाओ। वहां जाकर मैंने ECG करवाई तो वह नोर्मल आयी। अब आपात स्थिति के नाम पर मैं किसी भी वक्त, किसी भी प्राइवेट हास्पिटल का दरवाजा खटखटाकर कह दूंगा कि आपात स्थिति है मुझे देखो, मैं मर रहा हूं। मैं समझता हूं इस बात को आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह मैंने पहले कहा था, हम 2010 के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तो रूल्स ही नहीं बना पाये। मान लो, आज कोई ENT का डाक्टर है, कोई न्यूरो सर्जन है, और प्रसूति होनी है, माननीय सभापति महोदय, गांव से चलकर रामलालजी आयेंगे और कहेंगे, उठ, डाक्टर, डिलीवरी होने वाली है, अधिकार मिला हुआ है सेक्शन 3 के सब सेक्शन (A) में। वह कहेगा मैं तो ENT का डाक्टर हूं। होगा, ले थप्पड़। मतलब किस प्रकार का वातावरण हम बना रहे हैं? इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय, अभी दौसा के अंदर जो घटना हुई। आपने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, 2008 का हवाला करके कुछ दोषी, कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा, चलो आपका अधिकार है, करो। आज राजस्थान में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, 2008 लागू है। डाक्टर के विरुद्ध अगर कोई शिकायत करते हो या मुकदमा दर्ज करते हो तो डाक्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी पहले उसको एग्जामिन करेगी। आपके यह सारे उपबंध राजस्थान मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2008 के प्रावधानों के खिलाफ हैं, मंत्रीजी। अभी आप कह रहे हो, बड़ा अच्छा मानव संसाधन देंगे।

अभी मैं एक बात जरूर कहूंगा। अभी आपने नर्सिंग कालेज खोले। मेरे तो पहले का है। रेगुलेटरी बॉडी इंडियन मेडिकल नर्सिंग, सूटेबिलिटी के लिये आपने पैसा जमा नहीं कराया। आज हमारी संस्थाओं में ऐसी नर्स तैयार कर रहे हैं जिन्हें राजस्थान के अलावा कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस पर बात करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां सेक्शन 4 और 4(a) में राजस्थान मॉडल की चर्चा हुई और 4(b) में राज्य के बजट का समुचित उपबंध। आप खोलकर बताओ न वार्षिक योजना का कितना प्रतिशत करोगे? GSDP का कितना प्रतिशत करोगे? लागू तो आपके नोटिफाइड करते ही हो जाएगा। आपने इस बार कितना प्रबन्ध किया है? मैं समझता हूं, मैंने पहले कहा है कि यह जो पिछला सर्वे था, उसमें 1,359 रुपये ही पर-कैपिटा गवर्नमेंट हास्पिटल का एक्सपेंडिचर है। आपने कहा कि हम मेडिकल कालेजों में मानव संसाधन उपलब्ध करवायेंगे। बात तो वही है मौहल्ला क्लिनिक खुल गयी न। आपने घोषणा की थी न। यह मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राइट-टू-हैल्थ लाकर किसको झुनझुना पकड़ा रहे हो? मेरा दावा है कि सी.एच.सी. के अंदर 72 प्रतिशत जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं हैं, पी.एच.सी. के अंदर 22 प्रतिशत डाक्टर नहीं हैं।

आप सेक्शन 5 में स्टेट हैल्थ अथोरिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी, आई.ए.एस. को तो खैर चेयरमैन बना रहे हो और इसके अंदर आप यह प्रावधान कर रहे हो कि इसके अंदर अपील का प्रावधान होगा। आज एक आई.ए.एस. अधिकारी डाक्टरों की एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वालों की अपील सुनेगा। सेक्शन-6 के अंदर आपने स्टेट हैल्थ कमेटी की ड्यूटी को बताया है। मैं समझता हूं आप इसका रोडमैप, सस्टेनेबल गोल्स को पूरा नहीं कर पाये। इन सारी बातों के बारे में निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिये। सेक्शन-8 में जो डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आथोरिटी बना रहे हो, उसको अधिकार दे रहे हो, मैं समझता हूं कि एक तरह से वह समय आ जाएगा जब प्राइवेट हास्पिटल के अंदर टकटक करते हुए, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आथोरिटी के अंदर जिसको सदस्य बना रहे हो, शायद जिला परिषद् के मैम्बरों में से भी लेंगे आप। वह जाकर कहेंगे चलो, मैं देखने आया हूं, सीज करो इस हास्पिटल को। मतलब कहां जाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं एक नये तरह से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने का काम हम कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, आपने सेक्शन 2 के अंदर, राइट-टू-हैल्थ के अंदर वेब पोर्टल पर दो दिन में शिकायत करने का रखा है। आपने कहा कि हैल्थ लाइन पर शिकायत करो। वह पैंडोरा बाक्स कब खोलोगे आप? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी चीजों पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 13 में राइट-टू-हैल्थ का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। जुर्माना कितना? 10 हजार का। मतलब आप किस प्रकार का कानून बना रहे हो, यह मेरी समझ के परे है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको जनमत जानने के लिये परिचालित करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हमारे आयुष्मान का विकृत रूप है और इसमें पहले आपने सीमांत, लघु सीमांत, संविदाकर्मियों को 5 लाख तक का कवरेज दिया, फिर आपने बढ़ाकर 10 लाख किया। आज निजी चिकित्सालयों ने सोशल डिस्टेंसिंग आपकी इस योजना से बना रखी है। आपकी दरें कितनी हैं? वेंटिलेटर पर 4,800 रुपये प्रतिदिन है। मैं समझता हूं कि एक निजी चिकित्सालय में 4,800 रुपये प्रतिदिन वेंटिलेटर पर मरीज का इलाज हो सकता है जिसमें सारी दवाइयां हैं?

अभी ओसियां से आनी वाली माननीय सदस्या बिराजी हुई हैं। मैं इनकी बहादुरी को दाद देता हूं। यह जोधपुर में श्रीराम हास्पिटल में हार्ट अटैक हुआ, जोगेन्द्र डूडी से जाकर लड़ लीं। कहां-कहां हम इस तरह से लोगों को पैदा करेंगे? किस प्रकार की हालत आपकी चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की है? आपने 500 रुपया देना चालू कर दिया, इसमें नाम इन्द्राज करायेगा। आप लोगों ने इसके लिए क्या-क्या नहीं किया, 12 हजार करोड़ के टेलीफोन, मैं समझता हूं इसके बाद भी जो हालात रहे, आपका परसेंटेज रहा, माननीय सभापति महोदय, आपकी जो दवाइयां हैं, दवाइयां तो देनी ही पड़ेंगी, नकली दवाइयों का आपका व्यापार 20 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। नकली दवाइयां जितनी धड़ल्ले से बिक रही हैं, आपका राइट-टू-हैल्थ, हैल्थ केयर सिस्टम, यह कानून, सारा धरा रह जायेगा। आपके यहां 54 हजार 579 लाइसेंसधारी शाप्स हैं। 108 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। 1 ड्रग इंस्पेक्टर को आपने 6 दवाइयों के नमूने लेने के लिए अधिकृत कर रखा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। बहुत लम्बा हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी जो पेंडेंसी है दवाइयों के नमूनों की, वो हर साल 5 हजार की रफ्तार से बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि अमानक दवाई पायी जाती है और छह महीने बाद रिपोर्ट देते हो तब तक लाखों डोज वो खा जाते हैं। इससे पहले मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के हालात हैं अब आपके कई दवाइयों का मैं नाम लेना चाह रहा था, मैं समझता हूं कि नशीली दवाइयां हों, चाहे नकली दवाइयां हों, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्राइवेट हास्पिटल और जांच केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेतहाशा शुल्क के नाम पर अनावश्यक दवाइयों के लिए रेगुलेटरी आथोरिटी लेकर आयेंगे पर आप नहीं ला पाये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने खाद्य पदार्थ से लेकर, खाद्य पदार्थ का भी लेकर आये हो, कौन बचा रहा है जो खाद्य पदार्थ अपमिश्रित पाये गये? कौन बचा रहा है उन सैम्पलों को जो सब स्टेंडर्ड पाये गये, अनसेफ पाये गये? 35 परसेंट हैं, 1-2 परसेंट नहीं। इनके विरुद्ध जो जुडिशियल कार्यवाही होनी चाहिए उसके लिए आप अनुमति नहीं देते। इसलिए मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना है कि इस कानून को आप जनमत के लिए तो नहीं भेजोगे, क्योंकि प्रस्ताव हम लेकर आये, आप प्रवर समिति को सौंप दो, बजटीय प्रावधान आपने किया नहीं, मानव संसाधन आपके पास है नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर में आपने कोई पैसा दिया नहीं और आज पुराने सिस्टम पर उसी बजट से आप राइट-टू-हैल्थ का झुनझुना पकड़ा रहे हो। निजी चिकित्सालय में आज राजस्थान जिस प्रकार से मेडिकल हब की ओर बढ़ रहा है, उस रास्ते को आप रोक रहे हो। निजी चिकित्सालय जो अपने दम पर पैसा लगाकर अपना हास्पिटल खड़ा करता है, लोन लेता है, उस पर आप इंस्पेक्टर राज पैदा कर रहे हो। मेरी मांग है कि कृपया इसको जनमत हेतु नहीं करें, तो कम से कम इसको प्रवर समिति को सौंप दें, ताकि हम सारी बात पर विस्तृत रूप से बात कर लें। आनन-फानन में यह बिल नहीं लाया जाये, इतना ही मेरे को निवेदन करना है।

श्री सभापति: मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि करीब 30 माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपनी बात रखेंगे। स्ट्रिक्टली आप कन्फाइन करें इस बिल पर।

माननीय उप नेता महोदय ने काफी विस्तार से सारी बातें बता दी हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): जिनको बोलना है वे बोल लिये और हमको कहते हैं कि कन्फाइन करें।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको तो बोलना ही चाहिए इस पर।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): हमें भी दीजिये लिबर्टी।

श्री सभापति: बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे आप। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बिल पर कन्फाइन करेंगे और बिलकुल समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसा बिल है जो लोगों के सामने अच्छाई के बजाय उलझन पैदा करेगा। मैंने स्पीकर साहब से भी निवेदन किया, कल सवेरे तो आपने टेबल पर रखा, यहां से हम 9 बजे गये, उसके बाद पढ़कर हम इस पर न्याय नहीं कर पायेंगे। मेरे हिसाब से आप पास करना चाहें, आपकी मर्जी है, लेकिन यह उलझन पैदा करेगा और जब तक इसको अपन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं चाहता था और मैंने अध्यक्षजी को भी कहा कि हमारी सलेक्ट कमेटी को भेजो, तीन महीने ही तो लेट हो जायेंगे, चार महीने ही तो लेट हो जायेंगे पर कम से कम अच्छा कानून बने, इसके पक्ष में हम हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान इसमें लीड कर रहा है, हमें बहुत खुशी है लेकिन उसके लिए उसी प्रकार की तैयारी के लिए तो हमको समय मिलना चाहिए। केवल पास करने के लिए पास कर देंगे और पचासों तरह के लिटिगेशन में फंस जायेंगे।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह बिल निश्चित रूप से आनन-फानन में लाया गया है और इस बिल पर किसी भी तरह के विशेषज्ञों की राय नहीं ली गयी है और न इस बिल के ऊपर पूरी तरह से विचार किया गया है। सदन के अन्दर भी यह बिल कल ही हमें बताया गया, ऐसी स्थिति के अन्दर मैं विनम्रता के साथ में और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। जब तक हम

(श्री अभिनेश महर्षि)

इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अस्पतालों के अन्दर डाक्टर्स, चिकित्साकर्मी, टेक्निकल स्टाफ की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की उदाहरण के तौर पर एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बना दिया, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनने के बाद एक भी कर्मचारी की नई नियुक्ति नहीं हुई है। 17 विशेषज्ञों के पद होने के बावजूद वहां पर एक विशेषज्ञ काम कर रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर यह राइट-टू-हैल्थ बिल का कोई मायने नहीं रह जायेगा। कानून बहुत बने हैं, लेकिन यदि कानून बनने के बाद उस कानून की पालना नहीं होगी तो निश्चित रूप से जनता के साथ में हम धोखा करेंगे, छलावा करेंगे। अभी मेरे से पूर्व उप नेता, प्रतिपक्ष ने बहुत विस्तार के साथ में, आंकड़ों के साथ में और सारी बातें इस बिल के बारे में बिन्दुवार आप लोगों को कह दीं। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा लेकिन आपसे यह बात जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, इल्तजा करना चाहूंगा कि ये जो शुद्ध खाद्य पदार्थ और मिलावटी पानी, बिल में इसका जिक्र किया गया है, जब तक हम ये नहीं देंगे, तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं होगा। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया जाता है लेकिन ढाक के तीन पात। एक बार वो अभियान चलता है और उसके बाद में उस अभियान का रिजल्ट आता है और अंत में उसका रिजल्ट देखते हैं तो जीरो रिजल्ट आता है। पानी के लिए भी बताया गया है कि हमारे यहां चूरू जिले के अन्दर जो पानी आता है, दांत देखकर कोई कह देता है कि यह सरदारशहर का रहने वाला है। सीवरेज का पानी हमारे यहां पाइप लाइन के अन्दर आता है। ऐसी स्थिति के अन्दर जब तक हम इनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी करने के बाद उनमें सुधार नहीं लायेंगे तब तक बिल का कोई मायने नहीं रह जायेगा। मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि अस्पताल के अन्दर हम जन प्रतिनिधि जाते हैं और वहां पर लम्बी-लम्बी लाइन देखते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि यह लाइन किसकी है, उन्होंने कहा कि यह लाइन दवाई की है। दवा के लिए डेढ़ घण्टा, दो घण्टा लम्बी लाइन में लगना पड़ता है, मैंने कई बार कहा कि काउंटर बढ़ा दीजिये, आप काउंटर बढ़ायेंगे तो लोगों को सुविधा मिलेगी। बीमार आदमी कितनी देर लाइन में लगेगा? लेकिन दवा के काउंटर्स पर लम्बी लाइनें लगती हैं, इतनी लम्बी लाइन लगने के बाद में जब वह दवा के काउंटर पर पहुंचता है दवा लेने

(श्री अभिनेश महर्षि)

के लिए जब उसका नम्बर आता है तो कह दिया जाता है कि ये चार दवाइयां नहीं हैं और ये चार दवाइयां बाहर दवाई की दुकान से ले लो। यह इस तरह का खेल एक जगह नहीं होता है, यह पूरे राजस्थान में होता है। मैं विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के बाद ही इस तरह के बिल को लाया जाये। इस बिल के ऊपर क्या दिक्कत है? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम कोई कानून बनायें, हम सिर्फ इसलिए कानून नहीं बनायें जल्दी में कि हमारा राजस्थान देश के अन्दर नम्बर वन हो जायेगा, हमारे राजस्थान का नाम हो जायेगा कि पहला स्टेट है जिसके अन्दर राइट-टू-हैल्थ बिल लेकर के आये थे। लेकर के आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिल के ऊपर एक्सपर्ट्स की राय भी ले लो। इस बिल के ऊपर जो कानून के विशेषज्ञ हैं, अभी नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें कई तरह के मामले इस तरह के हैं कि वो लिटिगेशन में फंस जायेंगे। हम जिस उद्देश्य के साथ में यह बिल लाना चाहते हैं वो जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, तब तक इस बिल को लाने की आप लोगों की मंशा है वह पूरी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय पधार गये, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि जो कमियां हैं इसमें, आप चले गये थे, मैंने कहा है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हों, मेडिकल कालेज हों, सी.एच.सी. हों, पी.एच.सी. हो, सब सेंटर्स हों, उन पर जितने कर्मचारी कम हैं, बराये मेहरबानी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन कर्मचारियों को लगा दो। आपने चिकित्सा मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद यह काम अच्छा किया कि आपने कहीं-कहीं तो पूरी जगह खाली पड़ी थी और कहीं-कहीं सरप्लस बैठे थे, एक ही जगह पर लम्बे बैठे हुए थे। मैं तो यह कहता हूं कि धरती पर दूसरे भगवान के रूप में जो डाक्टर्स हैं, मैं उनकी किसी तरह की कोई बुराई नहीं करता हूं, लेकिन एक जगह जम जाने के बाद में जिस तरह की दादागीरी उन लोगों की होती है, मैंने दूसरे की नहीं देखी है। आप हिम्मत कीजिये चिकित्सा मंत्री महोदय, और यह जो असमानता है, इसे दूर करके बाकी और भर्तियां करनी हैं, जैसे भी करना है, इसको आप पूरी तरह से यदि लागू नहीं करेंगे, जिला अस्पताल बन गया रतनगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद भी सब पद खाली पड़े हैं। राजलदेसर में धरना-प्रदर्शन होता है, छापर में सी.एच.सी. बना दी, लेकिन सी.एच.सी. में एक डाक्टर है और वह भी डेपुटेशन

(श्री अभिनेश महर्षि)

पर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसे बिल लाने का कोई फायदा नहीं है। इसे प्रवर समिति को भेजें। इस पर व्यापक चर्चा करें। एक्सपर्ट्स को बुलाएं। राजनीतिक दलों के दूसरे लोग, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें भी शामिल करें। उसके बाद एक ऐसा बिल लाएं, जिसकी राजस्थान को लेकर पूरे हिन्दुस्तान में चर्चा हो कि ऐसा बिल लाया गया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं कहना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजें और एक प्रभावी कानून बनाएं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, सरकार राइट-टू-हैल्थ देने वाला राजस्थान को पहला मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश में एक ऐसा बिल लेकर आयी है जिसे देखने के बाद केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सत्तापक्ष का भी एक-एक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि इस बिल का न तो सिर है और न पांव है। इस बिल के प्रावधानों पर जाएं तो जैसा कि उप नेता महोदय ने सरकार की आंखे खोलने की कोशिश की, यह बात सच है कि राइट-टू-हैल्थ का विषय बहुत लम्बे समय से राजस्थान में चल रहा था और यह मुख्य मंत्री जी का सपना था। इस सपने को पूरा करने से पहले, उसके नीचे बुनियादी ढांचा क्या है, यह देखने की जिम्मेदारी न केवल कार्यपालिका की है, बल्कि हम जन प्रतिनिधियों की भी है। उस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते। आज राजस्थान के सात करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला राजस्थान की इस विधान सभा में हम करने जा रहे हैं। कल सुबह की तारीख में राजस्थान का हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे स्वास्थ्य के साथ-साथ, और यह केवल स्वास्थ्य का नहीं है, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पत्रिका के चीफ सम्पादक गुलाब कोठारी जी को, जिन्होंने 13 अप्रैल, 2022 को एक आर्टिकल छापा था, जिसमें लिखा था, "मूंगफली सरकार की और जनता को छिलके।" इसे आज राजस्थान की विधान सभा चरितार्थ करने जा रही है।

यह बिल केवल स्वास्थ्य का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार का है। यह बिल हमें आर्टिकल 21 में जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारण्टी देता है। सभापति महोदय, इस बिल में स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का मुफ्त इलाज नहीं है। इसमें आपने बीमारियों की अग्रिम

(श्री अशोक लाहोटी)

रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, मिलावट, नकली दवा, शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी को भी शामिल किया है। आज हालत यह है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में चारों तरफ जगह-जगह गन्दगी के ढेर लगे पड़े हैं। यह लम्पी किससे फैल रही है? यह लम्पी जिन मक्खी-मच्छरों से फैल रही है, डेंगू से ये जो मौतें हो रही हैं, है कोई ऐसा माननीय सदस्य, जिसके क्षेत्र में डेंगू से मौतें नहीं हो रही हों? कौन जिम्मेदार है इसके लिये? कहां से स्वाइन फ्लू फैल रहा है?

सभापति महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस बिल में ये सारे प्रावधान हैं। जैसे माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि बहुत लम्बा-चौड़ा बिल है, इस पर कम-से-कम तीन-चार दिनों तक भी डिबेट हो तो कम है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा इस देश की मॉडल विधान सभा बने, जहां हम डब्ल्यू.एच.ओ. के मापदण्डों पर हैल्थ की चर्चा करें और राजस्थान विधान सभा में लगातार तीन-चार दिन तक हर माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव देकर चर्चा करे। सभापति महोदय, हम उस स्टेट में बात कर रहे हैं, जिसमें अभी-अभी हम सभी कोविड के भयावह हालात से गुजरे हैं। हमने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत नजदीक से देखा है।

शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की बात करें तो कहीं दूर-दूर तक नहीं। आपके पास नेशनल कैपिटल का पैसा आया हुआ है। अकेले जयपुर में केन्द्र सरकार ने 162 करोड़ रुपये भेजे। मुझे एक भी सदस्य बता दे कि कहीं पर भी आपने पोल्यूशन से मुक्त करने के लिये एक भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाया क्या? पूरे राजस्थान में सिर्फ भिवाड़ी में लगा, और वह भी एक संस्था ने फ्री में लगाकर दिया। एक भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हमने कहीं लगायी है क्या? हम बिल लाने की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, एक भी जगह पर आप नहीं कह सकते कि यहां शुद्ध हवा आ रही है। आप सीकर जिले के खेतों में जाकर जरूर कह सकते हैं, लेकिन सीकर शहर में कहीं भी आप नहीं कह सकते कि यहां शुद्ध हवा है, शुद्ध पीने का पानी है। हर जगह पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। जब पीने का पानी तक हम नहीं दे पा रहे, वहां हम स्वास्थ्य के अधिकार की गारण्टी दे रहे हैं। राजस्थान की सात करोड़ जनता हम पर थूकेगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साढ़े सात करोड़।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने ज्ञान का बखान हर समय न करें।

सभापति महोदय, राज्य सरकार केवल तीन साल का अपना रिकार्ड देख ले कि आपने इस पूरे क्षेत्र में क्या किया है। इससे सम्बन्धित हर विभाग में देख लें। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा, बिल आपने पेश किया, केवल मेडिकल का देख लें। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने पहली बार देखा कि ''उद्देश्य और कारणों का कथन'' के साथ-साथ पहली बार किसी बिल में वित्तीय ज्ञापन भी साथ में दिया है और चूंकि आपने वित्तीय ज्ञापन दिया है तो मैं मंत्री जी, इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस वित्तीय ज्ञापन को आप देखें। आपने इसमें 2021-22 का लिखा है, 14 हजार 765 करोड़ 95 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान आपके पास है। शायद आप भूल गये, उसके बाद 2022-23 का भी बजट आ गया। उससे भी ज्यादा बजटीय प्रावधान आपने 2022-23 में किया 15 हजार 767 करोड़ का, लेकिन उसके बाद, हो सकता है बिल पहले टाइप हो गया हो और बाद में प्रिंटिंग में किया ही नहीं होगा किसी ने। इसमें यह तो आपने लिखा कि 15 हजार 767 करोड़ रुपये का आपने बजटीय प्रावधान किया है, उप नेता प्रतिपक्ष ने परसेंटेज में भी बताया कि जी.डी.पी. का क्या परसेंटेज है, पर मैं आपको एक और आंकड़ा बता रहा हूं।

इसमें आपने यह कहीं नहीं लिखा कि इसमें 12 हजार 631 करोड़ रुपये तो केवल तनख्वाह, ब्याज और पेंशन के लिये हैं। मैं 2022 का कह रहा हूं, आपके पास मात्र 3,136 करोड़ रुपये का बजट है, जिसे हम कैपिटल बजट कहते हैं और जिससे आप राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। सभापति महोदय, यह राइट-टू-हैल्थ तब लागू होगा, जब राजस्थान के हर शहर के हर वार्ड में, जैसा कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से घोषणा करवायी, अब तो मुख्य मंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कम-से-कम उनकी घोषणा के सम्मान में राजस्थान के हर वार्ड और पंचायत में उस जनता क्लिनिक को आज तक आप खोल देते तो आपको राइट-टू-हैल्थ पर बिल लाने का अधिकार बनता था। और खोले कितने आपने? राजधानी जयपुर में भी केवल आपके 12 जनता क्लिनिक खुले हैं। चार साल पूरे होने को आ गये। मैं राजस्थान की हर पंचायत, हर वार्ड की बात कर रहा हूं।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, केवल 12 जनता क्लिनिक पिछले चार साल में अभी तक सरकार राजस्थान में खोल पायी है। मंत्री महोदय, इस तरह हम कैसे राइट-टू-हैल्थ देंगे? मंत्री महोदय, शुद्ध खाना, पानी और सफाई की गारण्टी भी आपका ध्येय है। आपने यह देखा कि जिस राज्य में हास्पिटल में एडमिट मरीजों की आंखें चूहे कुतर जाते हों, बच्चों को चूहे कुतर जाते हों, उस राज्य में आप राइट-टू-हैल्थ का यह बिल लाने से पहले यह सोचते कि हमारे यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं। आपके पास बजट नहीं है। आप यह केवल इसीलिये ला रहे हैं कि पहला मॉडल स्टेट बनने का एक चोगा पहनना है आपको और जो सदस्य खाना खाने गये हैं, उनसे यहां ताली बजवाकर केवल एक गलत बिल राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता को धोखा देने के लिये, उनके माथे पर कलंक लगाने के लिये लेकर आ रहे हैं। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं, जहां शहर के चारों कोनों में सैटेलाइट हास्पिटल की तीन साल पहले घोषणा की गयी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में घोषणा की गयी थी, आज तक उस सैटेलाइट हास्पिटल के लिये जमीन का चिह्नीकरण नहीं हो पाया। मेरे सवाल पर इन्होंने एक जमीन अभी दिखायी, उस जगह पहले से ही आर.यू.एच.एस. हास्पिटल बना हुआ है, उसकी बगल में सैटेलाइट ला रहे हैं। हमने आपको लिखकर दिया कि सांगानेर में जो 26 बीघा जमीन पड़ी है, उस पर आप सैटेलाइट हास्पिटल लाएं। मानसरोवर, सांगानेर, सबके सेंटर में रहेगी और जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि मेट्रो मास हास्पिटल काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि राइट-टू-हैल्थ बिल आपको टाइप करना है। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं, जहां 280 तरह की जांचें बन्द पड़ी हैं। यह मैं आथेंटिक बात कह रहा हूं। हम उस राज्य में बात कर रहे हैं सभापति महोदय, जहां नि:शुल्क दवा योजना में 60 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं वहां राइट-टू-हैल्थ की हम बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि जिस राज्य में 21 लाख महिलाओं को सेनिटरी नैपकिन अभी तक सरकार नहीं दे पायी, उस राज्य में राइट-टू-हैल्थ की बात कर रहे हैं। 21 लाख महिलाओं को ऑन रिकार्ड अभी तक सेनिटरी नैपकिन पहुंचा नहीं पायी, दे नहीं पाये उस राज्य में आप राइट-टू-हैल्थ करके जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, दूसरा आपने यह कहा कि निजी हास्पिटल इसके दायरे में आयेंगे। सभापति महोदय, निश्चित रूप से निजी हास्पिटल्स को आप इसके दायरे में लेकर आयें, लेकिन क्या आपने यह बताया कि हर निजी हास्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर निजी हास्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी। पहले तो उन मरीजों के लिए जो मरीज आकर झगड़ा करेंगे और यह केवल हमारे यहां नहीं, आपके यहां लालसोट में भी खोलनी पड़ेगी, आप लिख लेना मेरी बात को। दौसा में भी खोलनी पड़ेगी, सभापति महोदय, सीकर में भी खोलनी पड़ेगी। वह मरीज जब वहां प्राइवेट हास्पिटल में जाएगा और वह जाकर कहेगा कि मेरा इलाज करो, मेरे पास पैसा नहीं है। डैड बॉडी तक जिस स्टेट में मरीज को देते नहीं हैं, वहां विधायक अपने आपको असहज महसूस करते हैं, पुलिस वहां पर मदद नहीं कर पाती वहां राइट-टू-हैल्थ का झुनझुना पकड़ा रहे हैं आप।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि भोली-भाली जनता समाचार पत्र पढ़ती है और कल सुबह ही यह पढ़ लेगी या टी.वी. चैनलों के माध्यम से सुन लेगी कि हमको राइट-टू-हैल्थ मिल गया, लेकिन राइट-टू-हैल्थ के लिए 28 हजार सी.एच.ए. जो आपने हटाये थे वे भी अभी तक नहीं लगे हैं। कितने डाक्टर्स की कमी है? कितने नर्सिंग स्टाफ की कमी है? कितने ए.एन.एम., जी.एन.एम. की कमी है? कितने कम्पाउंडर की कमी है? कितनी फोर्थ क्लास की कमी है? एस.एम.एस. जैसे बड़े हास्पिटल में बैड की चद्दरें तक नहीं बदली जातीं और हम राइट-टू-हैल्थ की बात करते हैं। मंत्री महोदय, अभी तक आप और हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए वी.आई.पी. वार्ड खुल जाते हैं। जब आप बीमार होते हो तो आपको तो दिल्ली ले जाएंगे, हम जब बीमार होंगे तो हमारे लिए एस.एम.एस. में वी.आई.पी. वार्ड खुल जाएंगे पर यह उस व्यक्ति का मरना हम कर रहे हैं जो राजस्थान के अन्तिम छोर में बैठा है और उसको गांव की पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में भी इलाज नहीं मिल रहा है। उसको चढ़ाने के लिए ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है। वहां आपकी जो सीरिंज है उस सीरिंज को भी बदलने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं हैं और आप चाहो तो पी.एच.सी., सी.एच.सी में जाकर देख लो।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का यह बिल लेकर आये हैं उस बिल में आप देखें कि मिलावट का कानून इस बिल में कवर होता है। मिलावट की जांच करने के लिए हमारे पास कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 7,800 सैम्पल आपने तीन साल में लिये, 3 हजार अमानक पाये गये, 309 सैम्पल में बिलकुल ऐसी मिलावट पायी गयी जो सैम्पल खाने योग्य भी नहीं थे। कितने लोगों पर आपने कार्यवाही की? आप आज स्टेटमेंट दे देना। कितने लोगों को आपने जेल भेजा? दवाओं की जांच करने के लिए हमारे पास लेबोरेट्री नहीं है। इसी सदन में हमने चर्चा की है, जब मेडिकल पर चर्चा हुई कि दवाओं की जांच की रिपोर्ट तब आती है जब पूरी दवाइयां बिक जाती हैं। एक मेडिकल माफिया आपके संरक्षण में, मैं आप पर आरोप नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट के संरक्षण में पल रहा है और जब पूरी दवाइयां बिक जाती हैं, बाजार से चली जाती हैं तब उनकी रिपोर्ट आती है कि दवाइयां अमानक थीं। कितने साल बाद रिपोर्ट आ रही है यह आप जांच करवा लें। यह आपका ही विभाग है, जहां दवाओं की टेस्टिंग नहीं होती, जहां मिलावट की टेस्टिंग नहीं होती, जहां आम आदमी आटा, दूध, चावल, चीनी तक शुद्ध नहीं खा पा रहा, जहां सब्जी शुद्ध नहीं मिल रही, जहां तेल शुद्ध नहीं मिल रहा वहां हम राइट-टू-हैल्थ का झुनझुना पकड़ा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे, हमारा पूरा दल स्वागत करेगा, हमारा पूरा दल आपको कन्धों पर लेकर जाएगा यदि इस बिल की ग्रेविटी समझकर इसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप धरातल पर नहीं उतार रहे हैं, आप केवल झुनझुना पकड़ा रहे हैं।

सभापति महोदय ने कहा कि ज्यादा टाइम मत लेना, मैं अपनी बात को बिलकुल कन्फाइन कर रहा हूं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि आप डाक्टर्स की व्यवस्था करें, आप पी.एच.सी., सी.एच.सी. की व्यवस्था करें, आप इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करें, आप बैड और वेंटिलेटर की व्यवस्था करें, आप दवाओं की व्यवस्था करें, आप ईमानदारी से चिरंजीवी को लागू करवा दो। आप जयपुर में चले जाओ, मैं आपको साथ लेकर जाता हूं, कई हास्पिटल ने तो पड़ोस में दूसरा हास्पिटल किराये पर ले रखा है। मैं सदन में किसी हास्पिटल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। पड़ोस में छोटा हास्पिटल किराये पर ले रखा है। आप और हम जाएंगे तो ठीक जगह इलाज कर देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता जब जाती है तो

(श्री अशोक लाहोटी)

या तो उनको भगा देती है और आप भी फोन करके देख लेना कि फिर भी वे पड़ोस के हास्पिटल में इलाज करेंगे, खुद के हास्पिटल में नहीं करेंगे यदि चिरंजीवी कार्ड दोगे तो। कम से कम किसी सरकार की इस तरह की बेइज्जती आज से पहले नहीं हुई थी। सरकार का रुतबा खतम मत करो, डिपार्टमेंट का रुतबा खतम मत करो। यह कार्यपालिका आपको झुनझुना देकर, कभी आप उधर बैठोगे, कभी हम उधर बैठेंगे, लेकिन कार्यपालिका के इतने पंगु मत बनो कि जो बिल जिस रूप में छापकर ले आये उस बिल को उसी रूप में यहां पर पढ़ दें। जवाब आपको और हमको भी देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि प्रदूषण मुक्त शहरों की व्यवस्था करो, प्रदूषण मुक्त गांवों की व्यवस्था करो, कचरा मुक्त गलियों की व्यवस्था करो। झाड़ू लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज नहीं है। इसलिए, मंत्री महोदय, आम आदमी इलाज करवाने कहां जाएगा? क्या आप नाथी के बाड़े में भेजोगे? नाथी के बाड़े में इलाज कराओगे? कहां इलाज कराओगे आप? आप देना स्टेटमेंट। यदि हास्पिटल नहीं हैं तो इलाज कराने कहां भेजोगे? आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, कम्पाउंडर नहीं हैं और आप कह रहे हो कि हम इलाज करेंगे। प्राइवेट हास्पिटल्स को पैसा नहीं दे रहे हो। आप यहां पर स्टेटमेंट दें तब बतायें कि कितने प्राइवेट हास्पिटल्स से आपने राइट-टू-हैल्थ में एग्रीमेंट कर लिया अभी तक। कितने प्राइवेट हास्पिटल्स से और उन्होंने आपको गारंटी दे दी कि वे इलाज करेंगे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 832 हास्पिटल को हमने चिरंजीवी में मान्यता दे रखी है और वे काम कर रहे हैं। आपको जानकारी रखनी चाहिए, आप तो जयपुर के विधायक हो, यही जानकारी आप नहीं रखते।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, आप वरिष्ठ हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप यह बिल चिरंजीवी पर नहीं लाये हो, राइट-टू-हैल्थ पर लाये हो। चिरंजीवी में दे दी, राइट-टू-हैल्थ में कितने से एग्रीमेंट हो गया कि बिना पैसे दिये हुए वह आपका इलाज करेगा? चिरंजीवी में केवल एक करोड़ 32 लाख लोग ही कवर्ड हैं। 1 करोड़ 32 लाख लोग चिरंजीवी में कवर्ड हैं तो राजस्थान के बाकी लोग कहां जाएंगे? आप चिरंजीवी का आंकड़ा देखो न, आपके अधिकारियों से मंगाओ। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन

(श्री अशोक लाहोटी)

करूंगा कि भले ही आप जनमत जानने नहीं भेजें, क्योंकि उससे तो हो सकता है कि मूंछें नीचे हो जाएं। आप सरकार में हो, पर आप प्रवर समिति को भेज दो, सलेक्ट कमेटी को भेज दो, वह तो आपके ही अंडर में है। उससे जांच करवाकर जब बजट सेशन लाओगे, उम्मीद है न कि आयेगा? बजट सेशन की आपको उम्मीद होगी, जरूर आप लेकर आओगे या उससे पहले जा सकते हो? यदि उम्मीद है तो बजट सेशन का इंतजार कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं तो सच ही बोलता हूं, आप चिन्ता नहीं करें। (व्यवधान) आपको तो आगरा भिजवायेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री सभापति: आप अपनी बात रखें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको आगरा भिजवायेंगे, आप चिन्ता मत करो। आपको सख्त जरूरत है आगरा जाने की। (व्यवधान)

राइट-टू-हैल्थ, भारतवर्ष में प्रथम बार किसी राज्य के प्रत्येक निवासी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 लागू किया जा रहा है। बेसिकली जो राइट-टू-हैल्थ है, उसमें अपन क्या करना चाहते हैं कि हर आदमी को एक राइट देना चाहते हैं कि उसका इलाज फ्री आफ कोस्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट की मन्शा है, मुख्य मंत्री जी की मन्शा है, ओ.पी.डी., आई.पी.डी. फ्री कर दी। दूसरा, एज कम्पेयर्ड टू, जो प्रधान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है उससे मैं कम्पेरिजन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरंजीवी योजना, जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक हमको यह पता नहीं पड़ेगा कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है। भाषणों में यह कहना तो बहुत आसान है कि यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा।

अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको ज्ञान नहीं है। 2019-20 में 735 डाक्टर्स की भर्ती की गयी है, 2020-21 में 1,998 डाक्टर्स की भर्ती की है और 2021-22 में 840 डाक्टर्स की नई भर्ती की जा रही है जो मेरे ख्याल से आपकी पिछली सरकार का पूरा आंकड़ा ले लो। इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आप खराब करके गये और ब्लेम आप हमारी सरकार को कर

(श्री रोहित बौहरा)

रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहली बार हुआ है। आपकी सरकार ने क्या किया? 3.5 परसेंट आफ जीएसडीपी आपका टोटल बजट है हैल्थ सेक्टर का पूरी कंट्री का और आज हमारा बजट क्या है? 7 परसेंट आफ जीडीपी इस साल का बजट है। यह भी आपको कह रहा हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने क्या स्पैंड किया, वह मैं बताना चाहूंगा। 2020-21 में 14 हजार 218 करोड़ रुपये हमें व्यय करने थे, हमने आर.ई. में 18 हजार 311 रुपये व्यय किये। इसी तरह से 2021-22 में यदि आप आर.ई. में पढ़ोगे तो वह परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी जो परसेंटेज की बात कर रहे थे, वो अपने आप बढ़ जायेगी। कम्पेरिजन तो आर.ई. से ही होगा, that how much you have spent in totality. हमने 18 हजार 494 करोड़ रुपये खर्च किये और आर.ई. में 21 हजार 350 रुपये खर्च किये तो जो बोला था, उससे ज्यादा खर्च किया। वह क्यों किया, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि मेडिकल के अन्दर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करें और उन लोगों की हैल्थ का ध्यान रखें।

(समय: 14.00 बजे)

राजस्थान पहला राज्य है, चिरंजीवी योजना में 88 परसेंट लोगों को कवर किसी सरकार ने किया तो यहां किया है। देश का एवरेज क्या है? बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। देश का एवरेज है 38 परसेंट।

इसी तरह से मैं comparison of health indicators करता हूं Rajasthan V/s India. The maternal mortality ratio in 2005 of Rajasthan का था 445 और कंट्री का था 301, जो आज हो गया 304 और इंडिया का है 188, but यदि आप कम्पेयर करें we are falling at a much greater speed than the Country. इसी तरह से infant mortality जो 68 थी, उसमें हम 36 पर आ गये। उनके 58 थी, वे 30 पर आ गये। इसी तरह से neonatal mortality जो 2005 में हमारी 43 थी, आज माइनस 22.8 है और कंट्री की 37 थी, वह माइनस 12.1 परसेंट है।

इसी तरह से under five mortality rate जो 80 थी, वह माइनस 42.4 हो गई और इंडिया का एवरेज 69 था, वह माइनस 27.1 हो गया। इधर भी आप देखोगे तो हमारी mortality rate जो जल्दी गिर रही है as compare to the Country.

Total fertility rate जो हमारा पैमाना है, पापुलेशन इंक्रीज का,

(श्री रोहित बौहरा)

राजस्थान 3.7 थी, इंडिया 2.9 थी। आज की डेट में हम माइनस 1.7 हैं। मतलब, हमारी डिग्रोथ होगी पापुलेशन में near to come और इसी तरह से India is 0.09. मतलब हमारी, fertility rate is decreasing which means we will be able to control our population in time. आज सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या है, साहब? मैंने भी बिल पढ़ा, उसमें भी दो प्रोब्लम है। मैं यहां आने वाले मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि इस पर आप डिसीजन लें। सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या हो गई है हास्पिटल्स में? जो पर्ची कटाने का सिस्टम था, वह बन्द हो गया। यदि पर्ची कटती, उससे दो फायदे थे। सरकार को थोड़ी-सी रेवेन्यू आती, बहुत कम रेवन्यू आती but आप पर्ची सिस्टम से एक लाइन से लगाकर ओ.पी.डी. में डाक्टर्स देख सकते थे। अब कोई पर्ची सिस्टम है ही नहीं। सब जगह अव्यवस्था फैल जाती है। मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना होगा।

साहब, दूसरा है मेडिको लीगल केसेज पर, आज कोई भी डाक्टर हास्पिटल खोलता है तो वह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट का उसको कुछ रिटर्न भी चाहिये। वह कोई पब्लिक सर्विस तो कर नहीं रहा है। आज इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा तो, it is for the betterment of the State. मेडिको लीगल केसेज में आप यह कैसे कर सकते हो कि बॉडी वहां पड़ी रहेगी, बॉडी उसको देनी ही देनी पड़ेगी। इसका मतलब तो हर कोई बिना पैसे दिये अपनी बॉडी लेकर चला जायेगा। वह प्राइवेट हास्पिटल वाला क्या करेगा, वह रोज पब्लिक पर लड्ड थोड़े ही बजायेगा, इस पर आपको सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पूरे एक्ट में जो चेंजेज हैं, वो आपको देखने चाहिए। ये दो पाइंट पर चेंजेज है।

इसी तरह आईसीयू, अब राइट-टू-हैल्थ में उसको यह अधिकार हो जायेगा कि आई.सी.यू. का. कमरा हर आदमी जिसको नार्मल बीमारी है, वह कल आपसे आई.सी.यू. का बैड मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि उसका राइट-टू-हैल्थ है। जब तक हम उस पर कोई चार्ज नहीं लगायेंगे, पता पड़ेगा कि जो सीरियसली इल है, उसको तो आई.सी.यू. बैड नहीं मिल रहा और जो सीरियसली इल नहीं है, वह आई.सी.यू. बैड में अन्दर घुसा हुआ है। आप उसको कैसे निकालोगे? These are some flaws, ये तीन फ्लॉज हैं, पूरे सिस्टम के, उन्हे हमें देखना चाहिए। किस तरह से हम इन तीन फ्लॉज को अलग से करें।

(श्री रोहित बौहरा)

चूरू से आने वाले सदस्य बोल रहे थे कि हमको अलग लाइन लगानी पड़ती है। जो आर.जी.एच.एस. में कवर्ड हैं और जो चिरंजीवी में कवर्ड हैं, उनको अलग लाइन लगानी पड़ती है। बिलकुल अलग लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि उनके पैकेजेज अलग हैं। It is between the insurers है और उनके पैकेजेज हैं, उनकी रेट्स कम है, क्योंकि जब कोई भी चीज ज्यादा तादाद में करेंगे तो बेटर प्राइस लेंगे। मेरा कहने का मतलब है, if you are comparing the packages of CGHS or RGHS, सेम पैकेजेज हैं। There is no difference between the prices of CGHS and RGHS.

इसी तरह से चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत करीब 1,633 पैकेज हैं और रेट्स का निर्धारण भी भारत सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने नहीं किया है। ये बातें करना आसान होता है। पहले डैफ्थ में जाइये, किसने ये पैकेजेज बनाये हैं। भारत सरकार ने पैकेजेज बनाये हैं, तब हमको दिये हैं। हम कोई भी चीज लागू करते हैं तो परफैक्टली तो कभी भी लागू नहीं कर सकते। It has to evolve over a period of time. गब्बर टैक्स की तरह तो हम कर नहीं सकते कि हर महीने एक मीटिंग करें और उसमें चेंजेज करते लायें। मेरे ख्याल से करीब-करीब अब तक गब्बर सिंह टैक्स में आप हर महीने चेंजेज करते हैं। वह तो हम करेंगे नहीं, हां दो-तीन फ्लॉज हो सकते हैं। कोई नई चीज आये, उसके लिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसको देखें कि किस तरह से हम इसको बैटर बना सकते हैं। किस तरह से हम यह कर सकते हैं कि राइट-टू-हैल्थ के अन्दर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रोब्लम सॉल्व कर सकें।

एक मैं सिर्फ कवरेज की बात करता हूं। चिरंजीवी का और प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो कवरेज है, उसकी बात करना चाहूंगा। चिरंजीवी में, you are covered for 10 lac rupees plus five lac आपकी एक्सीडेंटल पालिसी भी है। इससे राजस्थान के अवाम को बहुत फायदा हुआ है as compared to Central government scheme, you are covered for only 5 lac rupees. इसी तरह से प्रदेश के समस्त परिवार केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों के अतिरिक्त के लिए लागू है, जिसमें प्रदेश के करीब 1.34 करोड़ जनाधार परिवार पंजीकृत हैं, जबकि केन्द्र सरकार में सिर्फ 59.71 लाख लोग ही पात्र हैं, जो इसमें कवर्ड हैं।

(श्री रोहित बौहरा)

अंग प्रत्यारोपण पैकेज, मुख्य मंत्री जी ने अंग प्रत्यारोपण के पैकेज की घोषणा बजट में की थी और यह बहुत ही जबरदस्त है। इम्प्लांट, बोन-मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के पैकेज चिरंजीवी में सम्मिलित हैं। ये सब पैकेजेज प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में इंक्लूडेड नहीं हैं। पेट और सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी, हमारे यहां इंक्लूडेड हैं, जबकि प्रधान मंत्री वाली योजना में ये कोई इंक्लूडेड नहीं हैं।

मैं आपको इसी से रिलेटेड जबरदस्त वाकया सुनाता हूं। 5 दिन पहले एक 17 साल की लड़की आती है, उसके हार्ट के दोनों वॉल्व खराब हैं। एस.एम.एस. हास्पिटल के डाक्टर कहते हैं कि, साहब, इसका इलाज हम इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि चिरंजीवी में इसने फार्म नहीं भरा हुआ है। मुझे पता पड़ता है। सी.एम. ने बजट अनाउंसमेंट में कहा था चिरंजीवी में भी कवर नहीं हो तो भी उस आदमी का इलाज फ्री आफ कोस्ट होगा। उसी के तहत मैंने कलेक्टर से साथ में प्रारूप भरवाया और आज उसका आपरेशन हो गया, उसका इलाज हो गया। कहना बहुत आसान है। आखिरकार चिरंजीवी योजना से और राइट-टू-हैल्थ से जो गरीब लोगों को फायदा होगा, आज आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। सिर्फ बुराई के लिए बुराई करनी हो तो बात दूसरी है। हम एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करें, उससे कोई मलतब नहीं है। गरीब आदमी को यदि इलाज मिल रहा है तो चिरंजीवी के अगेंस्ट इलाज मिल रहा है। इतने सारे पैकेजेज हैं। आप देखिए, साहब, यदि आपको कैंसर हो जाता है, कैंसर में एक आदमी का 10 से 15 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, आप चिरंजीवी में देखिए, जयपुर में आपका इलाज फ्री आफ कोस्ट हो रहा है। पता पड़ता है कोई 10 हजार, 5 हजार में ऐसी इमरजेंसी की दवाइयां ले आये, बस उस खर्च के अलावा खतम। इसके अलावा सरकार कैंसर की दवाइयां दे रही है। जिस मरीज को 70-70 हजार रुपये की दवाइयां खानी पड़ती हैं, उसको लंग्स कैंसर है, उसके लिए भी दवाइयां फ्री हैं।

मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा। आप और हम सब धनाढ्य लोग यहां बैठे हुए हैं। सरकार आपको तनख्वाह दे रही, हमको दे रही है। उस गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा जो खेतिहर मजदूर है, जिसके पास खेत नहीं है। उसको राइट-टू-हैल्थ से फर्क पड़ता है। उसको

(श्री रोहित बौहरा)

फर्क पड़ेगा। आप तो थ्री स्टार, फाइव स्टार हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं पर वह आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वह आदमी अब अफोर्ड कर सकता है क्योंकि हमने चिरंजीवी योजना में इतने सारे हास्पिटल्स में इलाज कराना फ्री आफ कोस्ट कर दिया। हमारे 32 होस्पिटल्स से एमओयू हो गये। आज मंगलम हास्पिटल में आप चले जाओ, हण्ड्रेड परसेंट एमओयू है, आदमी जाता है फ्री आफ कोस्ट अपना इलाज कराकर बाहर आ जाता है तो यह राइट-टू-हैल्थ मैं यह कहना चाहता हूं that, it is a very good concept, जो राजस्थान सरकार लेकर आयी है। भारतवर्ष में पहला ऐसा अनूठा हम प्रयोग करना चाह रहे हैं और इसमें हो सकता है कि कोई न कोई प्रोब्लम हो बट उस प्रोब्लम को भी, over a period of time, हम ठीक कर लेंगे।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो दो स्टेट लेवल कमेटीज हैं, जहां चूरू से आने वाले विधायक ने बोला था कि डाक्टर्स का तो इसमें कुछ लेना-देना ही नहीं होगा। दो-दो state level committees as well as जिला, उसमें दो-दो डाक्टर्स को, you can nominate. The government can nominate two doctors there. तो इसलिये ऐसा नहीं है कि डाक्टर्स की बात नहीं सुनी जायेगी। आप डाक्टर्स की भी बात सुन सकते हैं, स्टेट लेवल कमेटी में भी हम उनका रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं, जिला कमेटी में भी हम उनका रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं। 'Right to Health' का मतलब क्या है? The creating range of health infrastructure facilities, setting up of quality training institutional framework, establishing of dedicated health and finance framework, ensuring quality healthcare with equity and providing cost effective healthcare with customer satisfaction, introducing a new dimension to the health industry, health accounting, future course of health industry and net export of health professionals. So these are the basics and by which, हम यह लेकर क्यों आये हैं, हम इसलिये लेकर आये हैं राइट-टू-हैल्थ क्योंकि हम इन सब चीजों में आज करना चाहते हैं।

आज आप देखिये कि जब से यह सरकार आयी है तब से हमने 337 प्राथमिक और 194 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नये खोले हैं। आज हम इन्क्रीज कर रहे हैं फैसेलिटीज, कहीं हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं,

(श्री रोहित बौहरा)

कहीं हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, कई जगह हमने उप जिला अस्पताल बनाये हैं। डाक्टर्स की कमी है मैं मानता हूं, but over a period of time, अभी 884 डाक्टर और आ जायेंगे तो आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो जायेगा बट एवरेज में मंत्री महोदय ने कम से कम हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन पर पांच-पांच, छह-छह डाक्टर्स सब जगह लगाये हुए हैं। आज इश्यू क्या है, आप यह देखो, इतना एन्लार्जमेंट हुआ हैल्थ सर्विसेज का, धौलपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट में ए.एन.एम. की एक भी पोस्ट खाली नहीं है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, यदि किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो इन ए.एन.एम्स. ने ही की। गांव-गांव जाकर उन दवाइयों के पैकेट देकर कितने हजारों-लाखों लोगों की जानें हमारी ए.एन.एम्स. ने बचायीं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। जिस टाइम कोई घर से नहीं निकलता था तो हमारी ए.एन.एम. निकलती थीं। यह हुआ क्यों, क्योंकि इस सरकार की सोच थी। आज पहला स्टेट था जहां आक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी ड्यूरिंग कोविड टाइम। यू.पी. से धौलपुर राजस्थान में लोग आने के लिये तैयार थे क्योंकि आक्सीजन यू.पी. में अवेलेवल नहीं थी, राजस्थान में अवेलेवल थी तो मैं मंत्री महोदय से इतनी-सी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मैंने तीन-चार पाइंट बोले हैं आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जो आई.सी.यू. हैं और इन पर थोड़ा-सा ध्यान दें कि ये बिलकुल फ्री नहीं कर दें क्योंकि बिलकुल फ्री जब हम कोई चीज करते हैं तो उसकी वैल्यू खतम हो जाती है तो इतना सा ध्यान दें और मैंने जो कहा था, जनमत जानने के लिए मैं अपना वह पाइंट वापस लेता हूं। मैं चाहता हूं कि यह बिल पास हो। धन्यवाद। राम-राम। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार एक बिल लेकर आयी है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022, सभापति महोदय, सदन में जो भी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वह उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम मरीज को ये-ये सुविधायें देंगे, इसका इलाज इस तरीके से करेंगे, उसको यह अधिकार देंगे कि वह कहीं भी किसी भी हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा ले। लेकिन, सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर कहा गया कि यह सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार ही नहीं है, इसमें कहा कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य की

(श्री रामलाल शर्मा)

स्थिति, यह गरिमामय जीवन जीने का सहायक होगा और नीचे इसी बिल के अन्दर कहा गया कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित किये गये थे।

सभापति महोदय, अगर सरकार यह प्रयास करे कि किसी को हास्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी को इलाज कराने की जरूरत ही नहीं पड़े वह बीमार हो ही नहीं तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। मैं यह बात, सभापति महोदय, इस आधार पर कह रहा हूं कि आज राजस्थान के हालात क्या हैं? हमने नाम सुना था, जिसने फिल्म भी बनायी थी उड़ता पंजाब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अब उड़ता हुआ राजस्थान दिखायी दे रहा है। छोटे-छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, स्कूल कालेज में पढ़ने वाले बच्चे, ड्रग्स की सप्लाई शहरों तक सीमित नहीं है, गांवों में भी पहुंच चुकी है। क्या इसको रोकने के लिये सरकार के पास कोई उपाय है? शुद्ध रूप से हवा आदमी को मिल नहीं रही है, पीने का पानी शुद्ध रूप से मिल नहीं रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसको भी गम्भीरता से लेती है तो मुझे लगता है कि इन हास्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ती और, सभापति महोदय, जिनकी बात हम कर रहे हैं, हवा शुद्ध नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, खाने का अनाज शुद्ध नहीं है, इसकी रोकथाम के लिये कौन क्या कर रहा है?

सरकार ने अभियान चलाया 'शुद्ध के लिये युद्ध', मिलावटखोरों को हम पकड़ने का काम करेंगे। दस हजार से अधिक केस करने का काम पकड़ने का काम सरकार ने किया। कितने लोगों को सज़ा दिलाने का काम सरकार ने किया? आपकी लैबोरेटरीज की स्थिति, घोषणा सरकार ने यह की थी कि प्रत्येक जिले में लैबोरेटरी स्थापित करने का काम करेंगे। आज चार साल बाद में हम पूछ रहे हैं कि कितने जिलों में लैबोरेटरी आपने स्थापित कर ली और लैबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट कितने दिनों बाद मिल रही है?

सभापति महोदय, आज वास्तविकता में बहुत पीड़ा और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के हालात अच्छे नहीं हैं। भामाशाह योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी। तीन लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज शुरू किया था। कई सालों तक उस योजना को बंद रखा गया और कहा कि हम इससे बेहतर योजना लेकर आयेंगे। आप लेकर आयें, उसका हम स्वागत करेंगे,

(श्री रामलाल शर्मा)

कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोविड के दौरान हम सबने देखा कि कोविड के दौरान कितनी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. ने आम आदमी को रिलीफ देने का काम किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया। क्या सी.एच.सी. और पी.एच.सी. के ऊपर आक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया? आपने सेन्टर डवलप किये, उन सेन्टर्स पर कितनी आक्सीजन आपने उपलब्ध कराने का काम किया? आवश्यकता इस बात की है कि मेडिकल क्षेत्र में आज भी मंत्री महोदय के पास बहुत से विधायक दूरदराज के इसी शिकायत को लेकर जाते हैं कि हमारी पी.एच.सी., सी.एच.सी. के ऊपर डाक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लेकिन आज वास्तविक हकीकत यह है कि राजस्थान में कितने इंस्पेक्टर हैं आपके जो खाद्य सामग्री को चैक करने का काम करते हैं। राजस्थान के कोने-कोने में छोटे-छोटे गांवों, कस्बों में पतासी बेचने वाले लोगों की खाद्य सामग्री को कौन चैक कर रहा है, चाट बेचने वालों को कौन चैक कर रहा है, मिष्ठान की दुकानों पर क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं उनको कौन चैक कर रहा है? 35 प्रतिशत आपके नमूने जो रसद विभाग ने दिये या मेडिकल विभाग ने दिये, वो फेल होते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं। एक तरीके से 302 का मुकदमा उन लोगों पर भी दर्ज होना चाहिये जो आदमी को स्लो पाइजन देने का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज राजस्थान के हालात, सभापति महोदय, आपसे भी छिपे हुए नहीं है लेकिन आप आसन से बंधे हुए हो। मन तो आपका भी कर रहा हैं कि आप उस सीट के ऊपर खड़े होकर इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलें लेकिन आप मर्यादाओं के आसन से बंधे हुए हो इसलिये बोल नहीं सकते।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन इतना ही है, एक जो मेरे से पहले धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया, बिलकुल सही है, आज राजस्थान के जयपुर शहर के बड़े हास्पिटल्स में आप चिरंजीवी योजना में इलाज करा कर बता दो, आपको घुसने भी दे तो बता दो। कोई एंट्री नहीं है आपकी वहां पर, लेकिन डंडा सरकार का वहां चलता है जहां कमजोर होते हैं और जो कमजोर व्यक्ति है उसी के ऊपर सरकार डंडा चला सकती है। ताकतवर के ऊपर डंडा चलाने की सरकार की हिम्मत नहीं है। आज भी प्राइवेट हास्पिटल्स में जो चिकित्सक ने या संस्थापक ने पैसा लगाकर जिस संस्थान को डवलप किया, आप उनको अधिकार इस बात का दे रहे हो

(श्री रामलाल शर्मा)

कि इलाज करना ही पड़ेगा। हां, इलाज करेंगे वो, लेकिन सरकार कहे कि इसका भुगतान हम करेंगे। इस बिल के अन्दर यह भी आप प्रावधान कर दो कि अगर गरीब व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है या इलाज के दौरान मौत होती है या उसका इलाज आवश्यक है तो सरकार पैसे देने का काम करेगी, उससे आप पैसा वसूल नहीं करोगे। यह अधिकार भी इस बिल के अन्दर डाल दो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।

आज सरकारी हास्पिटल्स की स्थिति क्या है? आपने सब चीज फ्री कर दी, अच्छी बात है। आपने पी.एच.सी., सी.एच.सी. के ऊपर एम.आर.एस. के माध्यम से जो थोड़ी बहुत आमदनी हुआ करती थी, आज स्थिति यह है कि राजस्थान के पी.एच.सी., सी.एच.सी. के ऊपर लगे हुए डाक्टर्स को पानी भी खुद उठ कर पीना पड़ता है। पानी पिलाने के लिये चपरासी भी नहीं है। हकीकत कह रहा हूं शकुन्तला जी, पानी पिलाने के लिये चपरासी भी नहीं है। पहले वो एम.आर.एस. से किसी चपरासी की व्यवस्था करते थे, कोई ड्राइवर की व्यवस्था करता था, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो उसकी व्यवस्था करता था या तो आप बजट का प्रावधान कर दें कि हर पी.एच.सी., सी.एच.सी. के ऊपर हम इतना पैसा देने का काम करेंगे ताकि वहां आवश्यकतानुसार वहां आपका प्रशासनिक अधिकारी भी है, जन प्रतिनिधि भी है, उस हास्पिटल का इंचार्ज भी है, वो बैठ कर तय कर लें कि उस हास्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी पूर्ति हम इन संसाधनों के माध्यम से करेंगे। आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं कि हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सी.एच.सी. पर एक आदर्श सी.एच.सी. को डवलप करने का काम करेंगे जहां सारी सुविधाएं होंगी। चार साल बाद हम पूछ रहे हैं कि कितनी सी.एच.सी. हैं जहां आदर्श सी.एच.सी. की व्यवस्था करने का काम किया? जहां आर्थोपेडिक हैं, वहां सर्जन नहीं है। जहां सर्जन है, वहां एनेस्थीसिया नहीं है। जहां एनेस्थीसिया है, वहां मेडिसन नहीं है। आखिरकार उपयोगिता कहां है? आप एक ब्लाक पर एक सी.एच.सी. भी अगर इस तरह की डवलप कर दें कि वहां आपको हर डाक्टर मिलेगा ही मिलेगा तो भी राजस्थान का भला हो सकता है, लेकिन वह भी नहीं कर सके क्योंकि पोलिटिकल आधार पर आप ट्रांसफर करते हो। मंत्री जी ने एक आदेश निकाल दिया कि जो अधिशेष हैं, वह दूर-दराज जायेंगे। क्या हुआ, किशनपोल में क्या हुआ? चार घंटे में मंत्री जी को अपना आदेश चेंज करना पड़ा। आप पूछ लो,

(श्री रामलाल शर्मा)

किशनपोल के माननीय विधायक ने वहां जाकर धरना दिया, चार ही घंटे में आदेश चेंज। मंत्री जी जो कहते थे, उससे वापस बैकफुट पर आना पड़ा, मजबूरी है क्योंकि सरकार जिन पिलरों पर टिकी हुई है, पिलर थोड़े कमजोर हैं। कभी अगर 3.5 रिक्टर का भूकम्प भी आ गया तो सरकार कभी भी गिर सकती है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि बिल की मंशा सरकार की ठीक हो सकती है लेकिन धरातल पर यह नहीं उतरने वाला, प्रेक्टिकल रूप में नहीं हो सकता। आप सपने अच्छे दिखा दो, बढ़िया भाषण दे लो। सरकार के नुमाइंदे इस बिल पर आधे घंटे भाषण दे सकते हैं, लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि वास्तव में अगर सरकार की मंशा अच्छी है, अभी आप ही के विधायक तीन सुझाव देकर गये हैं कि इस बिल में तीन कमियां हैं, उनको सुधार करने का काम करें। हम तो जो कह रहे हैं, मत मानो, आपके विधायक कह रहे हैं, उनकी तो आप मान लो। 28 हजार सी.एच.ए. कल ही 22 तारीख को धरना देकर गये हैं। कोविड में तो मंत्री जी ने कहा था अपनी जान जोखिम में डाल कर इन्होंने प्राण बचाने का काम किया और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है तो आप उसको गले में डाल कर रखो कि 28 हजार को हमने वापस सेवा में लेने का काम किया, आप वह काम भी नहीं कर रहे।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना केमिकल काम में लिया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार गम्भीर नहीं है। आज आपके मेडिकल के क्षेत्र में कितने संविदाकर्मी लगे हुए हैं? आपने 2018 में कहा था कि सम्पूर्ण संविदाकर्मियों को हम नियमित करने का काम करेंगे। चार साल हो गये, आज भी वह आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। शकुन्तला जी, मैं बिलकुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरीके के हालत पुष्कर में बने थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप जैसी मजबूत महिला के सामने (व्यवधान) सभापति महोदय, आने वाले समय में मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदों को इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो वादे आपने किये थे, उन वादों को पूरा करने का काम करो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): शकुन्तला जी, वैसे 10-15 दिन में आपकी

(श्री रामलाल शर्मा)

लॉटरी लग सकती है, मुझे उम्मीद है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो वादे सरकार ने किये थे, उन वादों को पूरा करने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं मिलावट का जिक्र करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, आज 10 लाख से अधिक गायों की लम्पी वायरस की वजह से मौत हो गई। 10 लाख गायों की मौत के बाद जो दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है, उस दूध की पूर्ति कहां से करोगे? नकली मावे से, नकली दूध से? वह नकली मावा, नकली दूध आदमी के शरीर में प्रवेश करेगा, उसको आप कहां तक रोक पाओगे? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार हास्पिटल की चिंता करने की बजाय हास्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इस बात की चिंता करे और उसके लिये आवश्यक कदम उठाने का काम करे। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया था कि 6 माह के लिये जनमत जानने के लिये इस बिल को भेजा जाये, जल्दबाजी नहीं की जाये। जल्दबाजी में आपकी सरकार जाने की संभावना भी ज्यादा है। इसलिए कम से कम जो शेष समय बचा है, उसको ठीक तरीके से निकालोगे तो आप ठीक रहोगे, नहीं तो जनता की बद्दुआएं तो आपको लगी हुई हैं, उनका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

(समय: 14.25 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान के साढ़े सात करोड़ नागरिकों में से अपने आपको एक होने का गर्व और हर्ष भी होता है। गर्व और हर्ष इस बात का कि सरकार चाहे कोई भी हो पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी सरकारों ने काम किया। 1996 में जब भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार थी और राजेन्द्र राठौड़ साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे, तब पहली बार राजस्थान में बीपीएल मरीजों के लिये फ्री इलाज की सुविधा शुरू हुई। उसके बाद 2008-13 में अशोक गहलोत जी के समय में नि:शुल्क दवा योजना शुरू की। 2015 में पूर्व माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने भामाशाह योजना शुरू की। अभी राजाखेड़ा वाले विधायक कह रहे थे कि थ्री स्टार, फाइव स्टार, तो सबसे पहले राजस्थान के नागरिक ने थ्री स्टार, फाइव स्टार हास्पिटल की सुविधा वसुन्धरा जी के समय

(श्री सुमित गोदारा)

भामाशाह योजना में देखी जब प्रधान मंत्री मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आये और उसकी राजस्थान सरकार ने कापी करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान में लागू की तो इससे भी राजस्थान की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारें काम करती रहीं और उसी क्रम में राजस्थान सरकार राइट-टू-हैल्थ बिल लेकर आई है। यह राइट-टू-हैल्थ बिल कैसे लेकर आई है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो आगे भविष्य बतायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ विषय रखना चाहता हूं। जैसे सेक्शन 4 पैरा (c) में इन्होंने बिल में लिखा है, "to develop and institutionalize Human Resource Policy for Health to ensure availability and equitable distribution of doctors, nurses and other health professionals and workers at all levels of healthcare." मतलब डाक्टर, चिकित्साकर्मी, नर्सेज, सभी का इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन होगा। कहां से इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन होगा? जब हम देखते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एक पालिसी लेकर आये कि सी.एम.एच.ओ. अपने गृह जिले में नहीं लगेंगे। कई जगह तो इन्होंने पालिसी फोलो कर दी और कई जगह अपनी मर्जी से पालिसी लगा ली। जब हम देखते हैं कि बीकानेर मेडिकल कालेज में प्रिंसिपल का पद जब से यह सरकार आई है, रिक्त पड़ा है। डाक्टर प्रिंसिपल लगाये जा रहे हैं तो कहां सरकार की गंभीरता दिखती है? जब डाक्टर के ट्रांसफर धर्म के नाम पर होते हैं तो कहां सरकार की गंभीरता दिखती है? जब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे विधायक कोष की राशि का दुरुपयोग सी.एम.एच.ओ., डाक्टर्स द्वारा किया गया, तब कहां सरकार की गंभीरता दिखती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कोविड के दौरान लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में 7 पी.एच.सी. में से प्रत्येक पी.एच.सी. में 10 बैड यानी 70 बैड और 70 बेडिंग की हमने विधायक कोष से अनुशंसा की। 4 लाख 90 हजार की हमने उसमें अनुशंसा की और बाद में उन्होंने एस्टिमेट बनाकर कहा कि 7 लाख 5 हजार, तो 7 लाख 5 हजार जारी किये। अब आप देखिए कि उन 7 पी.एच.सी. में 70 बैड पहुंचे लेकिन बेडिंग नहीं पहुंची। ग्रामीण फोन करते हैं कि क्या आपने विधायक कोटे से सिर्फ बैड भेजे हैं? मैंने कहा नहीं, बेडिंग उस कोटे में साथ थी। वह बेडिंग भी वहां नहीं पहुंची।

(श्री सुमित गोदारा)

यह मैं आपको हाल बता रहा हूं कि कोविड में किस तरह चिकित्सा के नाम पर हमसे जो पैसा लिया गया और उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ। राजस्थान सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे पास सारे डाकूमेंट पड़े हैं। इसी तरह का हाल इन्होंने चिकित्सा में किया है। यह राइट-टू-हैल्थ बिल क्या लेकर आयेंगे जब कोविड जैसे काल में इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ।

आपने कहा कि डाक्टर्स का इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो। माननीय मंत्री जी तो हैं नहीं, मंत्री जी रहेंगे भी कहां, हमारा बीकानेर का मेडिकल कालेज पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सा केन्द्र है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, पर हमने आज तक चार साल में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, चाहे पूर्व के हों, चाहे वर्तमान के हों, उनको कभी बीकानेर आते नहीं देखा। आप डाक्टर्स की कहां से व्यवस्था करोगे? सबसे पहले तो राइट-टू-हैल्थ में आप यह लेकर आओ कि ग्रामीण अंचल में डाक्टर साल-दो साल तो रहें। पूरे राजस्थान में पी.जी. की सीट बढ़ गई, हर साल डाक्टर्स एम.बी.बी.एस. करते हैं, 2-4 महीने गांव में लगते हैं, पी.जी. हो जाती है और फिर छोड़ कर चले जाते हैं। यह सारे टाइम खेल चलता रहता है, सीटें सारे टाइम खाली रहती हैं। 2-4 महीने डाक्टर आता है, किसी को पता ही नहीं लगता कि डाक्टर आया या गया। जब तक सरकार इस बेसिक इश्यू को सॉल्व नहीं करेगी तब तक राजस्थान में कितने ही राइट-टू-हैल्थ बिल ले आओ, ग्रामीण अंचल में ग्रामीण लोगों को परेशान होना ही पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा विषय रखना चाहूंगा सेक्शन 3 पैरा (p) में, "to referral transport by all health care establishments" मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों के द्वारा दी जायेगी। मैं आपको हाल बताऊं, कोरोना में हमने सी एच सी, लूणकरणसर, सी.एच.सी., नापासर में विधायक कोटे से एम्बुलेंस दी। आज 13.50 लाख रुपयों की दोनों एम्बुलेंस वहीं की वहीं खड़ी हैं। एक साल हो गया, पड़े-पड़े उनके टायर खराब हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं कि यह भाजपा के विधायक द्वारा दी गई है तो पता नहीं जनता को लाभ मिल जायेगा। कहां से आप राइट-टू-हैल्थ लाने की उम्मीद करोगे, जब आपकी सोच ही ऐसी है कि आमजन को सुविधा सिर्फ राजनीति के कारण नहीं मिले। कहां से आमजन को सुविधा मिलेगी, कहां से आप ग्रामीणजन को सुविधा दे पाओगे? हम यह कहना चाहते हैं कि 104 जननी एम्बुलेंस हम देना चाहते हैं ताकि वह

(श्री सुमित गोदारा)

पी.एच.सी. पर काम आये पर उसका उपयोग ही नहीं, क्योंकि सी.एम.एच. ओ और ये अधिकारी चाहते हैं कि यह आये ही नहीं। हर आदमी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यहां बिल तो बड़े-बड़े ले आते हैं पर जमीनी हकीकत यह है कि सरकार में आप कितनी ही राशि दे दो, उसका उपयोग नहीं होता।

सेक्शन-4 में पैरा (e) में जो लिखा, "to align all health services and schemes to strengthen a system of health services to empower and make residents aware for preventive and protective health-care." माननीय सभापति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ समय पूर्व मलेरिया जैसी बीमारी से हमारे राजस्थान में कितनी जानें जाती थीं, पर हमने राजस्थान में अच्छा काम किया है। मलेरिया जैसी बीमारी पर हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। इसी तरह से हम ग्रामीण अंचलों में देखते हैं तो माताएं, बहनें, फीमेल कितनी एनीमिया से ग्रसित हैं, उनके लिए बाजरा पी.डी.एस. सिस्टम के द्वारा दिया जाये। कहीं न कहीं राइट-टू-हैल्थ में यह भी लेकर आयें, ताकि उनमें एनीमिया की जो शिकायतें हैं और कितनी मृत्यु उस एनीमिया के कारण होती है, उसकी रोकथाम में मदद मिले।

माननीय सभापति जी, सेक्शन-4 पैरा (h) में लिखा हुआ है कि, "to ensure that there is no any direct or indirect denial to anyone for any government funded healthcare services." माननीय सभापति जी, इसमें कहूं कि यह सरकार तो ले आयी कि कोई भी सरकारी एजेंसियां डिनाई नहीं कर सकतीं, पर मैंने अनेक बार देखा है, हमारे बीकानेर में ट्रोमा सेंटर में, एक्सीडेंट होने पर किसी को लेकर आते हैं तो न उसके पास आधार होता है, न ही कोई पहचान-पत्र होता है। हमने उसकी कई बार सीटी करायी तो पैसे देकर कराना पड़ता है। उसमें कोई नियम नहीं है कि वहां पर उस आदमी का इलाज हो सके। सरकार बातें तो बड़ी-बड़ी करती है पर धरातल पर यह है कि उसको इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि उसके पास वह कार्ड नहीं है। हम यह निवेदन करेंगे कि इसमें जिसके पास कार्ड हो या नहीं हो, इमरजेंसी में सरकार यह शिथिलता दे कि उसकी जांचें तुरन्त हों, जिसका एक्सीडेंट हो, मॉस कैजुअल्टी नहीं, साधारण कैजुअल्टीज भी बहुत होती हैं एक-एक, दो-दो जनों की, तो उसमें सुविधा मिले।

(श्री सुमित गोदारा)

सेक्शन-3 पैरा (b) में आपने लिखा है, "to avail free OPD services, IPD services and drugs" अभी राजाखेड़ा वाले विधायक जी कह रहे थे कि सरकार किडनी ट्रांसप्लांट का बिलकुल अच्छा कदम लेकर आयी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने जो राशि बढ़ायी, उससे काफी प्राइवेट हास्पिटल इस स्कीम में करने लगे, जो पहले मना कर रहे थे। मेरा यह निवेदन रहेगा कि जिन बीमारों ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, उनके लिए पोस्ट-ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट चल रहा है।

श्री सभापति: Please, conclude now.

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): साहब, यह राइट-टू-हैल्थ है। फिर हम जनता की क्या बात रखेंगे?

श्री सभापति: बहुत लम्बी सूची है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मैं थोड़ा-सा समय और लूंगा। किडनी ट्रांसप्लांट जिन बीमारों ने कराया हुआ है, ठीक है, चिरंजीवी योजना के तहत उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया, पर उसकी जो दवाइयां बाद में लेनी पड़ती हैं, वे बहुत महंगी पड़ती हैं। गरीब आदमी उसे वहन नहीं कर पाता। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के लिए भी दवाइयां फ्री में उपलब्ध कराये, ताकि उन गरीब लोगों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि हर महीने 10 से 12 हजार रुपये की दवाई उसके लिए बहुत भारी पड़ती है।

सेक्शन-6 पैरा (i) में लिखा है, "to ensure quality and cost effective health and diagnostic services by private health sector." साहब, अब आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट करोगे? डाइग्नोस्टिक सेन्टर सर्विस आपने लिखा। माननीय सभापति जी, डाइग्नोस्टिक सर्विस में आप जायेंगे तो हास्पिटल की रेटों का ऐसा फर्क है और डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स भी ऐसे हैं कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत जगह देखेंगे कि ऐसे ही टेक्नीशियन बैठ जाता है, रिपोर्ट देता है और आदमी की जान के साथ कितना खिलवाड़ होता है। हम कल्पना ही नहीं करते कि बीकानेर में अनेक जगह गलियों में ऐसे डाइग्नोस्टिक सेंटर खुले हैं, ऐसे ही लड़के बैठा दिये, पता नहीं उनकी क्या रिपोर्ट हैं, क्या नहीं? डाइग्नोस्टिक सेन्टरों पर भी सरकार कंट्रोल करे और उनकी रेट्स बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए, पर दु:ख है कि राजस्थान में शायद ही

(श्री सुमित गोदारा)

कहीं ऐसे गिने-चुने सेन्टर होंगे जहां प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेन्टर और प्राइवेट हास्पिटल अपने रेट डिस्प्ले करते हैं कि इन इन्वेस्टिगेशन की हमारे यहां क्या रेट है।

Functions of the State Health Authority - आपने इस विषय में रखा। माननीय सभापति जी, यह स्टेट हैल्थ अथोरिटी क्या करेगी? इसमें जो सदस्य लिये, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अथोरिटी में कलेक्टर, सीईओ, डिप्टी सी.एम.एच.ओ., डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद एसई;/पी.एच.ई.डी., इनको वैसे ही समय नहीं मिलता है। ये तो वैसे ही औपचारिकताएं करते हैं। जिले में हमने कलेक्टर मीटिंग में देखा है कार्य तो कुछ होते नहीं हैं, मीटिंग लेते हैं, चले जाते हैं और भूल जाते हैं और न ही कोई कार्य होते।

ऐसे ही आपने मेडिकल कालेज बीकानेर में आर.एम.आर.एस. बनाया हुई है। हमारे कमिश्नर इन्चार्ज है। हमने कमिश्नर को कभी मीटिंग लेते हुए नहीं देखा, कभी बात करते हुए नहीं देखा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि यदि आर.एम.आर.एस. को मेडिकल कालेज लेवल पर आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उस जिले से जितने विधायक हैं, उनको अवश्य लें ताकि वे कम से कम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उठा सकें और कहीं न कहीं आमजन को उससे लाभ मिले, पर सरकारें डरती हैं कि एम.एल.ए. लेगा और कहीं न कहीं बातें उठेंगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, Statement of Objects and Reasons में लिखा कि, "Health is defined as a condition of complete physical, mental and social prosperity." अब इस राइट-टू-हैल्थ बिल में मेंटल हैल्थ को लेकर कहीं बात ही नहीं रखी, जबकि बड़ी गंभीर बात है कि आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मनुष्य इस चीज से प्रभावित है। जब हम गांवों में जाते हैं तो इतने लोग सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। सरकार यदि राइट-टू-हैल्थ बिल लाये तो इस चीज का भी गंभीरता से समाधान करने का प्रयास करे।

माननीय सभापति जी, बस एक ही मिनट लूंगा। चिरंजीवी योजना में जो दिक्कत आ रही है, उसमें तीन-तीन दिन तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बीकानेर कैंसर सेंटर जहां पर मेरे पिताजी डायरेक्टर रहे, तीन-तीन दिन कैंसर से पीड़ित बीमार खड़ा रहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसका फोटो हो।

(श्री सुमित गोदारा)

सरकार कहां चिरंजीवी योजना की बड़ाई की बात कर रही है उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खड़े रहते हैं। बीकानेर में हम देखते हैं कि किस तरह से सोनोग्राफी के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनको सोनोग्राफी करानी है, उनको दो-दो महीने बाद की डेट सरकारी हास्पिटल में दी जाती है, तो सरकार कहां राइट-टू-हैल्थ बिल की बात कर रही है।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि राइटटू-हैल्थ पर सरकार चर्चा करके यह जरूर करे कि इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट सरकार बाई करती है, पर उनका उपयोग नहीं होता इसलिए जिम्मेवार अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाये। सरकारी महंगे-महंगे इंस्ट्रूमेंट लिये जाएं, उनका उपयोग हो। मैं राइट-टू-हैल्थ बिल की इतनी-सी ही बात समझ में आती है कि 2020-21 में हैल्थ के लिए बजट एलोकशन 11 हजार करोड़ का था और सरकार 12 हजार करोड़ के मोबाइल बांट रही है, तो सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रति कितनी गम्भीर है, यह दिख रहा है। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2020 लायी है। सभापति जी, लोक स्वास्थ्य का अधिकार जनता को देने जा रहे हैं और उसमें जल्दबाजी, भौतिक व्यवस्था न होने के उपरान्त भी बिल लाया गया है। यह अच्छी सोच है, लेकिन हमारे चिकित्सकों की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। इस बिल को लाने से पहले हमें अपने संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। हास्पिटल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं हैं, टेक्निशियन नहीं है। ऐसे में हम जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं। अस्पतालों में वार्ड हैं, लेकिन बैड नहीं हैं। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है।

सभापति जी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 1,053 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 238 पद खाली हैं, तो हम कैसे राइट-टू-हैल्थ देंगे? मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं तो हास्पिटल में डाक्टर्स के सभी पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे पूर्व में भी सदन में अध्यक्ष महोदय के आदेश से चिकित्सा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपकी सी.एच.सी., अनूपगढ़ में

(श्रीमती संतोष)

गायनिक चिकित्सक लगायेंगे, लेकिन आज तक वह पद रिक्त है। सरकार कितनी गम्भीर है, यह इस बात से स्पष्ट हो रहा है। हम राइट-टू-हैल्थ की बात कर रहे हैं, कैसे राइट-टू-हैल्थ देंगे? सबसे पहले जिन हास्पिटलों में पद खाली हैं, वहां डाक्टर लगाये जाएं, ताकि स्थिति में कुछ सुधार हो सके।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो ट्रोमा सेन्टर की मांग हम लम्बे समय से कर रहे हैं। भारत माला रोड गुजर रही है और आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। ब्लड बैंक की भी हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर बिलकुल भी गम्भीर नहीं है। चार साल हो चुके हैं, इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है।

इसी के साथ जो पूर्व की बजट घोषणा थी, उसमें आदर्श सी.एच.सी. की बात कही गयी थी। उसी के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र की सी एच सी अनूपगढ़ को आदर्श सी.एच.सी. बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की अनुशंसा मैंने की, उनसे हास्पिटल में उपकरण और मशीनें लायी जायेंगी। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूं कि मेरे अनूपगढ़ में जो हास्पिटल है, जिसको आदर्श सी.एच.सी. बनाना चाहते हैं, उसका भवन बिलकुल जर्जर है, जर्जर भवन में हम कैसे मशीनें रखेंगे और वहां कैसे डाक्टर रहेंगे और कैसे राइट-टू-हैल्थ पॉसिबल हो पायेगा?

सभापति जी, इसी के साथ एम्बुलेंस की जो बात हम कर रहे हैं और रावला और 365 के अन्दर हास्पिटल के लिए एम्बुलेंस की मैंने अनुशंसा की थी, लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी जारी नहीं की गयी है। इस वजह से कि उसके ड्राइवर की या रखरखाव की व्यवस्था कैसे की जायेगी। सरकार के पास यह व्यवस्था ही नहीं है कि हम कैसे एम्बुलेंस को व्यवस्थित करेंगे, तो उसकी अनुशंसा कराने में क्या औचित्य सिद्ध होता है?

सभापति जी, एक तरफ डाक्टर और कर्मचारी की कमी है और दूसरी तरफ प्रदेश में कोविड सहायक, जिसका मुझे पता है कि कोराना काल में निःस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की थी और आज वे आंदोलनरत हैं। बिना सूचना के उनको हटा दिया गया है। एक तरफ हमारे पद खाली हैं और दूसरी तरफ जो हमारी सहायता कर रहे हैं, कोविड जैसी महामारी में उन्होंने साथ दिया, वे भी आज संघर्षरत हैं, तो किस प्रकार से हम जनता को राहत देंगे? उनके अधिकारों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं

(श्रीमती संतोष)

है। एक तरफ प्रदेश में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है तो दूसरी सफाई की व्यवस्था हम सबके सामने है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है। बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां केमिकलयुक्त पानी बहुत ज्यादा आता है और वह पीने को लोग मजबूर हैं। आज राजस्थान में हालात क्या हैं?

मेरे जिले और क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एक बात और आती है कि जहां छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स और नशे की गर्त में डूबे जा रहे हैं, उनको चिकित्सा व्यवस्था देने के लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हम सबको पता है, हम खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट के द्वारा जो लैबोरेटरी की व्यवस्था की बात की गयी थी, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि किसी जिले में ये लैबोरेटरी बनी होगी।

खाद्य सामग्री की हम बात करें तो आज पूरी खाद्य सामग्री मिलावटी आ रही है। राइट-टू-हैल्थ कैसे हम देंगे? गवर्नमेंट जो यह बिल लेकर आयी है, मैं कहना चाहूंगी कि हास्पिटल में पहले पूरी व्यवस्था की जाए, स्टाफ लगाया जाए, ग्रामीण एरिया में व्यवस्था की जाए, उसके बाद इस प्रकार का कोई बिल लेकर आये। आनन-फानन में, जल्दबाजी में बिल लेकर आने का कोई फायदा नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संदीप शर्मा। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 राज्य सरकार लेकर आयी है। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

मैं सोचता हूं कि सरकार ताबड़तोड़ बिल लायी है। आज ही टेबल पर देखा। कल सरकार ने पेश किया, टेबल पर देखा। हम आखिर स्टडी करके कहां से क्या मुद्दे लाएंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार बिल को प्रवर समिति को भेजे या 6 महीने के लिये लम्बित करके जनता की जानकारी प्राप्त करके इसको लाए। मुझे लगता है कि कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियां, राज्य सरकार ने दवाइयां फ्री की हैं, जांचें फ्री की हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्य मंत्री जी का, परंतु कौन-कौनसी जांच फ्री हो रही है, इसका भी आप ध्यान रखें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मैं निवेदन करूं, एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं कि उदयपुर में 40 साल का एक सीनियर एडवोकेट है, उसकी पत्नी 17 अगस्त को बीमार हो गयी। वह हास्पिटल लेकर गया, उदयपुर के जनरल हास्पिटल में। वहां पर स्थिति ये थी कि इमरजेंसी में ले गया, कहा इसको गैस की प्रोब्लम है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड वालों ने कहा कार्डियो प्रोब्लम है, ई.सी.जी. कराइये, ई.सी.जी. मशीन खराब। डाक्टर ने कहा उस वार्ड से दौड़कर लाओ, उस वार्ड में मशीन खराब। कहा इमरजेंसी में, इमरजेंसी में आलरेडी लाइन लगी हुई थी, वहां मशीन मिल नहीं सकती। सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन मशीन खराब।, टेक्निशियन नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सब व्यवस्था पहले होनी चाहिये, उसके बाद आप राइट-टू-हैल्थ का अधिकार दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय गहलोत साहब की सरकार बनी, 'शुद्ध के लिए युद्ध', मेरी प्रार्थना है कितने लोगों को सज़ा दी? अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, मावे की जांच होगी। रोज समाचार पत्रों में आयेगा, मावे की जांच हो रही है। कितने लोगों को आपने सज़ा दी? क्या सख्त कानून इसके लिये नहीं बन सकता? क्या हमारे पास लैब नहीं है, जो लोगों को सज़ा दी जा सके? लेकिन यह व्यवस्था नहीं है। आदमी को कैंसर हो रहा है। कैंसर का इलाज तो कर रहे हैं परंतु कैंसर नहीं होना चाहिये, शुद्ध पानी मिलना चाहिये, इसकी व्यवस्था नहीं है। शुद्ध उसको भोजन मिलना चाहिये, ये व्यवस्था नहीं है, शुद्ध उसका खानपान होना चाहिये, ये व्यवस्था हमारे यहां नहीं है।

छोटे-छोटे उदाहरण देता हूं। हमारे मावली क्षेत्र में गासा डिस्पेंसरी है, वहां लोगों ने कहा, साहब, गाड़ी दीजिए, एम्बुलैंस दीजिए। एम्बुलेंस दे दी। एम्बुलेंस को सी.एम.एच.ओ. ले गये। सी.एम.एच.ओ. चला रहे हैं वहां पर, गासा डिस्पेंसरी की एम्बुलेंस। माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गासा डिस्पेंसरी के वहां लगभग 15 पंचायतें आसपास हैं, उसको प्रमोट किया जाए। प्राइमरी से सामुदायिक केन्द्र उसको बनाया जाए।

मेरा एक निवेदन और है, कोरोना की बीमारी चली, सभी विधायकों को कहा। बीमारी के होते ही, जैसे ही बीमारी प्रारम्भ हुई मैं अपने क्षेत्र में गया। मैं सबसे पहले डबोक गया। एयरपोर्ट के पास हमारी डिस्पेंसरी, फिर

(श्री धर्मनारायण जोशी)

खेमली गया, फिर गासा गया, फिर पलाड़ा गया, फिर मावली गया, फिर फतेहनगर गया, फिर ईटेल गया, सब गांव में जहां पर जैसी-जैसी आवश्यकता थी, सैनिटाइजर और मास्क के लिये लगभग सब जगह कहीं 50 हजार, कहीं 1 लाख, 7.50 लाख रुपये दिये। कब दिये? दो साल पहले, जब कोरोना प्रारम्भ हुआ। बारम्बार जिला परिषद् की बैठक में अनेक पत्र लिखने के बाद भी राज्य सरकार ने सी.एम.एच.ओ. को पत्र लिखा, उसके बाद भी आज दिन तक वह 7.50 लाख रुपये के सैनिटाइजर और मास्क पहुंचे या नहीं पहुंचे अभी तक पता नहीं है। अभी तक उसका पता नहीं है कि मास्क कहां गये। ऐसी आपकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज आप लाये कि प्राइवेट हास्पिटल इलाज करेंगे। प्राइवेट हास्पिटल क्यों इलाज करेगा? उसको पैसा कहां से आयेगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं कि, उसको पैसा कहां से प्राप्त होगा। आपने कमेटी बनायी है। जिला कलेक्टर कमेटी का सदस्य होगा, सी.ई.ओ. उसका सदस्य होगा, जिला परिषद् मेम्बर सदस्य होगा, जिले में से दो प्रधान रोटेशन में सदस्य होंगे। उसमें कोई डाक्टर नहीं है। यह क्या व्यवस्था है? जो आदमी कुछ जानता नहीं है, उसकी व्यवस्था वहां नहीं है। इसलिये मुझे लगता है कि इस कमेटी को भी आप ठीक करिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे गासा में भवन खराब है, उदाखेड़ा में भवन नहीं है, भवन गिर गया, आमली में भवन गिर गया है और मैंने जब विधायक कोटे का बजट रखा कि भाई 2 करोड़ रुपये आप दे सकते हैं। हमारे जोराराम जी बैठे हैं यहां, सुमेरपुर में उन्होंने भवन के लिये पैसा दिया, स्वीकार कर लिया। हमारे यहां जिला परिषद् आ गया कि मेडिकल का विधायक कोटे का पैसा भवन के लिये खर्च नहीं होगा, आप केवल मेडिसिन के लिये दे सकते हैं। क्या ये व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं? और तो और, उदयपुर में ये स्थिति है कि आपने सारी लैब ठेके पर दे रखी हैं। उदयपुर हास्पिटल में चार साल पहले लैब का ठेकेदार 80 लाख रुपये खा कर अपनी सारी मशीनें वहां से ले गया। कोई धणी-धोरी नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। उदयपुर में कैंटीन का ठेकेदार, दो साल कैंटीन चलाकर वह पैसा ले गया। अभी तक उसकी वसूली की कार्यवाही नहीं की है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, इनको ठीक कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, आपातकाल में, जहां-जहां पर इमरजेंसी है,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

इमरजेंसी में जब गांव से पेशेंट आता है, हमारे राजाखेड़ा के विधायक महोदय ने उदाहरण दिया था बच्ची का मैं आपरेशन कराकर आया हूं। कितने गरीब लोगों की एम.एल.ए. तक एप्रोच होती है? गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। यह व्यवस्था ठीक कीजिये। बीमार होने के पहले जो पानी शुद्ध मिलना चाहिये, स्वच्छता रहनी चाहिये, 'शुद्ध के लिये युद्ध' जो अभियान चला, उसका सख्त कानून बनाकर सज़ा देने की व्यवस्था कीजिये। ये सारी व्यवस्था कीजिये। बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: थैंक यू। दिव्या जी मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): राइट-टू-हैल्थ बिल, 2022 के ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं सदन में। मैं मानती हूं कि हैल्थ सैक्टर रिफार्म के अन्दर आज का यह विधेयक एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि कोरोना की जब महामारी आयी तो पूरे विश्व में इस बात पर ध्यान केन्द्रित हुआ कि हमें हमारे हैल्थ सेक्टर के ढ़ांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि आगे इस तरीके की महामारी या ऐसी कोई चीज, जैसे लम्पी अभी आयी हुई है, उस वक्त हमारे हैल्थ का ढ़ांचा मजबूत हो। जिस तरीके से कोलैप्स हुए, उस तरीके की व्यवस्था हमें आगे न देखनी पड़े। रुक जाइए, हमीर सिंह जी, वापस भेजो राठौड़ साहब को।

श्री सभापति: प्लीज सुनिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सरकार की मंशा क्या है? किस उद्देश्य से वह बिल लेकर आयी है? निवासी को स्वास्थ्य के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये। हमें देखना पड़ेगा तीन पहलुओं में इस बिल को। पहली चीज कि इस कानून के माध्यम से स्वास्थ्य ढांचा व प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का जरिया बनेया या नहीं बनेगा। कुछ सुधार हैल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स में आएंगे या नहीं आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य के अधिकारों का संरक्षण हम इस कानून से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और जो आमजन, गरीब, निराश्रित, जिनको हम ये अधिकार देना चाहते हैं, उसको सशक्तिकरण, वह पावर, वह सिक्योरिटी ब्लेंकेट, क्या हम इस कानून से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे।

आर्टिकल 47 आफ दी कांस्टीट्यूशन जो कमिट करता है पब्लिक हैल्थ स्टेण्डर्ड्स, न्यूट्रिशन और स्टेण्डर्ड्स को बढ़ाने का और एक तरफ

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आर्टिकल 21 जो राइट-टू-लाइफ एंड फ्रीडम से, जिसको हम हैल्थ राइट ड्राइव करते हैं।

आज हम इस सदन के अन्दर एक हिस्टोरिकल बिल लेकर आ रहे हैं, we are the torch bearer. भारत में राजस्थान प्रदेश होगा जो राइट-टू-हैल्थ बिल लेकर आ रहा है, I applaud the government. यह बिल humanitarian grounds को देखते हुए एक कंपैशनेट, मानववादी एप्रोच के साथ लाया गया है। इस बिल की मंशा बहुत बढ़िया है लेकिन इस बिल को देखकर मेरे कुछ सजेशंस भी हैं। राठौड़ साहब जिन 19 धाराओं का उल्लेख कर रहे थे कि उन्होंने पढ़ा, उसको मैंने भी रात को बड़ी गहराई से पढ़ा। मुझे यह अहसास हुआ, यह प्रतीत हुआ इस बिल की पूरी धाराओं को पढ़कर कि हम कहीं न कहीं कमिटमेंट करने से घबरा रहे हैं। हम स्पेसिफिक होने से बच रहे हैं। हम गारंटी देने से बच रहे हैं। गारंटी शब्द का इस्तेमाल हमने इस विधेयक के अन्दर नहीं किया। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर गारंटी नहीं देंगे तो यह बिल कहीं न कहीं कमजोर हो जायेगा। पब्लिक डोमेन में जो ड्राफ्ट रखा था उसमें हमने गारंटी की बात कही थी। बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी इसमें कही गई हैं। एक बहुत ही संवेदनशील क्लाज हम इसमें लेकर आये हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष चिकित्सक से जांच के समय असहज है तो महिला को साथी रख सकती है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन स्वास्थ्य सेवाएं हम बिना भेदभाव के दें।

ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। मैं अपने सुझावों को देकर केन्द्रित करना चाहूंगी कि हमें और क्या-क्या करने की आवश्यकता है। बहुत से शब्दों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनका अर्थ क्या है, इस पर विवाद उत्पन्न होगा, यह ग्रे एरिया हो जायेगा। राठौड साहब जोधपुर के एक प्रकरण का उदाहरण दे रहे थे मेरे बारे में, उसके अन्दर भी यह ग्रे एरिया का विवाद आया था। हास्पिटल यह कहता है कि यह व्यक्ति जब आया तो उसने चिरंजीवी का लाभ लेने के समय हमें नहीं बताया, उसने अगले दिन बताया। वह जीवन और मृत्यु के आपातकालीन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसको दिया गया तो हमने यह आर्ग्यू किया कि जब वह इमरजेंसी सिचुएशन में आया, जीवन और मृत्यु की उस परिस्थिति में उसकी मानसिक स्थिति यह नहीं होती कि वह आपको बताये कि मैं क्या लाभ ले सकूं, जीवन बचाना ध्येय होता है। अगले दिन आठ बजे जब उसने बताया कि आप मुझे

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

चिरंजीवी में लें, तो मैंने कलेक्टर से संवाद किया, कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने कहा कि यहां पर एक ग्रे एरिया है कि पहले अगर किसी ने नहीं बताया है तो अब उसको दे पाएं कि नहीं दे पाएं। मैंने कलेक्टर से कहा कि यह ग्रे एरिया नहीं है, नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं बता पाया, इमरजेंसी सर्विस में आया था, अगर वह चिरंजीवी का बताता है तो नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि उसको लाभ मिलना चाहिये। मुझे लगता है कि इसलिये कांफ्लिक्ट पैदा नहीं हो, एवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी इनको परिभाषित करने की जरूरत है।

बिल के प्रिएम्बल में (r) ordinary resident of the State of Rajasthan का उल्लेख किया है, इस पर बहुत जोर देना चाहूंगी। साधारण निवासी का नाम दिया गया है। मैं चाहती हूं रेजिडेंट से मतलब क्या है आप इसको डिफाइन कीजिये। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने ओ.पी.डी., आई.पी.डी., जांचें, दवाइयां सब नि:शुल्क कर दीं। पहले हम यूज़र चार्ज लेते थे, 5 रुपये की, 20 रुपये की पर्ची कटवाते थे। अब हमने कह दिया कि जिसके पास जन आधार कार्ड होगा उसको हम यह नि:शुल्क देंगे, यह भी एक फॉल्टी कांसेप्ट है। हमने यह बेरीयर और राइडर लगाकर बहुत बड़ी जनसंख्या को एक्सक्लूड कर दिया। हम कह रहे हैं, we are going to give a right to everybody. एक लार्ज पापुलेशन को, द मोस्ट नीडी को हम एक्सक्लूड कर चुके।

अब यह बताइये कि रेजिडेंट क्या होगा? वह जिसके पास जन आधार कार्ड होगा, वह जिसके पास परमानेंट एड्रेस होगा या वह जो निराश्रित है, होमलेस, माइग्रेन, रिफ्यूजी, वह मजदूर वर्ग जो बाहर से आता है, हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, कौन होगा? इसलिये हमें जरूरत है कि हम इसे डिफाइन करें। एक बात यह आती है कि हम सबको इन्क्लूड कर लेंगे तो हम पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जायेगा, भार बढ़ जायेगा, ऐसा नहीं होता है। यह नेट माइग्रेशन है, यह इवन आउट होता है, हमारे यहां से भी लोग पढ़ने के लिये बाहर जा रहे हैं, हमारे यहां से भी मजदूर बाहर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जब बजट एलोकेशन करते हैं तो सम्पूर्ण जनसंख्या को देखकर, विचार रखकर, उसका एलोकेशन करते हैं।

मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहती हूं, there should be no

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

discrimination. सारे के सारे हैल्थ प्रोग्राम्स को आप यूनिवर्सल बनाइये और एक torch bearer, यह कहिये कि हम अगर कोई ट्रांजिट में आते हैं, हम और किसी प्रदेश में जाते हैं ट्रांजिट के अन्दर, तो हम क्या इसका लाभ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें एक एग्जाम्पल पूरे हिन्दुस्तान में सैट करना चाहिये और इस बेरियर को तोड़ना चाहिये।

आपके preamble के बाद आता है राइट-टू-हैल्थ, this bill is extremely focused on hospital care. यह बिल यह भूल जाता है कि अस्पताल के बाहर भी बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं जिसे हम आउट रीच हैल्थ केयर सर्विसेज कहते हैं। इन आउट रीच हैल्थ केयर सर्विसेज को हम बेहतर कैसे बनायें, लोगों तक कैसे पहुंचायें, इस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया। इसको भी हमें इस दायरे में लेने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर, आयरन फोलिक डिस्ट्रिब्यूशन, स्कूल हैल्थ प्रोग्राम्स। अगर हम आउट रीच सर्विसेज का जिक्र और इसके ambit में नहीं लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का ढांचा तितर-बितर हो जायेगा।

मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगी Right to not be cursed, should have been included in this bill. उसका उल्लेख नहीं किया है। कोरोना के टाइम यह उदाहरण आये थे कि अगर किसी ने टीका नहीं लगाया तो गांवों में डराया गया कि राशन नहीं देंगे, नरेगा का भुगतान नहीं करेंगे। हम काउंसलिंग कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य की वह सेवा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

एक और चीज इसमें मेंशन करनी चाहिये थी, वह थी राइट टू अटेंडेंट। मैं उदाहरण देती हूं कि कोरोना में हमने इसको देखा कि किस तरीके से पेशेंट को आइसोलेट किया गया। कई जगह अख़बारों में सुसाइड के केसेज पढ़े गये। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मरीज को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके साथ-साथ क्रॉस चैक आफ क्लिनिकल नेग्लीजेंस बाई नर्सिंग स्टाफ भी देखा जा सकता है अगर उसका अटेंडेंट साथ रहता है। Right to protection of patients under clinical trials. इसको भी आप इसके ambit के दायरे में लीजिये। इनके अधिकारों के संरक्षण की बात भी होनी चाहिये।

आपका दूसरा इस बिल के अन्दर है 'Obligation of Government'

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इस कानून के अन्तर्गत अधिकार निहित और उसका संरक्षण करना यह सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी व बाध्यता होनी चाहिये। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश अस्पताल में कोई सेवा नहीं मिलती है, तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये, इसको भी आप इस एम्बिट के अन्दर लीजिये, यह बहुत जरूरी है।

अभी बहुत सारे चर्चा कर रहे थे कि कि इक्विपमेंट खराब है, बिजली चली गई, इन आधारों पर अगर कोई आपको हैल्थ सेवा देने से मना करता है, उस कंडीशन के अन्दर जब denial होती है तो उस पेशेंट का क्या अधिकार होगा, इसका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिये। हैल्थ केयर फैसेलिटीज और इंस्टीटयूशंस की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लगता है कि बहुत डैप्थ में डिफाइन करना चाहिये।

जोधपुर का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद मैंने उनके बिल को एनालेसिस किया। बिल एनालेसिस किया, सारे बिल को जोड़ा तो मात्र 50 हजार रुपये आये। मात्र 50 हजार। मैंने शिकायत दर्ज करवाई और मैंने कहा कि इनके पूरे रिकार्ड सीज करके बताइये क्योंकि ड्रग्स असेंशियल कैपिंग कर रखी है ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के अन्दर। Stents की भारत सरकार ने कैपिंग कर रखी है। चलिये यह तो ड्रग्स के नाम पर 16 हजार रुपये का बिल आ गया, दवाई जोड़ ली, आई.सी.यू. जोड़ लिये, सब कुछ जोड़ लिये तो 50 हजार रुपये, बाकी 2 लाख 14 हजार का बिल उस गरीब के लिये बनाया हुआ था सिर्फ प्रोसीजर के नाम पर। इसको भी कैपिंग करने की जरूरत है। एक तो वह चिरंजीवी में डिनाई कर देते हैं, मर्जी आये जैसी रेट लेते हैं, ऊपर से कहते हैं कि चोरी तो चोरी, सीना जोरी भी करते हैं।

सरकार की ट्रान्सपेरेंसी का उल्लेख करना भी जरूरी है कि हमारी पॉलिसीज क्या होगी। हमें बजट का जिक्र करना भी जरूरी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बोलूंगी, क्योंकि कांग्रेस से तीन ही जने आये हैं। 29 लोग हैं, 25 दूसरे दल से हैं और कांग्रेस से तीन हैं, आप उसको रेश्यो करके समय समाप्ति की घंटी बजायें।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): ह्यूमन रिसोर्स पालिसी लाने की इस

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

बिल के अन्दर बात की गई है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं लिखा गया, आपके पब्लिक डोमेन में जो ड्राफ्ट था उसमें 6 महीने की अवधि लिखी गई थी। मुझे लगता है आपने जो समय अवधि यहां से हटाई है उसे भी देखने की जरूरत है। हैल्थ केयर मानिटरिंग और निगरानी की कोई बात इस बिल के अन्दर नहीं की है, उसको भी ambit में लेना चाहिये।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात rational prescription practices जहां पर एक डाक्टर अनावश्यक दवाइयां लिखता है, जेनेरिक न भी लिखे, एक मेन दवाई देनी है उसके साथ कितने multivitamins, अनावश्यक एंटीबायटिक्स, इस तरीके से लिखकर उसका बिल बनाता है। आउट आफ पाकेट एक्सपेंडिचर कराता है। आउट आफ पाकेट एक्सपेंडिचर से, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मुझे याद है मैं जब सदन में हैल्थ पर बोली थी तो 17 लाख के करीब लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गये। इसके ऊपर टेम करने की जरूरत है। आप आउट आफ पाकेट एक्सपेंडिचर को इससे बाहर नहीं रख सकते। प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन की आपने कोई बात नहीं की यहां पर। आपके जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वह प्रोफिट मैकिंग एंटिटिज हैं। हम एज वेलफेयर स्टेट अगर इंडियन हैल्थ केयर सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हैल्थ केयर सिस्टम, जिसमें प्राइवेट हैल्थ डोमिनेट करता है आज की तारीख में और उसका कारण यह है कि हमारा पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम वीक है।

(समय: 15.00 बजे)

हमारे सी.एच.सीज., जो बहुत से वक्ताओं ने यहां पर यह कहा कि पी.एच.सीज. को मजबूत करने की जरूरत है इसलिए यह बहुत-बहुत जरूरी है।

राठौड़ साहब एक बात बिलकुल सही कह रहे थे कि 2010 के अन्दर जो द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेकर आये थे वह बिलकुल भी इफेक्टिव नहीं है, उसके रूल्स नहीं बने हैं। हम किस तरीके से प्राइवेट रेगुलाइजेशन की बात करेंगे? मैं नहीं चाहती कि आज का यह बिल इस तरीके से धक्के खाये जैसे द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट खा रहा है। यह प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए।

इंश्योरेंस स्कीम्स क्या हैं? चिरंजीवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इंश्योरेंस स्कीम्स क्या हैं? मैं तो मूलत: इंश्योरेंस स्कीम्स के खिलाफ हूं। मैं सदन में भामाशाह पर भी बोली थी, मैं चिरंजीवी पर भी बोली थी और यह

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इनका जो आइडिया है इंश्योरेंस स्कीम्स का, it is based on people falling ill in large numbers. प्राइवेट हास्पिटल्स की दुकानें बंद हो जायेंगी अगर लोग बीमार ही नहीं होंगे तो इनकी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों तो ये हमारे पास आयें लेकिन एज वेलफेयर स्टेट हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम फोकस करें प्रिवेंटिव केयर पर, इन बीमारियों की रोकथाम के ऊपर। उपचार पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रिवेंटिव केयर भी हमारी असेंशियल होनी चाहिए।

कोविड के टाइम में हमने देखा था कि प्राइवेट हास्पिटल्स ने क्या किया? हाथ ऊंचे कर दिये, ताले लगा दिये और बहुत पुश किया तब उन्होंने यह खोले और जिस तरीके की यह लूट मचाई, वह आपके और हमारे सबके सामने है। मैक्सिमम पेशेंट लोड उस वक्त भी गवर्नमेंट हास्पिटल्स पर था। चिरंजीवी योजना हम लेकर आये गरीब के लिए, निराश्रित के लिए, अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं हो उसको भी उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकें। हमें एक डेडिकेटेड ग्रिवेंस सेल इसके लिए बनाना चाहिए जिससे इमिडिएट रिलीफ मिल सके। 181 is very slow. कुछ नहीं होगा आपका 181 से, मैंने देख लिया मेरे प्रकरण में 181, आज भी सो रहा है वह 181, कब वह 181 रिपोर्ट देगा? डी.जी.आर.सी. में आपने प्रस्तावित कर दिया, हमारा कलेक्टर स्लीप मोड में बैठा है, वह पता नहीं जगेंगे भी कि नहीं जगेंगे? सीकर के कलेक्टर ने चार हास्पिटल्स जहां पर धांधली हुई उनका एम्पैनलमेंट कैंसिल कर दिया, and let me tell you, Jodhpur was the home turf of the Chief Minister and it was not only the home turf of the Chief Minister but it was the constituency of the Chief Minister where the incident took place. And the administration was sleeping. यह ब्यूरोक्रेटिक आटोनोमी मत लाइये आप इसके अन्दर और क्या करते हैं? पैकेज होने के बावजूद जो इस प्रकरण में हुआ था, पैकेज होने के बावजूद भी मना कर देते हैं कि हम आपको चिरंजीवी में इलाज नहीं करेंगे, इस दादागीरी का क्या करेंगे? On what is your emphasis? मंत्री महोदयजी, मंत्रीजी, यह बहुत जरूरी है। Hospital empanelled in Chiranjeevi should be bound to take services under Chiranjeevi Yojana. इसको आप बाउंड करिये। पब्लिक हैल्थ ग्रिवेंसेज होंगे या प्राइवेट हैल्थ ग्रिवेंसेज होंगे, इसका उल्लेख नहीं है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कम्युनिटी की भागीदारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए जैसे कि हमारी विलेज हैल्थ सेनिटेशन कमेटी है, बिलकुल विफल, डार्मेन्ट पड़ी है। जरूरी है कि हम इसके लिए काम करें नहीं तो एक कोविड के टाइम भी हमने देखा था कि नीचे एक वैक्यूम आ गया था, ग्रास रूट की हम प्लानिंग कर पाये थे।

श्री सभापति: प्लीज, कंक्लूड करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नहीं, लास्ट में हूं। मैं बोलूंगी कन्क्लूड की क्या बात है? आपको बता दिया कि तीन का रेश्यो है। आपकी मैथेमेटिक्स, आपकी मैथ खराब है।

श्री सभापति: लिस्ट बहुत लम्बी है बोलने वालों की।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): ऐसे रोगी जो खास स्वास्थ्य की आवश्यकता जिनको है, disabled, patient with rare diseases, मानसिक रोगी, specially with palliative care, जिस पर आज कोई फोकस नहीं है, ऐसे रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे इनको भी आप कमिटमेंट करिये जिसको आपने एक्नालेज भी नहीं किया है।

हास्पिटल बेस मैंनेजमेंट, राठौड़ साहब यह बता रहे थे कि हास्पिटल के बाथरूम में जाकर देखिये आप कि क्या हालत होती है। हमने उस पर बात नहीं की। हास्पिटल के बिजली पानी बेहतर करने के लिए हमने बात नहीं की। सेफ्टी हैल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमने कोविड में यह देखा था, जो नर्सेज वगैरह जिनकी आज हम अपलोड कर रहे थे हम उनको इक्विपमेंट वगैरह पहुंचा सके, इसकी बहुत आवश्यकता है।

आपने क्वालिटी आडिट की बात की है। ग्रिवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आज हमने इसको प्रेस्क्राइब करने की बात की है। मैं यह मानती हूं कि यहां पर सोशल आडिट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के लोगों की भागीदारी से आप ही करेंगे, आपकी मर्जी आयेगी वह बना देंगे। The Collector has failed when you made him a Nodal Officer for Chiranjeevi. मैं इस ब्यूरोक्रेटिक आटोनोमी के पक्ष में नहीं हूं इसलिए पहले जो पब्लिक डोमेन में था उसमें सोशल ऑडिट की बात की थी। समुदाय के द्वारा समुदाय के बीच में जाकर आडिट की जानी चाहिए।

एक बात यहां पर राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हैल्थ की बात की

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

तो मैंने किसी विशेषज्ञ को फोन किया कि यह क्या चीज है तो उन्होंने कहा कि पता नहीं यह किस चिड़िया का नाम है, हमें यह पता नहीं है तो इस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि यह क्या है कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या है। टार्गेट्स हमने सेट नहीं किये। मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसका हमने कोई उल्लेख नहीं किया।

Right to family member authorized person to the deceased to receive dead body irrespective of payment due to staff from every healthcare system. इसको हमें लाने की जरूरत है। कई लोग यह कह रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, हम गरीब की बात करेंगे, हम प्राइवेट हास्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। मेरे से पूर्व में सदन के उप नेता यह कह रहे थे कि आई.एम.ए. के लोग डाक्टर धरना दे रहे हैं, पब्लिक डोमेन के अन्दर यह ड्राफ्ट था, आई.एम.ए. ने अपने यह सजेशन सब्मिट किये हैं, उसकी आफिशियल कापीज मेरे पास भी है। Everybody on the floor of the public, it was welcomed और वे सजेशन वैलकम होने के बाद में यह इन्वॉल्व करके यहां पर पेश किया गया है। जो ये कह रहे हैं कि आनन-फानन में लेकर आये हैं, जी नहीं। बहुत जबरदस्त व्यापक चर्चा इसके ऊपर हर सेक्टर से हुई है इसलिए यह बहुत सोचसमझकर बिल लेकर आये हैं क्योंकि यह नया बिल है, यह मेरे सुझाव हैं, इनको इन्क्लूड करना चाहिए और मैं यह मानती हूं कि विथ टाइम यह इवॉल्व्ड हो।

मैं लास्ट के दो-तीन पाइंट्स पर आ रही हूं। दो अथॉरिटीजी का गठन हमने यहां पर किया है, स्टेट हैल्थ अथॉरिटी एण्ड डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अथॉरिटी। मुझे यह लगता है कि पुराने ड्राफ्ट के अन्दर आपकी चीफ सैक्रेटरी थीं और अब आपने नॉट बिलो द रैंक आफ जोइंट सैक्रेटरी कर दिया है, with two Ex-officio members. मुझे यह लगता है कि आपको स्टेट हैल्थ अथॉरिटी के अन्दर सिविल सोसाइटी, आशा, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनकी भी आवाज होनी चाहिए। पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स को आप इन्क्लूड करें। सरकार से बाहर के लोगों को जो समाज में काम कर रहे हैं उनको लेकर आइये और जो आपने छह महीने की मीटिंग का प्रावधान किया है, उसको तीन महीने की मीटिंग करिये, यह जरूरी है क्वार्टरली।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दूसरी बात पर मैं आती हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अथॉरिटी बनायी, जिसमें कलेक्टर को चेयरपर्सन बनाया और यहां पर जिला प्रमुख, प्रधान और इनकी मीटिंग आपने मंथली रखी। आप यहां पर मंथली मीटिंग करेंगे और स्टेट की मीटिंग सिक्स मंथली होगी, यह तो कोई तालमेल ही नहीं बैठेगा। You have to have more presentation, और कल जी.एस.टी. के बिल पर सदन के उप नेता कह रहे थे और मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए यह कहूंगी कि हमारी जो नौकरशाही है वह हमारी मालिक बन रही है। हमारी नौकरशाही हमारी मालिक बन रही है, यह कलेक्टर को जो आप ब्यूरोक्रेटिक आटोनोमी यहां पर दे रहे हैं, the Jodhpur Collector of the Chief Minister's home district failed and how! जब मैं मेरे घर से हास्पिटल में यह पता करके जा सकती हूं कि जिस व्यक्ति और मरीज के उपचार की बात पर वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है कि वह चिरंजीवी में आता है या नहीं आता है, उसे सुनिश्चित करने के बाद मैं हास्पिटल के द्वार पर जाती हूं कि वह आता है, आप उसका नाम डिनाई नहीं कर सकते नेचुरल जस्टिस से। क्या कलेक्टर नहीं कर सकते थे यह बात पता? क्या नोडल अधिकारी के रूप में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं कर सकते थे इस बात का पता? It was an absolute failure of the administration there. I don't know what was the sleep mode, और अभी भी चुप है। अभी भी सोये हुए हैं, मग्न हुए है। मुझे नहीं पता क्या वजह है? डी.जी.आर.सी. में प्रस्तावित कर दिया उस मैटर को, कब करेंगे वह डी.जी.आर.सी. में, कब आयेगी? मंत्रीजी, मंत्री महोदयजी, मंत्रीजी, सुन रहे हैं क्या?

श्री सभापति: सुन रहे हैं, आप बोलिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से आपको यह कहना चाहती हूं कि चिरंजीवी योजना मुंह के बल गिर जाती है मुख्य मंत्रीजी की खुद की कांस्टीट्यूएंसी में और कलेक्टर की विफलता से गिरती है, प्रशासन की विफलता से गिरती है। ए.डी.एम., एस.डी.एम., सी.एम.एच.ओ., डिप्टी सी.एम.एच.ओ. और उसके सामने मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन डंका बजाकर, छाती ठोक कर यह कहता है कि यह चिरंजीवी में नहीं आता और मैं वहां पर कहती रह गयी यह चिरंजीवी में आता है। मैंने मेरी गाड़ी का गियर पता करने के बाद लगाया है। I could override

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

the Collector because I was a vigilant legislator and I knew the rules. मैं पढ़कर आती हूं। मैं डाक्टर तो नहीं हूं मैं नब्ज तो नहीं पकड़ सकती लेकिन राजनीति की नब्ज पकड़ना कुछ-कुछ सीख रही हूं। हम न फाइनेंशियल मेमोरेंडम लेकर आये, हमने कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं किया राइट-टू-हैल्थ पर, आज आप जब सदन में अपना वक्तव्य दें तो ऐसे प्रशासनिक फेल्योर के ऊपर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और नेतृत्व की छवि छोड़िये कि आप तुरंत प्रभाव से वह फाइल मंगवाइये और मैं सारे के सारे डाकूमेंट्स आज यहां पर टेबल करूंगी उस प्रकरण के।

आपके कथित जवाब के अंदर आपका जो पन्ना आया था, वह भी मैंने पढ़ा है और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए जिसने वह कागज भेजा। उसने आपके जवाब के अन्दर हास्पिटल का कथन लिखकर भेजा है, हास्पिटल का कथन। वह सी.एम.एच.ओ. की जांच नहीं है। वह हास्पिटल का कथन है और सी.एम.एच.ओ. हास्पिटल का कथन लिख रहा है तो हम किसके क्या बन रहे हैं? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? It is an absolute administrative failure. आज जब आप सदन में कहें तो एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसी दादागीरी करने वाले हास्पिटल्स का एम्पैनलमेंट कैंसिल हो जैसे सीकर के अन्दर सीकर के कलेक्टर ने किया। अगर कलेक्टर नहीं कर पा रहा है तो आप कीजिए। एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर फेल हो जाता है और गरीब की आवाज बनने के लिए हम यहां पर आये हैं सदन के अन्दर। आम व्यक्ति, चिरंजीवी का आप अगर पढ़ेंगे तो वह कहता है कि यह योजना हम उस गरीब के लिए, उस आम व्यक्ति के लिए, उस निराश्रित व्यक्ति के लिए लेकर आये हैं। क्या हर बार एक विधायक को आना पड़ेगा उस निराश्रित की आवाज बनने के लिए? क्या हम हमारे प्रशासन को जगायेंगे नहीं? क्या हम उसको संवेदनशीलता नहीं देंगे कि इस तरह की शिकायत आयेगी तो हम उसके ऊपर कड़ा रुख अपनायेंगे। आज आप अनाउंस करियेगा इस सदन के अन्दर, कि उसका एम्पैनलमेंट कैंसिल किया जाए। (व्यवधान) क्यों? एम्पैनलमेंट कैंसिल करना है। रिजाइन क्यों करना है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्रीजी। मुझे पूरी उम्मीद है उनके सशक्त नेतृत्व पर।

श्री सभापति: धन्यवाद।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): बस लास्ट में फिनिश कर रही हूं। राइट-टू-हैल्थ एक हिस्टोरिक मूवमेंट आज हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। राठौड़ साहब हैं नहीं, बैठे थे अभी। बोल रहे थे और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और मैं उनकी स्पीच को सुन रही थी। कुपोषण, एन.सी.डी. से मौतें, एन.एच.एस., एन.एफ.एस., आई.एम.ए. के प्रस्ताव आये या नहीं आये, बीच-बीच में यह बताना कि 19 धाराओं को पढ़ा है। जो महल उन्होंने गढ़ा, बिल के एक-दो क्लाज के अलावा सारी बातें उन्होंने की। ऐसा लग रहा था कि आज हम स्वास्थ्य के ढ़ांचे के ऊपर विचार कर रहे हैं, न कि राइट-टू-हैल्थ बिल पर। इनको अपने सेटेलाइट हास्पिटल की ज्यादा चिन्ता थी कि किसी भी तरह दबाव में वह खुल जाए तो मैं भी वोटों में जा सकूं। इनका agenda behind the curtain यही था। पूरी बातें करके बीरबल की खिचड़ी बना दिया राइट-टू-हैल्थ को राठौड़ साहब ने। एक बात उन्होंने जरूर की क्लाज 3 सी की।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप वाला एजेण्डा तो बता दो इनको। हम आपके साथ हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): बता दिया मैंने। टेबल कर रही हूं मैं। मुझे जब-जब आपके साथ की जरूरत होगी, मैं ले लूंगी। वैसे मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है।

श्री सभापति: प्लीज, आपस में बात नहीं करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट के दो पाइन्ट हैं, मैं कन्क्लूड कर रही हूं। 3-सी की बात राठौड़ साहब ने की कि इमरजेंसी के अन्दर आप नि:शुल्क करके पैंडोरा बाक्स खोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी। मुझे तो पहले भाजपा के सदस्य यह बतायें कि आप जिस गरीब, आप व्यक्ति और नर में नारायण ढूंढते हैं, आप उस गरीब के पीछे हैं या प्राइवेट अस्पताल जो शोषण करते हैं, उनके पीछे हैं? यह बताइयेगा, इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी के अन्दर हम कैसे कहें कि आप पैसे लीजिए। मुझे लगता है कि वह नि:शुल्क होना चाहिए। दूसरी बात डाक्टर्स की आशंका आज इमरजेंसी सर्विस को नि:शुल्क करने की है। मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि जब इसके रूल्स बनेंगे तब इन आशंकाओं को भी दूर किया जाए।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आज प्राइवेट सेक्टर के 890 अस्पताल चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हैं और उन सबको पूरा का पूरा री-एम्बर्समेंट करना पडेगा लेकिन हम यह क्लाज नहीं डालेंगे तो आज जिस तरीके से जोधुपर के अन्दर हुआ, कोई भी व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने आयेगा, उसको ये पहले कहते हैं कि आप पहले इन्फार्म कन्सेंट साइन कीजिए। वह तो मृत हालत में आता है। कन्सेंट साइन करवा लेते हैं कि चिरंजीवी नहीं चाहिए। पहले पैसे जमा करवायें। जो जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, वह आपसे जिदेगा? वह पैसा जमा करायेगा या इलाज शुरू करायेगा? पैसा जमा नहीं कराने के कारण ऐसा नहीं हो कि जीवन चला जाए उस व्यक्ति का। उस लड़ाई के बीच में आप कह रहे हैं कि नहीं, you are favoring the private entity. आप पूंजीपतियों की पार्टी हो और हर बात में आपकी यह बात झलकती है।

मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूं, कन्क्लूड करती हूं कि, it is a historic moment. स्वास्थ्य अधिकारों को हमने कानूनी जामा पहनाया है और स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें, यह एक महत्वपूर्ण कदम उसके अन्दर है। मैं सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करती हूं। I withdraw my amendment in favor of this bill.

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जोरारामजी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल के उद्देश्य व कारणों का कथन में 16 से 21 तक की लाइन में लिखा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किये जाने के लिए नागरिकों को विधिक अधिकार एवं हक प्रदान करना चाहती है इसलिए जन स्वास्थ्य के राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन को बढ़ाये जाने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व सक्रियता से स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाये जाने का विनिश्चय किया है।

सभापति महोदय, सरकार इस बिल के जरिये नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में विधिक एवं हक प्रदान करना चाहती है। यह अच्छी बात है लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति प्रदेश में बदतर है कि नागरिकों को इस बिल के जरिये हक मिलना मुश्किल है। आज प्रदेश में अस्पतालों में डाक्टर्स के 40 परसेंट पद रिक्त हैं, नर्सिंग स्टाफ में 40 परसेंट पद रिक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्र में

(श्री जोराराम कुमावत)

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के अभाव में सेन्टर 10-10 वर्षों से बन्द पड़े हैं। ग्रामवासियों को पूरा इलाज भी नहीं मिलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सुमेरपुर, तखतगढ़, साण्डेराव, कोशेलाव, मणिहारी, चाणोद- छह सी.एच.सी. हैं और उनमें 21 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं जिनमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिशियन जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। लोगों को स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिलेगा? सब सेन्टर्स में भवन नहीं है। कई जगह है तो वह जर्जर अवस्था में है। रिपेयरिंग के लिए विभाग से कोई बजट नहीं मिलता है। बड़े शहरों को छोड़कर सभी सी.एच.सी. में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है। सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल एक्स-रे मशीन भी नहीं है, मोर्चरी की भी व्यवस्था नहीं है। मरीजों के ठहराव के लिए पर्याप्त वार्ड नहीं हैं, पर्याप्त बैड नहीं है, ट्रोमा सेन्टर नहीं है, नेशनल हाई-वे पर हर 50 किलोमीटर पर ट्रोमा सेन्टर होना आवश्यक है जिससे दुर्घटना के समय मरीजों को उचित समय पर हास्पिटल में पहुंचाकर इलाज करवाया जा सके लेकिन पाली से सिरोही 130 किलोमीटर है और जालौर से देसूरी-चारभुजा तक 140 किलोमीटर तक कहीं भी ट्रोमा सेन्टर नहीं है। वहां दुर्घटनाएं होती हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिससे मरीज बीच में ही दम तोड़ देता है। पिछले चार वर्षों से नेशनल हाईवे 62 पर साण्डेराव में ट्रोमा सेन्टर खोलने की मांग सरकार से मैं कर रहा हूं। मंत्रीजी से भी कई बार निवेदन किया, लेकिन एक ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति भी नहीं मिली है। अस्पतालों में रेडियोग्राफर नहीं है, रात्रि में अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं मिलते हैं। डाक्टर्स व मरीजों को बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर भी नहीं है। मरीजों को बैठने के लिए कई जगह छाया की व्यवस्था नहीं है। कई अस्पतालों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। आपात स्थिति से निपटने के लिए वार्ड व अन्य सुविधाएं नहीं हैं।

कोरोना के समय हम सबने देखा है कि गैस सिलेण्डर, ऑक्सीजन, कंसन्ट्रेटर व प्लान्ट का रख-रखाव भी नहीं है। भारत सरकार, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों ने जो ऑक्सीजन प्लान्ट लगवाये, वह बहुत जल्दी भंगार में तब्दील हो जायेंगे क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

होम्योपैथी और आयुर्वेद के प्रति सरकार की उदासीनता से यह विभाग और हास्पिटल पीड़ित है। जनता कोरोना के बाद आयुर्वेद के प्रति जागरूक हुई लेकिन आयुर्वेद औषधालयों में वैद्य और कम्पाउण्डर्स के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। नये हास्पिटल्स खोलने में सरकार रुचि नहीं ले रही है और जो

(श्री जोराराम कुमावत)

हास्पिटल चल रहे हैं वहां भवन भी नहीं है। इन सबके बावजूद सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य के मामले में विधिक हक प्रदान करना चाहती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डाक्टर्स की कमी, नर्सिंग स्टाफ की पूर्ति किये बिना व भौतिक सुविधाएं व अच्छे भवन व उच्चतम क्वालिटी की सुविधा प्रदान किये बिना नागरिकों को चिकित्सा सुविधा व हक कैसे मिलेगा? इसलिए बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आप अच्छी व्यवस्था व चिकित्सा सुविधा नागरिकों को प्रदान कर दो तो उनका हक तो वैसे ही अपने आप मिल जायेगा।

सरकार ने कोरोना के समय जो अव्यवस्था देखी, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया। कोरोना जैसी महामारी में चिकित्सा व्यवस्था की कमी से कई लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ा और लोगों को चिकित्सा व्यवस्था की कमी के कारण सबक भी सीखना पड़ा लेकिन सरकार ने सबक नहीं लिया।

भामाशाह योजना में महिलाओं की डिलीवरी व बच्चेदानी का आपरेशन नि:शुल्क होता था। आपने भामाशाह योजना बन्द कर दी। चिरंजीवी योजना चालू तो कर दी लेकिन मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा कि उसमें महिलाओं की जो डिलीवरी होती है या बच्चेदानी का इलाज होता है, उसको चिरंजीवी योजना में शामिल ही नहीं किया। मैं मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको उसमें शामिल करें ताकि महिलाओं को पूरा लाभ मिले। नि:शुल्क दवा योजना के तहत आजकल हास्पिटल्स में दवाइयां पूरी नहीं मिलती हैं।

इस बिल के पृष्ठ संख्या 6 पैरा संख्या 5 के अनुसार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन का उल्लेख किया हुआ है। इसमें किसी भी जन प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया है और सम्मिलित करते तो निश्चित रूप से अच्छे सुझाव मिलते।

इसी तरह पैरा संख्या 8 में जिला प्राधिकरण के गठन का उल्लेख किया है। जिले में सर्वाधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को इसका सदस्य नहीं बनाया है। यदि जिले के सभी विधायकों को इसका सदस्य बनाते तो निश्चित रूप से प्राधिकरण का संचालन करने में मदद मिलती।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): पृष्ठ संख्या-6 पर क्रम संख्या-3 में

(श्री जोराराम कुमावत)

स्वास्थ्य का अधिकार में खण्ड-ख में अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाने वाले, जिसमें बाह्य रोगी, अंतरंग रोगी, सेवाएं, परामर्श, औषधियों का निदान, आपात परिवहन प्रक्रिया और सेवा, आपातकालीन व परिचर्या का नि:शुल्क उपयोग करना इसमें दर्शाया गया है। यदि दिव्यांगों और कुष्ठ रोग के मरीजों को भी आपात परिवहन में शामिल करते, तो निश्चित रूप से इन वर्गों को भी इस बिल से फायदा मिलता। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब दुर्घटनाएं होती हैं तो दुर्घटनाओं के समय जो घायल होते हैं, उनको प्राइवेट हास्पिटल्स में ले जाना पड़ता है। कई बार लैंगिक हमले, आत्महत्या, हत्या का प्रयास, विष प्रयोग, घरेलू हिंसा के कारण क्षति, रोजगार के अनुक्रम में कर्मकारों की क्षति होने पर प्राइवेट हास्पिटल में ले जाते हैं तो वहां पर पुलिस की उपस्थिति के बिना उनका समय पर इलाज नहीं होता, जिससे कई बार वहां पर उन लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे अवसरों पर इस बिल में प्रावधान तो किया है, लेकिन पानी में डूबने वाले घायल व्यक्ति और आग से झुलसने वाले घायल व्यक्ति को इस बिल में शामिल नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल आनन-फानन में लाया गया है और जल्दबाजी में आपने इस बिल को यहां सदन में पेश किया है। निश्चित रूप से इसमें कई तरह की कमियां हैं और उन कमियों को जानने के लिये मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि इसे छह माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये और जनता के सुझाव लेकर फिर बाद में आने वाले सत्र में इसको पेश किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज सदन में मौजूद हैं और जो लोग आज इस बिल को पास कर रहे हैं या बिल लेकर आये हैं, उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि राजस्थान राज्य का लक्ष्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों और उनमें साम्या के संरक्षण और उनकी पूर्ति करना और भारत के संविधान के

(श्री बलवान पूनियां)

अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिये स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक नि:शुल्क पहुंच और उसमें समानता का उपबंध करना भी है।

माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान ने जिस तरीके से लोगों को जीने का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार दिया, उसी तरीके से सन् 2005 में काम का अधिकार मिला और मनरेगा कानून देश में बना। माननीय सभापति महोदय, उस कानून के बाद देश की जनता, जिसके दोनों हाथों में काम नहीं था, लोगों को 100 दिन का काम मांगने की गांवों में गारंटी मिली थी। उसका बहुत बड़ा ढांचा देश में खड़ा हुआ। आज पंचायती राज मनरेगा आने के बाद बहुत मजबूती महसूस कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राइट-टू-एजूकेशन, जब शिक्षा का अधिकार कानून बना, उस कानून के बाद आप देखेंगे कि स्कूलों की स्थितियां बदली हैं। समग्र शिक्षा विभाग, DPEP से लेकर आज तक तमाम विभागों ने स्कूलों में ढांचागत निर्माण पैदा किया है। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ विधेयक नहीं है, यह राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिये कानून आया है जो अपनी प्राथमिक सीढ़ी के रूप में आज राजस्थान की विधान सभा में आया है। राजस्थान की विधान सभा से हम उम्मीद करते हैं कि यह बिल पास होने के बाद राजस्थान प्रदेश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य की न सिर्फ कामना करेगा, बल्कि स्वास्थ्य को लागू करने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य की इस कामना को लागू करने के लिये आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत होगी। ऐसे नौजवान, पढ़े-लिखे, जो आपके नर्सिंग किये हुए बच्चे हैं, नर्सिंग की हुई बच्चियां हैं, वे हास्पिटल के गेट पर मिलनी चाहिये, जो यह बतायें कि फलां बीमारी का डाक्टर उस कैबिन में बैठता है। यह इशारा वहां तक पहुंचाना, मरीज को सुविधा करने का काम आपके वहां नौजवान स्टाफ करेगा। इसलिए मैं, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज 28 हजार सी.एच.ए. जो आपने कोरोना पीरियड में लिये थे, उस समय संकट था और

(श्री बलवान पूनियां)

लोग तिल-तिलकर मर रहे थे, उस समय लोगों को आपने इनवाइट किया। आज स्वास्थ्य के अधिकार के इस कानून के तहत उन बच्चों को वापस इनवाइट करिये और इस सेवा में लगाइये ताकि आपके इस कानून को मजबूती से हर जनता तक पहुंचाने का काम करें। आपके यहां उन बच्चों को याद करिये जिन्होंने कोरोना में रात-दिन लोगों की जांच के लिये कम्प्यूटर पर बैठकर एक-एक की जांच सुनिश्चित करवाते थे और आपकी जांचें जिला अस्पताल में बहुत लेट हुई सबसे पहले आपकी और हमारी जांचें पूना में गयी थीं। वह कागज तैयार करने वाले उन बच्चों की तरफ आप देखिये। मैं कहना चाहता हूं उस लैब असिस्टेंट से पूछिये जिसने अपने जीवन को संकट में डालते हुए, लोगों ने दो-दो, तीन-तीन मास्क लगाये हुए थे उस समय। मैंने देखा है लोगों को, उस समय एक ऐसा खौफ था। उस समय लैब असिस्टेंट और लैब टैक्निशियन ने सेवा की। वह आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारी बात सुने, हमारी भर्ती करे। मैं सिर्फ मांग नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यह कानून तभी मजबूत होगा जब हम लोगों को इसमें साथ जोड़ेंगे, हम हास्पिटल के स्टाफ को मजबूत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज NRHM का क्या हाल है? आपने हास्पिटल के लिये करोड़ों रुपये दिये हैं। उन हास्पिटल्स की बिल्डिंगें तीसरे साल में दरार दे जाती हैं। यह NRHM के हाल हैं। NRHM के एक्स.ईएन. और जे.ईएन. आपको पूछते नहीं। तीन-तीन, चार-चार महीने आप बजट पारित किये हो गये, घोषणा किये हुए छह-छह, आठ-आठ महीने हो गये। दूसरा बजट आने को है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिये यह कानून जोरदार लाये हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिये इस तरह की टीम की हमें जरूरत है। इस टीम को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के साथ-साथ इसमें प्रावधान करें। प्रावधान में न तो राज्य के प्राधिकरण में जन प्रतिनिधि हैं और न जिले के प्राधिकरण में। मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब कोरोना आया तो एक-एक विधायक को बार-बार बात करके पूछते थे कि आपको क्या मदद करनी है। एक-एक विधायक हर हास्पिटल, सी.एच.सी., पी.एच.सी. में और अपने जिला अस्पतालों में भागदौड़ करके जनता को बचाने का काम करते थे। उसके विधान सभा क्षेत्र में उस विधायक के सामने जब भी कोई स्वास्थ्य

(श्री बलवान पूनियां)

संबंधी दिक्कत आती है, तो लोग सवाल विधायक से करते हैं, लेकिन इस बिल में उसका नाम नहीं है। आप किस तरह से सिर्फ कलेक्टर पर छोड़ रहे हैं? कलेक्टर चार महीने, छह महीने में जिले को समझता है उससे पहले तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। जन प्रतिनिधि पांच साल के लिये चुनकर आता है। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी मार्किंग होती है बाकायदा कि आपने पांच साल स्वास्थ्य में क्या काम किया, शिक्षा में क्या काम किया। इसलिये हमारा मानना है कि आप जन प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करें।

माननीय सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि हम उन बच्चों पर भी गौर करें जो बच्चे MBBS के लिये यूक्रेन गये थे लेकिन यूक्रेन में युद्ध की वजह से वह बच्चे आज सड़क पर आ गये। आप उन पर भी गौर करें।

माननीय सभापति महोदय, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हास्पिटल में जाते हैं, लेकिन हास्पिटल वाला यह कहकर भगा देता है कि यह बीमारी और यह दवाई तो हमारे इस योजना में है नहीं। इसलिये आप यह ताकीद करें कि जिस तरह से भामाशाह योजना में फर्जी भामाशाह कार्ड बनकर बिल बन जाते थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को भी मंत्री महोदय चैक करवायें कि कहीं फर्जी बिल तो नहीं बन रहे हैं। इसके साथ यह भी गौर करिये IPD, OPD क्या है? मेरे तकलीफ हो गयी थी, मैं एक दिन इटरनल हास्पिटल में चला गया। मैं वापस चलने लगा तो मुझे 22 हजार का बिल दे दिया। मैंने पूछा 22 हजार का बिल किस बात का? मैं तो RGHS में जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब आप OPD में थे, IPD में होते तो फ्री होते। आप जब यह बिल लेकर आये हैं तो IPD और OPD का झंझट खतम करो और हास्पिटल के अंदर जो लोग घुस गये, उनका इलाज नि:शुल्क करने का प्रोविजन करें और जांच करो इस बात की, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जब MLA को बोलना पड़े या जन प्रतिनिधि को बोलना पड़े, मैं पर्टिकुलर हास्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा। यह बात सही है कि मजबूर होकर कोई विधायक धरने पर बैठता है। प्राइवेट हास्पिटल्स की दादागीरी है, इस दादागीरी को कम करिये और इस मजबूत कानून को लागू करने के लिये मंत्री महोदय, आपको और ज्यादा भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर जन प्रतिनिधि आपका साथ देगा और राजस्थान प्रदेश की बीमार जनता को ठीक करने का प्रयास करेगा।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, लास्ट एक मिनट लूंगा। इसके साथ-साथ जल जीवन मिशन में पेयजल की बात कहूंगा, आप स्वास्थ्य विभाग की टीम को जोड़िये। जल जीवन मिशन में अगर हम शुद्ध जल पिलाने का प्रबन्ध करते हैं, हमें बीमारियों के प्रिवेंशन पर उतना ही खर्च करना चाहिये जितना हम बीमारी के उपचार पर खर्च करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जो पानी से पैदा होती हैं। लोगों के रोजमर्रा की छोटी-छोटी बीमारियां होती हैं। आज जुकाम पांच हजार में ठीक होता है, अगर वह सरकारी हास्पिटल नहीं जाये तो। छोटी-छोटी बीमारियां पानी से पैदा होती हैं, इसलिए बढिया क्वालिटी का पानी हम जनता को पिलायें। जनता के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ दीपावली पर आप लोगों का दूध, घी चैक करें, बल्कि हमेशा ही एक इंस्पेक्टर छोड़ दो। दूध और घी में बड़ा कचरा पिला रहे हैं। आज गाय बची ही नहीं और घी आप तो किसी भी ब्रांड का ले लो। बाबा रामदेव ब्रांड का भी ले लो। बाबाजी पता नहीं कहां गाय पाल लिये? घी ले लो आप कितना ही। ये जो मिलावट का धन्धा है उसको बन्द करवाइये। हम सब लोग स्वस्थ हों, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे और आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, यह हम उम्मीद करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरा जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, मैं इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूं कि आने वाले समय में हम राजस्थान के लोगों को बिलकुल चिकना, जोरदार और मस्तमौला बना देंगे। थैंक यू।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक हम लायेंगे। चार साल के इन्तजार के बाद आप लोग इस बिल को लाये हैं। हमने सोचा कि चार साल बाद आप यह बिल लाये हैं तो निश्चित रूप से इस पर गहन चिन्तन किया होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनसे विस्तृत विचार-विमर्श किया होगा और एक फूलप्रूफ विधेयक आप लाये होंगे, परन्तु जब विधेयक आया और आज समाचार पत्रों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों की

(श्री कालीचरण सराफ)

और संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं मैंने पढ़ीं और उनका यह आरोप कि हमारे से बिना चर्चा किये इस बिल का प्रारूप आप इस विधान सभा में लाये हैं तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। विशेषज्ञों ने तो इस कानून को बड़ा अव्यावहारिक बताया है। माननीय मंत्री महोदय, जो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम लाये थे उसके अभी तक रूल्स नहीं बने हैं, कहीं इस राइट-टू-हैल्थ बिल का भी हाल वही न हो, इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस बिल को बहुत जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि चार साल तो निकल गये हैं, आज इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें या जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करें और सब लोगों से राय मशविरा करके त्रुटि रहित इस बिल को लायेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के जनता की लिए यह हितकारी होगा।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह बिल कल आया, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मैंने इसमें से कुछ बातें निकाली हैं कि आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि बिना पूर्व भुगतान के चिकित्सा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी या अन्य कोई एजेंसी करेगी, इसका इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है। निजी अस्पतालों के लिए आपने कहा है कि हम एक समान कीमत तय करेंगे लेकिन निजी अस्पतालों में कहीं पर क्या सुविधा है, कहीं पर क्या सुविधा है, ये कीमत कैसे तय करेंगे? इसके बारे में भी आप बतायें। स्वास्थ्यकर्मियों के प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा से उचित सुरक्षा और रोकथाम की भी इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी दौसा के अन्दर जो काण्ड हुआ, एक डाक्टर को सुसाइड करना पड़ा तो इसके लिए इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी प्रकार से झोलाछाप चिकित्सकों को रोकने के लिए भी इस बिल में आपने कोई प्रावधान नहीं किया। मेरा सुझाव है कि सी.एम.एच.ओ., जिला कलेक्टर या एस.डी.एम., यदि अधिकारियों को ... (व्यवधान) हमारी बात सुन लो साहब, आपके फायदे की बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, झोलाछाप चिकित्सकों को रोकने के लिए भी किसी को उत्तरदायी ठहराइये, तब इस बिल की सार्थकता होगी। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु देखभाल पर भी इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(श्री कालीचरण सराफ)

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आपने बिन्दु संख्या 10 शिकायत निवारण तंत्र में यह कहा है कि जो भी शिकायत करेगा, उसकी शिकायत पर कार्यवाही की जायेगी। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि इसमें आप यह और जोड़िये कि जो बर्डन आफ प्रूफ है वह शिकायतकर्ता के ऊपर होगा और जो गलत शिकायत करेगा उसके लिए भी दण्ड का प्रावधान कीजिये, नहीं तो कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत कर देगा और आप उसकी जांच करिये। जांच में सही पायी तो ठीक, नहीं पायी तो ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किये आपके मैन पावर की कमी, आप हर सूचकांक में पूरे देश के प्रांतों से यदि तुलना करेंगे, पूरे देश के सूचकांक से यदि तुलना करेंगे तो सबसे नीचे हम हैं तो आप किस प्रकार से राइट-टू-हैल्थ को लागू कर पायेंगे। इसके बारे में भी जब आप जवाब दें तो निश्चित रूप से बतायें।

माननीय सभापति महोदय, आपने चिरंजीवी योजना लागू तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि केवल जयपुर जिले में आपने मई, 2021 में चिरंजीवी योजना की शुरुआत की। जयपुर जिले के 136 अस्पतालों के खिलाफ मरीजों को मुफ्त इलाज से इंकार करने की 782 शिकायतें आपको मिलीं, इन शिकायतों में से 502 शिकायतें फीस वसूलने के खिलाफ और 163 शिकायतें मरीजों को इलाज से इंकार करने और 117 शिकायतें नीति, तकनीकी और अन्य चीजों से सम्बन्धित थीं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय मैंने हैल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात की, ये जो बड़े-बड़े हास्पिटल हैं, इटरनल हास्पिटल, महात्मा गांधी, ये सब एम्पैनल्ड हैं चिरंजीवी योजना में, परन्तु उन्होंने कोविड के अन्दर जिस प्रकार से और लूट मचायी, इंकार कर दिया कि हम चिरंजीवी योजना में आपका इलाज नहीं करेंगे, परन्तु किसी भी एक प्राइवेट हास्पिटल के खिलाफ आप लोगों ने कार्यवाही नहीं की, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी, एस.एम.एस., जो सबसे बड़ा हास्पिटल है नोर्थ इंडिया का, आपने घोषणा की, मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी घोषणा की कि सबका इलाज नि:शुल्क किया जायेगा, सबकी जांचें नि:शुल्क की जायेंगी। वहां पर जबरदस्त भीड़ हुई, दो-दो, तीन-तीन घण्टे तक मरीज को लाइन में खड़ा रहना पड़ा, परेशानी हुई, फिर मुख्य मंत्रीजी को लगा कि हमने घोषणा में गलती कर दी तो उन्होंने फिर कहा कि जिसके पास जन-आधार

(श्री कालीचरण सराफ)

कार्ड होगा, जो राजस्थान का निवासी होगा उसका ही हम इलाज कर पायेंगे। पर आज क्या स्थिति है? आपके एम.आर.आई., सीटी स्कैन की यह स्थिति है कि रात को दो-दो बजे तक वहां एम.आर.आई. और सीटी स्कैन होती है और दो-दो महीने की पेंडेंसी चल रही है आपकी। साधारण जांच, ब्लड की जांच के लिए भी सात-सात दिन की पेंडेंसी वहां पर चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, हद तो तब हो गयी, आपको ध्यान होगा, मैं मेरे मूल विषय पर आता हूं, जयपुरिया हास्पिटल, आप देखिये कि हास्पिटल का भार कम करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो हमने जयपुर के चारों दिशाओं में जो बड़े-बड़े हास्पिटल थे, चाहे कांवटिया हास्पिटल था पश्चिम में, पूर्व में सेठी कॉलोनी में सैटेलाइट हास्पिटल था, उत्तर में गणगौरी हास्पिटल था, दक्षिण में जयपुरिया हास्पिटल, इनमें हमने सुविधाएं बढ़ायीं, जिससे कि एस.एम.एस. का भार कम हो। जयपुरिया हास्पिटल में जहां 2013 में 300 का आउटडोर था आज वहां सुविधाओं का विस्तार किया तो 3000-3500 का आउटडोर हो गया। 100 बैड थे उसकी जगह आज 470 बैड हमने कर दिये। आज वहां एम आर आई की सुविधा, सीटी स्कैन की सुविधा, इमर्जेंसी की सुविधा, ट्रोमा वार्ड की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, एस.एन.सी.यू. की सुविधा, सारी सुविधाएं, लेकिन आपने 3 तारीख को एक आदेश निकाला, क्योंकि वहां पर 48 पद स्वीकृत हैं और 83 डाक्टर लगे हुए हैं, आपने उसमें से 22 डॉक्टरों को अधिशेष बताकर वहां से हटा दिया। 11 डाक्टर जो वहां पर प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए थे उनको हटा दिया, 83 में से 33 डॉक्टरों को हटा दिया और 50 डाक्टर बचे, उनको रिलीव भी कर दिया। आज आप जयपुरिया हास्पिटल की स्थिति जाकर देखिये कि जो ओ.पी.डी. वहां पर 3000-3500 की थी वो आज 2000 तक रह गयी है। आई.पी.डी. में जहां 95 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी थी आज वह धीरे-धीरे कम होती जाकर 70 प्रतिशत पर आ गयी है। वहां महिलाओं की डिलीवरी होती थी, 250-300 डिलीवरी प्रति माह होती थी, 500 से ज्यादा सर्जरी होती थी, आज उसमें भी गिरावट आ रही है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप राइट-टू-हैल्थ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जयपुरिया हास्पिटल जो एस्टेब्लिश्ड हास्पिटल है, सरकारी हास्पिटल है उसकी यह स्थिति है और इससे फायदा किसे हुआ? जो निजी अस्पताल हैं आस-पास, वहां मरीजों को मजबूरी में जाना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि पोस्टें बढ़ाएं। जब

(श्री कालीचरण सराफ)

तक नये पद स्वीकृत नहीं होते, तब तक के लिये वहां वैकल्पिक व्यवस्था कीजिये। अब इसमें एक काम और हो गया। हमारे एस.एम.एस. के प्रिंसिपल ने वहां लैटर लिख दिया कि यहां जितने भी नर्सिंगकर्मी लगे हुए हैं, पहले तो यह एस.एम.एस. के अंडर आता था, इसलिये हमने पचास नर्सिंगकर्मी लगा रखे थे, अब चूंकि यह आर यू एच एस के अंडर आने लग गया, इसलिये 01 तारीख के पहले-पहले इन पचास नर्सिंगकर्मियों को रिलीव कर दीजिये। क्या करना चाहते हैं आप? क्या जयपुरिया हास्पिटल को बन्द कर देना चाहते हैं? आज मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र, सांगानेर विधान सभा क्षेत्र और बगरू विधान सभा क्षेत्र, इन तीनों के गरीब लोग वहां पर अपना इलाज करवाते हैं। कृपा करके उसका बुरा हश्र मत होने दीजिये और जयपुरिया हास्पिटल में जो पूर्व में व्यवस्था थी, उसे जारी रखिये, जिससे कि वहां गरीबों का इलाज हो सके।

जहां तक राइट-टू-हैल्थ बिल का सवाल है, अब आपके डाक्टर्स की स्थिति मैं बताना चाहूंगा। डाक्टर्स, एम ओ और स्पेशलिस्ट का स्टाफ में आल इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से 1:4 का रेशो होना चाहिये। यहां अपने पास 1:3 का रेशो है।

(समय: 15.41 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

जिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एम ओ विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स और ए.एन.एम. की उपलब्धता 9 होनी चाहिये 10 हजार पर। हमारे यहां राजस्थान में है 6, और यहां स्टाफ नर्स में 4,012 पद रिक्त हैं, लैब टेक्निशियन के 2,077 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 754 पद रिक्त हैं, एम ओ-एम बी बी एस के 2,891 पद रिक्त हैं और स्पेशलिस्ट डाक्टर्स के 3,383 पद रिक्त हैं। इनके बारे में आपकी क्या सोच है? ये पद कब तक भरेंगे? राइट-टू-हैल्थ बिल तो आप ले आये, पर यदि डाक्टर नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, फार्मासिस्ट नहीं होंगे, आपके लैब टेक्निशियन नहीं होंगे तो यह राइट-टू-हैल्थ आपका कैसे चलेगा? जब आप जवाब दें तो बताएं कि इन पदों को भरने के लिये आपका क्या कार्यक्रम है। मैं बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि सारी बातें आ गयी हैं। मैं उनका रिपीटिशन नहीं करूंगा। मैंने जो बातें बताईं, इनके बारे में आप निश्चित रूप से बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022, मैं सोचता हूं कि इसकी भावना का जहां तक सवाल है, कोई भी इसके विरोध में हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे स्वास्थ्य का अधिकार मिले। न इसमें पक्ष है और न विपक्ष, पर मुझे इस बात का दु:ख है कि जब इतना बड़ा अधिकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के लिये देने जा रहे हैं तो कम-से-कम इस बारे में तो डिपार्टमेंट को यह देखना चाहिये कि हम यह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या केवल एक झुनझुना देकर उसके हाथ में पकड़ा देंगे? उससे क्या उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी?

मैं सोचता हूं कि भावना बहुत अच्छी हो सकती है जिस इच्छा से लाये होंगे, उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन मुझे दो-तीन चीजों से प्रारम्भिक विरोध है। जब इतना बड़ा बिल आप हाउस में ला रहे हैं और कल सवेरे दस बजे यहां पर उपस्थित होने के समय हमें ये कागज मिले तो मैं सोचता हूं कि यह बिल इस विधान सभा द्वारा बनने वाले कानून का मजाक है। हम और आप सब लोग यहां आते किसलिये हैं? हम यहां पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन कानून बनाते समय तो, आने वाली पीढ़ियां इसके आधार पर अपना जीवन जीएंगी। उस पर चर्चा करना, उसकी कमियों को समझ लेना, चाहे हम पक्ष में हों अथवा विपक्ष में, अगर आप पक्ष में हैं तो विथड्रॉ कर लें कि हम इसे वापस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी सच्चाई तक पहुंचने का तो प्रयत्न करना चाहिये।

यहां भी अगर हम पार्टी बनकर विषय पर डिस्कशन करेंगे तो बनने वाले कानून के साथ न्याय नहीं करेंगे। दु:ख इस बात का है कि जो विधान सभा का सबसे बड़ा काम है, उस कानून को बनाने में ही हमारी सबसे अहम भूमिका है, पर दुर्भाग्य है हमारा कि हम में से अधिकांश लोगों को इसे पढ़ने का जितना समय मिलना चाहिये, कम-से-कम चार-पांच दिन पहले ये बिल हमें आप भेजते, तब तो हम समय निकालते और इसकी एक-एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करते और यदि केवल यस और नो करना है तो यह इस विधान सभा का उपयोग करना नहीं, इसका अपमान करना है। ऐसा मैं महसूस करता हूं।

अधिकारियों को भी पता नहीं क्या सनक चढ़ी है और लॉ डिपार्टमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को भी कि एक दिन पहले लाकर पटक दिया, जैसे कोई धरती फट जायेगी। अगर यह कानून छह महीने बाद बना तो राजस्थान डूब जायेगा? 70 साल में तो डूबा नहीं, लेकिन अब आप अगर नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से डूब ही जायेगा। यह जो इतनी जल्दी है, क्या यह सरकार के आने और जाने की निशानी है? मैं जाऊं तो इसका श्रेय लेकर जाऊं। मेरे खाते में लिखा जायेगा कि मैंने राइट-टू-हैल्थ दिया है। राइट-टू-हैल्थ तो तब देंगे, जब इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा। क्या इसके बारे में किसी समझदार आदमी को समझाने की जरूरत है?

जब आप इतना बड़ा अधिकार उसे दे रहे हैं कि वह आपसे कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिये हर लेवल पर जाकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है तो कम-से-कम इन्फ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करें। फिजीकली इन्फ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, मैनपावर आपके पास क्या है और आपकी जेब में कितने रुपये हैं, इन तीनों का हिसाब नहीं लगाकर केवल पास करके इन कागजों को रद्दी की टोकरी में डालने लायक बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बनाएं। आप अपने बहुमत के आधार पर आने वाली पीढ़ी को एक सन्देश देकर जाइयेगा कि राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता के जन प्रतिनिधि विधान सभा में केवल और केवल यहां घूमने-फिरने के लिये आते हैं और अपनी बात कहकर चले जाते हैं। जनता के हित में इससे क्या निकलेगा? मैं आज इस बात को कह रहा हूं, आने वाले लोग इसे याद करेंगे। कानून की भावना अच्छी, कानून का मकसद अच्छा, कानून आना चाहिये, हम सब लोग भी आपके साथ तहेदिल से हैं, लेकिन उसकी प्रारम्भिक तैयारी जिस प्रकार से हो और इस पर डिस्कशन जिस प्रकार से हो, उसकी बनिस्बत आपने इसे लाकर एक फार्मेलिटी कराकर यहां से जाने का जो मकसद बनाया, वह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, राज्य स्तर और जिला स्तर पर आप एक प्राधिकरण बना रहे हैं। इसमें सेक्शन 5 में आप राज्य स्तरीय बना रहे हैं। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने हैं, जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक के न हों। सारे के सारे सरकारी अधिकारी, और इसमें लिखा क्या है कि छह महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है। इमरजेंसी हो तो बुला सकते हैं, लेकिन कम-से-कम छह महीने में। अब ये जो लिटिगेशंस आएंगे, इनमें छह महीने में एक बार बैठेंगे तो टोटका करेंगे, क्या करेंगे?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से जिला स्तर पर एक कमेटी बनायी। उसमें भी कलेक्टर, कलेक्टर को सांस लेने का भी समय नहीं है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिये कि कलेक्टर को हमें कौन-कौन-सी कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिये। जरूरी नहीं है कि हर कमेटी का चेयरमैन वह बन जाये, उसके कारण से मीटिंग ही न हो और इसमें लिखा है कि जिला स्तर की कमेटी की ही एक महीने में एक बार मीटिंग होगी। अब आपके जिला के लेवल पर कोई आदमी राइट-टू-हैल्थ के लिये कहीं गया और उसके साथ यदि न्याय नहीं हुआ तो रोयेगा कहां जाकर? यदि रोयेगा, लिखकर भी देगा तो मीटिंग तो एक महीने बाद होने वाली है। उस मीटिंग में लोग कौन होंगे, जैसे आपने राज्य स्तरीय कमेटी बनायी, वैसे ही आपने जिला स्तरीय कमेटी भी बनायी। इस जिला स्तरीय कमेटी का गठन है सेक्शन 8 में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, होम्योपैथिक अधिकारी, यह अधिकारी, वह अधिकारी, कम-से-कम इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, न तो इसमें जन प्रतिनिधियों की जरूरत है, क्योंकि वह तो अक्ल बिलकुल रखते ही नहीं हैं, वे तो जनता की पीड़ा को समझते ही नहीं हैं, वे जनता के लिये काम करने के लिये तैयार ही नहीं हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिला प्रमुख भी रहेगा, प्रधान भी रहेगा इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, इसमें पढ़ लिया मैंने। जिला प्रमुख भी इसका मैम्बर है और टर्न-बाई-टर्न आपके प्रधानों को भी इसमें रखा है, तो हम सब एम.एल.एज. तो नाजोगे हैं। हम तो जन प्रतिनिधि में आते ही नहीं न? एम.एल.ए. भी नहीं आता, एम.पी. भी नहीं आता। एक तरह से आप तो जल्दी-जल्दी जो कुछ भी लिख पड़ो तो लिख पड़ो, कम से कम आप यह तो सोचते कि जन प्रतिनिधि में से हरेक का एक-एक तो प्रतिनिधि रहे अगर आपकी संख्या ज्यादा होती हो तो और उसके बाद भी एक महीने में एक दिन आप उसको बुला रहे हो। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार की कमेटी बना रहे हो जिस कमेटी में इस प्रकार के जितने भी आपके वादे या जितने भी उनके मुकदमे या जितनी भी उनकी सुनवाई के केसेज आयेंगे उनमें आप राजस्थान में अभी तक तो कुछ भी है, आगे भविष्य में तो आप क्या करोगे मैं नहीं कह सकता हूं पर आज की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तारीख में जितने भी रोगी राजस्थान में इलाज कराते हैं उनमें 63 परसेंट इलाज आज भी प्राइवेट हास्पिटल में होता है। ये जितने भी प्राइवेट हास्पिटल आज की तारीख में तैयार हुए हैं उनके प्रतिनिधि से क्या दुश्मनी थी? अगर उनमें से भी कोई एक प्रतिनिधि रहता, क्यों? क्योंकि आप चिरंजीवी योजना में काम तो उनसे करवाओगे, तो उनसे जब आप काम करवाओगे, वहां भी उनको वह सब सुविधाएं देनी हैं जो सामान्यत: बाकी सरकारी हास्पिटल में मिलना है। आपने इस कानून के तहत उनको बांधने का तो काम कर दिया लेकिन आपने उनकी पीड़ा को सुनने के लिए कोई गली नहीं छोड़ी ताकि उनको भी कहीं सुनें और इसी कारण से उनका विरोध है। आज उन्होंने जो यह पत्र दिया है इसकी भावना मोटे रूप में यही है। यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना पत्र लिखा है उसमें उन्होंने इसी प्रकार से लिखा है कि आखिर हम लोगों को इससे बाहर रखने के पीछे क्या मन्शा थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आई एम ए का यह जो संगठन है और जिला स्तरीय संगठनों के माध्यम से राज्य के निजी एवं सरकारी सेवा प्रदाता चिकित्सालयों का कोई सुझाव सम्मिलित नहीं किया है। अब आप यह कह रहे हो कि हमने तो इसको नेट पर डाल दिया, अब राम धर्म से आप बोल जाओ कि कितने लोगों ने नेट पर पढ़ लिया? हम तो जन प्रतिनिधि हैं न। अगर यह कहकर फार्मेलिटी के हिसाब से करो कि हमने तो नेट पर डाल दिया था, देखना चाहो तो देखो, न देखना चाहो तो मत देखो, यह कोई तौर-तरीका होता है? यह न्याय है इस जनता के साथ में? मतलब यह अफसरशाही का जिस प्रकार से तमाशा हो रहा है और हम सब लोग उसमें शरीक होकर उन लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं। हम अपनी उस जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिसने आप और मुझको चुनकर यहां भेजा है। उसके दर्द को समझने के लिए किसी जरूरत की आवश्यकता आपने नहीं समझी।

यह राइट-टू-हैल्थ विधेयक में निर्बाध चिकित्सा देने को परिभाषित नहीं किया गया। आपातकालीन परिस्थिति में निजी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना पूर्व भुगतान, कोई बात नहीं, उस समय जब बीमार कोई जाता है, इमरजेंसी केस होता है तो यह पाबन्द करना कि उसे इलाज करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं, लेकिन आखिर उसके जो खर्चा आयेगा उसकी पूर्ति कोई तो करेगा? सरकार करेगी, कोई एजेंसी करेगी या कौन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करेगा? आपने तो उसको हवा में छोड़ दिया। आपने एक तरह से उनको इस बात के लिए बाध्य तो किया है और अगर वह नहीं करता है तो लिटिगेशन में आपके जिले में आ जाएगा और जिले वाले को तीस दिन में सुनकर फैसला करना है और वह मिलेंगे ही तीस दिन बाद। मतलब उनका इंतजार हर तारीख को जो आदमी डालेगा, उसको उसी एक तारीख के दिन जो महीने में मीटिंग होने वाली है उसमें तय होना है। वह इतने लोगों के मुकदमे या इतने लोगों की सुनवाई आयेगी वह कमेटी मिलकर निर्णय करके आगे भेज देगी और उससे अगर वह संतुष्ट नहीं है तो तीस दिन के बाद वह स्टेट की कमेटी में जायेगा लेकिन यह अवसर कब मिलने वाला है? मैं सोचता हूं कि सरकारी और निजी चिकित्सा अधिकारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है क्या? आप और हम नहीं जानते हैं क्या कि आये दिन अपने को चौकियां लगानी पड़ीं? जितने भी अपने हास्पिटल हैं वहां क्योंकि आये दिन कोई न कोई मारपीट होती है। सरकारी मेडिकल कालेज में तो बच्चे इतने होते हैं कि वे ही जाकर धुन आते हैं लेकिन जहां कोई नहीं है उसका कौन रखवाला होगा? उस डाक्टर की सुरक्षा का भी कोई इंतजाम करोगे? कोई डाक्टर अपना काम कर रहा है, हो सकता है कि किसी कारण से उसकी डैथ हो गई लेकिन उस समय उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आपने इतना बढ़िया कानून बनाया और उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि आप जानो और आपका काम जाने। जब इतना दिमाग लगाया है, सब इतने बुद्धिमान, अक्लमंद लोग बैठे थे तो इतना उनको ध्यान नहीं आया कि इतना बड़ा कानून जब बना रहे हैं तो कम से कम उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था इसमें कर दें जिससे वह ठीक प्रकार से, मन से काम कर सके।

विधेयक के एक बिन्दु में प्राधिकरण के सदस्यों को विधिक शक्तियां दी गई हैं किन्तु साथ ही उनके निर्णयों पर सक्षम न्यायालय में पीड़ित पक्ष को जाने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो, आपने या किसी ने, एक्स, वाई, जेड ने उस डाक्टर को दोषी पा लिया, कोई बात नहीं, दोषी हो सकते हैं, इसमें सेक्शन 4 में 'Obligation of Government' इसमें आपने (g) में डाला है, "to make availability of Government funded healthcare services as per distance or geographical area or considering population density..." मतलब यह सब तो आपने डाल दिया पर इसको करेगा कौन?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगी कैसे? आपकी आज की तैयारी से क्या यह (g) की जो मन्शा है यह पूरी हो जाएगी? मैं आपको सही कह रहा हूं कि हम सब लोग भी इसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ पाये। आपको इतनी जल्दी थी कि इसी में पास करना जरूरी है। मेरी प्रार्थना है, अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं तो जैसा आप चाहे वैसा कर जाना। सभापति जी, मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी भावना बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं कि राजस्थान इस लायक बने कि यहां के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए एक अधिकार उसको मिले, इसमें कहीं किसी के मन में कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो-जो स्टेप हमको लेने हैं, क्या आज हम ले सकते हैं? आज हमारे पास इतना आर्थिक सोर्स है क्या कि हम इन सब सुविधाओं को देने के लिए जितना खर्चा हमको करना पड़ेगा उतना खर्चा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो फिर यह झुनझुना पकड़ाने से क्या लाभ होगा? केवल आप थपथपी करके चले जाओगे फिर आपकी मन्शा है जैसा आप करना चाहो, मैं तो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मेरा मन इस बारे में बहुत दुःखी है कि आपने यह सेक्शन (g) मैंने बताया इसमें भी ऐसा ही है और पेज 41 पर आपने एक और डाला है - "Bar of Jurisdiction - No civil court shall have jurisdiction", कोई सिविल कोर्ट का इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है, "to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the State Health Authority or District Health Authority" उन्होंने अगर मान लो कोई निर्णय कर दिया तो न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि अगर मान लो मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला, आपने एक अपील का अधिकार दिया है कि जिले वाला स्टेट में अपील कर सकता है यहां तक तो अधिकार है लेकिन मान लो अगर कोई इस बारे में महसूस करता है कि मुझे स्टेट की अथोरिटी से जो न्याय मिला वह मुझे स्वीकार नहीं है तो मुझे कहीं जाने का तो अधिकार देना चाहिए। आपने तो इसमें बिलकुल लिख दिया, "case may be, constituted under this Act is empowered by or under this Act to determine." आपने तो फाइनल अथोरिटी कर दी। जो निर्णय आपकी स्टेट कमेटी ने दे दिया उसको मानना पड़ेगा। ऐसे कभी कानून होते हैं क्या? यह कोर्ट में चैलेंज होगा और कोर्ट में चैलेंज होकर आपकी और हमारी, दोनों की वहां दुर्गति होगी तो कम से कम कानून बनाते समय इन विषयों के ऊपर तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो मेरे हिसाब से शायद आपको फुर्सत नहीं मिली इसलिए नहीं दे पाये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो स्वास्थ्य का विधेयक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यू एच ओ, स्वास्थ्य के अधिकारों को मनुष्य का मौलिक अधिकार मानता है और इसे इस प्रकार परिभाषित भी करता है लेकिन राजस्थान राज्य की स्वास्थ्य की देखभाल और वितरण प्रणाली दयनीय है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं भी गांव में ही पैदा हुआ हूं। यह तो पिछले कुछ सालों में मेडिकल व्यवस्था में काफी कुछ सुधार की ओर अपन बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको स्वीकार करने में भी कोई ऐसा नहीं है कि हम छोटे हो जाएंगे, जो हो रहा है, लेकिन आज भी हम परफेक्ट नहीं हैं, आज भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि यह जो अपन स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास जितना भी स्टाफ चाहिए वह सब चीजें हैं। अब आपको बता दें कि चिरंजीवी योजना की विफलता इस तथ्य का जीता-जागता उदाहरण है। अब आप रोज तालियां बजा रहे हो, बजाओ ताली 5 से 10 लाख हो गया पर जमीन पर क्या हुआ इसको किसी भले आदमी ने देखने की कोशिश की? चिरंजीवी योजना आपने लागू की है, मेरे शहर में 5 मेडिकल कालेज प्राइवेट हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं कि मुझे हर दूसरे दिन टेलीफोन आता है भाई साहब, ये मुझे चिरंजीवी योजना में नहीं लेना चाहता है। जो डाकूमेंट यह चाहता है, मेरे पास है लेकिन यह कहता है कि हम इससे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके इतने पैसे बाकी हैं, कोई देने की तो सोचता ही नहीं है। एक-एक संस्था के दो-दो करोड़ रुपये चढ़े हुए हैं। आप उसमें से एक धेला तक देते नहीं हो और उनके ऊपर कानूनी तलवार और लटका देते हो कि नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(समय: 16.00 बजे)

अगर आपकी क्षमता हो चिरंजीवी योजना में प्राइवेट हास्पिटल को वापस पैसा लौटाने की तो बहुत अच्छी बात है। चिरंजीवी योजना आयी, चिरंजीवी योजना की विफलता का एक जीता-जागता उदाहरण है, राज्य भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक रोग के मामला की संख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग में मैनपावर की कमी होना, राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी, राष्ट्रीय औसत की तुलना में अंडर-स्कोर जनसांख्यिकी संकेतकों से राजस्थान को सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल हासिल करने में बहुत दूर रखते हुए इस परिदृश्य को अच्छी तरह प्रमाणित है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मई, 2021 का बता रहा हूं। चिरंजीवी योजना की शुरुआत के बाद से राजस्थान सरकार को जयपुर जिले में केवल 136 निजी अस्पतालों, अभी हमारे कालीचरण जी बता रहे थे, 136 निजी अस्पतालों के खिलाफ मरीजों को मुफ्त इलाज से इंकार करने की 782 शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों में से 502 शिकायतें फीस वसूलने और 163 शिकायतें मरीजों के इलाज से इंकार करने और 117 शिकायतें नीति, तकनीकी मुद्दों से सम्बन्धित हैं।

इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ माडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एण्ड साइंस टेक्नोलॉजी में दिनांक 07.06.2021 को चिरंजीवी योजना के बारे में प्रकाशित शोध अध्ययन के अनुसार 77 प्रतिशत लोग इस योजना की उपयोगिता को ही ठीक तरह से नहीं समझते हैं कि इसके क्या उपयोग हैं।

मई, 2022 से अभी तक के आंकड़ों के अनुसार चिरंजीवी योजना के तहत 1.31 मिलियन लोगों को पंजीकृत किया गया और केवल 20 हजार लोगों को कैशलैस उपचार मिला है। यह आपका मई का आंकड़ा है, जो वे दे रहे हैं। कुल पंजीकृत लाभार्थियों का मात्र 1.52 प्रतिशत है। जितने लोग आपकी चिरंजीवी योजना में कवर हैं, उसमें से जिनको लाभ प्राप्त हुआ, वह 1.52 प्रतिशत है। ये आपका और मेरा नक्शा खींचकर रखता है कि हम किस तरह से कर रहे हैं।

राजस्थान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में वृद्धि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएसए-4 की तुलना में एनएफएसए-5 के अनुसार 15 से 49 आयु वर्ग की गर्भवती महिला में एनीमिया की व्यापकता पहले 49.1 प्रतिशत थी, जो बढ़कर आज 59 प्रतिशत हो गयी है। 10 प्रतिशत और इसमें इजाफा हुआ है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार राजस्थान में कुल गर्भवती महिलाओं में से केवल 60.7 प्रतिशत महिलाओं को ही गर्भावस्था में किये जाने वाले न्यूनतम चार चेकअप की सुविधा प्राप्त है जबकि भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार यह सुविधा सभी 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को मिलनी चाहिये, जो नहीं मिल पा रही है।

एनीमिया मुक्त भारत की सिफारिशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में 180 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन, फोलिक एसिड गोलियों का सेवन करना चाहिए जबकि राज्य में आयरन एसिड गोलियों का सेवन करने वाली गर्भवतियों की संख्या केवल 14.4 प्रतिशत है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार बच्चों में एनीमिया 60.3 प्रतिशत से बढ़कर 71.5 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण-4 (क) के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों में एनीमिया 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 23.2 प्रतिशत हो गया है। यह राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण-5 में है।

राज्य में कुपोषण के कारण, मैं सोचता हूं कि आप ये सारा का सारा देखें। अब मैं आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं। आप इसकी तैयारी करें, निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा, इसमें हम सब आपके साथ हैं लेकिन, अभी हमारी उस स्टेज की तैयारी नहीं है और हम बिना तैयारी के इसको पास करने जा रहे हैं तो लिटिगेशन बढ़ेंगे, असंतोष बढ़ेगा, लोग दर-दर की ठोकरें खायेंगे। आपको और मुझे बार-बार याद करेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हो।

नीति आयोग की रिपोर्ट एवं सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन 2022 के अनुसार राजस्थान के महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य संकेतक, जो भारत की तुलना में है। शिशु मृत्यु दर, भारत की है 27.69 प्रतिशत और हमारे यहां 35 है। नवजात मृत्यु, जब बच्चा पैदा होता ही है, देश का जो एवरेज है, वह 26 परसेंट है, हमारे यहां 28 परसेंट है। अन्डर 5 में जिनकी डैथ होती है, राष्ट्रीय 35 प्रतिशत है, हमारे यहां 45 प्रतिशत है। मातृ मृत्यु दर देश में 103 है, वह भी पर लाख पर और हमारे यहां 141 है। संस्थागत प्रसव का जो परसेंटेज है, वह हमारे यहां 94 परसेंट है, जबकि अधिकांश राज्य का 90 और 100 के आसपास है।

यही नहीं, आपने पिछले तीन वर्षों में सभी जिला चिकित्सालयों में मेडिकल आफिसर, जब अपनी दुकान में सामान ही नहीं है तो सम्भालेंगे किसको? केवल आपका 17.32 प्रतिशत है, जो राजस्थान में दयनीय स्वास्थ्य मैनेजमेंट को दर्शाता है। राजस्थान में लिंग आधारित हिंसा 1.4 से बढ़कर 2.1 हो गयी है।

संक्रामक रोग भार, राजस्थान में संक्रामक रोगों का भार कुल बीमारियों का 37.27 प्रतिशत है। हैल्थ केयर फाइनेंसिंग, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान में आमजन द्वारा आउट आफ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पाकेट, मतलब जो हम अपने पैसे से खर्च करते हैं। उसमें राजस्थान के सरकारी हास्पिटल में प्रति व्यक्ति 2,028 रुपया आ रहा है। प्राइवेट हास्पिटल में आज की तारीख में आपका फिगर आया है, वह 18 हजार 588 है। जो प्रदेश के अव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रशासनिक ढांचे एवं मानव संसाधनों में अनियमितताओं को दर्शाता है।

स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, इसमें आपने लिखा शहरी क्षेत्रों में, अभी भी 7 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। उप-स्वास्थ्य केन्द्र में 8.95 प्रतिशत की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, ट्राइबल और आदिवासी क्षेत्र में 59.7 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 46.72 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे की गम्भीर कमी को दर्शाते हैं। यह है हमारी तैयारी और हम इस तैयारी के आधार पर इस कानून की पालना कराना चाहते हैं।

इमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम, आपातकालीन 104, 102, 108 एम्बुलेंस द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आमजन की पहुंच से दूर होने से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं। आप चिल्लाते रहो, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो आप जानो।

एच आर आफ हैल्थ, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, वर्तमान में राज्य में विशेषज्ञ संवर्ग की बहुत बड़ी कमी हमारे पास दिखाई देती है।

जिला स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में आपका एवरेज 1:4 का होना चाहिये, हमारे पास केवल 1:3 है। इसी तरह से आपकी जिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में 10 हजार पर 9 व्यक्ति होने चाहिये, हमारे पास 6 है। स्टाफ के बारे में तो आप और हम सब अच्छी तरह से आंकड़े जानते हैं। जब हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हम कानून बना देंगे तो उस कानून को धरती पर लायेगा कौन? धरती पर लाने वाले तो वे ही हैं। राज्य में नर्स स्टाफ 4,012 कम है। लैब टेक्नीशियन 2077 कम है। एम.ओ.एम.बी.बी.एस. 2,891 कम है। स्पेशलाइज्ड डाक्टर की आज की तारीख में 3383 हमारे यहां कमी है। उससे ज्यादा दृश्य तो ये फिगर दिखाते हैं। इस फिगर की कमी के बाद भी इस कानून को धरती पर उतार देंगे और इससे जनता को राहत मिल जायेगी।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की जो स्वीकृत पोस्ट है, वह 1053 है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उसमें से 238 खाली है। इसी तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की 249 कुल पोस्टें हैं, 69 खाली हैं। इसी तरह से वरिष्ठ विशेषज्ञ की कुल 516 पोस्टे हैं, उनमें से 203 खाली हैं। इसके बाद आपके कनिष्ठ विशेषज्ञ की 3,708 पोस्टे हैं, उनमें से 1,173 पोस्टें खाली हैं। इसी तरह से चिकित्सा अधिकारी के 9,046 पद हैं, उनके अगेंस्ट में 3,619 खाली हैं। कनिष्ठ दंत विशेषज्ञ 88 पदों में से 38 खाली, चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 517 पदों में 177 खाली।

इसके अलावा भी यह जो आपका दृश्य है वह इतना दर्दनाक है यह जो नर्स श्रेणी-प्रथम 6,078 स्वीकृत पदों में से 1,296 पद खाली हैं और इसी तरह नर्स श्रेणी-द्वितीय में 18,293 में से 1,164 खाली हैं। इसी तरह से महिला स्वास्थ्य दर्शिका के 2,732 पदों में से 1,116 पद खाली, मतलब लगभग आधे। इसी तरह फार्मासिस्ट के 4,332 पदों में से 2,077 खाली हैं। इसी तरह वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल पद 532 में से 530 खाली हैं। इसी तरह से तकनीकी सहायक कुल पद 936 में से 831 पद खाली हैं और लैब टैक्निशियन कुल पद 1,461 में से 938 खाली। प्रयोगशाला सहायक कुल पद 2,352 में से 1,747 खाली। तो सारे आंकड़े आपके दिखाते हैं कि हमारी जो तैयारी चाहिये इस कानून को धरती पर उतारने के लिये वह नहीं है, वह हम नहीं उतार पायेंगे।

इसी तरह से नर्सिंग के बारे में, हमारे समय में भी नर्सिंग हमने खोला था, लेकिन हमने उनकी मान्यता जो केन्द्र की व्यवस्था है नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंगकर्मियों की संख्या, आपने 19 खोल दिये लेकिन भौतिक सुविधाओं का अभाव है। आप ईमानदारी से कभी समय निकाल कर जाओ। यह क्या है कि ये भी दुकानें हो गईं। इतनी अच्छी चलाने के लिये इनके पास न तो स्वयं की बिल्डिंग है न ही इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मापदंडानुसार प्रयोगशालाएं हैं, फिर भी प्रशिक्षण हेतु मोटी फीस निर्धारित की जाती है। नये खोले गये 19 राजकीय नर्सिंग कालेजों में प्रधानाचार्य के पद पर प्रधानाचार्य ए एन एम टी सी और जी एन एम टी सी के प्रधानाचार्यों को कार्यभार दिया गया है जो भारतीय नर्सिंग परिषद् के मापदंडानुसार योग्यता की पूर्ति नहीं करता। कुछ में तो नर्सिंग अधीक्षकों को प्रधानाचार्य नियुक्त किया हुआ है जिनकी शैक्षिक योग्यता जनरल नर्सिंग डिप्लोमा है। नये खोले गये सभी 19 राजकीय नर्सिंग कालेजों में भारतीय नर्सिंग परिषद् की सम्बद्धता भी नहीं है। ये राजस्थान के बच्चे जो यहां पढ़ कर जा रहे हैं, न तो ये राजस्थान के बाहर कहीं अपना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

काम कर सकते और न ही जॉब मिलेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें तो कोई कानून बाधक नहीं है आपका, यह तो आपको ही करना है। अगर ऐसा है तो या तो बंद करो या इनको पूरी मान्यता के लायक बनाओ ताकि कम से कम उस बच्चे का शोषण तो नहीं हो किसी तरह से। मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं मेरी कोई जिद नहीं है। मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूं सभापति जी, और तो मैं क्या कर सकता हूं पर दु:खी मन से इतना बड़ा अच्छा कानून जो राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर-1 का स्थान ले रहा है तो ऐसे कानून को बनाते समय अगर हम इस प्रकार का कानून बनायेंगे तो लोग हमको थपथपायेंगे नहीं, हमको उँगली दिखायेंगे। मुझे इस बात का दु:ख है वह राजस्थान को दिखायी जाती है केवल न आपको न मुझे। आने वाले लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग थे, कैसा कानून बना दिया और उसके कारण से इतने लिटिगेशन बढ़ेंगे कि इन लिटिगेशन में ही सबका समय बरबाद हो जायेगा। मैं सोचता हूं कि अब भी आपको कहीं अगर मेरी बात समझ में आती है तो जिद न करें, आप जिनसे भी पूछना हो उनसे पूछ लें, इसको हमारी सलेक्ट कमेटी में भेजें जिसमें पक्ष-विपक्ष के लोग भी रहेंगे। इसके एक्सपर्ट लोगों को भी बुला कर हम उस कमेटी में सुनते हैं। सबकी राय मिलने के बाद यहां ऐसे कोई जिद नहीं है अगर दो सेक्शन में आगे-पीछे होना पड़े, दो नयी बात जोड़नी पड़े और करना पड़े तो उसके लिये हम सब लोग प्रयत्न करें तो एक अच्छा कानून बनेगा। मैं सोचता हूं कि कानून जिस मंशा से लाये, आज के इस कानून का जो फ्रेम आपने किया है, जो इसके सेक्शन आपने डाले हैं 19 और उसके सब-सेक्शन डाले हैं वे आज इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री महोदय, आपने प्रयत्न किया इस विभाग को लाइन पर लाने के लिये पर जल्दी मत करो, अगले मार्च में फिर हमारा सत्र आयेगा, उस समय आप इसी को लाकर के पास करें उसमें न पक्ष होगा न विपक्ष होगा क्योंकि हम भी उस कमेटी के मैम्बर के रूप में होंगे। कोई न कोई उनकी राय से बनेगा तो सर्वसम्मति से बनेगा।

मैं सोचता हूं कि एक अच्छे कानून को अच्छे मन से लेकर के अगर आयें तो वास्तव में हम जनता को वो स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं जो कि देश में अभी तो कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ है। हमने पहल की, इसके लिये तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, लेकिन हम इसको परफेक्ट लायेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से हम अपने कर्तव्य को निभा पायेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री नारायण बेनीवाल)

स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी विद्वान माननीय विधायकों ने इस राजस्थान स्वास्थ्य के विधेयक पर अपनी-अपनी राय रखी। मैं माननीय मंत्री जी से, जो अभी शायद यहां से बाहर चले गये, आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़ों की बातें सारी सुबह से लेकर अभी तक लगभग सब लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, लेकिन इन सबसे पहले यदि माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाने से पहले राजस्थान पत्रिका और भास्कर के अखबारों पर यदि नजर डालते जिसमें 08 सितम्बर को पैरा मेडिकल काउन्सिल, जिसमें लिखा कि 6 माह से सदस्यों का बोर्ड ही नहीं, कोर्स शुरू करने व संस्थाओं को मान्यता देने का मामला अटका और दूसरे के अन्दर लिखा है कि मुफ्त सोनोग्राफी करानी है तो करो इंतजार, नहीं तो प्राइवेट में दो आठ सौ रुपये।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान राज्य के अन्दर जो राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 आप लेकर आये हैं निश्चित रूप से एक अच्छी परिकल्पना इसको कहेंगे कि आपने देश के अन्दर पहली बार एक आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में सोचा कि स्वास्थ्य भी मेरा मूलभूत अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं जब तक आप इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती नहीं देंगे तब तक इस मामले में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। मैं जहां से आता हूं चूंकि राजस्थान के और देश के आंकड़े सभी माननीय विधायकों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किये, फिर भी मैं नागौर जिले की थोड़ी-सी बात जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की है, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज चिरंजीवी योजना लागू होने के बाद सभी सरकारी अस्पतालों के अन्दर मरीजों की संख्या एक बार तेजी से घटी। हर व्यक्ति के मन में यह रहता है कि जब सरकार पैसा दे रही है और प्राइवेट हास्पिटल मेरा इलाज कर रहे हैं तो मैं लम्बी भीड़ के अन्दर क्यों लगूं क्योंकि यह बात तय है कि सरकारी अस्पतालों के अन्दर बहुत सारे पद रिक्त हैं। यदि हम नागौर की बात करें, मैं सिर्फ बी सी एम ओ, मूंडवा के अन्दर पदों की यदि बात करूं तो नर्सिंग आफिसर-प्रथम के 13 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 9 पद रिक्त हैं, नर्सिंग आफिसर-द्वितीय के 28 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 पद रिक्त हैं, प्रसाविका के 86 पद हैं जिनमें से 12 रिक्त हैं, वार्ड ब्वॉय के 28 में से 26 पद रिक्त हैं, स्वीपर के 12 में से 11 पद रिक्त

(श्री नारायण बेनीवाल)

हैं। मैं मेड़ता सिटी की यदि बात करूं तो बहुत बड़ा एक बार अखबारों में लम्बा-लम्बा छपा कि राजकीय अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी का है और मेड़ता चूंकि मीरा बाई की धरती है और बहुत बड़ा पर्यटन सर्किट भी है, मेड़ता सिटी के अन्दर उसमें आज तक सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। मेरे खींवसर विधान सभा क्षेत्र की किसी भी सी एच सी पर सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध नहीं है। कई जगह पिछले बजट में जब कोरोना में निर्देश आये कि एक-एक करोड़ रुपये प्रत्येक विधायक इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिये देगा तो हमने भी यह प्रयास किये। अब चूंकि प्रदेश में चिरंजीवी योजना लागू हो गयी और आपने इंडोर और आउटडोर भर्ती के मरीजों से पैसा लेना बंद कर दिया तो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जो काम कर रही थी, जिसको छोटी-मोटी आय हो रही थी उससे उसकी आय बंद हो गयी। अब हमने एंबुलेंस देने का प्रयास किया, अधिकतर विधायकों ने एंबुलेंस भी दी। मैंने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एंबुलेंस दी, लेकिन मुझे बड़ा खेद है, यह पीड़ा भी है मुझे कि आज उस एंबुलेंस को चलाने वाला ड्राइवर, वो यह कह रहे हैं कि हम किस मद से किसी ड्राइवर को रखें जो एंबुलेंस को चला सके। गांव के गरीब व्यक्ति को हम इस सुविधा का लाभ दे सकें तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करूंगा कि जो आपने आर्टिकल 21 और 47 की बहुत सुन्दर व्याख्या इसके अन्दर की कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले। चूंकि आप पहले को-आपरेटिव का महकमा भी संभाल चुके हैं तो मैं इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि इस मामले में आर जी एच एस जैसी योजना को आप पूरी की पूरी कहीं न कहीं को-आपरेटिव सेक्टर को दीजिए। आर.जी.एच.एस. आपने प्राइवेट लोगों को भी दे दी और जिन प्राइवेट लोगों ने आर.जी.एच.एस. के लाइसेंस ले रखे हैं, वे लोग बहुत बड़ी धांधली कर रहे हैं। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। पर्यावरण मंत्री जी भी पास में बैठे हैं, पर्यावरण का उल्लेख भी इसमें है। हालांकि बहुत वरिष्ठ मंत्री जी हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मूंडवा में अंबुजा सीमेंट की जब मैंने बात की तो इन्होंने कहा शायद वह शहर से बहुत दूर है। माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ अधिकारी जो आपको लिखकर देते हैं, उस चीज को पढ़कर सदन में हमें कहना, कहीं न कहीं हमें भी इस चीज की पीड़ा होती है, हालांकि मैं नया व्यक्ति हूं। अभी कुछ विधायकों की भी सबसे बड़ी पीड़ा मैंने देखी। अभी ओसियां से आने वाली हमारी विधायिका ने अपनी बात बताई कि किस

(श्री नारायण बेनीवाल)

तरह ब्यूरोक्रेसी विधायिका को ओवरलैप करके हमसे ऊपर उठ गई। कहीं न कहीं लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों के बैलेंस को भी हमें ध्यान में रखना है। पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो जो आप राइट-टू-हैल्थ का बिल लेकर आये हो, कैसे इसमें पार पड़ेगी? मेड़ता से आने वाली विधायिका ने सुबह एक प्रश्न लगाया कि क्लिंकर और कोयले की लोडिंग, अनलोडिंग खुले में हो रही है। वहां लोगों की फसलें नष्ट हो गईं। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। जब मीडिया में आता है तो हम सबका भी यह नैतिक कर्तव्य है कि पार्टी की गाइडलाइनों से ऊपर उठकर हमारे प्रयास रहें कि हमारे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वास्थ्य का मूल अधिकार है, इस पर उसको हम कहीं न कहीं सही रूप से न्याय दें।

मंत्री जी से मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता और हमारे विद्वान साथियों ने इस पर बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं। हम सबका यही प्रयास रहे कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य का दर्जा मिले, लेकिन इसका हश्र भी कहीं राइट-टू-एजुकेशन जैसा न हो जाये, इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा।

इसमें आपने जो राज्य स्तरीय कमेटी की बात कही, अभी माननीय कटारिया जी ने भी यह बात कही थी कि जो आपने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया है, इसमें चूंकि हम यह भी चाहते हैं कि जो बड़े समूह हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कई प्राइवेट डाक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, नैतिकता से भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जिनको आप समझो कि यह लायक हैं, ऐसे लोगों का इस कमेटी में स्थान होना चाहिये था। जैसे आर एम आर एस जैसी मीटिंग में आपने विधायकों को सदस्य रख रखा है, लेकिन जिला स्तर की कमेटी में मैं यह देख रहा था कि जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद् होंगे, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सदस्य जिन्हें लोक स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन इत्यादि का ज्ञान हो और जिले की जिला परिषद् का प्रमुख और चक्रानुक्रम में पंचायत समितियों के तीन प्रधान। माननीय मंत्री जी, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमें लो, आप सत्ता पक्ष के लोगों को ही ले लो, लेकिन कहीं न कहीं जन प्रतिनिधि को, क्योंकि आज हम सरपंच की बात करें तो सोशल आडिटिंग की बात आती

(श्री नारायण बेनीवाल)

है कि कहीं न कहीं सरपंच के काम का विश्लेषण अधिकारियों के साथ-साथ सोशल आडिटिंग होनी चाहिये। ऐसे मामलों में भी कहीं न कहीं जन प्रतिनिधियों को इन्वाल्व करोगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम निकलकर आयेगा और आपकी जो मूल भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसमें हम कहीं न कहीं सफल होंगे, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा।

मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि चिरंजीवी योजना लागू होने के बाद जैसे सी एच सी में छोटी-मोटी आर एम आर एस की कमाई जो इंडोर, आउटडोर पेशेंट की पर्चियों से होती थी, अब वह बिलकुल बंद हो गई। उसमें सर्जरी का कोई डाक्टर नहीं, प्रसव कराने के लिये कोई गायनिक डाक्टर नहीं तो अब वह संस्थाएं कैसे चलेंगी? इनके पुनर्भरण की कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पद भरे जाएं। जो सी एच ए सड़क पर बैठे हैं, उनको भी न्याय मिले और पैरामेडिकल और डाक्टर्स सहित सारे पद भरे जाएं। कई डाक्टरों में पदोन्नति को लेकर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और उन्होंने जॉब छोड़ दी। इससे हमने अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ खो दिये। इन सब बातों पर गौर करना चाहिये। बिल की मूल भावना को विपक्ष के साथियों ने भी सराहा है। एक ऐसा सिस्टम बने कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर हमारा सिर्फ एक ही प्रयास हो, चूंकि आने वाला चुनावी साल है, लोगों को यह न लगे कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है और सिर्फ वोट बटोरने की मशीन के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। इससे ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने हैं कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को 6 महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का आदेश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं जब सुबह विधान सभा में प्रवेश कर रहा था तो मुख्य द्वार के बाहर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आप इतना क्यों इतरा रहे हैं आखिर आपने चीते ही तो छोड़े हैं। मैं

(श्री अविनाश)

उधर से निकला और पड़ोस से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप चीता छोड़ कर इतरा रहे हो, हमने तो तिब्बत को छोड़ा, पी ओ के छोड़ा, 90 हजार पाकिस्तानियों को छोड़ा और अभी हाल ही में पूरे भारत भ्रमण के लिये +++ को छोड़ा लेकिन हमने कभी उस पर घमंड नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस राइट-टू-हैल्थ के बिल पर यह चर्चा हो रही है, बिल के बारे में सारी कुछ बातें बता दीं। इसी वर्तमान सरकार ने जब यह बजट पेश किया तो पूर्व के बजट में यह कहा था कि निरोगी राजस्थान की कल्पना करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बिल में जितनी बातें लिखी हैं, अगर वाकई में वह धरातल पर आ जायें तो निरोगी राजस्थान की कल्पना हो सकती है। आज तीन-चार साल बाद अगर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखें और सरकार की बजट घोषणाओं को देखें कि इस चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान कितना आगे बढ़ा, उस पर सोचने की आवश्यकता है। आज राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल, 2022 पेश किया गया, जब से संविधान बना, संविधान के अनुच्छेद 21 में हम सबको यह अधिकार दिया गया कि हम स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ तरीके से जीने का अधिकार रखते हैं। हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आज जब सुदूर गांव का एक व्यक्ति इलाज के अभाव में दम तोड़ता है, सड़कें ठीक नहीं होने के कारण बीच रास्ते में प्रसव हो जाता है और किसी अस्पताल में अगर महिला चिकित्सक नहीं हो और डिलीवरी के लिये आगे रेफर कर दिया जाता है तो क्या ऐसे ही स्वस्थ राजस्थान की कल्पना आप और हम सबने की है? क्या यह नहीं सोचा जा सकता कि सी एच सी, पी एच सी पर महिला डाक्टर की नियुक्ति हो? शहरों में बड़े-बड़े हास्पिटल में डाक्टर्स लगे होते हैं और गांवों में आपने तीन साल पी जी के लिये जो ग्रामीण क्षेत्रों की अनिवार्यता तो रखी, लेकिन विभाग ही उनको दो-तीन महीने रखने के बाद डेपुटेशन करके दूसरे शहरों में लगा देते हैं। कितना भयानक दृश्य होगा जब गांवों में इलाज के अभाव में व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पाती होगी।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने इसी बजट में सी एच सी पर हीमोडायलेसिस मशीन लगाने की घोषणा की। आप बतायें कि घोषणा करने के बाद किसी सी एच सी पर हीमोडायलिसिस मशीन लगी है? मैंने मेरे सी एच

(श्री अविनाश)

सी जैतारण पर माननीय मुख्य मंत्री जी की आदर्श सी एच सी को साकार करने के उद्देश्य से जैतारण में पावन धाम ट्रस्ट एक निजी संस्था है, उसके माध्यम से 20 लाख रुपये की हीमोडायलिसिस मशीन लगाई और उसका उद्घाटन पूर्व चिकित्सा मंत्री माननीय रघु शर्मा जी और एस.एम.एस. के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जी से करवाया। साल-सवा साल बीतने के बाद में विभाग की लापरवाही के कारण वह मशीन शुरू नहीं हुई डायलिसिस का इलाज शुरू नहीं हुआ। मैंने कई बार विभाग को अवगत कराया कि यह मशीन मैंने दिलवाई है, पड़ी-पड़ी खराब हो जायेगी और एम.एल.ए. लैड से हमने 1-1 करोड़ रुपये चिकित्सा के लिये दिया है, लेकिन आज दिन तक अधिकारियों के काम नहीं करने के कारण, लापरवाही के कारण, कमजोर इच्छाशक्ति के कारण वह मशीन धूल फांक रही है।

इसके अलावा क्षेत्र में जैतारण सी एच सी के अन्दर 30 वर्षो के बाद पहली बार सिजेरियन आपरेशन का काम शुरू हुआ है। इतने साल तक विभाग के अन्दर डाक्टर्स नहीं थे, सर्जरी का सामान नहीं था और किसी ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया कि गांव के लोगों को वे सुविधाएं मिलें, जो कि शहर के अन्दर होती हैं। माननीय सभापति महोदय, जनता क्लीनिक की पूरे राजस्थान में घोषणा की। मेरे क्षेत्र में भी आया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जगह उपलब्ध नहीं होने का बहाना बताकर उसे वापस लौटा दिया गया। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि जगह मैं उपलब्ध कराऊंगा। अगर सरकार की योजना से जैतारण क्षेत्र में लाभ मिलता तो इससे कहीं न कहीं सरकार की वाहवाही होती, लेकिन ऐसे अधिकारियों के कारण वह जो लाभ मिलना था, वह नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में हास्पिटल पी.पी.पी. मोड पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस ग्रामीण जनता से पूछिये जो कि उपखण्ड मुख्यालय से, जो सी एच सी 40 किलोमीटर दूर है। एक तरफ भूमड़िया नागौर बोर्डर पर, एक तरफ भीम बोर्डर पर कोटकिराना और कुड़की, पी.पी.पी. मोड पर तीनों हास्पिटल हैं। मैंने कई बार विभाग को अवगत कराया है कि वह उनको दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये महीने के मिलते हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण आज मुश्किल से एक या दो नर्स बैठती हैं, वहां पर डाक्टर बिलकुल भी नहीं बैठता है। इलाज के लिए मेरे वहां आते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी पी.पी.पी. मोड पर हैं,

(श्री अविनाश)

उनको हटाकर चिकित्सा विभाग अधीन उनको लें, ताकि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सी एच ए, पहले कोरोना में उन लोगों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। उनके ऊपर भी आप थोड़ा-सा हाथ रखकर आशीर्वाद प्रदान करें। सी एच ए के 27-28 हजार लोग हैं, उन पर भी यदि सरकार की मेहरबानी हो जायेगी तो इतनी विकट परिस्थिति में काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग आने वाले समय में इस सरकार को कभी बदनाम नहीं होने देंगे और चिकित्सा सुविधाओं के अन्दर अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ी दु:खद बात और क्या हो सकती है कि सुदूर क्षेत्र में जितने भी सब-सेन्टर्स हैं, पी एच सी हैं, सी एच सी हैं, वहां नर्सेज नहीं हैं, लगभग हास्पिटल बन्द पड़े हैं। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मैंने आपको जितने भी डाक्टर्स के लिए बोला, आपने लगा दिये। मैंने जितने भी ट्रांसफर के लिए बोला, आपने कर दिये, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, वह पर्याप्त नहीं है। आज मेरे यहां एक पी एच सी बन्द के लगभग पड़ा है। यह मैं इसलिए कहूंगा कि अभी यू टी बी के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं और यू टी बी में सी एम एच ओ ने क्या किया? मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के लड़के को 7,900 रुपये का पेमेंट दिया था, लेकिन उसको फालना लगा दिया। फालना वाले को सोजत लगा दिया। अब आप बताइये कि 7,900 के अन्दर एक व्यक्ति कैसे यह नौकरी पूरी करेगा? इतना-सा मतलब सीधा है कि नौकरी देनी नहीं है, पैसा देना नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना नहीं है। इसलिए इस प्रकार का असंतुलन किया गया और मैंने उनको कहा था कि जिस ब्लाक का कोई व्यक्ति है, उसको उसी ब्लाक के अन्दर लगायें। जब मैंने ट्रांसफर के लिए आपको बोला तो आपने खुद ने मना कर दिया कि यू टी बी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। कम से कम पाली सी एम एच ओ को आदेश करें कि जितने भी यू टी बी के आधार पर नर्सिंग आफिसर को लिया है, उनको संबंधित ब्लाक के अन्दर दो-चार किलोमीटर में लगा दें।

क्या चार सालों में राजस्थान कुपोषण के अन्दर नम्बर-वन पर नहीं है? अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो माननीय मंत्री महोदय, आप जब जवाब दें, तब बतायें कि राजस्थान आज कुपोषण के मामले में कितने नम्बर पर है?

(श्री अविनाश)

पिछले चार वर्षों में ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी, जब आगे बढ़ता हुआ राजस्थान पीछे चला गया? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि आपके अधिकारी और आपका विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और राजस्थान को चिकित्सा सेवाओं में नम्बर-वन बनाना था, आज राजस्थान कई मामलों में नम्बर-वन पर तो है, चाहे वह अपराध के मामले पर हो, महिला बलात्कार के मामले में हो और किसी मामले में हो। कुपोषण के मामले में भी आगे है, लेकिन राजस्थान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य और जिस कल्पना के साथ राजस्थान की जनता ने आपको बहुमत दिया। कहीं न कहीं चार साल बाद, वह जनता उस बहुमत के बाद भी पछता रही है। क्या फैसला हुआ था?

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि क्षेत्र के अन्दर विभाग की तरफ से सहायता नहीं मिलती है तो एम.एल.ए. लैड से एम्बुलेंस देना चाह रहे हैं, लेकिन सीधा-सा जवाब यह मिलता है कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। जितनी भी 108 नम्बर एम्बुलेंसेज हैं, उनके ऊपर इतना दबाव है कि जितनी स्वीकृत हैं, उस मात्रा में फील्ड में नहीं चलती हैं। मैंने कई बार अधिकारियों को लिखकर दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हास्पिटल हैं, सारे डाक्टर्स के बारे में भी आपके सारे साथियों ने बताया। क्लास-5 के स्वीपर्स हैं, चपरासी हैं, वार्ड ब्वॉय है, वार्ड आया है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? आज हास्पिटल की साफ-सफाई को देखिये। आज जिस तरह से आपने पर्ची सिस्टम खतम कर दिया। छोटे-छोटे हास्पिटल में जो आर एम आर एस की बैठक होती, छोटे काम कराने पड़ते हैं, उससे उनकी फंडिंग का आधार खतम हो गया। एक व्यक्ति इलाज के लिए आता है, पांच रुपये दे सकता है, दस रुपये दे सकता है। आप उसको चालू कीजिये। आर एम आर एस की बैठक के अन्दर हर डाक्टर इस बात पर चिन्ता व्यक्त करता है कि हम लोग फंड कहां से लायें। आप लोगों ने कुछ बाध्यताएं कर दीं। हास्पिटल को छोटा-मोटा काम कराने के लिए या तो एम एल ए के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है या एम पी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। मुझे लगता है कि विभाग किसी प्रकार का कोई काम करने की स्थिति में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि सड़कें इतनी खराब हैं कि महिलाएं प्रसव के लिए हास्पिटल आती हैं, लेकिन गड्ढ़ों के कारण बीच रास्ते में प्रसव हो जाता है।

(श्री अविनाश)

मैं एक प्रकरण की ओर निवेदन करता हूं कि चिरंजीवी योजना के माध्यम से आपने जो बताया, उसका लाभ लेने की बजाय उसका नुकसान कितना है, उसकी भरपाई किस प्रकार से हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चैनपुरा है, ग्राम पंचायत सेवरिया का। एक गाड़ी से प्रचार किया कि आपका घुटनों का दर्द हो और कोई तकलीफ हो तो हम चिरंजीवी योजना में आपका इलाज करवायेंगे। लोगों ने इलाज के लिए गाड़ी भेजी, जयपुर में आये। वे बेचारे दर्जनों लोग थे, वे दो या तीन गाड़ी में आये। उनके जबरदस्ती चीरा लगाकर बिना किसी तकलीफ के, बिना इलाज के उनका पैसा चिरंजीवी योजना से उठा लिया गया। उन्होंने मेरे से शिकायत की। दो साल गुजरने के बाद कोई कार्यवाही उसके ऊपर नहीं हुई है। उस गांव के लोगों को कुछ पता नहीं है। वह गांव का आदमी इस उम्मीद के साथ आता है कि सरकार ने कोई योजना चलायी है और चिरंजीवी योजना के माध्यम से मुझे सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। फ्री के अन्दर इलाज मिलेगा, लेकिन उनको इस प्रकार की भावना में बहलाकर शहर में लाया जाता है और उनका दूसरा इलाज करके उनको उलटा घायल कर दिया जाता है और उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। माननीय मंत्री महोदय, ये फर्जी संस्थाएं हैं। ये प्राइवेट अस्पताल हैं। ये और जगह भी हो रहा है। इलाज किसी व्यक्ति का होता है, दूसरे का रजिस्ट्रेशन करके उसमें भी फायदा उठा लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह जो बिल बनाया है, उसमें स्टेट हैल्थ अथोरिटी और डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अथोरिटी बनाया है। इसमें मेरा यह निवेदन है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अथोरिटी बनाया, उसमें एक माह में बैठक का प्रावधान किया और इसकी जो कमेटी बनायी है, उसके अन्दर एम एल एज को भी शामिल करें और उसका चेयरमैन या तो जिला प्रमुख को बनाया जाये या सांसद को बनाया जाये। यह जो एक्ट है, वह पंचायती राज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस प्रकार का काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए मैं सिर्फ इस बात का निवेदन करूंगा कि यह जो निरोगी राजस्थान की कल्पना को साकार करने का विषय है, इसमें आप थोड़ा-सा संशोधन करके ये जो नियम बनते हैं, मुझे मालूम है कि बहुमत के आधार पर उसको पास भी कर देंगे, लेकिन जनमत क्या है, जनता की भावना क्या है, उस पर खरा

(श्री अविनाश)

उतरने का प्रयास आप लोग करें और इस विधेयक को छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, यह सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि एक संवैधानिक अधिकार के जरिये हम स्वास्थ्य का अधिकार आज जनता को उपलब्ध करायें, मगर केवल कानून बना देने से आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल पायेगा? इसके लिए सबसे पहले वित्तीय साधनों की जरूरत है। इस अधिनियम के वित्तीय ज्ञापन में जो राशि दर्शायी गयी है, वह इतने बड़े राज्य में चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने में काफी नाकाम है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि वित्तीय साधनों को और बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस हैल्थ कानून को लाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत गांवों मे बसता है, गांव में चिकित्सा व्यवस्था की जो हालत है। चाहे पी एच सी हो, चाहे सी एच सी हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां रिक्त पद हैं, वहां पर निश्चित रूप से, पहले गांव में सुविधा दें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां सी एच सी है, वहां आज भी गायनिक डाक्टर नहीं है। उनको जिला हैडक्वार्टर जाना पड़ता है। डिलीवरी के लिए न तो डाक्टर सी एच सी में है और न ही पी एच सी में है। इन हालात में गरीब मजदूर, दलित, शोषित, कमजोर वर्ग को जिला हैडक्वार्टर पर जाने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से, मेरे से पहले जो साथियों ने बोला, चिरंजीवी योजना सरकार की अच्छी योजना है, मगर इसमें प्राइवेट हास्पिटलों ने एक व्यवसाय बना लिया है। मंत्री महोदय, इस व्यवसाय को रोकने के लिये इन प्राइवेट हास्पिटल्स के खिलाफ जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आपको जांच बिठानी चाहिये। किस-किस दायरे में, क्या-क्या आपरेशन किये गये हैं। जो पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई भी की जाए। निश्चित रूप से मैं इस कानून का समर्थन करता हूं तथा साथ में ये निवेदन करता हूं कि ग्राम और ढाणी में जो भी डाक्टर के पद रिक्त हैं, उनको निश्चित रूप से आप लगाएं।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, वास्तव में इस सरकार की इच्छाशक्ति है तो इस प्रदेश में ए एन एम, जी एन एम, चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और कोरोना के दौरान कोविड सहायकों ने बेहतर काम किया था, उनको स्थायी करके चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने की पहल सरकार करे। मैं यही विश्वास करता हूं कि सरकार निश्चित रूप से अपने वादों पर खरा उतरेगी।

सभापति महोदय, जो बीमारी का मुख्य कारण है, वह है मिलावट। आज गांव में चाहे दूध है, चाहे छाछ है, चाहे दवाइयां हैं, आज हम देखें बाजारों में नकली दवाइयां सैकड़ों की संख्या में बिकती हैं, हजारों की संख्या में बिकती हैं। यदि मिलावट को रोका जाएगा तो ये कानून निश्चित रूप से साकार होगा। साथ में मैं यही कहूंगा कि जिस कानून को हम जनता में लाते हैं, उसका जो प्राधिकरण आपने पैरा संख्या 8 में बनाया है, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, समस्त सदन की भावना है इनका अध्यक्ष जन प्रतिनिधि हो, चाहे एम एल ए हो, चाहे एम पी हो, चाहे जिला प्रमुख हो। जिला कलेक्टर नहीं हो, जिला कलेक्टर होते ही ब्यूरोक्रेट उस पर हावी हो जाएगा। यह कहते हुए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 47 और 21 का उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री जी, राइट-टू-हैल्थ बिल लेकर आये हैं। राज्य का प्रत्येक निवासी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य की स्थिति, जो गरिमामय जीवन जीने में सहायक है, के उच्चतम साध्य स्तर को प्राप्त करने का हकदार है।

निश्चित तौर पर वास्तव में हमारी साढ़े सात करोड़ की आबादी का प्रत्येक नागरिक इसका हकदार है। माननीय मंत्री जी, आप अच्छी भावना के साथ यह बिल लेकर आये हैं। जनता को राइट-टू-हैल्थ देने जा रहे हैं, लेकिन जिस तैयारी के साथ परसादी लाल जी सदन में आते हैं और जिस गंभीरता के साथ परसादी लाल जी की सदन में उपस्थिति रहती है, वैसी सदन में शायद ही किसी की रहती है। जो ओज, जो नूर, जो तेज परसादी लाल जी के चेहरे पर रहता है, वह बिहारीलाल तो छोड़िए, सदन के 200 सदस्यों में से किसी के चेहरे पर नहीं दिखता है। लेकिन वैसा ओज और वैसा तेज और वैसी तैयारी इस बिल में नहीं दिखती। कैसे माननीय मंत्री जी हम वर्तमान स्थितियों में

(श्री बिहारीलाल)

इसको लागू कर पाएंगे? आपने सपने संजोये हैं, अच्छी बात है। फीस जमा नहीं कराने पर इलाज से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, निजी अस्पताल हो चाहे, बहुत अच्छी बात है। ओसियां का प्रकरण, ओसियां की विधायक ने यहां उल्लेख किया। ऐसा ही प्रकरण रासीसर के दलित सरपंच के भाई, प्राइवेट अस्पताल जो बीकानेर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां गया, ऐसी ही घटना हो गयी। उसने कागज दिये, ध्यान नहीं दिया। उसका भाई बहुत क्रिटिकल स्थिति में था। 90 हजार मांगे, उसने जमा करा दिये। अगले दिन उससे 50 हजार और मांगे, वह भी उसने इधर-उधर से मांग कर जमा करा दिये। तीसरे दिन उस भाई ने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन उसने बताया कि मेरा चिरंजीवी कार्ड है, अस्पताल ने स्वीकार करने से मना कर दिया कि बाद में बताया। इस बात को कलेक्टर के एवं अस्पताल के संज्ञान में लाये तो समाधान भी निकला। अस्पताल ने उसका सारा पैसा वापस भी दिया और कार्यवाही की भी तैयारी हम सबने कलेक्टर ने, सी एम एच ओ ने उस पर की, लेकिन शिकायतकर्ता पीछे हट गया। ये सारी बातें निजी अस्पतालों को, आम-अवाम को बहुत अच्छी लगेगी कि शव नहीं रोक पाएंगे, उसमें भी उसके भाई ने दम तोड़ दिया तो भी 40 हजार रुपये मांगे शव देने से पहले। जब यह बात संज्ञान में आ गयी तो उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिये मिट्टी हो गया, आप रखिए। हमने चिरंजीवी कार्ड दिया तब ये सारी बातें हुईं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। सब जगह इतने जागरूक नहीं होते। सब जगह जन प्रतिनिधि एक्टिवली काम नहीं करते, सब जगह प्रशासन इस तरह एक्टिवली काम नहीं करता।

हम इतना बड़ा उद्देश्य लेकर आये हैं कि साढ़े सात करोड़ की आबादी को राइट-टू-हैल्थ देने जा रहे हैं। जब हमारे पास कोरोना काल में लड़ने वाले हमारे योद्धा सी एच ए 28 हजार दरवाजे पर खड़े हैं कि हमें काम दीजिए, संविदाकर्मी साढ़े चार साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमें नियमित कीजिए, कम्प्यूटर आपरेटर इंतजार करते हैं कि हमें रोजगार दो, लैब टेक्नीशियन की स्थिति, आंकड़े नेता प्रतिपक्ष जी ने, उपनेता प्रतिपक्ष ने बताये कि स्थिति बड़ी भयावह है। हमारी हैल्थ की स्थिति क्या है और हम किस तरह इसको लागू कर पाएंगे? प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, हम उनकी पैरवी नहीं करते, लेकिन 67 परसेंट आपके बिल, जो हैल्थ का स्ट्रक्चर है, निश्चित तौर पर उन पर डिपेंड है। इन प्राधिकरणों में भी कोई डाक्टर शामिल नहीं। इसको आप

(श्री बिहारीलाल)

कैसे देखेंगे? आप जब जवाब देंगे तब समाधान जरूर करेंगे। पब्लिक डोमेन में व्यापक चर्चा के बिना, अगर इस सदन में भी हम चर्चा करते हैं तो इतने बड़े बिल के साथ, इतने बड़े कानून के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पोर्टल पर डाल देना, नेट पर डाल देने से ही इस पर चर्चा नहीं हो जाती। पब्लिक डोमेन में चर्चा करने के लिये और भी बहुत काम करने पड़ते हैं। माननीय मंत्री जी, उसकी बिना तैयारी के हम इस बिल को ले आये।

जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 की बात की, उसके भी बायलॉज हम नहीं बना पाए। उसकी तरह ही इसका भी हश्र नहीं हो। आप अपने घोषणा पत्र 2018 में कहकर आये कि जवाबदेही कानून हम लाएंगे। गारंटेड डिलीवरी आफ पब्लिक सर्विस एंड एकाउंटेबिलिटी एक्ट, 2019 के बजट में रामलुभाया जी के नेतृत्व में कमेटी भी बन गयी। 2020 में रिपोर्ट भी आ गयी। 2022 के बजट में दोबारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी। ये भी जब अभी तक नहीं हुआ तो बिना एकाउंटेबिलिटी के इस बिल को भी आप कैसे लागू कर पाएंगे, यह भी सोचने का विषय है।

सम्पर्क पोर्टल, करोड़ शिकायतें इस पर दर्ज हुईं। किस तरह के गोलमोल जवाब दिये। उनका हम क्या कर पाए? चिरंजीवी योजना में जो विसंगतियां हैं, उनको क्या हम सुधार पाए? शहरी रोजगार योजना का क्या हश्र है? 'शुद्ध के लिये युद्ध' का जो अभियान चलता है वह साल में एक दफा चलता है। दीपावली नजदीक आ रही है। क्या स्थिति है? हजार, दस हजार सैम्पल लिये गये। लैबोरेट्री की स्थिति कि हम जिला स्तर तक लेकर जाएंगे। उनका कोई अता-पता नहीं। कितने सैम्पल फेल हुए? कितनों को हम सज़ा दिला पाए? वह हमारे सामने हैं। दीपावली नजदीक है और लम्पी ने गोवंश को लील लिया है। फिर भी दीपावली में न मावे की कमी रहेगी, न दूध की कमी रहेगी। उसके लिये भी हम क्या तैयारियां कर रहे हैं? इन तैयारियों के बिना हम कैसे इस बिल को लागू कर पाएंगे?

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कोरोनाकाल में 'आपदा में अवसर', इसको देखते हुए हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया, आपसे आग्रह किया, मुख्य मंत्री जी ने हमारे नोखा को जिला अस्पताल दिया। केन्द्र में डाक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, तब पी आई पी पर नोखा को 40 करोड़ उसके लिये दिये। उसका एक साल बीत गया,

(श्री बिहारीलाल)

माननीय मंत्री महोदय, एक जटिल प्रक्रिया के बाद जमीन एलोकेशन भी हो गया, नक्शे आये पड़े हैं, वह भी स्वीकृत नहीं हुए हैं। आपसे आग्रह है कि हमारा जिला अस्पताल, जो बीकानेर के पी बी एम के बाद में ग्रामीण अंचल में पहला बड़ा अस्पताल है, उसके लिये भी हमारे भवन निर्माण को जल्दी से शुरू करवाइए। पैसे आपके कोष में, आपके खाते में आये पड़े हैं।

माननीय मंत्री महोदय, जिला अस्पताल पुरानी सी एच सी में हमारा चल रहा है। उस अस्पताल में जो स्टाफिंग पैटर्न है, उसमें आपने हमारी जरूरतों को देखते हुए खूब मदद की। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक के चार पद थे, आपने चारों भरे। बहुत अरसे बाद, लम्बे समय के बाद गायनी का डाक्टर भी हमारे को मिला, मिला वह चला गया, फिर दोबारा मिला। वह भी एस आरशिप करने चले गये। चारों हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ एस आरशिप में चले गये। अभी एक भी वरिष्ठ चिकित्सक वहां नहीं है। कनिष्ठ विशेषज्ञ 13 में से आधे पद खाली पड़े हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तीन हैं, तीन पूरे हैं। चिकित्सा अधिकारी 12 हैं, 12 पूरे हैं। एम ओ डेन्टल एक है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एक है, एक है, नर्सिंग आफिसर, 8 पद हैं, 3 कार्यरत हैं और 5 रिक्त हैं और नर्सिंग आफिसर सैकण्ड तो 46 पद हैं उनमें 34 रिक्त हैं। इस बात को भी दिखाइए।

आप आज बहुमत के आधार पर इसको पारित करवा लेंगे, लेकिन आपका सपना तभी साकार होगा जब नर्सिंग स्टाफ हमारे अस्पताल में पूरा होगा। अस्पताल में पसरा गंदगी का आलम, जबकि बिल में साफ-सफाई और झाड़ू की बात आप लेकर आये हैं। इन बातों को भी आप दिखवाइए।

माननीय सभापति जी के मार्फत आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि पी बी एम हमारे सम्भाग का, पूरे नोर्थ इंडिया का बड़ा अस्पताल है। कैंसर का बड़ा सेंटर है। कैंसर पीड़ितों को रजिस्ट्रेशन के लिये दो-दो दिन तक लाइन में लगना पड़ता हो, तो हम कैसे इस बिल की भावना को लागू कर पाएंगे? सोनोग्राफी के लिये दो-दो महीने से ज्यादा की तारीख दी जाती है तो कैसे इसको साकार कर पाएंगे? प्रिवेंटिव केयर में, हमारा सजेशन है इसमें वह भी शामिल करिये। कल्ला जी आपके पड़ोस में बैठे हैं।

पी डी एस व मिड-डे-मील में बाजरा शामिल कीजिये, एनीमिया की बीमारी समाप्त हो जायेगी। राजस्थान के नौजवानों के लिये पी डी एस व मिड-

(श्री बिहारीलाल)

डे-मील में जब बाजरा दो दिन शामिल करेंगे तो एनीमिया समाप्त हो जायेगा। तिल शामिल करेंगे तो कैल्शियम मिलेगा। आप दूध दे रहे हैं, दूध से 17 गुणा कैल्शियम तिल में है। हमारे किसान को भी फायदा होगा और कैल्शियम से नन्हे-मुन्ने बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होगी। इन दो बड़ी कमियों से जो बीमारियां होती हैं, प्रिवेंटिव केयर के लिये माननीय मंत्री जी, आपको ऐसा करना चाहिये।

पी बी एम को लेकर मेरा सजेशन है। हमारा अस्पताल कैंसर के लिये बहुत बड़ा अस्पताल है। जैसा कि राजेन्द्र जी ने कहा, कैंसर की ट्रेन आती है। इतने पेशेंट बीकानेर में इलाज के लिये पंजाब से आते हैं। इलाज के लिये वह लोग आते हैं जब थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पर पता चलता है। कैंसर साइलेंट किलर है, इसका देर से पता चलता है। शुरुआती लक्षण अगर किसी में है और उसका पता चल जाये, तो एक मोबाइल स्ट्रक्चर इस तरह का अगर कोई हो तो उसके लिये जिला स्तर पर विधायक कोटे से भी करोड़ रुपये देने पड़े तो मैं अनुशंसा करूंगा लेकिन उस वैन को चलाने के लिये इक्विपमेंट, वैन को चलाने के लिये स्टाफ, ड्राइवर की व्यवस्था अगर पी बी एम अस्पताल और आपका प्रशासन करता है तो यह शुरुआती स्टेज में भी गांव में पता चल जाये तो ऐसा भी अभियान छेड़ा जा सकता है।

माननीय मंत्री जी, इस बिल को हमारी भावना के अनुसार और आमजन की भावना के अनुसार जनमत जानने के लिये जनता के बीच ले जाइये या प्रवर समिति में ले जाइये। जिस तरह आप पूरी ताकत से, तैयारी से आते हैं, सदन 11 बजे तक भी चले तो कपड़ों में सिलवट तक नहीं पड़ती, ऐसा मजबूत बिल दुबारा से लेकर आइये। आपके नेतृत्व में पूरा सदन, पूरा राजस्थान आपकी पीठ थपथपाएगा और बिल को पास भी करेगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करता हूं इस बिल को जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति के पास भेजा जाये।

श्री सभापति: मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य का अधिकार बिल जो विधान सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, यदि इसकी भावना ठीक हो और ईमानदारी से इसको लागू किया जाता है तो मैं

(श्री मदन दिलावर)

इसका स्वागत करता हूं परन्तु क्या सरकार ने पहले तय कर लिया कि डब्ल्यू. एच. ओ. के आधार पर मेडिकल कॉलेज में क्या-क्या सुविधाएं चाहिये, जिला अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिये, कितने डाक्टर होने चाहिये, सी एच सी व पी एच सी, सब सेंटर पर कितना स्टाफ होना चाहिये, कितने इक्विपमेंट, जांच मशीनें होनी चाहिये। उस आधार पर अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं क्या? अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुईं तो जो आप अधिकार दे रहे हैं वह अधिकार कैसे ले पाएगा, हमको यह विचार करना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले हमको यह सोचना पड़ता है कि इस काम को पूरा करने में हमको क्या-क्या चाहिये, परन्तु शायद इस सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया, सोचा भी नहीं और आनन-फानन में बिल का जो मसौदा अधिकारियों ने बनाया है वह लाकर यहां टेबल पर रख दिया है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एम सी आई ए या स्टाफ पैटर्न कमेटी है, यह भी तय करती होगी कि कितना स्टाफ, कितनी मशीनरी, कितने उपकरण, नर्सिंग स्टाफ, लैब टैक्नीशिएंस, वगैरह-वगैरह क्या चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, जब आप जवाब दो तो पहले तो यह बताना कि हमने यह सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। हमको यह भी बताना कि सी एच सी में कितना स्टाफ होना चाहिये, स्टाफ में किस-किस कैटेगरी के डाक्टर्स होने चाहिये। पी एच सी में क्या होना चाहिये, सी एच सी में क्या होना चाहिये। यदि यह कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, परन्तु बिल लाने के बाद भी, बिल पास होने के बाद भी यदि यह नहीं होता है तो इस पर सरकार पर दण्डात्मक प्रावधान तो किया ही नहीं। सरकार पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिये, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये, विभागाध्यक्ष पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये, सी एम एच ओ के ऊपर क्या कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें यह तो प्रावधान किया ही नहीं, तो उसको कैसे अधिकार मिलेगा। जिसकी चिकित्सा नहीं हुई, उसको किस प्रकार की राहत देंगे, क्या मुआवजा देंगे, उसके साथ परेशानी होगी उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, इसका भी प्रावधान होना चाहिये था न, पर नहीं किया गया। अधरझूल में रख दिया। आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाता है, कहने से ही अधिकार मिल जायेगा?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या यह कहने से ही अधिकार मिल जायेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। आज सदन में कार्यवाही का आखिरी दिन है और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश हैं कि सभी लोग घर जाना चाहेंगे इसलिये समय पर हाउस किया जायेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप पूरी तरह बिल पर बोलेंगे, क्योंकि सभी लोग जैसे हैल्थ की डिमांड पर चर्चा कर रहे हो वैसे चर्चा कर रहे हो, जबकि बिल पर बोलना है। एक भी माननीय सदस्य ने बिल पर चर्चा करने के बजाय डिमांड पर चर्चा कर दी। न तो मंत्री महोदय के पास आज कोई बजट है जिससे कि आपको यहां कोई घोषणा कर देंगे। बिल की अच्छाइयां-बुराइयां, बिल के खण्ड हैं, यदि आप उन पर आप चर्चा करते तो सार्थक चर्चा होती। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है, आप सभी माननीय सदस्य 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): डब्ल्यू. एच. ओ. ने यह भी तय किया हुआ है कि इतनी जनसंख्या पर अमुक प्रकार का हास्पिटल होना चाहिये। क्या हमारी जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में इतनी पी.एच.सी., सी.एच.सी., सब-सेंटर्स, जिला अस्पताल, मेडिकल कालेजेज हैं? नहीं है तो फिर अधिकार कैसे मिलेगा? पहले इन सबको पूरा करिये, उसके बाद बिल लेकर आते तो मुझे अच्छा लगता, पर यह पूरी तैयारी नहीं है।

अभी भी राजस्थान में सैकड़ों सी.एच.सी. की जरूरत है, हज़ारों

(श्री मदन दिलावर)

पी.एच.सी. की जरूरत है, हज़ारों ही सब-सेंटर्स की जरूरत है। आज कई सी एच सी ऐसी हैं जिनमें डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, ए एन एम नहीं है, जी एन एम नहीं है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं। सुकेत सी एच सी है वहां डिलीवरी कराने के लिये कोई महिला कर्मचारी नहीं है। गायनिक पुरुष कर्मचारी भी नहीं है। कौन डिलीवरी करायेगा, कैसे डिलीवरी होगी, ऐसे अधिकार मिलेगा क्या? इससे अधिकार नहीं मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, नि:शुल्क दवाइयां देने की बात होती है, बड़ी लिस्ट होती है, आपने हजार प्रकार की दवाइयों को नि:शुल्क कर दिया है। क्या आपके पास पी.एच.सी., सी.एच.सी., जिला हास्पिटल में दवाइयां हैं? आपने सुनिश्चित किया कि आपके पास वह दवाइयां हैं? क्या आपके पास लेबोरेटरीज, पैथोलॉजी की जांचें होती हैं वे सुविधाएं हैं? जिला हास्पिटल में सीटी स्कैन मशीन हैं, एम.आर.आई. मशीन हैं? नहीं हैं, फिर आप कहते हैं सबको अधिकार दे रहे हैं। कागज में देने से काम नहीं चलने वाला है, यह आपको करना पड़ेगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, रामंगज मण्डी में ट्रोमा हास्पिटल की घोषणा हुई, 70 बैड का हास्पिटल है। मैंने जानकार से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि इसमें 36 डाक्टर्स होने चाहिये, लेकिन 6 डाक्टर भी नहीं हैं। वह 6 भी एम.बी.बी.एस. हैं, एक-दो ही स्पेशलिस्ट हैं अदरवाइज नहीं हैं। ट्रोमा हास्पिटल कैसे चलेगा? 70 बैड का हास्पिटल कैसे चलेगा? पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, लैब टैक्नीशियन नहीं है। एम्बुलेंस तीन साल से खराब पड़ी है। वहां कोई एम.एल.ए. कोटे से एम्बुलेंस दे दे तो वहां ड्राइवर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में अंधेरे में तीर मार रहे है, आप लोग अंधेरे में तीर कैसे मार रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे दण्डात्मक प्रावधान कीजिये। सरकार यदि सारी सुविधाएं देती है तो अधिकारियों को दण्डात्मक प्रावधान कीजिये। यदि सरकार सारी सुविधाएं नहीं देती है तो सरकार के ऊपर भी दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिये। यह प्रावधान कीजिये, तब तो उसको अधिकार माना जायेगा, नहीं तो ऐसे अधिकार की कोई जरूरत नहीं है।

(समय: 17.00 बजे)

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से

(श्री मदन दिलावर)

भ्रमणशील शल्य चल चिकित्सा इकाई गांव-गांव जाकर एक कैम्प लगाकर गरीब लोगों का इलाज करती थी। यह अच्छी चल चिकित्सा इकाई थी, जिसको मोबाइल सर्जिकल यूनिट कहते हैं, लेकिन आज वह बंद पड़ी है। आखिर में जो ठेठ दूरस्थ गांवों में जाकर जो सुविधाएं दे रही थी, जो लोगों के इलाज कर रही थी, आपरेशंस कर रही थी, उसको बंद क्यों कर रखा है? उसको चालू करो, गांवों में जाने दो। उसको कहते हैं कि जिला हास्पिटल में बदलेंगे हम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात को कह रहा हूं, मुझे अपनी बात को कहने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने यह कहा कि हवा भी अच्छी होनी चाहिए, पानी भी अच्छा होना चाहिए। अब हवा अच्छी कहां से आयेगी? पेड़ तो काट रहे हैं? कोटा में इतने पेड़ काट दिये कि हम सुंदर बना रहे हैं, *** पेड़ काटने से शहर सुंदर नहीं बनता है। (व्यवधान) पेड़ तो आक्सीजन देता है। वह लोगों को स्वस्थ रखता है। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह असंसदीय भाषा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लेकिन कोटा शहर में पेड़ काटकर के ...(व्यवधान) मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजिये। यह काम आसन का है, करने दीजिए आसन को उसका काम।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने *** कहा, यह शब्द मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने वापस ले लिया तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हास्पिटल्स में सफाई नहीं हो रही। कार्बनडाइआक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, सहयोग करें, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। आपके सचेतक खड़े हैं, आप विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। एक बहुत ही उपयोगी और आवश्यक बिल सरकार लेकर आयी है, उसके लिए साधुवाद। आवश्यकता तो इसकी जरूर है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण यह बिल है, उतनी तैयारी के साथ नहीं आया है, मैं इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का प्रावधान इसमें किया है, कलेक्टर की अध्यक्षता होगी। जिला प्रमुख मैम्बर है, तीन-तीन प्रधान उसमें मैम्बर है, पी.एच.ई.डी. का एस.ई. लेवल का व्यक्ति उसमें मैम्बर है, पर मैम्बर सैक्रेटरी कौन है? डिप्टी सी.एम.एच.ओ.। ये जो कमियां इसमें नजर आ रही हैं वे जल्दबाजी के कारण रही हैं। और भी बहुत सारी कमियां इसमें निकाली जा सकती हैं, मैं उन सबकी चर्चा यहां पर नहीं करूंगा, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह हमारा राजस्थान, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह इस बिल के अनुरूप काम करने के लिए, इस विधेयक के अनुरूप काम करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके सत्ता पक्ष के ओसियां, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य सहित कई सारे विधायक बोल चुके हैं। जो दयनीय तस्वीर का उन्होंने चित्रण किया है, पार्टी के सारे अनुशासन में रहने के बाद तो उसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गुजरात बोर्डर वाले जिले से आता हूं। बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक ये आठ-दस जिले ऐसे हैं, जहां से इलाज के लिए लोग गुजरात जाते हैं। यह पुराना ट्रेंड है, खूब जा रहे हैं। पन्द्रह साल से आप फ्री दवाइयां दे रहे हैं, दस-बारह साल से आप फ्री जांचें कर रहे हैं, इस बार आपने और फ्री जांचों का दायरा बढ़ा दिया है, उसके बाद भी मेरा यह प्रश्न है चिकित्सा विभाग से कि गुजरात जाने वाले मरीजों को हम रोक सके क्या? नहीं रोक पाये। अब भी जा रहे हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आपकी चिरंजीवी योजना, आपकी भामाशाह योजना, आपकी आयुष्मान भारत योजना, सारी योजनाएं होने के बाद भी लोग गुजरात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमारे सरकारी अस्पतालों में हमको देनी चाहिए थी, जो माहौल हमको देना चाहिए था, वह हम नहीं दे पाये हैं। कुछ संख्या उनकी कम हुई है, पर वह इसलिए हुई है कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर आज गुजरात के डाक्टरों ने आकर प्राइवेट क्लिनिक खड़े कर दिये हैं। इसलिए थोड़ी-सी कमी आयी है, लेकिन हमारे इस सिस्टम के कारण वह कमी नहीं आयी है और इससे यह प्रूव होता है, प्रमाणित होता है कि हमारा सिस्टम अब भी जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने लायक तैयार नहीं हो पाया है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप जब पूरी सात करोड़ जनता की बात कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान की जनता का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी है। एक अकेले जालौर जिले से छह लाख लोग राजस्थान से बाहर हैं, जो व्यापार के लिए गये हैं। खुद की उनकी फैक्ट्री होगी, खुद की दुकान होगी या वे उन दुकानों पर नौकरी कर रहे होंगे या चलते-फिरते व्यापार कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए आपकी चिरंजीवी योजना में भी कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। जालौर का रहने वाला आदमी यदि चेन्नई में किसी सेठजी की दुकान में नौकरी कर रहा है और वहां पर वह बीमार हो जाये तो वह चिरंजीवी कार्ड उसके काम नहीं आता है, उसको अपनी जेब से ही खर्चा करना पड़ेगा। यह छह लाख लोग तो एक अकेले जालौर में हैं और ऐसे ये सारे बोर्डर के जो जिले हैं, गुजरात वाले बोर्डर के जिले हैं, उनमें हर जिले में से दो-चार लाख लोग वहां पर बाहर हैं, उन सबकी चिंता आपने नहीं की है।

यह जो चिरंजीवी योजना लाते समय जो कमी रही आपकी, वही कमी अब भी रहेगी। चिरंजीवी योजना लाते समय, हमारी चिरंजीवी योजना, हमारी योजना, हमारी योजना करके आयुष्मान भारत की योजना को आपने नकार दिया। जिस राजस्थान ने भामाशाह योजना दी, जो पूरे देश में चर्चित हुई, जिसके आधार पर आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई, उसको नकार कर आपने चिरंजीवी योजना, मेरा, मेरा करके जो आपने लागू की, उसके कारण ये जो छह लाख लोग जालौर जिले के जो बाहर हैं, वे आपकी चिकित्सा सेवाओं की सुविधाओं से वंचित हैं। यदि आयुष्मान भारत में उनको यह हक मिला होता तो वे सब भी उसका लाभ उठा रहे होते। ठीक ऐसी ही कमी आप

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इस बिल में भी छोड़ने जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है।

कोरोना के समय भी हम प्रवासियों के बारे में नहीं सोच पाये, उनकी भावना को, उनकी आवश्यकता को नहीं समझ पाये। इस बार फिर वही गलती हम करने जा रहे हैं, इसमें उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी कोई चिंता नजर नहीं आती है और इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हमारी तो मत मानिये पर अपने विधायकों की सुन लीजिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा तैयार कर लीजिए। इस बिल को भी थोड़ा और पुख्ता कर लीजिए और अच्छी तरह से एक-एक प्रावधान पर सोच लीजिए और उसके बाद इस बिल को दुबारा लाइये। उससे पहले इस बिल को छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए अथवा फिर जैसा आज नेता, प्रतिपक्ष ने निवेदन किया है सदन से कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। छह महीने बाद आ जायेगा तो कोई प्रलय नहीं हो जायेगी। हां, मुख्य मंत्री बदल सकता है और इसलिए जिसको क्रेडिट मिलनी है, वह मिलने के चक्कर में यदि आप इसको जल्दी कर रहे हैं तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन जनता के हित में यह होगा कि आप इसको छह महीने बाद पुनर्विचार करके अच्छे से और शानदार बनाकर लाइये, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको समर्थन देंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022, जो आज इस विधान सभा में पारित होने वाला है, इस पर चर्चा करने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, सबका ध्येय होता है कि पहला सुख निरोगी काया। सबके दिमाग में यह रहता है कि अगर काया निरोगी है तो सब ठीक है, उसके बाद दिमाग में सब दूसरी बातें आती हैं तो अच्छी बात है कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, राइट-टू-हैल्थ जो बिल आ रहा है, उसको लेकर आज सदन में जिस प्रकार से माननीय प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी-बहुत चर्चा करना चाहूंगा, जैसा कि अभी

(श्री छगनसिंह)

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि वास्तव में जो चिरंजीवी योजना है, वह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही लागू होती है। जोधपुर सम्भाग का एक बड़ा एरिया, जिसमें जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर सहित अन्य सभी जिले, बीकानेर सम्भाग भी उसमें सम्मिलित है, प्रवासी खूब हैं, आप सबको यह विदित है कि वे सभी लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। वहां पर कभी बीमार होते हैं तो हमारे पास फोन भी आते रहते हैं कि क्या हमारा इलाज यहां पर हो सकता है तो मैंने यह कहा कि अपने यहां पर चिरंजीवी योजना है, अगर आयुष्मान में जुड़े हुए होते तो पूरे भारत में कहीं पर भी इलाज हो सकता था। उसको लेकर हमेशा कशमकश चलती रहती है। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे प्रवासी भाई दूसरे राज्यों में जाते हैं, उसी प्रकार गुजरात से, एम.पी. से, यू.पी. से कुछ मजदूर भाई यहां मजदूरी करने आते हैं, उनके पास तो आयुष्मान का भी कार्ड होता है, लेकिन यहां पर आयुष्मान की व्यवस्था नहीं होने से यहां पर इलाज नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य की जो योजना है, उसको इस राइट-टू-हैल्थ बिल में जोड़ा जाए। इससे यह होगा कि राजस्थान के लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी इसकी सुविधा मिलेगी।

दूसरी बात यह है। मैं अलग-अलग जगह की चर्चा नहीं करूंगा। मैं विशेषकर मेरे क्षेत्र की हमेशा बात करता रहूंगा। जालौर जिले में डाक्टर्स की भारी कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सी.एच.सी. हैं। माननीय मंत्रीजी, बहुत ही विडम्बना की बात है कि एक सीएच.सी. में तो एक भी डाक्टर नहीं है। फिर आपका यह राइट-टू-हैल्थ का बिल कैसे एक्टिव होगा? जब वहां पर मरीज ओ.पी.डी. में जाते हैं और एक्स-रे की आवश्यकता होती है तो वरिष्ठ डाक्टर होना चाहिए, वह वहां पर उपलब्ध नहीं है। पूरी की पूरी सी.एच.सी; खाली है। सियाणा की सी एच सी में एक भी डाक्टर पद पर नहीं है तो फिर राइट-टू-हैल्थ कैसे क्रियान्वित होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

मैं मेरे आहोर की बात करना चाहता हूं। आहोर में सीएच.सी. है। वहां हमेशा गायनी की समस्या रहती है। डिलीवरी डाक्टर का पद अभी भी रिक्त है और सभी प्राइवेट हास्पिटल्स की चांदी हो रही है। आप कह रहे हैं कि हम पूंजीपतियों की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर प्राइवेट हास्पिटल्स हैं, वहां पर सरकारी अस्पतालों में गायनी का डाक्टर क्यों नहीं है? बड़े-बड़े अस्पतालों में पद भरे हुए मिलते हैं।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, लीडर आफ अपोजिशन की स्पीच के बाद किसी का भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): बिल पर चर्चा हो रही है, यह भाषण नहीं है, माननीय सदस्य।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार पूर्व में भामाशाह योजना चल रही थी, उसके अन्तर्गत डिलीवरी केसेज में भी मुफ्त इलाज होता है और आंखों का इलाज भी मुफ्त में होता था। आज जब आंखों के अस्पताल में चिरंजीवी कार्ड लेकर जाते हैं तो वहां पर इलाज नहीं होता। डिलीवरी केसेज में पैसे लगते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा इन दोनों को उसमें जोड़ा जाए। इसकी महती आवश्यकता है, जिससे आम जनता को रिलीफ मिलेगा।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आहोर में एक मजदूर रमेश कुमार को मशीन चलाते वक्त हाथ में लग गई। उसका चार लाख रुपये का खर्च आया। गोयल हास्पिटल में इलाज करवाया। उसने कहा था कि मैं चिरंजीवी में जुड़ा हुआ हूं। हास्पिटल चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है पर उन्होंने उस योजना में इलाज नहीं किया और चार लाख रुपये का बिल थमा दिया। गरीब ने कहीं से 50-50 हजार रुपये उधार लाकर चार लाख रुपये का बिल पे किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो उस हास्पिटल के खिलाफ आप कार्यवाही करें या रमेश को पैसा वापस दिलवायें। एक हार्ट अटैक का मरीज भी उसी गोयल हास्पिटल में गया। उसके इलाज में भी 01 लाख 80 हजार रुपये के करीब उसका बिल आया, उसको भी वापस दिलवाया जाए। वह लोग चिरंजीवी में कवर होते हैं, लेकिन इलाज फ्री में नहीं करते हैं और उनसे पूरा का पूरा बिल लेते हैं। खींवसिंह और रमेश कुमार का इस हास्पिटल में इलाज हुआ था। उस बारे में आप तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करवायें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिला स्तर की जो कमेटी बनी है, आप माननीय विधायकों को भी इसमें सदस्य बनायें। वास्तव में नारायणजी बेनीवाल ने भी कहा है कि विधायक अगर कमेटी में नहीं रहेंगे तो समस्या रहेगी क्योंकि सवाल तो हमारे से पूछे जाते हैं। राइट-टू-हैल्थ पर चर्चा होगी और उसमें क्या कमियां हैं, हम

(श्री छगनसिंह)

उस बारे में कमी क्या बतायेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल को लेकर आये हैं। बिल अच्छा है, लेकिन क्या हम इसकी गहराई में गये? मैं मान सकती हूं कि कहीं न कहीं मंत्री महोदय और सरकार की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसको और मजबूत करते तो ठीक रहता। उसके बाद ही हम उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करते तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के लिए यह मील का पत्थर साबित होता।

हमने बहुत जल्दबाजी में इस विधेयक को सर्कुलेट किया है और जैसा अभी सम्माननीय राठौड़ साहब बोल रहे थे कि 15 दिन पहले काबीना की बैठक बुलाई और उसके बाद आनन-फानन में हम इस बिल को लेकर आये। आई.एम.ए. आपसे मिला, विभाग ने यह भी कहा कि वेबसाइट पर अपने सुझाव दीजिए। उन्होंने सुझाव भी साझा किया, लेकिन कम से तीन सौ सुझाव आने के बावजूद भी क्या हमने एक भी सुझाव पर ध्यान दिया, इसमें सम्मिलित किया? कतई नहीं किया। हमें इस बात की ओर झांकने की जरूरत है। मुझे बिल पर ही बोलना है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 पी.एच.सी. और 5 सी.एच.सी. हैं। आप देखिए, चार साल से एक सी.एच.सी. मात्र तीन कमरों में चल रही है। मैंने डेढ़ से दो वर्ष पहले सोनोग्राफी मशीन के लिए 14 लाख रुपये दिये, लेकिन अभी तक नहीं आयी और सारी की सारी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. पर न तो सी.बी.सी. की जांच हो पाती और न ही सोनोग्राफी हो पाती है। एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हुई है। हमारी 52 पंचायतें और 4 नगरपालिकाएं हैं, वहां की जनता को ऐसे में हम भगवान भरोसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जब जनता को गांव की पी.एच.सी., सी.एच.सी., सब सेन्टर पर इलाज नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वह कोटा में दौड़ कर आता है और कोटा मेडिकल कालेज या एम.बी.एस. हास्पिटल की बात करें, मैं मान सकती हूं कि कोटा के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लिए हम पुराने हैं, लेकिन कभी-कभार जब हमारे पास मरीज का फोन आता है कि आप फोन करिये, मुझे एडमिट नहीं किया जा रहा है। ऐसे हम कौनसे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक की बात कर सकते हैं? आज अति आवश्यक हो गया है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर राजस्थान की उस गरीब जनता को हमें इसका लाभ देना है। दुबारा इस विधेयक पर हम आपस में चर्चा करें। निजी अस्पतालों को विश्वास में लें, क्योंकि सीधा गांव से दौड़ कर जब मरीज को सरकारी हास्पिटल में इलाज नहीं मिलता तो वह प्राइवेट हास्पिटल की तरफ दौड़ता है। मेरा इतना-सा कहना है कि हैल्थ की परिभाषा में हम मात्र यह सोच लें कि सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ही आता है तो बिलकुल गलत है। टीकाकरण उसमें आता है, स्वास्थ्य की शिक्षा देना भी उसमें आता है। क्या हमें यह सब प्राइवेट हास्पिटल दे पायेंगे?

जब कभी भी महामारी आयी है तो हमने देखा है कि अगर किसी गांव में दवा छिड़कनी पड़े तो क्या प्राइवेट हास्पिटल उस दवा को छिड़कने के लिए जायेंगे? यह कतई सम्भव नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस विधेयक में और प्रावधान करें और जहां तक हो सके, इसे टालें।

सभापति महोदय, सरकारी अस्पतालों में संसाधनों का अभाव है। यह सब कुछ मैंने आपको बताया। जिस तरह से हमने इस विधेयक में कहा है कि बगैर पैसा जमा करवाये उपचार और मृत शरीर को ले जाने का अधिकार है। हमने पहले भी कोरोना काल में देखा कि किस तरह के हालात हुए। कोई किसी का सगा नहीं होता, इसलिए फिर मैं बात को कहूंगी कि हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि क्या हम सही तरीके से राजस्थान की जनता को इलाज देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम कुछ ऐसे प्रावधान करें, जिससे वहां की जनता को लाभ मिले। मुझे लगता है कि अगर हम किसी हास्पिटल में बैठ जाएं और चर्चा करें कि किसी बड़े शहर में आर्थिक अभाव में किसी हास्पिटल को चला सकता है तो ऐसा भी कतई सम्भव नहीं है तो निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर हमें कुछ और सोचने की जरूरत है, यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल जैसी बातों पर भी हमारा विशेष जोर इस विधेयक में होना चाहिये। साथ ही साथ, अधिकार में स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं को भी हमें शामिल करना, सरकारी एजेंसियों पर चिकित्सा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पेशे के विनियमन और चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान, विकास के लिये समर्थन जैसे पहलुओं, जिसमें शिक्षा हो, आवास हो, पर्यावरण संरक्षण हो, श्रम कानून हो, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हों और बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा से सम्बन्धित नीति विकल्प भी इसमें शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर यह विधेयक और ज्यादा व्यापक बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह सब इस कानून से गायब हैं। यह केवल एक सतही कानून है, जो व्यावहारिक रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, यह मेरा कहना है। यह कानून स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श किये बिना एकतरफा हम लोगों ने इसको प्रस्तावित किया है और इसका हमें आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इतना मैं निवेदन करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस विधेयक के बारे में कुछ बिन्दुओं पर ले जाना चाहूंगी कि क्या यह कानून राजस्थान में जनता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अविश्वास को पैदा नहीं करेगा? इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ उचित रेफरल परिवहन में वाहन, उपकरण, दवाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि प्राप्त करने में होने वाली लागत भी इसमें शामिल हैं, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी हमें इस विधेयक में करना चाहिये। साथ ही साथ, निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में मुफ्त आपातकालीन उपचार के लिये, निवासियों के लिये, मुफ्त आपातकालीन परिवहन के लिये और राज्य सरकार को बुनियादी ढांचे का निर्माण इसमें करना होगा। सेवाओं की उचित लागत प्रतिमूर्ति बनायी जानी चाहिये और लागू की जानी चाहिये, तभी यह कानून लाना हमारा सार्थक होगा, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के भी कुछ अधिकार देना चाहिये, वरना हम जानते हैं कि कानून हम लेकर आते हैं, लेकिन कानून जब दायरे में नहीं आता तो किस तरह का अविश्वास पैदा होता है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं मोटी-मोटी एक-दो बात बताना चाहती हूं। बिल से अलग कुछ भी नहीं बोल रही, सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बिना किसी दबाव, परेशानी और उत्पीड़न के जो नौकरी करने वाले बंधु हैं, उन्हें सुरक्षित रूप हमें प्रदान करना पड़ेगा, उन्हें सुरक्षा देनी पड़ेगी, यह प्रावधान भी इस बिल में रखना चाहिये। इसके साथ ही विघटनकारी और हिंसक व्यवहार में लिप्त रोगियों के उपचार से अगर प्राइवेट हास्पिटल का कोई डाक्टर मना करता है तो उसकी रक्षा-सुरक्षा क्या होगी, यह बातें भी हमें इस विधेयक में रखनी चाहिये। साथ ही साथ, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध न होने पर अगर मरीज को इलाज के लिये किसी प्राइवेट हास्पिटल वाले ने मना कर दिया तो आप देखिये, हम जानते हैं यह राजस्थान है, किस तरह के हालात हमने लगातार प्राइवेट हास्पिटल्स में देखे हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुश्ती का अखाड़ा हमारे प्राइवेट हास्पिटल न बन जायें, यह प्रावधान भी हमें इसमें करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात इसमें कही है, उसके लिये हमें विचार करना चाहिये। बिन्दु संख्या-10 में शिकायत निवारण तंत्र है। इस बारे में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मरीजों के लिये पहले से ही कई विकल्प हैं, यह हम सबको मालूम है। स्वास्थ्य देखभाल में जो हमारे अयोग्य व्यक्तियों को, जो हमारे थैलाछाप, झोलाछाप डाक्टर होते हैं, इनको रोकने के लिये हमें इसमें प्रावधान करना चाहिये वरना यह फिर हमारी परेशानी बढ़ा सकते हैं और सम्बन्धित क्षेत्र के हमारे CMHO, जिला कलेक्टर या एस.डी.एम. जैसे सभी प्राधिकारियों को .. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैं बिल से हटकर कुछ भी नहीं बोल रही हूं। मैं अपने सुझाव दे रही हूं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। आपके सुझाव आ गये। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे सुझाव लिखित में ले लीजिये। मैं मेरे सुझावों को टेबल

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कर देती हूं। टेबल कर दूं? माननीय सभापति महोदय, मुझे टेबल करने की अनुमति दे दें।

श्री सभापति: आप दस मिनट बोल लिये। अब आप विराजिये। सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। राइट-टू-हैल्थ यानी सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी परिकल्पना इस अधिकार में की गयी है। मेरा एक निवेदन है कि यह आनन-फानन में लाया गया है। बिल अच्छा है, बिल लाना चाहिये। सबका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, लेकिन यह आनन-फानन में लाया गया है और इसमें कई कमियां और त्रुटियां हैं तो इसको जनमत जानने के लिये भेजना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि हमारे पास भौतिक संसाधनों की संरचना ठीक नहीं है, मानव शक्ति हमारे पास बराबर नहीं है, इसके बाद भी हम लोक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल तैयार कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। राजस्थान राज्य का प्रत्येक निवासी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य की स्थिति से गरिमामय जीवन जी सके, ऐसी परिकल्पना हम कर रहे हैं। उच्चतम साध्य-साधन से प्राप्त करने का हकदार हर व्यक्ति रहे, यह हम सबकी परिकल्पना है और अच्छी परिकल्पना है, इसमें कोई दोराय नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार न केवल समय पर स्वास्थ्य परिचर्या तक ही सीमित है, अपितु इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित किये। इस कानून को विस्तृत किया गया है, लेकिन जब यह कानून आ रहा है तो इसके अंदर कई चीजों की आवश्यकता और होगी। जब हम हमारे स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि यह स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक रह सकता है। जो हवा हमको मिल रही है, वह हवा दूषित है। कल-कारखानों से दूषित हवा निकलती है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? पानी के अंदर फ्लोराइड है। आजादी के 75 सालों के बाद भी हम शुद्ध पानी नहीं दे सके। कारखानों से पानी अशुद्ध हो रहा है। खाद्यान्न में मिलावट हो रही है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, दही में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, फलों में मिलावट, पेय पदार्थों में मिलावट, यानी कि सरकार भी मिली-जुली है। सरकार में भी कुछ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

इधर के कुछ उधर के मिलाकर मिली हुई सरकार है, इसलिए मिलावट है, तो सबसे पहले तो हमको इन मिलावटखोरों के खिलाफ कोई न कोई ऐसा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हम इन मिलावटखोरों को सज़ा दे सकें।

हम पहले भी ऐसे अधिकार लाये थे। इस स्वास्थ्य के अधिकार से पहले कुछ और अधिकार लाये थे। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार लाये थे। सबको शिक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी भी है, लेकिन हुआ क्या? विद्यालयों की स्थिति देखो, विद्यालयों के अंदर शिक्षक तक नहीं हैं, विद्यालय भवन नहीं हैं, ऐसे अधिकार से क्या होता है? हम एक सूचना का अधिकार भी लाये थे। सूचना के अधिकार में, माननीय सभापति महोदय, आज सूचना देने वाला कोई नहीं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार देने से पहले हमको प्रत्येक गांव के अंदर चिकित्सा की इकाई खोलने की आवश्यकता है। आज भी कई गांवों के अंदर चिकित्सा की इकाई नहीं है। एक पंचायत मुख्यालय पर एक ए.एन.एम. सेंटर होगा, वह भी बरसों से खाली है। आयुर्वेद के हास्पिटल खोल रखे हैं, वहां पर भी कोई वैद्य नहीं हैं। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउंडर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। यहां तक कि मशीनरी भी नहीं है। जब तक मशीनरी नहीं होगी, भवन नहीं होगा, डॉक्टरों के रहने के लिये व्यवस्था नहीं है। मेरे यहां पर पांच-छह सी.एच.सी. हैं। सांवरियाजी के अंदर सी.एच.सी. है, बांसवाड़ा में सी.एच.सी. है, भोपाल सागर में सी.एच.सी. है, कपासन में सी.एच.सी. है। आठ-आठ डाक्टर्स की पोस्टें सेंक्शन हैं, लेकिन हालात यह हैं कि वहां पर एक-एक डाक्टर है। कहीं पर डाक्टर ही नहीं है, नर्सें नहीं हैं। ऐसी अव्यवस्थाएं हमारे यहां हो रही हैं।

हमारी जब वसुन्धरा जी के नेतृत्व में सरकार थी तो हम भामाशाह योजना लाये थे। उस भामाशाह योजना को आपकी सरकार ने आते ही बन्द कर दिया। केन्द्र सरकार के द्वारा इस बार स्वास्थ्य योजना लागू की गयी थी। उसमें यह था कि राजस्थान का व्यक्ति यदि देश के किसी कोने के अंदर जाकर अपना इलाज कराना चाहता है तो पांच लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है लेकिन उस योजना को राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया और आपने चिरंजीवी योजना लाने का काम किया। यह अच्छी बात है कि चिरंजीवी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

योजना लाये और 10 लाख रुपये तक का इलाज भी कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय भी नहीं है, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं है। यह धरातल पर कैसे नहीं है कि हम चाहते हैं कि यह योजना जो-जो हास्पिटल रजिस्टर्ड हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर ही हम इलाज करा सकते हैं। सबसे पहले तो वहां पर कोई मरीज जायेगा तो उसको जनाधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। अब कोई सीरियस बीमार है, जिसको तुरंत इलाज की आवश्यकता है, तो वह जनाधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन करायेगा, उसके बाद में जयपुर में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जयपुर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसका इलाज होगा, तब तक तो वह व्यक्ति यदि गम्भीर बीमार होगा तो वह लुढ़क जायेगा तो इसमें कोई न कोई संशोधन करो। गम्भीर बीमारी के लिए इसमें कोई न कोई ऐसा क्लाज डालो कि यदि कोई गम्भीर बीमार है तो तुरन्त उसको इलाज दिया जाये।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी छह-सात दिन पहले रात्रि को 9 बजे मेरे पास फोन आया। चित्तौड़ जिले के अन्दर बिड़ला हास्पिटल है, निजी हास्पिटल। उसको चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड किया है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को बुखार है, मैंने कहा कि बुखार है तो भर्ती कर दो। उस व्यक्ति के लिए कहा कि हम भर्ती नहीं कर सकते, डाक्टर ने कहा। मैंने पूछा कि क्यों नहीं भर्ती कर सकते तो उन्होंने कहा कि हम इसकी पहले जांच करेंगे कि इसको बुखार कौनसा है, इसको डेंगू बुखार है कि मलेरिया बुखार है कि सामान्य बुखार है? इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होगा जयपुर में, उसके बाद में हम उसको भर्ती करेंगे। अब आप मुझे बताओ, माननीय सभापति महोदय, वह व्यक्ति पहले जांचें करायेगा, जब सरकार ने जांचें फ्री कर रखी हैं, जांचें फ्री हैं तो किस बात के लिए वे पहले पैसा लेना चाहते हैं? थोड़ा-सा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गम्भीर बीमारी के लिए जयपुर में रजिस्ट्रेशन होगा, तब तक इलाज नहीं होगा, जब तक हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, तो इस राइट-टू-हैल्थ का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक समस्या और है, गम्भीर समस्या है वह, जन आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए ले गया और ले जाने के बाद उसका बच्चा पैदा हुआ और बच्चा जन्म से ही कोई रोग लेकर पैदा हुआ तो अब उसका जन आधार कार्ड में नाम कहां से आयेगा या एक साल का बच्चा है और वह बीमार हो गया,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जन आधार कार्ड में नाम कब लिखायेगा? जब जन आधार कार्ड में नाम नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं होगा, तो राइट-टू-हैल्थ का आधार क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन चीजों को हमको देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं। हमारे सम्भाग के अन्दर महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के अन्दर है, सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, पांच-छह जिलों का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर आज भी बाईपास सर्जरी करने के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं है। पास में ही वहां पर गीतांजलि मेडिकल कालेज है वह निजी है, वह चिरंजीवी योजना के अन्दर रजिस्टर्ड है, कोई भी व्यक्ति जाता है बीमार, अपनी सर्जरी कराना चाहता है, सर्जरी वहां पर अच्छी होती है इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन उसको तीस दिन तक भर्ती रखा जाता है। तीस दिन तक, जबकि जयपुर के अन्दर बाईपास कराओ तो चार दिन में छुट्टी दे देंगे, उसको तीस दिन भर्ती करेंगे। तीस दिन इसलिए रखेंगे कि चिरंजीवी का दस लाख रुपये का बीमा है, वह पैसा धीरे-धीरे उस मरीज से वसूल किया जा सके।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमृत लाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय जो कोविड सहायक लगाये थे, उनको हम परमानेंट कर दें तो साधन-सुविधाएं पूरी हो जायेंगी।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आनन-फानन में लाये गये इस बिल को जनमत जानने के लिए छह महीने के लिए परिचालित करें या प्रवर समिति को भेजने के लिए आवश्यकता है। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

(श्री हमीर सिंह भायल)

इस बिल में जो कमियां थीं, उनके बारे में हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे, सुझाव भी दिये। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां हर क्षेत्र में स्टाफ की कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए अपन क्या करेंगे? जब तक वह नहीं होगा, तब तक इलाज नहीं होगा, कितना भी अपन बिल लाकर उसमें सुविधा प्रकट करेंगे पर वहां पर सुविधा देने वाला कौन होगा? मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर सिवाना सीएच.सी. के अन्दर 5 पद डाक्टरों के हैं, 4 खाली हैं; समदड़ी में 8 हैं, 5 खाली हैं; सिणधरी में 7 हैं, 4 खाली हैं; नर्सिंग स्टाफ की इतनी कमी सब जगह ही है, सब जगह स्टाफ बिलकुल नहीं के बराबर है। मेरा निवेदन है कि अपन यह लायेंगे बिल, सुविधा सेंटर बनायेंगे पर सुविधा कहां से मिलेगी? मेरे यहां 22 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधा के लिए सब सेंटर भी नहीं हैं, सारे खाली पड़े हैं, ऐसी सुविधा को लेकर हम राइट-टू-हैल्थ बिल लाकर क्या सुविधा देना चाह रहे हैं? कोरोना काल में एक्सरे मशीनों के लिए, सी.एच.सी. के लिए मशीनें खरीदने के लिए विधायक मद से जो पैसे दिये गये, आज दिन तक उसकी खरीददारी भी नहीं हो पायी है। वे कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, उनके साइन के बिना हो नहीं सकता। आप बतायें कि विधायक फण्ड से पैसे दिये हुए हैं और आज दिन तक जिला चिकित्सा अधिकारी, सी.ई.ओ. या जिला कलेक्टर मशीनें नहीं खरीद पाये। कोरोना को बीते हुए भी साल-डेढ़ साल हो गया है और कोरोना के समय में जो टेक्नीशियन और स्टाफ ने मदद की थी, काम किया था, उनको भी अगर सरकार भर्ती करे तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दे। अभी जो आप बिल लाये हैं, उसमें जहां-जहां स्टाफ नहीं है, वहां-वहां उसकी पूर्ति करने की कृपा करें। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक महिला डाक्टर भी नहीं है। सिणधरी, भटिण्डा से काण्डला को रोड जाता है, मेगा हाईवे है, वहां ट्रोमा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो या तो वे जोधपुर जायें या बालोतरा जायें तो इस दौरान उनकी नजदीक में ट्रोमा सेंटर नहीं होने के कारण मृत्यु हो जाती है, इसलिए आप वहां सुविधा देने के लिए तैयार करें। यह आनन-फानन में लाया हुआ बिल है, इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। श्री जगदीश चन्द्र (अनुपस्थित)। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राइट-टू-हैल्थ बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुझ से पूर्व बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है जिसमें उन्होंने काफी तथ्य भी दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, जब मैं यह बिल पढ़ रही थी तो कुछ पाइंट्स स्पेसिफिकली मेरे नोटिस में आये हैं। Obligations of Government - it says, "(a) to formulate and prescribe a model of public health known as "Rajasthan Model of Public Health", जब मैंने यह पहली लाइन पढ़ी तो सबसे पहले मेरे नोटिस में एक बात और आयी कि जब मॉडल स्कूल के बारे में बात कही गयी थी तब भी इसी तरह से एक फैंसी भाषा में एक फैंसी लाइन लिखी थी। आज हमें पता है कि उन स्कूल्स में क्या हालत है, इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टीचर्स की क्वालिटी को लेकर, टीचर्स को लेकर, बुक्स को लेकर, उनकी यूनिफार्म्स को लेकर? क्या वही हालत हम हमारे हैल्थ सेक्टर के साथ भी करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, एक और इंटरेस्टिंग लाइन इसमें लिखी गयी है, "to develop and institutionalize Human Resource Policy for Health to ensure availability and equitable distribution of doctors, nurses and other ancillary health professionals and workers." माननीय सभापति महोदय, यह पढ़ते वक्त मुझे एक वाकया ध्यान में आया। पिछले वर्ष एक गर्भवती महिला का मेरे पास रात को 2 बजे फोन आता है, उस महिला को अर्जेंट में मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वह अकेली रहती थी तो उनको मुझे कॉल करना पड़ा और मेरे राजसमन्द जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, आर.के. अस्पताल के बाहर खड़े होकर उसने मुझे फोन किया। जैसे ही उसका फोन आया, तुरन्त मैंने भी चिकित्सा अधिकारियों को फोन किया। अपनी प्रोब्लम दर्ज करायी तो चिकित्सा अधिकारी ने दो टूक जवाब देते हुए मुझे यह कहा कि हमारे पास एनेस्थेसिया का डाक्टर नहीं है, इसलिए हम इनका इलाज नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि वह इलाज नहीं डिलीवरी थी, जिसके लिए उस गर्भवती महिला को मना कर दिया गया एक जिला चिकित्सालय में। उसको मुझे अर्जेंट में उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में भिजवाना पड़ा। एम्बुलेंस की

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

व्यवस्था की गयी और वह वहां पर पहुंची। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि जब इसमें लिखा है कि, “equitable rights of doctors” मिलने चाहिए तो क्यों आज भी आर.के. हास्पिटल में करीबन 50 पद रिक्त हैं? हमारे पास विशेषज्ञ डाक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हमारे पास कम्पाउण्डर्स नहीं हैं, हमारे पास स्वच्छताकर्मी नहीं हैं और स्थिति इतनी गम्भीर है कि ‘मुफ्त की जांच’ बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, यहां मुफ्त जांचें होंगी, लेकिन जांच हर पेशेंट को बाहर से करानी पड़ती है। जांच कराने के बाद जब उनके पास रिपोर्ट आती है तो 2 बज जाते हैं और 2 बजे के बाद कोई डाक्टर उस हास्पिटल में बैठता नहीं तो वापस से उस पेशेंट को प्राइवेट हास्पिटल जाना पड़ता है और वहां पर फीस देनी पड़ती है तथा अपनी जांच दिखानी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात आपके सामने इसलिए रख रही हूं कि जब राजसमन्द, एक विधान सभा क्षेत्र के एक जिला अस्पताल की यह हालत है, तो हम पूरे प्रदेश के लिए राइट-टू-हैल्थ की बात कर रहे हैं, वह किस ग्राउण्ड पर, किस बेसिस पर कर रहे हैं? राइट-टू-हैल्थ तो तब मिलेगा, जब हम उन्हें अच्छी हैल्थ फैसिलिटीज आलरेडी प्रोवाइड करा रहे होंगे, जब हमारे पास वे संसाधन होंगे कि लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जब हमारे पास खाने की अच्छी सामग्री होगी, अच्छी हवा होगी, स्वच्छ पानी होगा।

अभी कपासन से आने वाले माननीय विधायक ने फ्लोराइड की बात की। यह हमारे सम्भाग की एक बहुत बड़ी समस्या है कि पानी में इतना फ्लोराइड होता है कि हमारे यहां के लोगों को घुटनों की प्रोब्लम है, क्योंकि फ्लोराइड का लेवल पानी में इतना ज्यादा है। जब भी हम उसे सैम्पलिंग कराने के लिये भेजते हैं तो रिपोर्ट्स आने में बहुत लम्बा समय लगता है और वे रिपोर्ट्स इधर से उधर कहीं गायब हो जाती हैं।

सभापति महोदय, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, राजसमन्द पर्टिकुलर्ली एक माइनिंग एरिया है। यहां पर दूसरे क्षेत्रों से एयर पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है। क्या सरकार ने आज तक एक भी एयरबिन हमारे राजसमन्द में लगाया है ताकि उस वातावरण को हम स्वच्छ कर सकें? जब इन विषयों पर सोचा ही नहीं गया तो यह राइट-टू-हैल्थ बिल, जैसा कि

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में, जस्ट बिकॉज हमारे मेनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम ऐसा एक राइट-टू-हैल्थ बिल लेकर आएंगे और राजस्थान पूरे देश में नम्बर वन राज्य होगा, जहां पर यह बिल आया होगा। बिल लाने से पहले बहुत-सी छोटी-छोटी बातें हैं, जिन पर अमूमन गौर करना चाहिये। हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां पर तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे 60 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर है और इस तरफ भीलवाड़ा और चित्तौड़ है तो लोगों को तो आये दिन रेफर करके आस-पास के क्षेत्रों में भेजा जाता है। हम तो चाहते हैं कि राजसमन्द में जल्द से जल्द ये सारी सुविधाएं हों, लेकिन इन सुविधाओं का बेसिस ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया।

राइट-टू-हैल्थ बिल को बनाया गया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डाक्टर्स, जिन्हें एक्चुअली सुविधाओं के बारे में पता है, उनकी किसी की भी बात यहां पर रखी नहीं गयी। उन्हें पूछा तक नहीं गया। माननीय सभापति महोदय, हम राइट-टू-गुड-फूड की बात करते हैं, हैल्थ की बात करते हैं, जिसके अन्दर खाद्य सामग्री एक बहुत बड़ा विषय है। आंगनबाड़ी में जो बच्चों को खाना मिलता है, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया था कि 51.8 परसेंट बच्चे कुपोषित हैं। उसका कारण है कि हमारे खाने में मिलावट है। हमारी आंगनबाड़ियों में जो खाना बनता है, वह पाम ऑयल में बनता है। इस प्रकार का खाना जब बच्चों को मिलता है तो उनका पोषण क्या होगा और उनकी हैल्थ कहां जायेगी? वे बच्चे किस प्रकार से मेंटली और फिजीकली ग्रो करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं एक बात और रखना चाहूंगी कि इस बिल में यह कहा गया है कि इस कमेटी में पूरे जिले में सिर्फ तीन पंचायत समितियों के प्रधानों को लिया जायेगा। क्या बाकी के प्रधानों ने कोई गलती की है? सारे ही प्रधानों को लें, अच्छी चर्चा करें। अगर किसी विषय पर कोई परेशानी है तो लोग उन सबके पास जा सकें और आम जनता को अच्छी सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत लोगों ने

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं भी शोर्ट में एक बात जरूर रखना चाहूंगी कि चिरंजीवी बीमा योजना, इतनी बड़ी योजना, जिसके बारे में सरकार कहती है कि यह तो हम लेकर आये हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि भामाशाह योजना का दूसरा नाम चिरंजीवी योजना है, लेकिन उसमें भी आज प्राइवेट हास्पिटल्स अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों-करोड़ों रुपये चिरंजीवी योजना में आज तक इन प्राइवेट हास्पिटल्स को भुगतान नहीं किया गया है। हमारे यहां जो हास्पिटल्स हैं, उनमें करीब 60 से 70 परसेंट प्राइवेट हास्पिटल्स का भी बड़ा योगदान हैं। हम उन्हें माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हास्पिटल्स ने मिलकर पैंडेमिक को संभाला और हमारी मदद करने की कोशिश की। हम उस बात को कैसे नेगेट कर सकते हैं कि प्राइवेट हास्पिटल्स की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिये और बी.जे.पी. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देती है। ये सारी बातें गलत हैं। हैल्थ सेक्टर की यदि हम बात करें तो हमें प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, दोनों को साथ में बैठाना चाहिये, उनके व्यू पाइंट्स लेने चाहिये और उसके आधार पर अपने बिल को बनाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, अगर व्यवस्था अच्छी हो, हैल्थ सबको अच्छे-से मिले, एक समान मिले तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी बिल को लाने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि लोगों को कोई परेशानियां ही नहीं आएंगी।

अन्त में, अपनी बात को खतम करते हुए मैं आपसे यही बोलूंगी कि इस विधेयक को आप सलेक्ट कमेटी में भेजें और एक बार फिर से इसके बारे में सोच हो। मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगी कि सिर्फ बिल पास करने के लिये न करें, इस पर अच्छे तरीके से सोच-समझकर इसे वापस विधान सभा में लाएं, ताकि एक अच्छी चर्चा वापस हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरे पांच घण्टे सदन के विद्वान सदस्यों के सुझावों से अवगत होने का मौका मिला। इस कानून का एक-एक सेक्शन मुझे याद हो गया। माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे पूज्य महात्मा गांधी की एक तस्वीर लगी हुई है। ऊपर के कपड़ों के बिना उघड़ी हुई पीठ की यह तस्वीर इस सदन के सभी सदस्यों को प्रेरित करती है, समाज के कमजोर आदमी से जुड़ने के लिये। वे बैरिस्टर थे। उन्हें

(श्री संयम लोढ़ा)

अर्ध नग्न रहने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? जब अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आये और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं तो गोखले ने उनसे कहा कि तुम भारत को जानो, भारत के लोगों को जानो। महात्मा गांधी निकल पड़े। उसी दौरान उड़ीसा में उनकी एक सभा थी। कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थीं। एक गांव में जहां उनकी सभा थी चार बजे की, सभा में जब बिलकुल भी औरतें नहीं आयीं तो कस्तूरबा गांधी गांव में गयीं और वहां झोपड़ी को नॉक किया, 3 महिलाएं घर में थीं। कस्तूरबा गांधी ने पूछा, ''तुम बापू की सभा में क्यों नहीं आयीं?'' उन्होंने कहा कि हम आना तो चाहती थीं, पर हमारे पास साड़ी एक ही थी, इसलिये हम नहीं आयीं। यह वह क्षण था, जब महात्मा गांधी ने यह तय किया कि जब मेरे देश की माताएं-बहनें पूरे वस्त्र नहीं पहन सकतीं तो मैं भी पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा और तब से जीवन पर्यन्त वे इसी वेश में रहे। यही महात्मा गांधी राजस्थान के मुख्य मंत्री की सोच का आधार बने। उनकी सरकार की बुनियाद बने और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर एक लोक कल्याणकारी सरकार को हम देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के पूर्व नेता, जो राजस्थान के बहुत लम्बे समय तक चिकित्सा मंत्री रहे, उन्होंने कहा, नकली दवाई, दूषित खाद्य सामग्री, दूषित पानी, टायलेट, मुझे याद आता है, जब ये चिकित्सा मंत्री थे तो राजस्थान पत्रिका में इनके कोटा के दौरे का एक समाचार छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं शर्मिन्दा हूं कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं ...(व्यवधान) लेकिन आज राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल जी मीणा को शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज विराजिये आप। आसन ने उन्हें अलाउ किया हुआ है बोलने के लिये। कुछ इर्रेलेवेंट नहीं बोल रहे हैं वे। यह क्या बात हुई? आप बोल रहे थे तो आप एक घण्टा बोलेंगे, माननीय सदस्य बोलेंगे तो आप बोलने नहीं देंगे उन्हें?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं राजस्थान के एक सर्वाधिक पिछड़े जिले से आता हूं। भारत सरकार के नीति आयोग ने जिसे आकांक्षी जिलों में रखा हुआ है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को वहां मुंह छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वे दौरे पर आये तो हास्पिटल्स भी गये, टायलेट्स में भी गये,

(श्री संयम लोढ़ा)

मरीजों से भी मिले, एक-एक से रूबरू हुए और पूछा कि राजस्थान की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी फैसले किये हैं, उनका तुम्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?

(समय: 17.49 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह कहा गया कि बिना तैयारी के बिल ले आये। मैं सहमत नहीं हूं। इस देश में राइट-टू-एजुकेशन का कानून आया, क्या पूरे भारत के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पहले लगा दिये थे? इस देश में राइट-टू-वर्क का कानून आया, क्या पूरे देश में ग्राम विकास अधिकारी लगा दिये थे? क्या जे.टी.ए. लगा दिये थे? क्या रोजगार सहायक लगा दिये थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में राइट-टू-फूड आया तो क्या पूरे देश में प्रवर्तन निरीक्षक और प्रवर्तन अधिकारियों के पद भर दिये गये थे? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह राजस्थान है जिसके कोरोना प्रबन्धन की गूंज अमेरिका तक में हुई और न्यूयार्क टाइम्स तक ने राजस्थान के कोरोना प्रबन्धन की सराहना की तथा अमेरिका के प्रेसीडेंट की प्रेस एडवाइजर ने राजस्थान के मुख्य मंत्री के काम पर आर्टिकल लिखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या समय था, एक सैम्पल टेस्ट करने की हमारी क्षमता नहीं थी और इसी सरकार ने 1 लाख 45 हजार टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता राजस्थान के अन्दर विकसित की। क्या हालत थी हमारी? आक्सीजन की क्या व्यवस्था थी? इसी सरकार ने 473 से अधिक आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाये और एक हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन से ज्यादा की उत्पादन क्षमता विकसित की। 40 हजार आक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 हजार आक्सीजन बैड थे हमारे पास और 1 हजार आई.सी.यू. बैड क्षमता थी। (व्यवधान) मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कहा कि बिना तैयारी के लाये हैं तो मैं बता रहा हूं कि क्या-क्या तैयारी है। 28 हजार आक्सीजन बैड की कैपेसिटी है, 6 हजार आई.सी.यू. बैड की कैपेसिटी है तो किस आधार पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि इसकी तैयारी नहीं है? माननीय अध्यक्ष

(श्री संयम लोढ़ा)

महोदय, यह कहा कि 200 करोड़ रुपये का पेमेंट बाकी है। मैं प्रतिपक्ष के नेता को निवेदन करना चाहूंगा कि चिरंजीवी योजना में 21 दिन के अन्दर पूरा पेमेंट होता है और 98 परसेंट पेमेंट हो चुका है। जिस पेमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, वह आपके वक्त की भामाशाह योजना का है और उसमें भी खाली 35 करोड़ रुपया बाकी है तथा वह भी भारत सरकार के कारण बाकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें। प्लीज, डिमांड पर नहीं, बिल पर बोलें। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में क्रूर और निर्मम आलोचना सरकार के कामकाज की की गयी है और यह कहा गया कि राजस्थान को चार साल में कहीं पीछे धकेल दिया तो मेरा यह बताना आवश्यक है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-औषधि सोफ्टवेयर पर नि:शुल्क दवा योजना में अप्रैल, 2019 से पूरे भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है और यह नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। अब मेरा काम आप कर रहे हो, आप फिर यहां आकर बैठ जाओ। मेरा काम कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नि:शुल्क दवाइयां हैं उनमें भी राजस्थान 2486 दवाइयां उपलब्ध करा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I have to regulate. Please, speak on the bill.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिल और डिमांड का अन्तर समझें आप। आप अच्छा बोल रहे हैं यह डिमांड के लिए, बिल के स्कोप में बोलें। वाइंड-अप करें, प्लीज। वाइंड-अप प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब यह कहा जाएगा कि तैयारी नहीं है तो बताना पड़ेगा कि हम दूसरे राज्यों से कैसे बेहतर हैं। (व्यवधान) तमिलनाडु में 1157 औषधियां हैं, गुजरात में सिर्फ 756 हैं, हरियाणा में 685 हैं और हिमाचल में 679 हैं जबकि राजस्थान में 2486 हैं। धन्यवाद देना चाहिए एक

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वर से राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने इतना परिवर्तन किया है। देश के जिन पांच राज्यों की सूची भारत सरकार ने नम्बरवार पब्लिश की है उसमें भी राजस्थान पहले स्थान पर है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I have to regulate it. Please, be confined to the bill. It's too much. बिल के सम्बन्ध में कोई बात करनी है तो एक मिनट में बोल दें, then we will stop it. प्लीज। आप अपनी बात कहें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब राजस्थान के अन्दर इतने सब-सेंटर खोले, इतनी पी एच सी खोली, इतनी सी एच सी खोली, इतने मेडिकल कालेज खोले। जिस मेडिकल कालेज खोलने का श्रेय आप प्रधान मंत्री को दे रहे हैं वह योजना गुलाब नबी आजाद शुरू करके गये थे और बाड़मेर और पाली का कालेज उनके वक्त में खोला था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, wind-up. No. I am sorry. मैं फिर आपको कह रहा हूं, do you want to wind-up it or do you want to speak on a general debate? Please, confine to the Bill only. As a Speaker it is my moral duty to regulate it. आप कम से कम बिल पर बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल पर ही बोल रहा हूं। कोई डांसबार पर तो बोल नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। Don't argue with me. माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये मेडिकल के ही विषय हैं, मेडिकल के ही बिन्दु हैं। अगर पांच घंटे इनको सुना है कि ये क्या बोले हैं। (व्यवधान) पांच घंटे क्या बोले, आपने सुना नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल का सम्बन्ध नहीं है इससे। प्लीज, माननीय सदस्य। आपका काम नहीं है। ये पांच मिनट बोलें, पांच घंटे बोलें, सम्बन्ध नहीं है। आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको मैं इसका लेटिट्यूट नहीं दे सकता कि आप डिमांड और बिल में अन्तर नहीं समझें। (व्यवधान) Please. If you want to speak on the Bill then speak in one minute.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर कह रहे हैं कि बिल के लिए तैयारी नहीं है, किस आधार पर कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप नहीं समझना चाहते हैं क्या? Do you justify the Minister? आप बिल पर जो बोलना है वह अपनी बात करो। बिल पर किसी क्लॉज या किसी चीज पर बोलना है तो बोलो, बाकी जनरल डिबेट थोड़ी होती है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

Please wind-up.

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि आपकी कृपा दृष्टि नहीं है इसलिए मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि अशोक गहलोत साहब ने पिछले चार साल में कोविड आया हो, लम्पी आयी हो, हमेशा इस बात का प्रयास किया कि सबको साथ लेकर चलें। चाहे राजनीतिक दल हो, धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सबको बुलाकर उन्होंने बात की और आज जब यह इतना महत्वपूर्ण कानून आप लेकर आये हैं और वे इस सदन में नहीं हैं तो मेरा भी मन दुख रहा है। मैं भी चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में यह बिल पारित होना चाहिए कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर जो क्रान्ति की है, वह अशोक गहलोत ने की है और प्रतिपक्ष के हमारे साथी, उनका मन दुःखी है। चूंकि अशोक गहलोत साहब पूरे चार साल सबको साथ लेकर चले हैं तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस बिल में भी इनको साथ लो और इनकी यह भावना है कि इसको प्रवर समिति को

(श्री संयम लोढ़ा)

सौंप दो तो मंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि सात दिन के लिए इसको प्रवर समिति को सौंप दो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य अनिता जी, कल्पना जी, वासुदेव देवनानी जी और जगदीश जी को थर्ड स्टेज पर बोलने का अवसर दूंगा। पहले खण्डश: आगे बढ़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री जी, बोलना है कुछ? बोलना है मंत्री जी? माननीय मंत्री जी, मैं इंटरवीन करूंगा। आप प्रस्ताव रख रहे हैं तो आखिर में बोलें। खण्डश: आने के बाद दो माननीय सदस्य बोल जाएं, उसके बाद आखिर में बोल लेना आप।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले प्रस्ताव रखूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले कौन बोलेगा? वासुदेव देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी चर्चा लगभग कई मुद्दों पर हुई। साधारणतया यह अच्छा लगता है कि राइट-टू-एजुकेशन हो, राइट-टू-हैल्थ हो, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बिना तैयारी के, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के जिस प्रकार का यह बिल लाये हैं, मैं समझता हूं कि उससे लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं अजमेर में देख रहा हूं कि हास्पिटल में जिस प्रकार से स्टाफ की कमी है और अजमेर में हमारे समय में सी एच सी 5 करोड़ से बनवाई थी पर आज वहां बिना डाक्टर्स के, बिना स्टाफ के सारा सूना पडा हुआ है। इस तरह से लोगों को कैसे आप राइट-टू-हैल्थ दोगे? आप राइट-टू-हैल्थ दोगे और वे जब डिमांड करेंगे तो हम कहीं भी उनकी जो मूल भावनाएं हैं, मूल जो हैल्थ है, उसकी ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज आवश्यकता है कि हम स्टाफ की पूर्ति करें, आज आवश्यकता है कि जो मशीनें, उपकरण वहां पर आवश्यक हैं उनको पहले लायें ताकि लोगों को वास्तव में राइट-टू-हैल्थ का लाभ मिले, नहीं तो पहले की घोषणाओं की तरह केवल घोषणाबाज मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि पहले सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक करे। साथ में प्राइवेट हास्पिटल जो हैं उनके प्रतिनिधियों से जब तक बात नहीं होगी तब तक इससे वातावरण कटु बनेगा। आपने उनके ऊपर भी इतनी बातें इसमें लाद दी हैं कि जिनके हिसाब से व्यवहार में लाना कठिन होगा, वहां ईर्रिटेशन होगा, वहां लड़ाई-झगड़े होंगे, हिंसा का एक वातावरण भी बन सकता है इसलिए उस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपने शिक्षा, पानी और बाकी पर्यावरण की बातें भी कही हैं। आंगनबाड़ी में जिस प्रकार से कीड़े पोषाहार में निकल रहे हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक करें। चिरंजीवी योजना को ठीक करें, जिसका तीन-तीन महीने, छह-छह महीने तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। मेरा कुल मिलाकर इतना ही निवेदन है कि पहले आप सारा ढांचा ठीक करो और जब तक यह नहीं होता है तब तक यह जल्दबाजी में लाया गया बिल कहलायेगा। अत: इसको छह महीने के लिए आप जनमत जानने हेतु परिचालित करें, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।

(समय: 18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राइट-टू-हैल्थ बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। करीब-करीब चार-पांच घंटे से सदन में अच्छी चर्चा चल रही है। हर व्यक्ति ने बिल के बारे में चर्चा की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में राइट-टू-हैल्थ बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान में चार साल पहले जो हैल्थ की स्थिति थी, वह सबके सामने है, वह बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से भामाशाह योजना फेल हुई। अशोक गहलोत साहब मुफ्त दवाई की योजना लेकर आये। उसके बारे में किस तरीके की बातें की गईं और उसके बाद चिरंजीवी योजना का कानून हम लोग लेकर आये और चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू हुई। उसको भी फेल करने की पूरी कोशिश की गई, विपक्ष के माध्यम से।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सरकार ने जो भी फैसला किया है उस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। राइट-टू-हैल्थ का जो बिल है, मानवता के आधार पर कुछ फैसले लिये जाते हैं। हर फैसला पोलिटिकल आधार पर नहीं लिया जाता है। सरकार ने इस बात को महसूस किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया कि एक ऐसा बिल हो जिससे कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार तो मिले, स्वास्थ्य का अधिकार तो मिले। एक व्यक्ति जब प्राइवेट हास्पिटल में जाता है, उसके पास दवाई के पैसे की व्यवस्था नहीं होती। आने-जाने में पांच सौ, चार सौ, हजार रुपया उसका खर्च होता है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

राजस्थान सरकार ने पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पर नि:शुल्क दवाई की योजना शुरू की, उसके रिजल्ट ठीक आये। इस बात को मुख्य मंत्री जी ने महसूस किया, सरकार ने महसूस किया कि वास्तव में राइट-टू-हैल्थ का जो बिल है, यह हिन्दुस्तान में अपने आप में अच्छा बिल है। (समय समाप्ति सूचक घन्टी) यह वैसा ही बिल है, जिस तरह से राइट-टू-एजुकेशन का बिल था। आप जब भारत सरकार के अन्दर आर.डी. मिनिस्टर थे, नरेगा का जब बिल आया, इन लोगों ने उस पर भी विरोध किया, बिल क्यों आ गया, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट में किया गया। उसमें आज 25 हजार करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। राजस्थान के अन्दर जब कोरोना की महामारी आई, किस तरीके से सरकार की जो व्यवस्था थी, सरकार ने किस तरह से कोरोना की बीमारी का मैनेजमेंट करके बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश की।

मुझे याद है 2020 का समय भी, जब भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 35 हजार करोड़ अनाउंस किया था, कोरोना की बीमारी को खतम करने के लिए। आपने कलेक्टर के माध्यम से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की। किस तरीके से कलेक्टर्स की लापरवाही थी। हमारे पास कोई चेक का सिस्टम नहीं था। सरकार पूरा मंथन करके, विचार करके एक बिल लेकर आई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें धारा 13 और 14 पर सरकार विचार करे। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। इसमें आपने आई.पी.सी. का कोई प्रावधान नहीं किया। जुडिशियरी का कोई प्रावधान नहीं किया। स्टेट अथोरिटी के बाद आदमी कहां अपील के लिए जायेगा? आप इसमें सज़ा का प्रावधान करें। पेनल्टी आपने 10 और 25 हजार लगाई है, उससे काम चलने वाला नहीं है। इस बिल को धरातल पर उतारने के लिए दोबारा से आप इस पर विचार करें। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) किस तरह से पेनल्टी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से जो कमी है, बिल लाने के बाद उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो जनमत जानने का प्रस्ताव है, उसको मैं वापस लेता हूं और बिल के समर्थन में अपनी बात रखता हूं। धन्यवद्द।

श्री अध्यक्ष: अनिता जी भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत अच्छे से इस बिल पर पिछले 5 घंटे से चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कोई विषय छूटा नहीं है, सारे विषय आ गये हैं पर एक कंसोलिडेटेड चीज है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य और कारणों का जो कथन है। उसका पहला सेंटेंस मैं जब पढ़ती हूं, स्वास्थ्य को सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की एक दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब मैं स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की एक दशा के रूप में परिभाषित करती हूं तो फिर मेरा क्षेत्र बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें शारीरिक चीजें भी आ जाती हैं और मानसिक चीजें भी आ जाती हैं और आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई चीजें भी आ जाती हैं।

जब हम यह अधिकार देने जा रहे हैं। अभी बाकी के अधिकारों की भी चर्चा हुई। राइट-टू-एजुकेशन की चर्चा हुई नरेगा की चर्चा हुई, राइट-टू-फूड की चर्चा हुई, राइट-टू-इंफार्मेशन की चर्चा हुई। ये सारे बिल आने के बाद भी हम एक भी आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन ला पाये हैं क्या? हुआ है क्या कोई परिवर्तन? नरेगा आया उसके साथ इतना सारा भ्रष्टाचार आ गया। राइट-टू-इंफार्मेशन का बिल आया, लेकिन उसके एक्टिविस्ट तैयार हो गये और वे पैसा लेकर के काम करने लग गये। राइट-टू-फूड बिल आया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी ही सरकार के घोषणा पत्र में यह था कि हम 100 प्रतिशत पात्र लोगों को फूड का अधिकार देंगे, लेकिन हम नहीं दे पाये तो कहने में और करने में, व्यवस्थाओं को बनाने में साधन चाहिये, पैसा चाहिये और समय भी चाहिये और किताब में लिखने मात्र में कोई समय नहीं लगता, कोई साधन नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। इसलिए, मेरा यह कहना है कि यह जो बिल हम लेकर आये हैं, मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, अधिकार मिलना ही चाहिये। लेकिन, वह अधिकार कब मिलेगा? जब हम वे साधन उपलब्ध करायेंगे, जब हम वे व्यवस्थाएं देंगे। अभी बार-बार सेक्शन 13 और 14 पर चर्चा हो रही है। हमने पैनल्टी मात्र

(श्रीमती अनिता भदेल)

कितनी-सी लगायी है, 10 हजार और 25 हजार और हमने अपील का राइट ही नहीं दिया। जब कोई राइट आपको मिलता है तो आप सिविल कोर्ट में जाने के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन आपने उन्हें सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं दिया। दो स्टेप तक जाकर के बन्द कर दिया।

मैं यह सोचती हूं कि यह फार्मेलिटी है और इस बात का श्रेय लेने की फार्मेलिटी है कि यह बिल तो हमने रखा था। हमने रखा था, इस फार्मेलिटी के आधार पर इस समाज में परिवर्तन नहीं होने वाला, राजस्थान की जनता की भलाई नहीं होने वाली है। यह आयाराम और गयाराम हो जायेगा। इस बिल को कोई याद भी नहीं रखेगा कि हम यह बिल लेकर के आये थे। चिरंजीवी आई, भामाशाह पहले आई। उसके पहले नि:शुल्क दवाई आई। नि:शुल्क जांचें आईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 1998 से लेकर 2003 के बीच में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी नि:शुल्क दवा योजना लेकर आये थे और बहुत वाहवाही हुई थी, लेकिन हमारे डाक्टर्स ने उसको कैसे फेल किया, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब दूसरी बार माननीय मुख्य मंत्री जी मुख्य मंत्री बने तो नि:शुल्क जांच योजना लेकर आये, नि:शुल्क दवा योजना से उन्होंने इसको और विस्तारित किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी वसुन्धरा जी जब वापस मुख्य मंत्री बनीं तो वे भामाशाह योजना लेकर के आईं। उसी भामाशाह का परिवर्तित रूप चिरंजीवी ले आये, लेकिन क्या वास्तव में बिना विधायक के, बिना पार्षद के, बिना एम.पी. के फोन करे क्या वे प्राइवेट हास्पिटल उसको एंटरटेन करते हैं? ये सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं, इसलिए मेरा यह निवेदन है, यह बहुत अच्छी मंशा है। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं, मंशा बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बजट सेशन अब आने वाला ही है, इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये ताकि सब लोग बहुत खुले दिमाग से चर्चा करें। इसमें अच्छी चीजें आयें और हम सब भी जब यह आयेगा तो हम बहुत मंशा से इसको पास करने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए अन्तिम बात सिर्फ यही कहते हुए कि इसको एक बार सलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण बिल को लाने के पहले सरकार ने पूर्णरूपेण तैयारी नहीं की है। यह कानून स्वास्थ्य देखभाल, सेवा प्रदाताओं से डिस्कस या कंसल्ट किये बगैर लाया जा रहा है। राइट-टू-हैल्थ में सबसे जरूरी मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और हमारे यहां इस इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। जहां मशीन है तो चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं हैं, वार्ड है तो बैड नहीं हैं, बैड हैं तो नर्स या कम्पाउण्डर नहीं हैं।

कोटा की बात कर रही हूं, तो इतनी वैकेंसियां हैं, 1926 व्यक्तियों पर एक मेडिकल ऑफिसर है। आपके दिसम्बर के रिकार्ड के अनुसार वरिष्ठ विशेषज्ञ में 556 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 203 पद रिक्त हैं। इस राइट-टू-हैल्थ बिल में आप कहते हैं कि किसी भी विवाद में 24 घंटे में परिवाद को फारवर्ड करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में धाकड़ खेड़ी में एक डिस्पेंसरी है, वहां 26 साल से बी.एम.सी. पाउडर पड़ा हुआ है और वहां लगातार एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र लिख रहा है, परन्तु आज तक कोई यह निर्णय नहीं ले पाया है कि इस बायो वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाये। आप 26 साल में निर्णय नहीं कर पाये तो 24 घंटे में आप क्या करेंगे?

इसके अलावा, इस कानून में आप यह भी कहते हैं कि आमजन को शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण का अधिकार है पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह कचरे के ढेर हैं। न कचरा उठाया जा रहा है, न पानी की व्यवस्था है। दो-तीन दिन तक पानी ही नहीं मिलता है और वातावरण की तो क्या बात करें और यह स्वच्छता न होने के कारण हमारे एमबीएस हास्पिटल में आई.सी.यू. में भर्ती महिला की आंख को चूहे ने भी कुतर दी, जो कि आपकी जानकारी में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सम्बन्धित बिन्दु प्रस्तुत कर रही हूं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कानून जनता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अविश्वास पैदा करेगा। उचित रैफरल परिवहन में वाहन, उपकरण, दवाइयां, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि प्राप्त करने में हमें होने वाली लागत शामिल है, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य सुविधायें, विशेष रूप से निजी हास्पिटल ऐसी सेवाओं की लागत स्वयं वहन

(श्रीमती कल्पना देवी)

नहीं कर सकते हैं। चिकित्सा पेशेवर पहले से ही हिंसा की घटनाओं का सामना कर रहे हैं और इस कानून में ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनायें ताकि चिकित्सक बिना किसी दबाव, परेशानी से अपने पेशे को सुरक्षित रूप से करें।

रोगी का जो मेडिकल रिकार्ड है इसके बारे में भी आपने लिखा है कि कोई विवाद हो तो आप उस हास्पिटल के सारे रिकार्ड जब्त कर सकते हैं। ऐसा करने से ये जो गोपनीयता नियम लागू होते हैं इससे जो पहले एम सी आई, एन एम सी अधिनियम और डायरेक्शंस में भी हैं, सभी चिकित्सक पेशेवर इनका पालन भी कर रहे हैं पर आप इस राइट-टू-हैल्थ बिल में इसके द्वारा इनके अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे विवाद होने पर हो सकता है कि जब्त किये हुए रिकार्ड का दुरुपयोग की सम्भावना हो सकती है।

पूरे बिल में कहीं भी प्राकृतिक उपचार जैसे योग, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां हम सब जन प्रतिनिधि हैं, हम सब चाहते हैं कि जनता को बेहतर से बेहतर सुविधायें मिलें, परन्तु इस राइट-टू-हैल्थ बिल में हमने कहीं भी, standards of cleanliness and hygiene in public hospitals, maintenance of sterile and aseptic conditions to prevent cross infections, purity of drugs and medicines to be used, इन पाइंट्स को कहीं भी हमने एड्रेस नहीं किया है। इस बिल में आपने एक committee for grievances complaint cell भी बनाया है परन्तु इसमें किसी भी डाक्टर प्रतिनिधि को नहीं रखा है, तो कौन सुनेगा, क्या समझेगा और इसका क्या निर्धारित करेगा? इस कमेटी में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक के विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहिये। आपने पहले भी कानून और नियम बनाये हैं और इसकी अभी तक पालना नहीं हो पा रही है। मैं आपसे बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने बोरखेड़ा में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की मांग की थी, जो पूरे नियम और कायदे और हर नोर्म्स को फुलफिल करती है, परन्तु आपने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है।

अन्त में, मैं सुझाव देती हूं कि उक्त अधिनियम जनता और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिये फायदेमंद होने चाहिये। अधिनियम के अस्पष्ट प्रावधानों के कारण समाज में सार्वजनिक और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के बीच कोई प्रतिकूल सम्बन्ध विकसित नहीं होने चाहिये। इस अधिनियम को

(श्रीमती कल्पना देवी)

संशोधित किया जाना चाहिये और पारित नहीं किया जाना चाहिये। हमारे प्रतिपक्ष नेता सहित सभी माननीय सदस्यों ने प्रार्थना की है कि इस बिल को प्रवर समिति को दोबारा भेजना चाहिये, मेरी भी यही प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अभी पिछले चार-पांच घंटे से इस विधेयक पर चर्चा हो रही है और विधेयक के गुण और अवगुण पर सभी तरह के विचार आये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक की उपयोगिता और इस विधेयक की सार्थकता उस पर निर्भर करेगी कि जो इन्होंने कमेटियां बनायी हैं जिला और प्रदेश स्तर की, उनके अन्दर प्रशिक्षित डाक्टर भी हों और एम एल ए, एम पी को भी सदस्य बनाया जाये, ताकि उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो। उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग होगी तभी जाकर उस आम व्यक्ति को जो गरीब दूर-दराज ढाणी के अन्दर बैठा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिये जूझ रहा है, उसको फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो सरकार का विजन है वह बहुत अच्छा है कि आम प्रत्येक व्यक्ति रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और परिचर्या इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी भी हास्पिटल के अन्दर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र का जो हास्पिटल है, उप जिला हास्पिटल है उसके अन्दर 6 डाक्टर हैं और 8 नर्सिंग स्टाफ हैं, किसी तरह का प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है। वहां पर न सोनोग्राफी मशीन आपरेट करने का कोई डाक्टर है। एक डाक्टर है, वह पूरे जिले में घूमता है। एक दिन उस हास्पिटल में बैठेगा, दो दिन दूसरे हास्पिटल में बैठेगा, पूरे जिले में उसको घुमाते हैं तो इस टाइप की जो भी वर्तमान में व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी व्यवस्था के अन्दर जब तक हम पूरा पर्याप्त स्टाफ नहीं लगायेंगे डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ सी एच सी और पी एच सी के अन्दर, तब तक मैं समझता हूं कि इस विधेयक की कोई सार्थकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि गांव के लोगों को उसमें सुविधा मिल सके।

(श्री पुखराज)

दूसरा, मैं एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो मुख्य मंत्री जी का गृह जिला है, प्राइवेट हास्पिटल जितने भी हैं उन्होंने बड़ी लूट मचा रखी है। ओसियां से आने वाली माननीय विधायक ने जो पीड़ा जाहिर की है वह बिलकुल जायज है, वहां आम व्यक्ति को लूटा जा रहा है। जो प्रकरण अभी माननीय विधायक जी ने बताया, उसके बाद में एक प्रकरण और हुआ जोधपुर में, जिसमें स्टेंट लगाने के नाम पर एक गरीब किसान से खेत बिकवा कर 8 लाख 80 हजार रुपये उस डाक्टर ने जमा करवा लिये हास्पिटल में और बाद में वो पैसे हमने वापस दिलवाये। ऐसी जो लूट मचा रखी है, उस लूट पर कंट्रोल करें और प्राइवेट हास्पिटल्स को भी उस कमेटी में लें जो जिला और प्रदेश स्तर की कमेटी बनायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये तीन माह के लिये कमेटी में भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): आनरेबल स्पीकर सर, आज महत्वपूर्ण राजस्थान राइट-टू-हैल्थ बिल, 2022 पर चर्चा हो रही है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं संक्षेप में बताऊंगा। मैं एम एल ए बना, डाक्टर था, मैं पेशेंट देख रहा था, इतने में एक महिला आयी, जिसकी मांग में सिन्दूर था। एक व्यक्ति को गोद में उठाये हुए एक बुजुर्गवार साथ थे, उन्होंने आकर टेबल पर रख दिया। डाक्टर साहब, तुरन्त देखिये, सुबह से बेहोश हैं। मैंने उसको देखा, मैंने नब्ज देखी, नब्ज नहीं थी, हार्ट बीट्स नहीं थी। मैंने बुजुर्गवार की तरफ देखा, मैंने कहा कि यह कौन है, तो बोला, कि यह बहू है। मैंने कहा कि चौधरी साहब, इलाज क्यों नहीं कराया? तीन दिन शादी को हुए हैं। चौधरी की आंख में आंसू थे, डाक्टर साहब, पैसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिशः मैंने देखा। जवान बच्चों को मरते देखा, बूढ़े बाप के कन्धे पर जवान बेटे की लाश को जाते देखा। मुख्य समस्या थी पैसा नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा, सर, यह जो बिल आज आ रहा है, this is the relief to whole of the country. And Rajasthan will be the model state to give example to other states.

माननीय स्पीकर सर, बंगाल के एक डाक्टर आये हुए थे, मैंने उनसे कहा कि राजस्थान में फ्री मेडिकल फैसेलिटी है, दस-दस लाख का इलाज

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मिलता है। उसने कहा, I can't believe it. मैंने कहा, you have to believe it. माननीय स्पीकर सर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बेनेफिट दिया, it is the biggest relief. आज करीब 17 करोड़ लोगों की फ्री जांचें हो गईं। एक सीटी स्कैन है, एक एम आर आई, एक ब्लड टेस्ट, ये अनएक्सपेक्टेड थे। मैंने मेरे फादर को देखा, वो आंख से स्टेथोस्कोप से ट्रीटमेंट किया करते थे and there were no investigations. पचास साल पहले कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी सटीक होते थे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिस तरह अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो नेटवर्क है मेडिकल फील्ड का, 14 हजार सब सेन्टर्स हैं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का नेटवर्क आज पूरी कंट्री के अन्दर राजस्थान का है यह अपने आप में अद्वितीय है। मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं तो कोरोना का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अमेरिका में साठ लाख डैथ हो गयी। How he had managed it in the Rajasthan? हमारे राजस्थान में सिर्फ 8000 मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बिल पर।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): Specifically three-four points I am giving, Sir. माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप जो राइट-टू-हैल्थ बिल लाये हैं, इसमें डाक्टरों की तो राय ले लेते। दो-तीन बात मैं बताना चाहूंगा, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। आप बोलें।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): एम सी आई के डायरेक्शंस हैं कि डाक्टर पूर्व में असुरक्षित हैं। दौसा में एक लेडी डाक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस बिल को लाने के पहले आप जिस कमेटी का गठन करें एटलीस्ट यहां राजस्थान के इम्पोर्टेंट डाक्टर्स को जरूर रखें। I am not favoring any doctor or anybody लेकिन मैं मेरी अपनी भावना बता रहा हूं। जो आप बिल लाये हैं उसमें आप उनकी ओपिनियन जरूर लें। आज आप मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर यही होगा तो सारे डाक्टर डर जायेंगे। सर, कोई सीरियस पेशेंट नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। सीरियस पेशेंट को बचाने के लिये मेरे फादर आखिर तक लड़ते रहे। वह तो बच गया, लेकिन मेरे पिताजी इस बीमारी से चले गये। आखिर तक कौन लड़ेगा? डाक्टर आडवाणी को कोर्ट में खड़ा कर दिया जो इंडिया के बेस्ट कैंसर सर्जन हैं। अगर इस तरह से होगा तो आखिर तक कौन

(श्री जितेन्द्र सिंह)

डाक्टर लड़ेगा? सब रेफर कर देंगे, refer to the higher centers. माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि डाक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सबसे पहले यह बिल में प्रावधान हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो डाक्टर्स की असत्य शिकायतें होती हैं, गलत है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कोई डाक्टर किसी बीमार को नहीं मारना चाहता, लेकिन डाक्टर खुदा भी नहीं है कि सबको बचा ले, he shouldn't be. सबको डर लगा रहता है कि कोर्ट में खड़ा कर देंगे। पुलिस आकर कभी भी छापा मार देगी। कौन लड़ाई लड़ेगा आखिर तक?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कमेटी के गठन में एटलीस्ट डाक्टर्स हों, एम एल ए हों। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां हैं, why is there Pradhan Only? जिला परिषदों की मीटिंगों में तो हम एम एल एज को बुला रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट मैटर है, उसमें एक भी एम एल ए नहीं है। This is injustice. सारे एम एल ए, they feel it like this. They should be included in the committee. धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जिस ढंग की डिबेट हुई है, जो चीजें पाइंट-आउट की हैं, मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि उनकी भावना को समझते हुए आप प्रस्ताव रखेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो भावना व्यक्त की, वे हमारे सम्माननीय सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए यह बिल राजस्थान के साढ़े सात करोड़ लोगों का हितकारी बने, इसमें आपने सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव किया, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, हम आपका सम्मान करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रवर समिति सात दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि आज हमने एक और एजेंडा रखा था, परंतु इस सदन की चर्चा के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा की और स्वास्थ्य के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं चिंतित हैं कि अच्छा बिल आये। आप सब की भावनाओं के अनुरूप मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, सात दिन में कमेटी बनाकर हम दोबारा सदन को बुलायेंगे और जो हमारा दूसरा आइटम है, उसको भी हम उसके साथ लेंगे। इसलिए मैं आप सबकी अनुमति से सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करता हूं।

माननीय सदस्य राष्ट्र गान।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.24 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ की ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच

530. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय जन प्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के संबंध में वर्ष 2021 एवं 2022 के दौरान जिला परिषद्, अजमेर को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के संबंध में जिला परिषद्, अजमेर द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। आदेश क्रमांक 3804 दिनांक 09.02.2022 से जिला स्तर से कमेटी का गठन कर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ख पर अवलोकनीय है।

विधायक महोदय के पुन: आग्रह दिनांक 01.05.2022 के क्रम में जिला परिषद् के आदेश दिनांक 16.08.2022 द्वारा कमेटी का गठन कर जांच कराई गई। कमेटी द्वारा पूर्व में गठित कमेटी की जांच की पुष्टि की गई जिसमें मिट्टी क्रय राशि 255354/- वसूली योग्य पायी गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 पर अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ग पर अवलोकनीय है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बसेड़ी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

532. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेडी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी विहीन गांवों

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

एवं बस्तियों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना बसेड़ी संचालित है, जिसमें मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र 219 एवं 31 मिनी, कुल 250 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की तहसीलवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को भी पत्र लिखा गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक 26 जून, 2022 को तीन राज्यों की जयपुर में हुई जोनल मीट में माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री डा. मुंजपरा महेन्द्रभाई के समक्ष माननीय विधायकों की मांग के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने की मांग की गई एवं पत्र के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री महोदया को 5000 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु लिखा गया, जिस पर पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा नकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कायलाना झील (जोधपुर) को पर्यटन स्थल में विकसित करने की कार्ययोजना

539. श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में कायलाना झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में डी.पी.आर. बनवाई गई है लेकिन धरातल पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

(2) क्या सरकार उक्त झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर स्थित कायलाना झील के कन्जर्वेशन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. से नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्लान के तहत डी.पी.आर. बनवाई गई थी। किन्तु भारत सरकार के स्तर पर वित्तीय प्रावधान के अभाव में कोई कार्य नहीं हुआ।

(2) जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कायलाना झील के चारों तरफ सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है परन्तु प्रयुक्त होने वाली भूमि वन विभाग की होने के कारण प्रत्यावर्तन (डायवर्जन) हेतु आवेदन किया गया है जो कि वन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

वन भूमि का प्रत्यावर्तन (डायवर्जन) होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही संभव है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

विधायक निधि से दिव्यांगजन को स्कूटी का वितरण

544. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में विधायक निधि कोष से 35 दिव्यांगजन को टू-व्हीलर (स्कूटी) वितरण हेतु अनुशंसा की गई थी? यदि हां, तो उक्त की निविदा होने के पश्चात् भी स्कूटी वितरण क्यों नहीं की गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निविदा होने के पश्चात् भी टू-व्हीलर (स्कूटी) उपलब्ध नहीं कराने पर समझौता करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण प्रक्रिया में अब कितना समय और लगेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के विधायक निधि कोष में 35 दिव्यांगजनों को टू-व्हीलर (स्कूटी) वितरण हेतु अनुशंसा की गई थी। फर्म हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (जरिये मैसर्स झालानी मोटर्स), बसवा रोड, बांदीकुई, जिला-दौसा को स्कूटी आपूर्ति करने के लिये जिला कार्यालय पत्र क्रमांक 1092 दिनांक 17.05.2022 को लिखा गया, जिस पर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दिनांक 20.06.2022 को स्कूटी आपूर्ति करने की सहमति देते हुए 80 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान की मांग की गई, जिस पर 80 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान के लिये चैक बनवाकर जिला कार्यालय जयपुर ग्रामीण के पत्र क्रमांक 3144 दिनांक 22.06.2022 द्वारा चैक प्राप्त करने के लिये फर्म को लिखा गया। अब स्कूटी फर्म हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (जरिये मैसर्स झालानी मोटर्स), बसवा रोड, बांदीकुई, जिला-दौसा द्वारा दिनांक 16.09.2022 को स्कूटी की राशि का अग्रिम भुगतान की राशि का चैक प्राप्त कर लिया गया तथा दिनांक 19.09.2022 से एक सप्ताह में स्कूटी आपूर्ति करने की सहमति दी है।

(2) निदेशालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा सं. 120" कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पर जाने के लिए युवाओं को स्कूटी विद स्ट्रिोफिटमेन्ट उपलब्ध कराने का प्रावधान में 2000 स्कूटियों के लिए राशि रुपये 15.00 करोड़ की निविदा की गई थी।

सासंद/विधायक निधि से स्कूटी वितरण योजना ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान की योजना है, जिसका बजट नियत्रंण ग्रामीण विकास विभाग, राज. द्वारा किया जाता है।

चूंकि निविदा करने से पूर्व विभाग के पास उपापन के लिए बजट प्रावधान एवं प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जो कि सांसद/विधायक निधि के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन के पास नहीं थी जिससे निदेशालय स्तर से सांसद/विधायक निधि से स्कूटी वितरण योजना में दर संविदा किया जाना अनुमत नहीं था।

अतः निदेशालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा सं. 120 में उद्घृत दरों पर हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (जरिये मैसर्स झालानी मोटर्स), बसवा रोड, बांदीकुई, जिला-दौसा सांसद/विधायक निधि से स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (जरिये मैसर्स झालानी मोटर्स), बसवा रोड, बांदीकुई, जिला-दौसा के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती।

(3) हीरो मोटोकार्प लिमिटेड (जरिये मैसर्स झालानी मोटर्स), बसवा रोड, बांदीकुई, जिला-दौसा द्वारा आपूर्ति होते ही स्कूटी वितरित कर दी जायेगी।

कृषक कल्याण की संचालित योजनाएं

545. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कृषक कल्याण योजना के तहत कृषकों के लाभ हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को सोलर चलित सैट अनुदान अथवा सब्सिडी पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो जिला पाली में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितने किसानों ने उक्त योजनान्तर्गत आवेदन किया, इनमें कितने किसानों को अनुदान मिला, कितने आवेदन निरस्त अथवा लम्बित हैं? ब्लाकवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शोभा चौहान)

(3) क्या सरकार उक्त सब्सिडी को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष के माध्यम से किसानों हेतु निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं:-

1. कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत कृषि व इससे सम्बन्धित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए निम्न 11 मिशन संचालित हैं:-

   - राजस्थान सूक्ष्म सिचाई मिशन
   - राजस्थान जैविक खेती मिशन
   - राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
   - राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
   - राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
   - राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
   - राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
   - राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
   - राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
   - राजस्थान कृषि तकनीक मिशन
   - राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

   मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत संचालित मिशनों एवं सम्बन्धित गतिविधियों के नाम एवं विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

2. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 अन्तर्गत कृषि जिन्सों के मूल्य संवर्धन व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने पर पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 करोड़ रुपये व बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 01 करोड़ रुपये तक देय है।

3. सहकार विभाग द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजना

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(कृषि उपज के विरुद्ध काश्तकारों को रहन ऋण) के ब्याज राशि का पुनर्भरण, ताकि काश्तकार कृषि जिन्सों का मजबूरन कम कीमत पर बेचान करने के लिये बाध्य नहीं हो तथा कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके।

4. राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना की जा रही है ताकि कृषि जिन्सों की प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियां योजनाबद्ध तरीके से संचालित हो सके तथा कृषकों को उनकी जिन्सों का यथोचित मूल्य प्राप्त हो सके।

5. Farmer Producer Organization (FPO) का सुदृढ़ीकरण, जिसके अन्तर्गत उत्पादों की Cleaning, Grading एवं Processing इकाइयों की स्थापना, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(2) जी हां। ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को सोलर चलित पम्प सैट अनुदान अथवा सब्सिडी पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। पाली जिले में विगत जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक 669 कृषकों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें से 266 किसानों को अनुदान देकर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कराये गये, 192 कृषकों के आवेदन निरस्त किये गये एवं कृषकों के 211 आवेदन लम्बित हैं जिनमें से माह फरवरी, 2022 से अब तक 126 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। ब्लॉकवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना के तहत 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाकर कुल 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य मद से 50:50 अनुपात अनुदान प्रावधान होने से वर्तमान में प्रावधित 60 प्रतिशत अनुदान को बढाकर 100 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा में आयुष पायलट योजना का संचालन

546. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला भीलवाड़ा में आयुष मंत्रालय

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

से एन पी सी डी सी एस आयुष पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है? क्या सरकार उक्त आयुष पायलट प्रोजेक्ट को उक्त जिले सहित पूरे प्रदेश में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आयुष पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूर्व में कार्यरत स्टाफ माह अप्रैल, 2021 से बेरोजगार हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को वरीयता के आधार पर पुनः लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन पी सी डी सी एस आयुष पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में शुरू किया गया था।

(2) जी नहीं। एन पी सी डी सी एस प्रोजेक्ट आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जो अप्रैल 2021 में समाप्त हो गया है।

जी नहीं। किन्तु भविष्य में केन्द्र सरकार से इस योजना को प्रदेश में पुनः लागू करने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है तो नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन में नवीन उप तहसीलों की स्थापना

573. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तहसीलें व उप तहसीलें खोलने के मानदण्ड तय किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आकोला तथा पहुंना में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप-तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आकोला तथा पहुंना में उपतहसील कार्यालय खोलने संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामान्यतः माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के सृजन हेतु बजट घोषणा/अन्य घोषणा किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पटवारियों की भर्ती

574. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में अधिकांश कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कर देगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पटवार सीधी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर प्रदेश में पटवारियों की कमी को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अनुपात में लगभग 16 प्रतिशत पद ही रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(2) जीं हां। राजस्व विभाग में अभी हाल ही में सम्पन्न हुई पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 में उत्तीर्ण हुए 5486 सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

ओसियां में नवीन उप तहसील की स्थापना

575. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप तहसील बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नवीन उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप-तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उप तहसील कार्यालय खोलने संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामान्यतः माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के सृजन हेतु बजट घोषणा/अन्य घोषणा किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली में चरागाह/सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

576. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-

(श्री लाखन सिंह)

कितनी चरागाह, सिवायचक भूमि है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की चरागाह व सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध विगत तीन वर्ष में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित चरागाह, सिवायचक भूमि की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र करौली की चरागाह व सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध विगत तीन वर्ष में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही कर अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

गांवों में लाल डोरा बढ़ाने की कार्ययोजना

577. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 की सैटलमेन्ट के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों का लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया है, जबकि वर्ष 1971 के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी पांच गुना बढ़ चुकी है?

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का लाल डोरा बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 (1) के तहत आबादी भूमि के विकास हेतु भूमि आरक्षित करने का प्रावधान किया हुआ है जिसके अनुसार आबादी भूमि बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाती है।

सन् 1971 के सैटलमेन्ट के बाद ग्रामीण क्षेत्र की आबादी अलग-अलग अनुपात में बढ़ी है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 (1) के

(राजस्व मंत्री)

तहत आबादी भूमि के विकास हेतु भूमि आरक्षित करने का प्रावधान किया हुआ है जिसके लिए कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर सक्षम है।

बजरी खनन हेतु जारी नवीन पट्टे

578. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बजरी खनन हेतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नवीन पट्टे जारी कर सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नये पट्टे किस नियम के तहत जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार बजरी खनन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 के क्रम में नवीन खनन पट्टे जारी कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु संख्या "जे" पर वर्णित सिफारिश के अतिरिक्त शेष सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.11.2021 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 5(4) में संशोधन कर पूर्व के 1986 के नियमों के अन्तर्गत जारी एल.ओ.आई. में पालना की अवधि दिनांक 31.10.2022 तक की गई है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2022 तक खनिज बजरी के खनन पट्टों की स्वीकृति, संविदा निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही की जानी है। पूर्व में जारी एल.ओ.आई. के प्रकरणों में पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त होने पर नियमों के प्रावधान के अनुसार स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रदेश में खनिज बजरी के खनन पट्टे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 के क्रम में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 5, 9 व 16 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये गये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ में खानों की नीलामी

579. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ में कितनी खानों की नीलामी की गई व किस-किस के नाम आबंटित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तहसील क्षेत्र में निजी खातेदारी में भी खानों का आबंटन हुआ है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर किस-किस खनिज की खानों की किस-किस के नाम से लीज हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ में वर्तमान तक खनन पट्टा आबंटन हेतु 4 प्लाटों की नीलामी की गई, जिनमें से 2 प्लॉटों पर बिड प्राप्त होने से खनन पट्टा आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 2 प्लाटों पर बिड प्राप्त नहीं हुई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। प्रतापगढ़ तहसील में वर्तमान तक किसी को भी नीलामी के माध्यम से खनन पट्टा आबंटित नहीं हुआ है।

(2) जी हां। वर्तमान तक प्रतापगढ़ तहसील में निजी खातेदारी भूमि में विभिन्न खनिजों के 5 खनन पट्टे आबंटित किये गये हैं, जिनका स्थानवार, खनिजवार एवं नामवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना

580. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायतें पण्डेर, आमल्दा, खजूरी, बेई तथा बिशनिया में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2022 तक कितने-कितने आवास उक्त वित्तीय वर्षों में निर्मित किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में निर्मित आवासों का आबंटन किया जा चुका

(श्री गोपी चन्द मीणा)

है? यदि हां, तो आबंटन से पूर्व चयन का क्या आधार रहा है? चयनित व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर कब्जा कब-कब व किन-किन व्यक्तियों को दिया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना के आधार पर निजी भूमि पर भी आवास निर्माण किये गये हैं? यदि हां, तो इनके आबंटन व निर्माण की क्या-क्या शर्ते निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायतें पण्डेर, आमल्दा, खजूरी, बेई तथा बिशनिया में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2022 तक निर्मित किये गये आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**ग्राम पंचायतें**	**स्वीकृत वर्ष**	**निर्मित आवास**
1.	जहाजपुर	पण्डेर, बेई, आमल्दा व खजूरी	2019-20	349
			2020-21	114
			2021-22	144
			योग	607
2.	कोटडी	बिशनिया	2019-20	79
			2020-21	0
			2021-22	0
			योग	79

उक्त निर्मित किये आवासों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुबन्ध-1 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों की सुविधा न होने एवं पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभान्वित नहीं होने व पक्का आवास नहीं होने पर ही पात्र माना गया है। योजना के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुबन्ध-1 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उक्तानुसार निर्धारित मापदण्डों का ग्राम सभा द्वारा परीक्षण कर वरीयता सूची का अनुमोदन किया जाता है। आवास का निर्माण लाभार्थी स्वयं के द्वारा किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायतें पण्डेर, आमल्दा, खजूरी, बेई तथा बिशनिया में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2022 तक स्वयं लाभार्थियों द्वारा निर्मित किये गये आवासों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा निजी आवासीय भूखण्ड/कृषि भूमि पर किया जाता है। लाभार्थी निजी आवासीय भूमि अथवा निजी कृषि भूमि पर आवास निर्माण कर सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास साफ्ट पर आनलाइन ग्राम पंचायतवार वर्गवार लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है। योजना की ग्राम पंचायतवार वर्गवार पात्रता सूची में से आबंटित लक्ष्यानुसार पंचायत समिति द्वारा आवास साफ्ट पर आनलाइन आवास स्वीकृत कर नियमानुसार देय किश्तों की राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के निर्धारित मापदण्ड

581. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त योजना के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना केवल बी पी एल वर्ग के लिए है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का विस्तार करके प्रदेश के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना का लाभ विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने बी पी एल परिवारों को दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 से लागू की गई थी। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना लागू है जिसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर पुनर्गठित कर लागू किया गया है।

(2) जी हां। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना केवल बी पी एल वर्ग के लिए थी। पुनर्गठित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत SECC Data के आधार पर समस्त वर्गों के ग्रामीण गरीब पात्र परिवारों को मिशन की वार्षिक कार्य योजना में प्रदत्त लक्ष्य अनुसार चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2023-24 तक उक्त योजनान्तर्गत SECC Data के अनुसार समस्त वंचित परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

(3) पुनर्गठित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई में SECC Data के अनुसार अब तक वंचित 24585 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पीपल्दा के कब्रिस्तानों की सीमा दीवार का निर्माण

582. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अनेक स्थानों पर कब्रिस्तान के उपयोग में आ रही भूमि के चहुंओर सीमा दीवार निर्मित नहीं है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर? सूची सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कब्रिस्तान की भूमि की सीमा दीवार नहीं होने की स्थिति में अतिक्रमण आदि के कारण साम्प्रदायिक विवाद होने की आशंका के मद्देनजर सीमा दीवार विहीन कब्रिस्तानों को सीमा दीवार से कवर किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पंचायत समिति, सुल्तानपुर के 6 ग्राम पंचायतों के 6 ग्राम और पंचायत समिति इटावा के 11 ग्राम पंचायतों के 14 ग्रामों में चहुंओर सीमा दीवार रहित कब्रिस्तान है। सीमा दीवार रहित कब्रिस्तानों के ग्रामों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं यथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना एवं डांग क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उक्त योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों/अभिशंषा प्राप्त होने पर तथा राज्य वित्त आयोग षष्टम/15वें वित्त आयोग में ग्रा.प./पंचायत समिति/जिला परिषद् स्तर पर उपलब्ध अनुदान राशि से सीमा दीवार विहीन कब्रिस्तानों को सीमा दीवार से कवर किया जा सकता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

लम्पी वायरस से मृत गायों को जमीन में दफनाने के आदेश

583. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लम्पी वायरस से गायों की मृत्यु होने पर उनको ग्राम पंचायतों द्वारा जमीन में दफनाने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायतों को फण्ड की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में निजी आय नहीं होने के कारण सरकार उनको राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में लम्पी वायरस से गायों की मृत्यु होने पर उनको ग्राम पंचायतों द्वारा जमीन में दफनाने अथवा अन्य वैज्ञानिक

(पंचायती राज मंत्री)

विधि से निस्तारण किये जाने बाबत आदेश जारी किये गये हैं एवं उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को आवश्यक धनराशि एस एफ सी मद से व्यय किये जाने बाबत अनुमत किया गया है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) बिन्दु सं. 1 के उत्तर में निहित।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति

584. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार की ग्रेड पे नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक बना दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पद पर अधिकरण के वरिष्ठ कर्मचारी को पदस्थापन, पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) राजस्थान वक्फ अधिकरण रूल्स 2020 में रजिस्ट्रार के पद का प्रावधान किया गया है। उक्त पद के ग्रेड-पे का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

(3) राजस्थान वक्फ अधिकरण रूल्स, 2020 के नियम-6 में रजिस्ट्रार के पद का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है।

श्रीगंगानगर में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर अतिक्रमण

585. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में वक्फ बोर्ड की कितनी-कितनी कहां-कहां पर सम्पत्ति है? क्या उक्त सम्पत्तियों पर अवैध निर्माण भी हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जाधारियों ने अतिक्रमण के स्थान पर पक्के निर्माण भी किये हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा कब-कब कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में वक्फ बोर्ड की राजस्थान राजपत्र, 1965 अनुसार 346 वक्फ सम्पत्तियां हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् श्रीगंगानगर में 14 नवीन वक्फ सम्पत्तियां वक्फ रिकार्ड में दर्ज की गई हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इस प्रकार श्रीगंगानगर में वक्फ बोर्ड की कुल 360 वक्फ सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड के रिकार्ड पर पंजीकृत होकर जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

श्रीगंगानगर मे स्थित वक्फ सम्पत्तियों में सें कुल 07 स्थानों पर अतिक्रमण हैं जिनमें से 03 वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध निर्माण हुए हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है, जिसके क्रम संख्या 01, 02 एवं 06 पर अवैध निर्माण का विवरण अंकित है।

(2) जी हां। श्रीगंगानगर में स्थित 03 वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध निर्माण हुए हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्नक के क्रम संख्या 01, 02 एवं 06 पर विवरण अंकित है।

श्रीगंगानगर में राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर कब्जाधारियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ राजस्थान, जयपुर में 07 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनका विवरण सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(वक्फ मंत्री)

(3) श्रीगंगानगर में वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर कब्जाधारियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ, राजस्थान जयपुर में विचाराधीन कुल 07 प्रकरणों में से सूची परिशिष्ट-स के क्रम संख्या 07 पर अंकित प्रकरण में अप्रार्थी से कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। इसमें बकाया किराया एवं हर्जा इस्तेमाल वसूली का प्रकरण विचाराधीन है। शेष 06 विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ, राजस्थान जयपुर के आदेश पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" हेतु आबंटित राशि

586. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 2022 तक कितनी धनराशि आबंटित हुई? वर्षवार आबंटित राशि व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित होती हैं? क्या उक्त आबंटित राशि का तय समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आबंटित राशि (रुपये में)**	**व्यय राशि (रुपये में)**
1	2018-19	24 लाख 45 हजार	16 लाख 36 हजार 8 सौ 43
2	2019-20	24 लाख 93 हजार	15 लाख 76 हजार 7 सौ 21
3	2020-21	9 लाख 30 हजार 7 सौ 16	9 लाख 28 हजार 4 सौ 58
4	2021-22	30 लाख	25 लाख 50 हजार 51

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स की नियमित बैठकों का आयोजन नियमानुसार किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष की ब्लाक टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स बैठकों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जिला टास्क फोर्स	ब्लाक टास्क फोर्स
1	2018-19	5	13
2	2019-20	5	26
3	2020-21	4	21
4	2021-22	4	45
5	2022-23	2	20

- योजनान्तर्गत जिले में जिला एक्शन प्लान एवं आबंटन अनुसार राशि का नियमानुसार उपयोग किया जा रहा है।
- बजट के पूर्ण उपयोग हेतु विभाग की ओर से समय-समय पर जिला कलेक्टर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- आबंटित राशि उपयोग नहीं किये जाने पर लैप्स नहीं होती है। भारत सरकार द्वारा अवशेष राशि के अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग हेतु पुनर्वैद्यकरण किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा-चाकसू स्टेट हाईवे का निर्माण

587. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाईवे नं. 2 (दौसा-चाकसू) बनाने के लिए निविदा हो गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की? उक्त स्टेट हाईवे के निर्माण हेतु कब-कब व कितना भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राज्य राजमार्ग अब तक किस कारण से नहीं बनाया गया है? सरकार द्वारा अब कब तक निर्धारित मानदण्डानुसार उक्त राजमार्ग पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त स्टेट हाईवे नं. 02 (दौसा-चाकसू किमी 16/0 से 35/0) की निविदा दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त कर राशि रु. 2056.95 लाख की निविदा अनुमोदित की गयी। उक्त निर्माण कार्य पर विभाग द्वारा संवेदक को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(2) उक्त राज्य राजमार्ग की स्वीकृति सी आर आई एफ योजनान्तर्गत दिनांक 03.08.2021 को प्राप्त हुई है जिसका कार्यादेश दिनांक 27.01.2022 को राशि रु. 2056.95 लाख का जारी किया गया, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि 05.05.2023 है। विभाग द्वारा नियत तिथि तक निर्धारित मानदण्डानुसार कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

आमेर में सड़कों का निर्माण

588. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र आमेर के आछोजाई से सरदारपुरा तक लगभग 4 किमी की सड़क एवं ग्राम कालवाड़ से रीको रोड श्रीराम डूंगरी से मणकसो की ढाणी, कांट लगभग 01 किमी की सड़क के निर्माण के संबंध में वर्ष 2021 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में आछोजाई से सरदारपुरा सड़क लगभग 4.00 किमी है जिसमें से सरदारपुरा से हरदतपुरा 1.20 किमी सड़क का निर्माण कार्य सांसद कोष योजनान्तर्गत वर्ष 2017 में करवाया गया था जो वर्तमान में संतोषजनक है एवं लगभग 1.70 किमी ग्रेवल सड़क है जो कि वर्तमान में रु. 10.00 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र मिसिंग लिंक/नॉन पैचेबल योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। शेष लम्बाई 1.10 किमी सड़क आर आई डी एफ-27 योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क चतरपुरा से आछोजाई लम्बाई 2.55 किमी. के अन्तर्गत सड़क नवीनीकरण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।

ग्राम कालवाड़ से रीको रोड श्रीराम डूंगरी से मणकसो की ढाणी कांट लगभग 1.50 किमी की सड़क नॉन पैचेबल सड़क है, जो कि वर्तमान में रु.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

10.00 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र मिसिंग लिंक/नॉन पैचेबल योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में आछोजाई से सरदारपुरा सड़क लगभग 4.00 किमी में शेष मिसिंग लिंक लम्बाई (1.70 किमी) एवं ग्राम कालवाड़ से रीको रोड श्रीराम डूंगरी से मणकसो की ढाणी कांट सड़क (1.50 किमी) रु. 10.00 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र मिसिंग लिंक/नॉन पैचेबल योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

सूरजगढ़ के ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने की योजना

589. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 250 से 350 तक की आबादी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कितने गांव 350 की आबादी से अधिक होने के उपरान्त भी सड़क मार्गों से नहीं जोड़े गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त गांवों को अब कब तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानंमत्री ग्राम सडक योजना के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी तथा मरुस्थल व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी को डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान था। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 350 की आबादी से अधिक वाले सभी गांव सड़क मार्ग से जोड़े जा चुके हैं।

(2) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 350 की आबादी से अधिक आबादी वाले सभी गांव डामर सड़क से जुड़ने के कारण वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

माण्डलगढ़ में पंजीकृत श्रमिक

590. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में दिनांक 10 जनवरी, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक कितने पंजीकृत श्रमिकों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में दिनांक 10 जनवरी, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक 468 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनको मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है, का योजनावार विवरण मय राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का वित्त पोषण निर्माण कराने वाले नियोजकों से निर्माण लागत की 01 प्रतिशत वसूली गई उपकर राशि से होता है एवं प्राप्त उपकर राशि का उपयोग ही संचालित योजनाओं के लिये किया जाता है। जिलों को आवश्यकतानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर युक्ति-युक्त बजट का आबंटन मण्डल द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

591. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कहां-कहां पर आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? उक्त में आयुर्वेदिक चिकित्सक व आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर के पद कहां-कहां पर रिक्त हैं तथा सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में किस-किस प्रकार की औषधियां वितरित की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र घाटोल में 30 चिकित्सालय/औषधालय संचालित है जिनमें चिकित्सक नर्स/कम्पाउण्डर के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर-704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर में से 537 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं, शेष पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त भर्ती में घाटोल विधान सभा क्षेत्र में 03 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

चिकित्साधिकारी - रिक्त पदों पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त संचालित चिकित्सालय/औषधालयों में वितरित की गई औषधियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)